सोमवार
14 मई 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १——प्रश्नोत्तर)

खण्ड ३, १९५६

(१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६)

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ४१ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खण्ड ३, अंक ४१ से अंक ६०—१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६]

अंक ४१—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०४, १५०५, १५०७ से १५१५, १५१८, १५१९, १५२१, १५२३, १५२४, १५२८, १५३० और १५३२ से १५३८ ... १५०८–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०६, १५१६, १५१७, १५२०, १५२२, १५२५ से १५२७, १५२९ और १५३९ से १५४३ ... १५३०–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७० से ११२६ ... १५३४–५३

दैनिक संक्षेपिका ... १५५४–५६

अंक ४२—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४४ से १५४६, १५४८ से १५५१, १५५३, १५५६, १५५७, १५५९ से १५६३, १५६५, १५६६, १५६९, १५७१ से १५७४ और १५७७ ... ... १५५७–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४७, १५५२, १५५४, १५५५, १५५८, १५६४, १५६७, १५६८, १५७०, १५७५, १५७६ और १५७८ से १५८१ ... १५७६–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२७ से ११६८ और ११७० से ११९८ १५८०–१६०५

दनिक संक्षेपिका ... १६०६–०९

अंक ४३—शुक्रवार, २० अप्रेल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८२ से १५८४, १५८६, १५८९, १५९३, १५९५ से १५९७, १६००, १६०१, १६०३ से १६०७, १६०९, १६१०, और १६१२ से १६१५ ... १६१०–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८५, १५८७, १५८८, १५९१, १५९२, १५९४, १५९८, १५९९, १६०२, १६०८ और १६१६ ... ... १६३२–३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९९ से १२५० और १२५२ से १२६४ ... १६३५–५९

दैनिक संक्षेपिका ... १६६०–६२

अंक ४४—शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६१७ से १६१९, १६२१, १६२३, १६२४, १६२७ से १६३०, १६३२ से १६३९, १६४१, १६४२, १६४४, १६४५, १६२६ और १६३१ ... ... १६६३–८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९५, १४१५, १६२०, १६२२, १६२५ और १६४० १६८४–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६५ से १२९७ और १२९९ से १३०८ १६८६–१७००

दैनिक संक्षपिका ... १७०१–०३

अंक ४५—सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७०४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६४६ से १६४९, १६५२, १६५४ से १६५९, १६६२, १६६३, १६७२, १६६५ से १६६८, १६७०, १६७३, १६७५, १६७८, १६७९, १६६०, १६६४ और १६५१... ... १७०४–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६५०, १६५३, १६६१, १६६९, १६७१, १६७४, १६७६, १६७७ और १६८० ... १७२६–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०९ १३५२ और १३५४ से १३६९ ... १७२९–५१

दैनिक संक्षेपिका ... १७५२–५४

अंक ४६—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८१ से १६८३, १६८९, १६९०, १६९५, १६९७, १७०१, १७०२, १७०४, १७०६, १७०८, १७०९, १७११, १७१३ से १७१५, १७१७, १६८७ और १६९१ ... १७५५–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८४ से १६८६, १६८८, १६९२ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७००, १७०३, १७०५, १७०७, १७१०, १७१२ और १७१६ १७७४–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३७० से १४१०, १४१२ से १४१८, १४२० से १४२३ और १४२५ से १४३५ ... ... १७७९–१८०१

दैनिक संक्षेपिका ... १८०२–०४

अंक ४७—बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७१८ से १७२२, १७२४, १७२७, १७३० से १७३२, १७३४, १७३६ से १७३९, १७४१, १७४३, १७२३, १७२५ और १७२६ — १८०५–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७२९, १७३३, १७३५, १७४० और १७४२ — १८२६–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १४३६ से १४६२ और १४६४ से १४९३ — १८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका — १८४७–४९

अंक ४८—गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४५ से १७४८, १७५२ से १७६०, १७६३, १७६५, १७६७ से १७७०, १७७२, १७४४ और १७६६ ... १८५०–७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ ... १८७०–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४९ से १७५१, १७६१, १७६२, १७६४ और १७७१ — १८७२–७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९४ से १४९७ और १४९९ से १५२१ ... १८७४–८३

दैनिक संक्षेपिका ... १८८४–८५

अंक ४९—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७४, १७७६, १७७९, १७८१ से १७७९, १७९१ से १७९३, १७९५, १७९७ से १७९९, १८०१ और १८०२ — १८८६–१९०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७५, १७७७, १७७८, १७८०, १७९०, १७९६, १८०३ और १८०४ ... ... १९०७–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२३ से १५३९ और १५४१ से १५६२ ... १९०९–२३

दैनिक संक्षेपिका ... १९२४–२६

अंक ५०—सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०६ से १८११, १८१३, से १८१६, १८२० से १८२४, १८२६ से १८३०, १८३२ और १८३३ ... ... १९२७–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०५, १८१२, १८१७ से १८१९, १८२५ और १८३१ — १९४७–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १५६३ से १५७५ और १५७७ से १६०७ ... १९४९–६२

दैनिक संक्षेपिका १९६३–६५

अंक ५१—मंगलवार, १ मई, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३४, १८३६, १८३९, १८४५, १८४७, १८४८, १८५२ से १८५५, १८५७, १८६१, १८३५, १८४३, १८४४ और १८६२ ... १९६६–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ ... १९८५–८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३७, १८३८, १८४० से १८४२, १८४६, १८४९ से १८५१, १८५६ और १८५८ से १८६० ... ... १९८७–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०८ से १६२६ और १६२८ से १६४१ १९९०–२००१

दैनिक संक्षेपिका ... २००२–०३

अंक ५२—बुधवार, २ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६३, १८६४, १८६६, १८७०, १८७२, १८७३, १८७६ से १८७८, १८८०, १८८२ से १८८४, १८८७, १८८९, १८९२, १८९३ और १८९५ से १८९७ ... ... २००४–२५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५ ... २०२५–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६५, १८६७ से १८६९, १८७१, १८७४, १८७५, १८७९, १८८१, १८८५, १८८६, १८८८, १८९० १८९१ और १८९४ २०२९–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १६४२ से १६५४, १६५६ से १६८६ और १६८८ से १७१० ... ... २०३४–५९

दैनिक संक्षेपिका ... २०५६–५५

अंक ५३—गुरुवार, ३ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९९ से १९०२, १९०४ से १९०८, १९१०, १९११, १९१३ और १९१७ से १९२४ ... ... २०६०–८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९८, १९०३, १९०९, १९१२, १९१४ और १९१५ २०८०–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १७११ से १७५९ ... २०८२–९७

दैनिक संक्षेपिका २०९८–२१३०

अंक ५४—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२५, १९२७, १९३०, १९३८, १९४०, १९४२ से १९४६, १९४८, १९४९, १९५३, १९५६, १९५८, १९६०, १९६२, १९६४, १९६६, १९२६, १९६३, १९३१ और १९३७ ... ... २१०१–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२८, १९२९, १९३२, १९३४ से १९३६, १९३९, १९४१, १९४७, १९५० से १९५२, १९५४, १९५५, १९५७, १९५९, १९६१ और १९६५ ... ... २१२१–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९७ ... २१२७–३९

दैनिक संक्षेपिका ... २१४०–४२

अंक ५५––सोमवार, ७ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९६७, १९६९, १९७१, १९७२, १९७५, १९७८, १९७९, १९८१, १९८२, १९८४, १९८६ से १९८८, १९९१ से १९९३, १९९५, १९९७, १९९८, २०००, १९६८, १९७०, १९९९, १९८३ और १९८९ २१४३–६५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ २१६६–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९७३, १९७४, १९७६, १९७७, १९९६, १९८०, १९८५, १९९०, १९९४ और २००१ से २००३ २१६८–७१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९८ से १८३६ और १८३८ से १८५० २१७१–८७

दैनिक संक्षेपिका २१८८–९०

अंक ५६––मंगलवार, ८ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००४, २००७, २००९, २०१२ से २०१६, २०१८, २०१९, २०२१, २०२२, २०२४, २०२८, २०३० से २०३२ और २०३४ २१९१–२२११

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००५, २००६, २००८, २०१०, २०११, २०१७, २०२०, २०२३, २०२५ से २०२७ से २०२९, २०३३, २०३५ और २०३६ २२११–१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८५२ से १८८५ और १८८७ से १८९३ २२१५–२९

दैनिक संक्षेपिका ... २२३०–३२

अंक ५७––बुधवार, ९ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३९, २०४०, २०४२, २०४३, २०४५ से २०५०, २०५२ और २०५६ से २०६० २२३३–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७, २०४१, २०४४, २०५१, २०५३ से २०५५ और २०६१ से २०८३ २२५४–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १८९४ से १९२४ और १९२६ से १९३८ ... २२६४–८०

दैनिक संक्षेपिका २२८१–८३

अंक ५८—गुरुवार, १० मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८४, २०८५, २०८७, २०९० से २०९२, २०९४, २०९५, २०९८ से २१०२, २१०५ से २१०७, २१०९ और २१११ से २११६ — २२८४–२३०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८६, २०८८, २०८९, २०९६, २०९७, २१०३, २१०४, २१०८, २११० और २११७ से २१२५ — २३०४–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३९ से १९६४ ... २३०९–१८

दैनिक संक्षेपिका — २३१९–२०

अंक ५९—शुक्रवार, ११ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१२८, २१३१, २१३३, २१३७, २१३९, २१४२ से २१४४, २१४९ से २१५१, २१५३, २१५६, २१२६, २१२९, २१४५, २१४६, २१४८, २१५४ और २१५५ — २३२१–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तरांकित प्रश्न संख्या २१२७, २१३२, २१३४ से २१३६, २१३८, २१४०, २१४१, २१४७, २१५२, २१५७ — २३४२–४५

अनारांकित प्रश्न संख्या १९६५ से १९९२ — २३४५–५४

दैनिक संक्षेपिका — २३५५–५६

अंक ६०—सोमवार, १४ मई, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण — २३५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१५८ से २१६२, २१६४ से २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७६ और २१७८ से २१८१ ... २३५७–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१६३, २१७१, २१७४, २१७७ और २१८३ से २१९६ — २३७८–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९३ से २०३१ ... २३८३–९६

दैनिक संक्षेपिका — २३९७–९८

M60LSD—190—20-3-58—GIPF

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

सोमवार, १४ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री मोहित कुमार मैत्र (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बन्दरों का निर्यात

†*२१५८. **श्री डाभी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री ३० नवम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को निर्यात किये गये बन्दरों पर किये गये क्रूरतापूर्ण व्यवहारों के बारे में पूरे आंकड़े अब एकत्र हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रतिलिपि लोक-सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री डाभी** : क्या तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अब कई हज़ार बन्दर चीड़-फाड़ के लिये निर्यात किये गये हैं, तो क्या उसके कारण, नई प्रभावकारी औषधि के रूप में कोई ठोस परिणाम निकला है ?

†**श्री करमरकर** : इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है ।

†**सेठ गोविन्द दास** : क्या गवर्नमेंट ने इस बात का भी पता लगाया है कि यह जो बन्दर बाहर भेजे जाते हैं, उनका आखिर वहां पर क्या होता है और उन से इस देश को क्या लाभ है ?

श्री करमरकर : जी हां, यह बात हमारे सामने आई कि अमरीका की एक बड़ी संस्था को रिसर्च के कारण बन्दरों की ज़रूरत होती है और हम लोग उन के वचनों पर विश्वास कर किसी हद तक उनका एक्सपोर्ट करते थे । जो लाभ उनसे उन को हो जायेगा वही हमें भी हो जायेगा ।

†**श्री डाभी** : क्या मैं यह समझूं कि आकड़े एकत्र करने की कोई सम्भावना नहीं है, अथवा स्थिति क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री करमरकर** : मैंने कहा था कि स्थिति यह है कि आंकड़े एकत्र नहीं किये गये हैं। हमारे मंत्रालय से पूछा गया था कि क्या उसके पास कोई आंकड़े उपलब्ध हैं। उसके पास आंकड़े नहीं थे। स्वास्थ्य-मंत्रालय को इसका निर्देश किया गया। जान पड़ता है कि उस मंत्रालय में भी आंकड़े नहीं है। अतः यह इच्छा प्रकट की गई थी कि उन विदेशों के दूतावासों को विभिन्न बातों पर उनकी विशिष्ट जानकारी जानने के लिये उन्हें पत्र भेजे जा सकते हैं जो भारतीय बंदरों का प्रयोग करने के लिये उन का आयात करते थे। इस इच्छा पर जानकारी एकत्र की जा रही है और मैं समझता हूं कि पशुओं के साथ निर्दयता निवारण के लिये बनी समिति के अधीन एक उप-समिति है जिस में डा० गिल्डर, श्रीमती रुकिमणि अरुंडेल और डा० सुब्बारोयां, संसद् सदस्य हैं जो बन्दरों के निर्यात के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करने का काम करते हैं।

†**श्री कामत** : क्या मंत्री का ध्यान, बल्कि सरकार का ध्यान भारत रत्न श्री राजगोपालाचारी की एक 'वानर-विलाप' नामक तीक्ष्ण कविता की ओर आकर्षित किया गया है जो पिछले वर्ष हरिजन में प्रकाशित हुई थी, और यदि हां, तो क्या सरकार ने उस कविता से कोई अच्छा सबक़ सीखा है ?

†**श्री करमरकर** : मुझे वह कविता पढ़ने का सुयोग नहीं मिला।

†**श्री कामत** : मैं आपको पढ़ने को दूंगा।

†**श्री करमरकर** : कोई भी विषय कवि को प्रोत्साहन दे सकता है किन्तु हम कविताओं से सबक़ नहीं सीखते।

†**श्री कामत** : वह कोई अन्य व्यक्ति नहीं वरन् श्री राजगोपालाचारी हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उत्तर को सुनना चाहिये।

†**श्री केशव अय्यंगार** : क्या कोई ऐसी संस्था है जो स्थानीय बन्दरों के साथ यहां निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने से रोकती है ?

†**श्री करमरकर** : मैं समझता हूं कि नार्थ एवेन्यू के सदस्य इस मामले में चाव ले सकते हैं।

†**श्री बंसल** : माननीय मंत्री ने सभा को बताया कि उन्हें पता नहीं है कि इन प्रयोगों के परिणामस्वरूप कोई औषधि बनाई गई है। क्या उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि बन्दरों से साल्कवैक्सीन बनाया गया है जो बाल-पक्षाघात के लिये अधिक प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है ?

†**श्री करमरकर** : अब मेरी स्मृति ताजी हो गई है। मैंने इस प्रकार की कोई चीज़ के बारे में पढ़ा था।

†**श्री के० के० बसु** : वे देश कौन हैं जहां बन्दरों का सबसे अधिक स्वागत किया जाता है ?

†**श्री करमरकर** : गवेषणा के लिये अथवा अन्य किसी प्रयोजन के लिये ?

†**श्री के० के० बसु** : मैं नहीं जानता किस प्रयोजन के लिये·····

†**श्री करमरकर** : सबसे अधिक स्वागत उनका कहां होता है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। किन्तु इस समय हमारे यहां से, अमरीका और इंग्लिस्तान बन्दर मंगाते हैं। कुछ अन्य सम्भावनायें भी हैं।

†**सेठ गोविन्द दास** : क्या सरकार कभी इस बात पर भी ध्यान रखती है कि इस प्रकार का कार्य जो हमारा पुराना सिद्धान्त सर्वभूत हिते रतः है, उसके विरुद्ध जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री करमरकर** : जी हां, हम भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जहां तक हो सके वहां तक किसी जानवर के साथ कोई क्रुएलिटी नहीं होनी चाहिये, मगर जब रिसर्च के लिये जरूरत होती है, तो हम को सोचना पड़ता है ।

शिक्षा सम्बन्धी पेनल (तालिका)

†*२१५९. **श्री विभूति मिश्र**: क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना-आयोग ने एक शिक्षा सम्बन्धी पेनल (तालिका) का गठन उसे शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर सम्मति देने के लिये किया है; और

(ख) यदि हां, तो पेनल शिक्षा सम्बन्धी विकास में किस प्रकार वृद्धि करने का विचार रखता है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) पेनल (तालिका) की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि वह इस बारे में सम्मति दे कि प्रायमरी, माध्यमिक, विश्वविद्यालय, टेक्नीकल, व्यवसायिक और समाज शिक्षा में हमारे पास सीमित निधियों से अधिकाधिक अच्छे परिणाम किस प्रकार निकल सकते हैं ।

श्री विभूति मिश्र: जब देश के बड़े-बड़े नेता यह कह रहे हैं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली देश की आबहवा के उपयुक्त नहीं है, तो प्लांनिंग कमीशन उसमें किस तरह सुधार करना चाहता है ।

श्री एस० एन० मिश्र : योजना कमीशन जहां तक वर्तमान शिक्षा पद्धति में सुधार किया जा सकता है वहां तक कोशिश करता है, लेकिन उस के सामने बहुत सी मजबूरियां हैं, और यह सारी बातें उसके ऊपर मुनहसर भी नहीं हैं ।

श्री विभूति मिश्र : जब बेसिक एजुकेशन और जनरल एजुकेशन दोनों पर इतना रुपया खर्च करते हुए भी दोनों शिक्षाओं में कोई फर्क नहीं है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्यों सरकार इतना पैसा बेसिक एजुकेशन पर खर्च करती जा रही है ?

श्री एस० एन० मिश्र: मैं ने माननीय सदस्य का अभिप्राय नहीं समझा, यदि वह यह कहते हैं कि बुनियादी शिक्षा पर ज्यादा खर्च होता है, जो कि नहीं होना चाहिये, तो मैं सिर्फ इस बात की तरफ उन का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि इस को सरकार ने मान लिया है कि प्राथमिक अवस्था में बुनियादी शिक्षा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है ।

श्री विभूति मिश्र: जेनरल एजुकेशन यानी प्राइमरी एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन दोनों के कामों को देखते हुए यह अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि जो पैसा खर्च हुआ है वह कहां तक जायज़ है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो प्लैनिंग करने वाले हैं क्या उनकी प्लैनिंग ऐसी नहीं होनी चाहिये कि देश का पैसा बरबाद न हो ?

श्री एस० एन० मिश्र : यह बहुत अच्छा सुझाव है और योजना में इसे जरूर ध्यान में रखना चाहिये ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्कीम बनाई है जिस में एक अवधि नियत की गई हो कि अमुक अवधि तक जितने प्राइमरी स्कूल्स हैं वह बेसिक स्कूल्स में बदल दिये जायेंगे, और यदि हां, तो कब तक ?

श्री एस० एन० मिश्र : यह सवाल तो शिक्षा मंत्रालय से पूछना चाहिये, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, कोई ऐसी अवधि कायम नहीं की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या इस पेनल (तालिका) ने विभिन्न राज्यों के शिक्षा के नमूने की जांच की है और क्या उस ने प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें की हैं ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : मैं निवेदन कर चुका हूं कि पेनल ने प्राइमरी, माध्यमिक, विश्वविद्यालय, टेक्निकल और व्यवसायिक शिक्षा आदि के बारे में विचार किया था। अतः मैं समझता हूं कि पेनल ने इस पहलू पर भी विचार किया था।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या आप निश्चय रूप से नहीं जानते ?

श्री एन० बी० चौधरी : क्या शिक्षा सम्बन्धी मामलों पर सरकार को सम्मति देने के लिये यह पेनल एक स्थायी निकाय होगा अथवा द्वितीय पंचवर्षीय योजना और कुछ अन्य मामलों के बारे में एक अस्थायी निकाय होगा ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : पेनल का भविष्य क्या होगा यह अभी निश्चित नहीं हुआ है। इसका निर्माण मुख्य रूप से शिक्षा योजना बनाने में योजना आयोग को सम्मति देने के लिये किया गया था।

मशीन औज़ार सर्वेक्षण

†*२१६०. **श्री बंसल** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मशीन औज़ार उद्योग के विकास के बारे में सिफारिशें देने के लिये सरकार द्वारा बनाई गई दस व्यक्तियों की समिति ने अपना सर्वेक्षण कार्य समाप्त कर दिया है और प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय कितने मशीन औज़ार कारखाने हैं और विभिन्न श्रेणियों के भविष्य में कितने कारखाने होंगे; और

(ग) समिति से और क्या सिफारिशें की गई हैं ?

†**औद्योगिक विकास मंत्री (श्री एम० एम० शाह)** : (क) से (ग). समिति ने अभी अपना कार्य पूरा नहीं किया है।

†**श्री बंसल** : क्या इस समिति को अपना कार्य पूरा करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है, और यदि हां तो वह कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ?

†**श्री एम० एम० शाह** : जुलाई के अन्त तक।

†**श्री बंसल** : क्या इस सरकार को इस बात की सूचना है कि छोटे पैमाने के उद्योगों तक में मशीन औज़ारों की कमी है और जो छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करना चाहते हैं वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मशीन औज़ार देश में उपलब्ध नहीं हैं, और यदि हां, तो क्या सरकार प्रतिवेदन से पूर्व ही छोटे पैमाने के उद्योगों की सहायता के लिये कुछ करने का विचार रखती है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : इस समिति का काम छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये तत्काल मशीन औज़ार उपलब्ध कराना नहीं है किन्तु इसका सम्बन्ध सामान्य रूप से मशीन औज़ारों का निर्माण करना है। यदि माननीय सदस्य द्वारा कही गई मशीन औज़ारों के उपलब्ध न होने की बात सत्य सिद्ध होती है और यदि वह विस्तार में बता सकते हैं, तो मैं इस प्रकार के मशीन औज़ारों के आयात करने का प्रबन्ध कर सकता हूं।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या सरकार ने मशीन औज़ार बनाने के कार्य को प्रतिरक्षा अधिष्ठापनों के कार्य से मिला देने का कोई प्रयत्न किया है जिससे प्रतिरक्षा कारखाने के कर्मचारियों की छटनी को रोका जा सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** मशीन औज़ार बनाने और प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों का कार्य कुछ भिन्न प्रकार का है और दोनों को एक में मिलाया तभी जा सकता है जबकि वह स्वयं इस कार्य को करें क्योंकि माननीय सदस्य प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के बारे में मुझ से अधिक जानते हैं। जहां तक इन दोनों में सम्पर्क स्थापित करना सम्भव और वांछित होगा, वह किया जायेगा।

†**श्री वेलायुधन :** क्या यह मशीन औज़ार कारखाना समिति केवल बंगलौर के कारखाने के वर्तमान कार्यों का ही सर्वेक्षण करेगी और उसकी प्रगति के बारे में भी एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** जी नहीं, मशीन औज़ार उत्पादन में सामान्य रूप से जहां तक उन्नति की जाती है, उसको छोड़ कर।

मैडागास्कर में भारतीय

†*२१६१. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाण्डिचेरी के भारत में विलय हो जाने के पश्चात् कितने भारतीयों से मैडागास्कर द्वीप छोड़ कर जाने के लिये कहा गया है; और

(ख) मैडागास्कर में अभी कितने भारतीय रह रहे हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) :** (क) पांच, किन्तु उनमें से अभी तक किसी ने भी मैडागास्कर छोड़ा नहीं है।

(ख) सही संख्या उपलब्ध नहीं है, किन्तु अनुमान यह लगाया गया है कि उनकी संख्या १४,००० के आस-पास होगी।

†**श्री डी० सी० शर्मा :** भारतीयों को किन कारणोंवश मैडागास्कर छोड़ना पड़ा ?

†**श्री अनिल के० चन्दा :** मैं प्रश्न नहीं समझ सका।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** पूछा जा रहा है कि भारतीयों को मैडागास्कर किन कारणोंवश छोड़ना पड़ा, यद्यपि उत्तर यह था कि किसी ने भी नहीं छोड़ा है।

†**श्री अनिल के० चन्दा :** उनके विरुद्ध सामान्यत: समाज विरोधी कार्यवाहियों का आरोप लगाया गया है।

†**श्री डी० सी० शर्मा :** ये समाज विरोधी कार्यवाहियां किस प्रकार की हैं जिनका इन पर आरोप लगाया गया है ? ये आरोप सत्य हैं अथवा नहीं ?

†**श्री अनिल के० चन्दा :** चोर बाज़ारी, दीवालियेपन तथा कपट के मामले, अनाधिकृत व्यापार सम्बन्धी लेन-देन में सांझेदारी, चोरी की वस्तुओं का क्रय-विक्रय आदि।

†**श्री डी० सी० शर्मा :** मैडागास्कर में भारतीयों के हितों की देख-रेख कौन सा दूतावास अथवा राजदूतावास करता है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा :** वहां एक महावाणिज्य दूत है।

†**श्री कासलीवाल :** क्या सरकार को इस बात की कोई जानकारी है कि पाण्डिचेरी के भारत में विलय हो जाने के पश्चात् मैडागास्कर में भारतीयों के प्रव्रजन पर कोई नये प्रतिबन्ध लगाये गये है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा :** हम यह नहीं जानते हैं। जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, मोटे तौर से पिछले वर्षों में भी प्रति वर्ष चार-पांच व्यक्तियों को मैडागास्कर छोड़ कर वापस जाना पड़ा था ?

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या सरकार ने यह पता लगाने का प्रयत्न किया है कि वे तथाकथित समाज विरोधी कार्यवाहियां किस प्रकार की हैं जिनका आरोप भारतीयों पर उनके निर्वासन से पूर्व लगाया गया था और क्या सरकार इस बात का पता लगाने की स्थिति में है कि क्या ये भारतीय मैडागास्कर में होने वाले किसी प्रकार के राष्ट्रीय आन्दोलन के आरम्भ से अपने ढंग से भाग ले रहे थे ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : ऐसे प्रत्येक मामले में मैडागास्कर स्थित भारतीय आयुक्त इस प्रश्न पर सरकार से परामर्श लेता है और ऐसा इसलिये है कि यद्यपि पाण्डिचेरी के भारत में विलय हो जाने से, इन लोगों को पांच नोटिस दिये जा चुके हैं और उन्हें अभी तक अन्तिम रूप से निकाला नहीं जा सका है ये मामले सरकार के पास विचाराधीन हैं ।

†**श्री बंसल** : क्या सरकार को विदित है कि इन भू-भागों से भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में कुछ पूर्वी अफ्रीकी देशों में सामूहिक आन्दोलन चल रहा है और क्या कीनिया की सरकार ने उस क्षेत्र में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में एक श्वेत पत्र को स्वीकार कर लिया है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : यह बिल्कुल भिन्न प्रश्न है किन्तु यह सच है ।

तम्बाकू

†*२१६२. **श्री वोडयार** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी यूरोपीय देशों में भारतीय तम्बाकू के लिये बाजार खोजने और उनको मजबूत बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या १४]**

†**श्री वोडयार** : क्या भारत में रूसी नेताओं के दौरे के पश्चात् इन देशों में भारतीय तम्बाकू के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है ?

†**श्री करमरकर** : रूसी नेताओं का दौरा सद्भावना का दौरा था । उस दौरे के परिणामस्वरूप तम्बाकू के निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हुई है । मुझे माननीय सदस्य को यह बताने में प्रसन्नता होती है कि वरजीनिया तम्बाकू के बारे में अब कोई कठिनाई नहीं है यह स्थिति है कि बहुत सा पुराना माल निकल गया है और १९५६ की फसल के लिये ठेके प्रायः हो चुके हैं ।

†**श्री नानादास** : क्या यह सच नहीं है कि पूर्व यूरोपीय देश हमारा तम्बाकू वस्तु विनिमय के आधार पर चाहते हैं और यदि हां, तो इस दिशा में प्रोत्साहन देने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री करमरकर** : मुझे तम्बाकू के बारे में वस्तु विनिमय करार की चिंता का कुछ पता नहीं है । इस का निश्चित उत्तर देने से पूर्व मुझे सूचना की आवश्यकता है । चीन पर्याप्त मात्रा में तम्बाकू खरीद रहा है । गत वर्ष उसने खरीदा था और इस वर्ष भी वह खूब खरीदना चाहता है ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : जो रघुरामैया समिति विदेश भेजी गई थी, उसकी सिफारिशों को कहां तक कार्यान्वित किया गया है और क्या निर्यात में कुछ वृद्धि हुई है ?

†**श्री करमरकर** : रघुरामैया समिति ने कुछ और भी किया था । वास्तव में उसके प्रयत्नों के परिणामस्वरूप बहुत-सा तम्बाकू बेचा गया, जिससे उस स्थिति में सुधार हुआ जो १९५३ की बुरी हालतों से पैदा हो गई थी । सिफारिशों के बारे में मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री डाभी** : क्या मैं यह समझ सकता हूं कि विदेशों में केवल वरजीनिया तम्बाकू की मांग है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री करमरकर :** वरजीनिया तम्बाकू की मांग अधिक है । मैं कहना चाहता हूं कि चालू वर्ष में तम्बाकू निर्यात में वृद्धि हुई है । एफ० सी० बी० के पुराने जमा हुए भण्डार अधिकतर निकल चुके हैं ।

†**श्री बंसल :** क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चीनी यहां से जो तंबाकू मंगवाते हैं, उस का क्या उपयोग करते हैं । यदि वे भी किसी दूसरे देश को तम्बाकू का निर्यात करते हैं, तो सीधे उन देशों से बातचीत करने में हमारी सरकार के मार्ग में क्या बाधा है ?

†**श्री करमरकर :** मैं समझता हूं इसके उपयोग एक जैसे ही हैं, भिन्न प्रकार से पीने, खाने, या चबाने आदि के द्वारा शरीर में तम्बाकू पहुंचाना । पुनः निर्यात के दूसरे प्रश्न के बारे में, मुझे कुछ जानकारी नहीं है ।

†**श्री केशव अय्यंगार :** क्या इस प्रश्न की जांच करने के लिये चीन में कोई आयोग स्थापित करने का सरकार विचार करती है, जैसा इसने पहले किया था ?

†**श्री करमरकर :** इस समय इस की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं होती ।

नदी घाटी परियोजना टैक्निकल कर्मचारी समिति

†*२१६४. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न श्रेणियों के टैक्निकल कर्मचारियों की कमी के प्रश्न पर विचार करने के लिये मंत्रियों के समन्वय बोर्ड द्वारा स्थापित की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य आपत्तियां और सिफारिशें क्या हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) :** जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री एल० एन० मिश्र :** प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

†**श्री एस० एन० मिश्र :** इस समिति की बैठक ३० तारीख को होगी । मैं पहले से बताने म असमर्थ हूं कि यह अपना प्रतिवेदन कब देगी ।

†**श्री आर० पी० गर्ग :** क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने नवम्बर-दिसम्बर १९५४ में जिन टैक्निकल लोगों की भरती की थी, उनको डेढ़ वर्ष पश्चात् नियुक्ति पत्र मिला ?

†**श्री एस० एन० मिश्र :** मुझे इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है । मुझे यह बात माननीय सदस्य से मालूम हुई है ।

†**श्री वेलायुधन :** क्या यह सच है कि टैक्निकल लोग, जिन में विभिन्न श्रेणियों के इंजीनियर भी सम्मिलित हैं, अभी बेकार हैं, और उनकी सूची नौकरी दिलाऊ दफ्तरों में दी गई है किन्तु फिर भी सरकार कहती है कि इंजीनियरों की कमी है ।

†**श्री एस० एन० मिश्र :** कुछ मात्रा तक यह ठीक है । समिति इस बात पर भी विचार करेगी ।

जूनागढ़

†*२१६५. **श्री गिडवानी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगापुर के एक भारतीय स्वामित्व के पत्र "डेली मेल" के विशेष परिशिष्ठांक में २३ मार्च को एक चित्र प्रकाशित हुआ था, जिसमें जूनागढ़ को पाकिस्तान राज्य क्षेत्र के एक अंग के रूप में दिखाया गया था;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) क्या यह भी सच है कि "डेली मेल" को यह नक्शा पाकिस्तान के व्यापार आयुक्त के कार्यालय द्वारा दिया गया था; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई की है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) तथा (ख). जी, नहीं।

(ग) सिंगापुर स्थित हमारे प्रतिनिधि ने "डेली मेल" के संपादक से इस मामले के बारे में पूछा। सम्पादक ने खेद प्रकट किया और अपने अगले अंक में शुद्धि प्रकाशित कर दिया।

†**श्री गिडवानी** : क्या इस प्रकाशन के विरुद्ध पाकिस्तान सरकार से कोई विरोध किया गया ? आखिरकार भारतीय समाचारपत्रों को यह सूचना पाकिस्तान के उच्च आयुक्त से मिली थी।

†**श्री सादत अली खां** : यह चीज़ सिंगापुर के समाचारपत्र में प्रकाशित हुई थी और संपादक ने क्षमा मांग ली है।

†**श्री गिडवानी** : क्योंकि यह सूचना पाकिस्तान के व्यापार आयुक्त द्वारा दी गई थी इसलिये पाकिस्तान सरकार इस के लिये उत्तरदायी है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : पाकिस्तान सरकार गत कई वर्षों से नक्शे प्रकाशित कर रही है, जिनमें न केवल जूनागढ़ को, अपितु जम्मू और काश्मीर राज्य को पाकिस्तान के अंग के रूप में दिखाया गया है और मैं समझता हूं, हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य के रूप में दिखाया गया है। इस बात की ओर और इन नक्शों की अशुद्धि की ओर उनका कई बार ध्यान आकर्षित किया जा चका है और कुछ पत्र व्यवहार भी हुआ है।

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार को संतोष है कि विदेशों में इस प्रकार का साहित्य प्रकाशित करके पाकिस्तान या दूसरी सरकार भारत के विरुद्ध जो झूठा और शरारती प्रचार कर रही है उन का खण्डन करने के लिये हमारे राजदूतावास पूर्णतया सचेत और चौकन्ने रहते हैं ?

†**श्री सादत अली खां** : इस प्रकार के नक्शों के परिचालन से विदेशों में जो ग़लत धारणा पैदा होती है उस का खण्डन करने के लिये, अक्तूबर १९५५ में विदेश स्थित समस्त भारतीय मिशनों को भारत के नक्शे का प्रचार करने के लिये, और स्कूलों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों तथा दूसरी संस्थाओं में खूब अच्छी तरह बांटने के लिये कहा गया था।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान सरकार ने हमारी सरकार को एक पुस्तक भेजी है जिसका शीर्षक है '**पाकिस्तान के बारे में तथ्य**' जिस में यह नक्शा है। क्या सरकार ने शासकीय तौर पर इस पर ध्यान दिया है, और यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहां तक नक्शे का सम्बन्ध है, हमने बराबर आपत्ति की है। जहां तक पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी की गई पुस्तिकाओं का सम्बन्ध है, वे बहुत हैं और इतनी ग़लत हैं कि सामूहिक रूप में उन पर आपत्ति करने के अतिरिक्त यह कठिन है कि उन में दिये गये प्रत्येक ग़लत वणन के लिये आपत्ति की जाये।

†**श्री बंसल** : पाकिस्तान जो कुछ करता है, उसके अतिरिक्त, क्या सरकार का ध्यान बहुत सी दूसरी मित्र सरकारों द्वारा जारी किये गये कुछ नक्शों की ओर आकर्षित किया गया है, जिन में उदाहरण आदि दिये गये हैं, जिन में काश्मीर को भी पाकिस्तान के अंग के रूप में दिखाया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां, यह बात ठीक है । दूसरे देशों के दूसरे वाणिज्यिक संगठनों ने कुछ नक्शे जारी किये हैं---मुझे पक्का पता नहीं कि आया वे सरकारों द्वारा जारी किये गये हैं, किन्तु प्रकाशनगृहों न अवश्य जारी किये हैं और हमने उन पर आपत्ति की है ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या सिंगापुर स्थित हमारे राजदूतावास या हमारे कूटनीति प्रतिनिधि ने इस बात का निश्चय किया है कि नक्शा कहां से मिला, जो बाद में प्रकाशित किया गया, जिसमें इस देश के भागों को पाकिस्तान के भाग के रूप में दिखाया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह बात प्रश्न में ही कही गई है । मैं समझता हूं कि मैं ग़लती पर नहीं हूं, यह नक्शा पाकिस्तान व्यापार आयुक्त के कार्यालय द्वारा दिया गया था । यह बात प्रश्न में है । समाचार-पत्र पाकिस्तान के गणतंत्र दिवस के बारे में परिशिष्टांक जारी कर रहा था, और पाकिस्तान के व्यापार आयुक्त ने उनको बहुत सी सूचना दी थी, और यह नक्शा भी उस में था ।

अभ्रक का निर्यात

†***२१६६. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि अभ्रक के निर्यात को बढ़ाने के लिये कोई कार्रवाई की गई है तो क्या ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : हमारे वाणिज्यक अधिकारी अभ्रक के निर्यात को बढ़ाने के लिये आयात करने वाले बाजारों का लगातार अध्ययन कर रहे हैं । यह वस्तु किये गये सभी व्यापार समझौतों में भी रखी गई है । अभ्रक के लिये एक निर्यात विकास परिषद् की भी शीघ्र ही स्थापना की जा रही है ।

†**श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या अभ्रक का निर्यात बढ़ाने के लिये कोई कार्यक्रम या योजना बनाई गई है । और यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

†**श्री करमरकर** : हम यह कार्यक्रम बनाने के लिये एक निर्यात विकास परिषद् स्थापित कर रहे हैं । हम इसी उद्देश्य से इस परिषद् की स्थापना कर रहे हैं । अन्यथा, हम साधारण रूप से अभ्रक के निर्यातक को बढ़ाने के लिये सब सम्भव कार्रवाई कर रहे हैं ।

†**श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि अभ्रक के विदेशी निर्यातकों के कारण भारतीय हितों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ?

†**श्री करमरकर** : मैं समझता हूं कि यह भी स्थिति का एक पेचीदा तत्व है ।

†**डा० रामा राव** : पूर्व यूरोपीय देशों के साथ किये गये हमारे हाल के व्यापार करारों के मदों में अभ्रक भी एक मद है । क्या उनके साथ यह व्यापार बढ़ाने के लिये कोई सक्रिय कार्रवाई की गई है ?

†**श्री करमरकर** : जैसा मैं ने कुछ समय पूर्व कहा, ठीक इसी उद्देश्य से हम एक निर्यात विकास परिषद् स्थापित करना चाहते हैं । वे शिष्टमण्डलों और साहित्य के प्रकाशन आदि के द्वारा अभ्रक का निर्यात बढ़ाने के प्रश्न की ओर अधिक ध्यान दे सकेंगे ।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या फलौगोपाइट अभ्रक के निर्यात पर कोई रोक लगाई गई है, जो मस्कोवाइट अभ्रक की अपेक्षा कम उपलब्ध होता है, और जिसका बहुत उच्च-स्तर के कामों के लिये उपयोग किया जाता है, ताकि हमारे पास जो थोड़ा फलौगोपाइट अभ्रक है, वह संरक्षित रहे ?

†**श्री करमरकर** : मस्कोवाइट तो होता है, दूसरे किस अभ्रक का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है ?

†**श्री वी० पी० नायर** : फलौगोवाइट ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री करमरकर** : मैं सूचना मिलने पर इस बात का पता लगाऊंगा ।

†**श्री के० के० बसु** : मंत्री ने कहा कि हम ने पहले ही अपने व्यापार आयुक्त और दूसरे व्यक्तियों को अनुदेश दे दिये हैं । क्या उस के परिणामस्वरूप अब तक अभ्रक के निर्यात में कुछ वृद्धि हुई है ?

†**श्री करमरकर** : मैं समझता था कि माननीय मित्र को पता है कि पिछले कुछ थोड़े समय से अभ्रक के निर्यात व्यापार में बड़ी कठिनाइयां आ रही हैं, और जैसा कि मैंने कहा, अपने प्रयत्नों को तेज करने के लिये हम यह निर्यात विकास परिषद् स्थापित कर रहे हैं ।

†**श्री नानादास** : गैर-सरकारी निर्यातकों न विदेशों में हमारे अभ्रक निर्यात के बारे में बदनामी पैदा कर रखी है, इस कारण क्या सरकार प्रस्तावित राज्य व्यापार निगम के द्वारा अभ्रक व्यापर आरम्भ करने का इरादा रखती है ?

†**श्री करमरकर** : दोनों प्रश्न पृथक् हैं । मैं इसे सामान्य सिद्धान्त के रूप में मानने को तैयार नहीं कि हमारे गैर-सरकारी व्यापारियों के कारण हमारा निर्यात असफल हो गया है । राज्य व्यापार निगम किन-किन मदों को लगा, इस के बारे में मैं उचित समय पर सभा को बताऊंगा ।

†**श्री मात्तन** : क्या माननीय मंत्री को त्रावनकोर-कोचीन से अभ्रक के किसी निर्यात का पता है, और क्या उस को बढ़ाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री करमरकर** : मझ इस क बारे में पूर्व सूचना चाहिये ।

बादशाह बहादुर शाह का मकबरा

†*२१६७. **श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि अन्तिम मुगल बादशाह बहादुर शाह की अस्थियां, जो १८५७ के राष्ट्रीय विद्रोह के अग्रगण्य नताओं में से थे, रंगून के मकबरे म दबाई गई हैं; और

(ख) क्या सरकार उनको भारत लाने के बारे म कोई व्यवस्था करन का विचार रखती है ?

†**वैदशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह प्रश्न अभी तक विचार के लिय सामने नहीं आया ।

†**श्री कामत**: क्या सरकार इस मामले म बर्मा सरकार से बातचीत कर रही है । यदि हां, तो क्या बर्मा सरकार ने इस मामले में कोई प्रशंसनीय सहकारी भावना दिखाई है, और क्या बहादुर शाह की अस्थियां आगामी वर्ष में शताब्दी समारोह मनाने के लिये काफी दिन पहले आ जायेंगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह अभी बताया गया है कि किसी भी सरकार ने इस प्रश्न के किसी भी पहलू पर अब तक कोई विचार नहीं किया है। माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहता हूं कि लगभग २० वर्ष पूर्व रंगून के इस स्थान को मैंने देखा था ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री कामत ।

†**श्री के० के० बस** : उस समय वे प्रधान मंत्री नहीं थ ।

उपाध्यक्ष महोदय : जिन सदस्य को प्रश्न करने के लिये कहा गया है उन्हें बोलने दें ।

†**श्री कामत**: क्या सरकार बहादुर शाह की अस्थियों को यथाशीघ्र वापिस लेने के विषय में बर्मा सरकार से बातचीत करेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नहरू** : सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया । इसलिये मैं इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री कामत :** क्या यह सच है कि १८५७ की महान क्रांति में भाग लेने वाले बहादुर शाह, नाना साहिब पेशवा और झांसी की रानी के वीर कृत्यों के विषय में अति महत्वपूर्ण सामग्री सामूहिक रूप में स्वतन्त्रता संग्राम समिति ने, अब परिसमाप्त हो गयी है, एकत्रित की है; और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन अस्थियों को भारत वापिस लाने का नहीं है, क्या सरकार का विचार इस ऐतिहासिक गवेषणा कार्य को आगामी वर्ष--१० अथवा १२ मई, १९५७ को जो संयोग से उसी दिन पड़ता है, प्रकाशित कराने का है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** जहां तक प्रश्न का सम्बन्ध है यह बहुत दूर की बात है ।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी :** हमें पहले बताया गया है कि सरकार की १८५७ की क्रांति के शत वर्षीय उत्सव की योजनाएं पूर्ण नहीं हुई हैं । इसे ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार से हमें निश्चित आश्वासन मिल सकेगा कि बहादुर शाह की अस्थियों को लौटाने जैसी परम आपत्ति रहित और देशभक्ति पूर्ण कार्यवाही के विषय पर यथार्थ और सही रूप से विचार किया जायेगा और आगामी वर्ष में होने वाली शताब्दी के बारे में जनता को समय रहते इस के बारे में निर्णय बता दिया जायेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मुझे खेद है, सरकार ने बताया है कि इस पर कोई विचार नहीं किया है, इसलिये इस समय इसके बारे में कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी :** कार्य सूची में रखे गये प्रश्न को देखते हुए प्रधान मंत्री से हम यह आश्वासन पाने के अधिकारी हैं कि उनका इस विषय में क्या करने का विचार है क्यों कि वह स्पष्ट रूप से ऐसा है जिन पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** बिल्कुल ठीक है, मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं । चूंकि उत्तर यह दे दिया है कि सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया अतः इस समय कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता । माननीय सदस्य को उस समय तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक सरकार इस पर विचार करे ।

†**श्री कामत :** क्या **प्रधान मंत्री** से मैं यह पूछ सकता हूं कि जब प्रश्न की सूचना छः सप्ताह पूर्व दी गयी थी तो सरकार ने इस मामले पर विचार करना उचित क्यों नहीं समझा ? इस मामले पर विचार न करने के लिये क्या हेतु है । किन कारणों अथवा तथ्यों से इस मामले पर सरकार ने विचार नहीं किया है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** विरोधी सदस्यों की अज्ञानता पर मुझे खेद है ।

†**श्री कामत :** क्या कहा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे श्री कामत की अनभिज्ञता पर खेद है ।

†**श्री कामत :** आप भी मुझ जैसे ही अनभिज्ञ ह ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** वह मृत शरीर जिसे दरगाह में दफ़ना दिया गया है; प्रश्न की सूचना देने पर भी नहीं निकाला जा सकता । दरगाहों में दफ़नाये गये मृत शरीरों के बारे में तय करना बहुत ही कठिन और जटिल मामला है । सभी प्रकार के धार्मिक और अन्य दूसरी पारिवारिक भावनाओं पर विचार करना पड़ता है । यह केवल सरकारी मामला नहीं है, कि कुछ करने के लिये ही सरकार इस बारे में निश्चय करे । इससे सभी प्रकार की भावनाएं और सभी प्रकार के वाद उठ खड़े होंगे । अतः मैंने यह बताया था कि यह मामला कभी हमारे सामने नहीं आया । यह वहां बड़े सम्मान और उचित रूप से रक्षित है । उसको लाना वांछनीय है या नहीं यह एक अलग मामला है और दरगाह से बात कर यह किया जाये यह बिल्कुल दूसरा ही मामला है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

माननीय सदस्य ने पहले शताब्दी सम्बन्धी समारोहों के बारे में कुछ कहा था। मैं नहीं जानता उन्होंने किन समारोहों का उल्लेख किया था। कुछ प्रस्ताव हैं, और कुछ प्रकाशनों द्वारा कार्यवाहियां की जा रही हैं, जो कुछ गैर-सरकारी और कुछ सरकारी अभिकरणों द्वारा हो रही हैं।

फिर भी जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मैंने बताया है कि मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तो समय के अनुसार, उत्तर दे रहा हूं जैसे जटिलताएं मेरे सामने उपस्थित हुई हैं, क्योंकि वह तो दरगाह में गड़ा हुआ है और सामान्यतः मृत शरीर दरगाह से नहीं निकाले जाते।

राज्य-व्यापार निगम

†*२१६८ **श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २९ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३३६ के उत्तर में यह बतान की कृपा करेंगे कि राज्य व्यापार निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :** राज्य व्यापार निगम के आगामी सप्ताह में पंजीबद्ध होने की सम्भावना है।

श्री राम कृष्ण : इस कारपोरेशन के फंक्शन्स क्या-क्या होंगे और किस-किस ट्रेड को डील करेंगे ?

†**श्री करमरकर :** फंक्शन्स तो स्टट ट्रेडिंग के ही होंगे जैसा कि उस का नाम है, यानी स्टेट की तरफ से एक्स्पोर्ट और इम्पोर्ट ट्रेड करना। कौन-कौन सी चीजें उस में आयेंगी यह समय आने पर बता दिया जायेगा।

†**श्री कामत :** क्या यह निगम भुड़भुड़ (मैंगनीज) के निर्यात के बारे म भी विचार करेगा।

†**श्री करमरकर :** मैं इस समय सभा को इस संस्था के सीमा नियमों में दिये गये निगम के उद्देश्यों के बारे में बताना चाहता हूं :

"ऐसी सभी वस्तुओं और सामान, जिन के बारे में निगम समय-समय पर निश्चय करे, उनका भारत से निर्यात तथा आयात संगठित करना और उन वस्तुओं का भारत अथवा संसार के दूसरे देश में क्रय-विक्रय और परिवहन तथा साधारण व्यापार करना, और इस प्रकार की दूसरी बातें करना जो उपयुक्त उद्देश्य की प्राप्ति में आनुषंगिक और आवश्यक हों"

इसके अतिरिक्त मैं और कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं।

†**डा० रामा राव :** इस संगठन की तात्कालिक संगठन सम्बन्धी रूपरेखा और व्याप्ति क्या है।

†**श्री करमरकर :** इस समय तो पहली बात निगम का बनना है, उसके बाद एक करोड़ रुपये की अंशदायी पूंजी को सौ रुपये के प्रत्येक अंश के रूप में १ लाख अंशों में बांटना है।

†**श्री के० के० बसु :** क्या इस निगम का व्यापारिक क्षेत्र केवल निर्यात तक ही सीमित रहेगा अथवा इसमें अन्तर्देशीय व्यापार भी सम्मिलित होगा।

†**श्री करमरकर :** मैं समझता हूं कि वितरण में अन्तर्देशीय व्यापार भी सम्मिलित है।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या अंश पूंजी केवल सरकार द्वारा ही अंशदत्त होगी और यदि नहीं तो किस के द्वारा।

†**श्री करमरकर :** केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा ही।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या यह निगम गैर-सरकारी क्षेत्र में, जो इस समय देश का आयात-निर्यात व्यापार कर रहा है, भी काम करेगा और गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा किये जाने वाले व्यापार पर कहां तक इस निगम का प्रभाव पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री करमरकर :** मुझे ऐसे प्रश्नों की पहले ही आशा थी और इसलिए मैंने यहां सामान्य उद्देश्य का उल्लेख किया था। यदि उसमें कहीं गैर-सरकारी हितों का उल्लेख आता है तो यह जरूर करेगा। यह सब इस पर निर्भर है कि हम किन वस्तुओं को राज्य व्यापार के अन्तर्गत करते हैं। इस समय मैं इससे अधिक नहीं बता सकता।

†**श्री बंसल :** क्या इस निगम के बनने से पूर्व ही कुछ सामान के आयात करने के लिये विदेशों से निगम की ओर से कुछ समझौते किये गये थे ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** नहीं। कुछ विदेशों तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में समझौते इस आधार पर हुए थे कि जब यह निगम बन जायेगा तो इन समझौतों को कार्यान्वित करने का सारा दायित्व यह ले लेगा।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैं विशेष रूप से अत्यावश्यक वस्तुओं—यथा मशीनों, कपड़ों, जूट इत्यादि के बारे में पूछ रही थी। इन वस्तुओं के व्यापार पर राज्य व्यापार निगम का कहां तक प्रभाव पड़ेगा। क्या सरकार इस के बारे में कुछ बता सकेगी।

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** मुझे खेद है, मेरे साथी ने जो कु बताया है, मैं मान्य सदस्य को उससे अधिक बताने की स्थिति में नहीं हूं।

स्थानीय विकास कार्य

†*२१६९. **श्री केशव अय्यंगार :** क्या **योजना** मं ी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संसद् सदस्यों द्वारा प्रस्तुत स्थानीय विकास कार्य योजना के अधीन उनक सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्षतः प्रतिवर्ष दो योजनाएं स्वीकृत करने का है;

(ख) सदस्यों द्वारा इस प्रकार की कितनी योजनाएं प्रस्तुत की गयी हैं और कितनी स्वीकृत हुई हैं; और

(ग) व्लोरनाथ में अवालाइल्ली और दयानन्द नगर के लिये इस प्रकार स्वीकृत दो योजनाओं के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) :** (क) जी, नहीं। केन्द्र द्वारा सीधी अनुदान सहायता के लिये संसद् सदस्यों द्वारा प्रस्तुत स्थानीय विकास योजनाओं का प्रति वर्ष कोई निश्चित संख्या स्वीकार करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) संसद् सदस्यों से प्राप्त २१ योजनाओं में से सीधी वित्तीय सहायता के लिये १३ योजनाएं स्वीकृत हुई हैं।

(ग) अवालाइल्ली में कम्यूनिटी हाल का निर्माण फर्श और प्लास्टर को छोड़ कर पूरा हो गया है। दयानन्द नगर में भाण्डार शेड बनाने की दूसरी योजना में उसकी नींव और तहखाना तैयार हो गया है।

†**श्री केशव अय्यंगार :** क्या सरकार को मालूम है कि इस बात के होते हुए भी कि इन दोनों स्थानों में लोगों का अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ है और इन परियोजना भवनों को उन्होंने जो निर्माण किया है उनकी अग्रेतर प्रगति इसलिये रुक गई है कि केन्द्र ने अपना अंशदान नहीं दिया है।

†**श्री एस० एन० मिश्र :** मुझे नहीं मालूम कि कन्द्र के अनुदान से माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है क्यों कि अब समस्त राशि सरकार देती है जहां पर काम हो चुका है, वहां राज्य सरकारों ने अवश्यमेव आंशिक भुगतान किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री केशव अय्यंगार :** इन परियोजनाओं में प्राक्कलित लागत का ५० प्रतिशत भाग केन्द्र द्वारा दिया गया है । यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि वह राशि दी गई है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र :** माननीय सदस्य का तात्पर्य किन योजनाओं से है ?

†**श्री केशव अय्यंगार :** अवालाइल्ली और दयानन्द नगर ।

†**श्री एस० एन० मिश्र :** इन दो मामलों में जितना काम पूरा हो गया है उसके लिये भुगतान कर दिया गया है ।

†**श्री बंसल :** क्या सरकार को मालूम है कि यद्यपि छोटी योजनाओं के लिये बहुत उत्साह है फिर भी ग्रामीणों के सामने यह कठिनाई है कि उनके पास **वास्तुशास्त्री और इंजीनियर** नहीं हैं जो उनके लिये योजना बनायें ? यदि हां, तो क्या सरकार कुछ ऐसी कार्यवाही करेगी जिससे कि ये लोग जिलों में सरकार द्वारा नियुक्त किये गये वास्तुशास्त्रियों से निःशुल्क परामर्श ले सकें ?

†**श्री एस० एन० मिश्र :** ग्रामीणों की यह एक कठिनाई हो सकती है । कितनी सहायता दी जा सकती है इस पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री डी० सी० शर्मा :** संसद् सदस्यों की ओर से प्रति वर्ष दो योजनायें स्वीकार करने का विचार कब आरम्भ किया गया था, उसकी सूचना संसद् सदस्यों को कैसे दी गई ? कितने सदस्यों ने अपनी योजनायें भेजीं और ये योजनायें कैसे स्वीकार की गईं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** एक समय में कितने प्रश्न पूछे जायेंगे ?

†**श्री डी० सी० शर्मा :** मैं जानना चाहता था कि योजनायें कैसे आरम्भ हुईं और क्या सब संसद् सदस्यों, ...

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह अलग से पूछा जा सकता है प्रश्न के रूप में नहीं ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी :** सीधे हाथ में ली गई योजनाओं पर और यहां से सीधे स्वीकार की गई योजनाओं पर क्या कोई सीमा निश्चित की गई है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र :** मैं प्रश्न नहीं समझा ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी :** इन स्थानीय निर्माण कार्यों में क्रियान्वित की जाने वाली संसद् सदस्यों द्वारा दी गई विशेष योजनाओं को स्वीकार करने के लिये क्या कोई वित्तीय सीमा निर्धारित की गई है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र:** जैसा मैं पहले कह चुका हूं संसद् सदस्यों द्वारा आरम्भ की गई योजनाओं को अनुदान देने का कोई प्रस्ताव नहीं है अतः यह प्रश्न नहीं उठता ।

मछली का निर्यात

†*२१७०. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से मछली का निर्यात करने के लिये नियंत्रित अभ्यंश और अनुज्ञप्ति को समाप्त करने के लिये निर्यात संवर्द्धन समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यात की गई राशि में वृद्धि की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो अनुज्ञप्तियों और अभ्यंशों का दिया जाना कैसे विनियमित किया जाता है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) तथा (ख). जी, हां ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री एस० सी० सामन्त :** अनुज्ञप्ति समाप्त करने से क्या निर्यात की मात्रा में वृद्धि हुई है ?

†**श्री करमरकर :** जी। मात्रा में कभी-कभी परिवर्तन हुआ है। १९५२-५३ में मात्रा ५,५९,००० हंडरवेट थी। १९५४-५५ में वह ४,८७,००० हंडरवेट थी। १९५५ (अप्रैल से फरवरी) के १० महीनों में वह ३,८२,००० हंडरवेट रही। उसमें परिवर्तन होता गया है परन्तु सामान्यतया वृद्धि हुई है।

†**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या अनुज्ञप्ति समाप्त करने से आयात करन वाल देश से मछली के गुण प्रकार के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

†**श्री करमरकर :** जी, नहीं। हमारी मछली काफी अच्छी है। मुझे कोई शिकायत नहीं मिली है।

†**श्री नानादास :** पूर्वी समुद्र तट पर रहने वाले मछुओं को इस सम्बन्ध में क्या सुविधाएं दी गई हैं कि वे बिना मध्यजनों की सहायता से पकड़ी गई मछलियां पूर्वी पाकिस्तान को सीधे निर्यात कर सकें।

†**श्री करमरकर :** मैं इस प्रश्न का अभी उत्तर नहीं दे सकता और न ही मैं उसका महत्व समझ सका हूं। जब तक कि माननीय सदस्य यह सलाह न दें कि मछुओं को सहकारी संस्थाओं आदि की सहायता दी जाय। अनुज्ञप्ति के बारे में बात यह है कि वे अपनी मछली चाहे जिस देश को भेज सकते हैं।

†**श्री वी० पी० नायर :** माननीय मंत्री ने कहा था कि मछली के निर्यात में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि सूखी मछली के बारे में हुई अथवा ताज़ी मछली के बारे में। इस बात को देखते हुए कि अमरीका में तूना और बोनीटो प्रकार की मछलियों की बहुत मांग है क्या सरकार ने मछलियों को बरफ में जमा कर रखने और ऊंचे दामों में बेचने के लिये किसी अभिकरण को आर्थिक सहायता दी है ?

†**श्री करमरकर :** प्रश्न कुछ बड़ा था इसलिये मैं अच्छी तरह नहीं समझ सका। निर्यात के बारे में मैंने कहा है कि राशि में परिवर्तन हुआ है। उदाहणार्थ १९५१-५२ में दक्षिण क्षेत्र से निर्यात १८,२०० हंडरवेट हुआ है पहले वह २६,१०० हंडरवेट था। अतः यह वृद्धि या कमी प्रतिवर्ष एक समान नहीं रही है।

†**श्री वी० पी० नायर :** क्या सरकार के पास सूखी और ताज़ी मछली के निर्यात के अलग-अलग आंकड़े हैं। यदि हां, तो वह राशि क्या है ?

†**श्री करमरकर :** अधिकांशतः सूखी मछली का निर्यात होता है।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या निर्यात पर लगाये गये निबंधनों का परिणाम यह हुआ है कि कलकत्ता जैसे स्थानों में जहां कि मनुष्यों का मुख्य भोजन मछली है मछली के मूल्य बढ़ गये हैं ?

†**श्री करमरकर :** हमें वैसी शिकायतें अभी नहीं मिली हैं कि नियंत्रण हटाने से मछली में कमी हो गई है। यदि कोई सच्ची शिकायत हो तो हम जानना चाहेंगे।

†**श्री एन० बी० चौधरी :** क्या केकड़ों का निर्यात बढ़ रहा है और यदि हां, तो कौन-सा देश अधिकांशतः उनका आयात कर रहा है ?

†**श्री करमरकर :** केकड़ों का निर्यात हम सदैव बर्मा को करते हैं। परन्तु गत वर्ष विदेशी मुद्राओं की कठिनाई के कारण वहां के निर्यात में कमी हुई है। हम अन्य देशों को भी अधिकाधिक केकड़े भेजना चाहेंगे।

शरावती जल-विद्युत् परियोजना

†*२१७२. **श्री शिवनंजप्पा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने मैसूर राज्य की शरावती जल-विद्युत् परियोजना के लिये अनुमति दे दी है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसे प्राथमिकता दी जायेगी;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमित लागत क्या होगी; और

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) मैसूर की शरावती जल-विद्युत् परियोजना के प्रथम प्रक्रम को अस्थायी रूप में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है और इस योजना को यथा सम्भव उच्च प्राथमिकता दी जायेगी ।

(ख) इस परियोजना के प्रथम प्रक्रम पर २२९७ लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है ।

(ग) अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई, सिवाय इसके कि प्रारम्भिक कार्य आरम्भ किये गये हैं और योजना को कार्यान्वित करने के लिये प्रारम्भिक प्रबन्ध किये गये हैं ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : इस परियोजना से कितनी बिजली का उत्पादन हो सकता है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कालावधि में इस को कितना विकसित करने का विचार है ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)**: प्रथम प्रक्रम में १४२,००० किलोवाट ।

†**श्री बासप्पा** : क्या इस परियोजना में विद्युत् जनन की लागत भारत भर में सब से कम है और यदि हां, तो क्या इसे प्रथम प्राथमिकता दी जायेगी जैसा कि मैसूर सरकार ने प्रार्थना की है ।

†**श्री नन्दा** : जहां तक मैसूर सरकार का सम्बन्ध है इसे प्रथम प्राथमिकता दी गई है । मैं अभी नहीं कह सकता कि यह देश भर में सब से सस्ती परियोजना है ।

बीड़ी तम्बाकू

*२१७३. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २९ फरवरी, १९५६ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ३६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बीड़ी तम्बाकू के विक्रय के संवर्द्धन के अभिप्राय से किन्हीं विदेशी मंडियों की देख-भाल करने के लिये कोई प्रतिनिधि-मंडल विदेशों में भेजेगी;

(ख) यदि हां, तो ये प्रतिनिधि-मंडल किन-किन देशों में भेजे जायेंगे; और

(ग) इन प्रतिनिधि-मंडलों में तम्बाकू उद्योग के कितने प्रतिनिधि सम्मिलित किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) एक प्रतिनिधि मंडल, जिस के सदस्य भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति के मंत्री और मध्य-प्रदेश के एक बीड़ी व्यापारी हैं, ८-५-१९५६ को निम्न देशों के लिये रवाना हो गया है :

मिस्र,
गोल्ड कोस्ट,
नाइजीरिया,
सूडान,
ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका, और
अदन ।

श्री के० सी० सोधिया : वह प्रतिनिधि-मंडल कितने दिनों में वापिस आयगा ?

श्री करमरकर : समय तो पता नहीं है, परन्तु हम आशा करते हैं कि वह जल्दी ही वापिस आयगा ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या उस प्रतिनिधि-मंडल की सिफ़ारिशें इस सदन के सामने रखी जायेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री करमरकर : अगर नोटिस दिया जायेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बीड़ी का तम्बाकू कहां बेचा जाये, इस सम्बन्ध में कुछ दिक्कत पैदा हो गई है। वह प्रतिनिधि मंडल इस बारे में जांच और बातचीत करने के लिये गया है। हमें आशा है कि वह कामयाब हो कर वापिस आयेगा।

†**श्री डाभी** : क्या कोई और प्रतिनिधि मंडल भेजा जा रहा है ?

†**श्री करमरकर** : मुझे किसी और प्रतिनिधि मंडल का पता नहीं। परन्तु यह सच है कि कुछ ही समय पूर्व बीड़ी के तम्बाकू के लिये कठिनाइयां रही हैं। यदि एक और प्रतिनिधि मंडल की आवश्यकता हुई तो संभवत: हम भेजेंगे।

†**श्री कासलीवाल** : क्या पाकिस्तान ने भारत से बीड़ी के तम्बाकू के पत्तों की नि:शुल्क आयात की अनुमति दी है ?

†**श्री करमरकर** : जी, हां। मैं समझता हूं कि उनके राज्य के उत्तर-पश्चिम में बीड़ी के तम्बाकू के उनके अपने संसाधन हैं।

ऊष्मसह मिट्टी

†*२१७५. **वी० पी० नायर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने ऊष्मसह मिट्टी को निकालने और प्रयोग आरम्भ करने के लिय द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये एक प्रस्थापना भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र से कितनी सहायता मांगी गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या भारत सरकार के पास द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन पर्याप्त सामग्री का निर्माण करने के लिये कोई योजनाएँ हैं ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : निस्संदेह, नहीं तो हमारे बहुत से कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं होंगे।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या सरकार को विदित है कि हाल ही में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण का एक दल त्रावनकोर-कोचीन राज्य क क्विलोन कंदरा प्रदेश में गया था और उसने समाचार दिया है कि उस क्षेत्र में कई लाख टन सर्वोत्तम किस्म की ऊष्मसह मिट्टी उपलब्ध है और उसे शीघ्र खोजना चाहिये ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : ऐसा हो सकता है। परन्तु, मैं कह नहीं सकता कि यह सत्य है।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या यह सत्य है कि योजना की रूपरेखा में सरकार ने कहा है कि धातु खोजने का कार्य-क्रम भारत सरकार का एकाधिकार है ? इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए क्या हम समझें कि सरकार त्रावनकोर-कोचीन के ऊष्मसह मिट्टी के संसाधनों को खोजने के लिये किसी योजना पर विचार कर रही है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : हम अपने इस्पात संयंत्रों के लिये विभिन्न प्रकार की प ्ति ऊष्मसह ईंटों का उत्पादन करने का विचार कर रहे हैं। यदि उत्पादन की वर्तमान योजना में कोई कमी है तो सरकार की इच्छा है कि कमी को पूरा किया जाये।

†**श्री वी० पी० नायर** : इस्पात उद्योग के विस्तार और उसके फलस्वरूप ऊष्मसह सामग्री की अधिक मात्रा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और साथ ही त्रावनकोर-कोचीन की बेरोज़गारी की

†मूल अंग्रेजी में।

दुष्कर समस्या को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इन ऊष्मसह संसाधनों में कार्य करने के सम्बन्ध में तुरन्त विचार करेगी ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : जैसा मैंने बताया हम इस कमी को पूरा करने का विचार कर रहे हैं। परन्तु मुझे यह निश्चय नहीं है कि संयंत्र कहां स्थापित किया जायेगा क्योंकि एक ऊष्मसह संयंत्र की स्थापना का निश्चय करने में परिवहन की लागत और परिवहन के संसाधनों पर ध्यान देना पड़ता है ।

†**श्री वी० पी० नायर** : वहां पर जल परिवहन की सुविधा है ।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या मेगनेसाइट से ऊष्मसह ईंटें बनाने की कोई प्रस्थापना है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : मैं समझता हूं कि कहीं सलीम के आस-पास ऊष्मसह ईंटें बनाने के लिये कुछ योजनायें हैं, यदि माननीय सदस्य की उस विशेष क्षेत्र में अभिरुचि है ।

नारियल की जटा के लिये केन्द्रीय गवेषणा संस्था

†*२१७६. **श्री ए० एम० थामस** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नारियल जटा बोर्ड द्वारा केन्द्रीय गवेषणा संस्था और एक शाखा गवेषणा स्थापित करने के लिये भेजी गई योजनाओं का अनुमोदन किया है; और

(ख) योजनाओं पर कुल कितना व्यय होगा ?

†**औद्योगिक विकास मंत्री (श्री एम० एम० शाह)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नारियल जटा बोर्ड ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कालावधि में मूलत: २०·२८ लाख रुपये के व्यय का अनुमान लगाया था । इस अनुमान पर अब पुनर्विचार किया जा रहा है ।

† **श्री ए० एम० थामस** : क्या कुल व्यय केवल केन्द्र को करना पड़ेगा और यह गवेषणा संस्था कार्य किस तन्त्र के अधीन होगा ?

†**श्री एम० एम० शाह** : दो प्रकार की योजनायें हैं; एक केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई गई जिसका सारा व्यय भारत सरकार करेगी और दूसरी राज्य द्वारा चलाई गई है और उसका व्यय दोनों सरकारें ५०:५० के अनुपात से कर रही हैं ।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या शाखा गवेषणा संस्था राज्य के अधीन होगी या केन्द्र के अधीन होगी ?

†**श्री एम० एम० शाह** : केन्द्र उसके लिये वित्तीय सहायता देगा ।

तिब्बत को सद्भावना मण्डल

*२१७८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर राज्य के उपमंत्री श्री कुशक वकुला के नेतृत्व में तिब्बत गया हुआ सद्भावना मंडल लौट आया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किस तारीख से कुल कितना समय वहां बिताया;

(ग) उन्होंने तिब्बत के किन-किन इलाकों में किन-किन स्थानों की यात्रा की;

(घ) उनकी यात्रा पर भारत सरकार का कुल कितना व्यय हुआ; और

(ङ) तिब्बत की सरकार ने उन्हें वहां के यात्राकाल में क्या-क्या सुविधाएं प्रदान कीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ङ). भारत और चीन के तिब्बत प्रदेश के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों को मज़बूत बनाने के लिये, श्री कुशक वकुला के नेतृत्व में यात्रियों का एक दल तिब्बत गया। वे ६ दिसम्बर, १९५५ को भारत से गये थे और यातुंग, फारी ग्यान्तसे, शिगात्से तथा लासा में खास-खास मठों को देखने के बाद ३० मार्च, १९५६ को लौट आये। भारत सरकार ने उनकी यात्रा पर ५,००० रुपया खर्च किया है।

तिब्बत यात्रा के दौरान में चीन सरकार ने उनके प्रति अच्छा व्यवहार किया और सभी सुविधाएं दीं।

श्री भक्त दर्शन : क्या श्री कुशक वकुला ने अपनी यात्रा से लौटने के बाद अपनी यात्रा के सम्बन्ध में सरकार को कोई .रिपोर्ट दी है, और क्या उन्होंने यह बताया है कि वहां की सरकार और जनता का भारत की सरकार और जनता के प्रति कैसा व्यवहार है और कैसी भावना है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : मुझे निश्चय नहीं परन्तु यह स्वाभाविक है कि वे प्रतिवेदन देंगे। तो भी यदि उन्होंने प्रतिवेदन दिया है तो मेरे लिये यह उपयुक्त नहीं होगा कि मैं बताऊं कि उसमें क्या लिखा है।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : वह आके मुझसे मिले और दूसरों से भी मिले और सब हाल बताया लेकिन कोई जावते की रिपोर्ट पेश नहीं की और मैं नहीं समझता कि उनके ऐसा करने का इरादा है। हां उनसे बातचीत पूरे तौर से हुई।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सही है कि श्री वकुल की यात्रा के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच जो पुराने मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं उनकी और भी पुष्टि हुई, और क्या इसके फलस्वरूप तिब्बत से भी कोई सद्भावना मंडल श्री दलाई लामा या पंचनलामा या किसी अन्य अधिकारी के नेतृत्व में यहां भेजने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है, या इसकी आशा की जाती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्री वकुल के जाने से कोई लम्बा चौड़ा नतीजा नहीं निकलने वाला है। अक्सर लोग वहां जाया करते हैं, वह भी गये थे। इसमें हमने उनकी सहायता की, उनका वहां आदर हुआ। वह दो हैसियतों से वहां गये थे, एक हैसियत तो उनकी यह थी कि वे लामा हैं और धार्मिक कारण से गये, दूसरे वह काश्मीर के डिप्टी मिनिस्टर की हैसियत से गये थे। वह इन दो कामों से गये थे और दोनों फर्ज उन्होंने अदा किये और वापस आ गये।

श्री भक्त दर्शन : चीन और भारत की सरकारों में पिछले दिनों जो समझौता हुआ था उसके भी भारतीय व्यापारियों के वहां टैक्स आदि के बारे में जो कष्ट होता है, क्या उसके बारे में भी उन्होंने अपने प्रवास में चीन की सरकार से बातचीत की थी, यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

उपाध्यक्ष महोदय : अभी बतलाया गया कि उनके वहां जाने का मुद्दा ही अलाहिदा था। वे तो वहां धार्मिक कारण से गये थे।

आसाम में नदी घाटी परियोजनायें

†*२१७९. **श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम राज्य में नदी घाटी परियोजना आरम्भ करने के लिये परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की दृष्टि से केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को आसाम की किसी नदी के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने और आंकड़े एकत्र करने का कार्य सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या आसाम की किसी नदी के सम्बन्ध में कोई प्रारम्भिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन दिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार उस प्रतिवेदन पर कोई कार्य करना चाहती है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) कोपिल्ली और नाग्रो दि हिंग नदियों के प्रारम्भिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार हो चुके हैं। कोपिल्ली योजना के आधीन प्रथम प्रक्रम में २५,००० किलोवाट (१०० प्रतिशत एल० एफ०) और दूसरे प्रक्रम में १,००,००० किलोवाट (१०० प्रतिशत एल० एफ०) उत्पादन करने के लिये उमकिरपॉङ्ग के समीप कोपिल्ली नदी के आर-पार २१८ फुट का एक ऊंचा बांध बनाने का विचार है। पनिमूर में दोनों किनारों पर नहर प्रणाली के साथ जल तल ऊंचा करने से २·५२ लाख एकड़ की सिंचाई होगी।

नाग्रो दि हिंग योजनाग्रों में नाग्रो से २१ मील बहाव के ऊपर जा कर, ६५,००० किलोवाट (१०० प्रतिशत एल० एफ०) विद्युत् जनन के लिये एक ५०० फुट ऊंचा बांध बनाने और बाढ़ से संरक्षण का प्रबन्ध करने का काम है ।

(घ) हां, श्रीमान् ।

†**श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या सरकार अगली पंचवर्षीय योजना में इन दो नदी घाटी परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना चाहती है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : जैसा मैंने बताया है प्रारम्भिक अनुसंधान किये जा चुके हैं, और इन के सम्बन्ध में विस्तृत अनुसंधान अब आरम्भ कर दिये गये हैं। प्रत्येक बात इन अनुसंधानों के परिणामों पर निर्भर करती है ।

†**श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोपिल्ली नदी परियोजना आरम्भ करने की कोई सम्भावना है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : मुझे भी यही उत्तर देना है ।

आसाम में कागज़ और समाचारपत्रों के कागज़ की मिलें

†*२१८०. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम म कागज़ की मिलों के लिये अनुमानतः कितनी कच्ची सामग्री उपलब्ध हो सकेगी; और

(ख) क्या वह आसाम की समाचारपत्रों के कागज़ की मिलों के लिये पर्याप्त और उपयुक्त होगी ?

†**औद्योगिक विकास मंत्री (श्री एम० एम० शाह)** : (क) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या १५]**

(ख) अख़बारी कागज़ के निर्माण के लिए सिवाय चीड़ के और कोई उपयुक्त कच्ची सामग्री नहीं है। चीड़ भी इतना उपलब्ध नहीं कि अख़बारी कागज़ की मिलों की आवश्यकता को पूरा कर सके ।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या किसी समय इसका कुछ अनुमान लगाया गया था, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**श्री एम० एम० शाह** : एक अनुमान लगाया गया था और इससे यह पता लगा है कि वहां १० लाख टन कच्ची सामग्री है परन्तु, अख़बारी कागज़ के उत्पादन के लिये यह पर्याप्त नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या यह सच है कि यह अनुमान केवल आसाम खास से सम्बन्धित है और उत्तरपूर्व सीमा अभिकरण में उपलब्ध कच्ची सामग्री की गणना इसमें नहीं की गई, और यदि हां, तो यदि दोनों क्षेत्रों को एकत्र कर दिया जाये तो उससे क्या परिणाम होगा ?

†**श्री एम० एम० शाह :** इसीलिये भारत सरकार ने वनों के महानिरीक्षण के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की है और ज्योंही वह प्रतिवेदन देगी इस विषय पर पुन: विचार किया जायेगा ।

†**श्री तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या यह सच है कि कुछ गैर-सरकारी समवायों ने वहां कागज़ निर्याण के संयंत्र स्थापित करने के लिये अनुमति मांगी है और ज़ेकोस्लोवाकिया से टेक्नीकल सहायता मांगी है और यदि यह सच है तो यह तथ्य उस विवरण के कितना अनुकुल है जो माननीय मंत्री ने दिया है कि वहां पर्याप्त कच्ची सामग्री नहीं है ।

†**श्री एम० एम० शाह :** परन्तु, कागज़ और अखबारी कागज़ में अंतर है । कागज़ के लिये पर्याप्त कच्ची सामग्री है अख़बारी कागज़ के लिये नहीं ।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या सरकार ने कोई समिति यह अनुसंधान करने के लिये बनाई है कि दोनों क्षेत्रों में कितनी कच्ची सामग्री प्राप्त होगी और क्या उनके आधार पर भविष्य में कोई संयंत्र स्थापित किया जायेगा ।

†**श्री एम० एम० शाह :** जैसा मैंने बताया वह समिति सारे क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है अर्थात् न केवल आसाम वरन् देश भर का निरीक्षण कर रही है ।

बाढ़ सम्बन्धी विशेष जांच समिति

†*२१८१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, पंजाब में गत अक्तूबर में आई अभूतपूर्व बाढ़ों के कारणों की जांच सम्बन्धी विशेष जांच समिति के प्रतिवेदन की प्रति मिली है;

(ख) यदि हां, तो इन बाढ़ों के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इन कारणों को दूर करने के लिये कोई ढंग अपनाने का विचार है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) :** (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या उस समिति ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन दिया है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र :** कोई ऐसा अन्तरिम प्रतिवेदन नहीं दिया गया ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** पंजाब सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति कब तक प्रतिवेदन दे देगी और क्या भारत सरकार को भी उस प्रतिवेदन की प्रति मिलेगी ?

†**श्री एस० एन० मि :** मैं समझता हूं कि प्रतिवेदन ३० मई तक दिये जाने की आशा है ।

†**श्री आर० पी० गर्ग :** क्या बाढ़ का मुख्य कारण यह है कि भाखड़ा नहरों का निर्माण नहीं हुआ और वर्षा के पानी के लिये निस्सारण का प्रबन्ध नहीं हुआ ?

†**श्री एस० एन० मिश्र :** इन सब बातों का अनुसंधान हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

संयुक्त राष्ट्र संघ

*२१६३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५५ में संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी समितियों में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : वर्ष १९५५ में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की निम्नलिखित २५ कमेटियों, कौंसिलों और कमीशनों में भाग लिया :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ जनरल असेम्बली की सात मुख्य कमेटियों में,

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक तथा सामाजिक कौंसिल के चार अधिवेशनों में,

(ग) आर्थिक तथा सामाजिक कौंसिल की सात एतदर्थ (एडहाक) कमेटियों और कमीशनों में,

(घ) ट्रस्टीशिप कौंसिल के दो अधिवेशनों में, और

(ङ) संयुक्त राष्ट्र संघ की पांच अन्य कमेटियों तथा कमीशनों में ।

विस्थापित क्षय रोगी

*२१७१. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में विस्थापित लोगों में से प्रत्येक क्षय रोगी के लिये जंतर पुर क्षय रोग चिकित्सालय को २,००० रुपये दिये जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में विस्थापित लोगों में से प्रत्येक क्षय के रोगी के लिये उस चिकित्सालय को ३,००० रुपये दिये जाते हैं; और

(ग) क्या त्रिपुरा के रोगियों को दी जाने वाली सुविधाएं पश्चिम बंगाल के क्षय के रोगियों को दी जाने वाली सुविधाओं की तुलना में घटिया प्रकार की हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे भेद भाव के क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) से (घ). जादवपुर चिकित्सालय कलकत्ता में क्षय के रोगियों के लिये ६० व्यक्तियों का स्थान रखा गया है । इनमें से १० स्थानों का अभ्यंश त्रिपुरा के लिये नियत किया गया है । पुनर्वास मंत्रालय प्रत्येक रोगी के लिये २,१०० रुपये दे रहा है । त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों और पश्चिम बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों की सुविधाओं अथवा भारों में अंतर नहीं है ।

हाल ही में इस चिकित्सालय में पचास व्यक्यिों के लिये और स्थान का प्रबन्ध किया गया है । उस प्रारम्भिक व्यय को ध्यान में रखते हुए जो चिकित्सालय के प्राधिकारियों को नये स्थानों के लिये करना पड़ेगा, चालू वित्तीय वर्ष के लिये १४,००० रुपये प्रति स्थान मंजूर किये गये हैं ।

सीमान्त घटनायें

†*२१७४. **डा० सत्यवादी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाकिस्तान सीमा पर ऐसी कितनी घटनायें हुईं जिनकी जांच संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों ने १ जनवरी, १९४९ को युद्ध-विराम रेखा के बन जाने के पश्चात् उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये की थी; और

(ख) कितनी घटनाओं में पाकिस्तान को उत्तरदायी ठहराया गया और कितनी घटनाओं में भारत को ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (क) और (ख). १ जनवरी, १९४९ से ३१ दिसम्बर, १९५५ तक भारत ने संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों को पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम करार

---

†मूल अंग्रेजी में ।

के उल्लंघनों के ८०७ उदाहरणों की सूचना दी। इनमें से २४२ की जांच की गई थी और ४६ उदाहरण ऐसे घोषित किये गये थे जिनमें पाकिस्तान ने युद्ध-विराम का उल्लंघन किया था। इसके विपरीत पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों को ६६५ ऐसे उदाहरण बताये गये जिनमें भारत द्वारा उल्लंघन किया गया था। इनमें से १७३ की जांच की गई थी और ३६ युद्ध-विराम उदाहरण भारत के विरुद्ध घोषित किये गये।

अनुसूचित क्षेत्रों में सामुदायिक परियोजनायें और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

†*२१७७. **श्री भीखा भाई** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को कितनी सामुदायिक परियोजनायें और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड आवंटित किये गये हैं; और

(ख) प्रत्येक राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को कितनी चलती सिनेमा गाड़ियों का सम्भरण किया गया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) क्षेत्रों का चुनाव राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जो अनुसूचित क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर उचित ध्यान देती है। अनुसूचित क्षेत्रों में कितने खण्ड स्थित हैं इसके बारे में राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(ख) चलती सिनेमा गाड़ियां राज्य सरकारों को प्रत्येक विकास खण्ड में एक एकक की दर से दी जाती हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में कितने एकक हैं इसके बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है।

निवेली में उद्योग

†*२१८३. **श्री बूबराघस्वामी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निवेली में अथवा उसके आस-पास विभिन्न बड़े पैमाने के और छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) क्या इनमें से किसी उद्योग को सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो वे उद्योग कौन-कौन से हैं;

(घ) क्या इनमें से कुछ उद्योगों की स्थापना के लिये सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र को भी सहायता देने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के बारे में अन्तिम निर्णय उस जांच की सफलता पर निर्भर करेगा, जो की जा रही है।

(ख) और (ग). यदि लिग्नाइट का खनन और उपयोग बचतपूर्ण सिद्ध हुआ, तो सरकारी क्षेत्र में कुछ उद्योग स्थापित किये जायेंगे। इनमें उर्वरक कारखाना, कच्चे और कार्बन वाले कोयले के चूर्ण का संपीडित खण्ड बनाने के लिये एक संयंत्र और एक ताप विद्युत् स्टेशन सम्मिलित हैं।

(घ) और (ङ). अन्य उद्योग जैसे मिट्टी के बर्तन, सीमेंट बनाने और मोम बनाने की विधि का विकास करने की सम्भावना हो सकती है। इनके बारे में और आगे जांच करनी पड़ेगी और इस समय यह बताना समय से पूर्व होगा कि यदि इनमें से किसी उद्योग को गैर-सरकारी क्षेत्र में चलाया गया तो कितनी सहायता दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

बम्बई में कपास का वायदा व्यापार

†*२१८४. **डा० जे० एन० पारिख** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में कपास का वायदा व्यापार हाल ही में वायदा बाज़ार आयोग द्वारा कथित अचानक हस्तक्षेप करने के कारण ठप्प हो गया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि ईस्ट इण्डिया काटन एसोसियेशन लिमिटेड, बम्बई के सभापति और उप-सभापति ने त्यागपत्र दे दिये हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बम्बई के कपास वायदा व्यापार में सामान्य स्थिति लाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इन महानुभावों द्वारा यह कार्यवाही करने के दृश्य कारण उन्होंने समाचारपत्र में विज्ञापित करवा दिये हैं ।

(ङ) इस पर इस समय एसोसियेशन और वायदा बाज़ार आयोग में चर्चा हो रही है ।

अम्बर चर्खा

†*२१८५. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने अम्बर चर्खा से कितने व्यक्तियों को काम मिलेगा इसका पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अधीन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अधिक से अधिक कितने लोगों को काम दिलाने की आशा की जाती है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) और (ख). जी नहीं । अम्बर चर्खा कार्यक्रम से जब तक कि उस पर जो प्रयोग किये जा रहे हैं वे पूरे नहीं हो जाते और इन प्रयोगों पर प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक यह बता सकना समय से पूर्व होगा कि कितने लोगों को काम मिल सकेगा । खादी बोर्ड द्वारा किये गये प्राक्कलनों के अनुसार आशा यह की जाती है कि अम्बर चर्खे से काफी संख्या में बुनकरों, बढ़इयों और लोहारों के अलावा लगभग ५० लाख कातने वालों और सूत सुलझाने वालों को काम मिलेगा ।

राज्यों को सीमेंट और इस्पात का कोटा

†*२१८६. **श्री आर० एन० सिंह** :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बादशाह गुप्त :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश विधान सभा में सीमेंट और इस्पात के कोटा के आवंटन के बारे में केन्द्रीय सरकार पर लगाये गये आरोप कहां तक ठीक हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) क्या यह सच है कि हाल ही में राज्यों ने सीमेंट और इस्पात की अपनी-अपनी मांग प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो भाग क, ख और ग राज्यों ने कितने सीमेंट और कितने टन इस्पात की मांग की और उन्हें अलग-अलग इनका कितना कोटा आवंटित किया गया ?

†**औद्योगिक विकास मंत्री (श्री एम० एम० शाह)** : (क) सरकार को इन आरोपों के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या १६]**

देहातों में बिजली

†*२१८७. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ५ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शेष देहातों में तब से बिजली पहुंचाने को प्रोत्साहित करने के लिये बिजली बोर्डों की स्थापना की गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : जी नहीं, राज्य पुनर्गठन में बाधा पड़ने की दृष्टि से ऐसे बोर्डों की स्थापना करने के काल में वृद्धि करके उसे ३१ मार्च, १९५७ कर दिया गया था ।

बर्मा में भारतीय भू-स्वामी

†*२१८८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा की सरकार ने उन भू-स्वामियों को प्रतिकर देने की घोषणा की है जिनकी भूमियां १९५३ से राष्ट्रीयकृत हो गई हैं;

(ख) क्या उन भारतीय भू-स्वामियों ने, जिनकी भूमियों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था, प्रतिकर के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (क) हां ।

(ख) और (ग). २ फरवरी, १९५६ को एक अधिसूचना जारी करके बर्मा की सरकार ने आवेदन-पत्र मांगे थे और सम्बन्धित भारतीय भू-स्वामी उनके पास आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते रहे हैं । अब तक कितने भारतीय भू-स्वामियों ने आवेदन-पत्र दिये ह, यह ज्ञात नहीं है । इसके आंकड़े तो आवेदन-पत्र प्राप्त करने की तारीख अर्थात् ३० जून, १९५६ की समाप्ति के पश्चात् ही बताये जा सकते हैं ।

परियोजना स्थलों पर प्रशिक्षण केन्द्र

†*२१८९. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिकेनिकल चालकों और संधारण कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये परियोजना स्थलों पर प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे किन स्थानों पर खोले गये हैं और उनके कार्य संचालन से क्या अनुभव हुआ है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) १-११-१९५५ से कोटा (राजस्थान) में एक टेक्निकल प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया था।

उम्मीदवारों को व्यवहारिक और सैद्धान्तिक प्रशिक्षण विशद रूप में दिया जा रहा है। अब तक जितनी सुविधाएं उन्हें दी गई हैं उसका अच्छा उत्तर उनकी ओर से मिला है।

काश्मीर समस्या

†*२१९०. **श्री गिडवानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत स्थित पाकिस्तान के उच्चायुक्त, **श्री गजनफ़र अली द्वारा दिये गये समाचारपत्र** में प्रकाशित वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत के प्रधान मंत्री श्री नेहरू को काश्मीर की समस्या पर निकट भविष्य में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (क) सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त के नाम में समाचारपत्र में प्रकाशित सूचना देखी है;

(ख) भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों में इस समय बैठक करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यदि आवश्यकता हुई तो हमारे प्रधान मंत्री पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से मिलने के लिये सदैव तत्पर हैं।

कान्सटीट्यूशन हाउस

†*२१९१. **श्री कामत** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कान्स्टीट्यूशन हाउस के एक निवासी पर आधी रात में जब कि वह सोया हुआ था, हमला किया गया;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या हैं; और

(ग) व्यक्तियों की और उनकी सम्पत्ति की रक्षा के लिये होस्टल में क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क) से (ग). मैं एक विस्तृत विवरण लोक-सभा पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या १७]**

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में कताई मिल

†*२१९२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या त्रावणकोर-कोचीन सरकार के प्रस्तावों में यह निवेदन किया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य में कताई मिल स्थापित करने के लिये सहायता दी जाये ?

†**औद्योगिक विकास मंत्री (श्री एम० एम० शाह)** : जी, हां।

अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में परामर्शदाता-तालिका

†*२१९३. **श्री भीखा भाई** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों और आदिम-जातियों के कल्याण के विकास सम्बन्धी मामलों पर परामर्श देने के लिये पंचवर्षीय योजना में कोई परामर्शदाता-तालिका (पेनल) बनायी है;

(ख) क्या पेनल म कोई गर-सरकारी सदस्य अथवा कोई आदिमजाति का प्रतिनिधि चना गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा पेनल बनाना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)**: (क) से (ग). जी नहीं। ऐसे पेनल का प्रयोजन योजना आयोग द्वारा जुलाई, १९५५ में पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा आयोजित सम्मेलन से पूरा हो चुका है। अगस्त-सितम्बर, १९५५ में श्रमिक वर्ग जिसमें योजना आयोग के प्रतिनिधि थे, राज्य गृह-कार्य मंत्रालय और अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के आयुक्त ने भी अनुसूचित आदिम जातियों, अनुसूचित जातियों, पहले वाली अपराध जीवी आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित कार्यक्रम पर चर्चा की थी।

पृष्ठानुसार मूल्य योजना

*२१९४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रेस आयोग ने जिस पृष्ठानुसार मूल्य योजना की सिफारिश की थी, उसको लागू करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): भारत सरकार ने समाचारप ों के लिये पृष्ठानुसार मूल्य के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है और उसे लागू करने के लिये कारवाई की जा रही है।

पुर्तगाली बस्तियां

†*२१९५. **श्री गिडवानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान इस समाचारपत्र में प्रकाशित सूचना की ओर आकर्षित किया गया है कि पुर्तगाल 'धाधरा' और 'नगर हवेली' की विमुक्ति का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने का विचार करती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कायवाही करने का विचार करती है ?

†**वैदशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (क) सरकार ने इस प्रकार का समाचार देखा है किन्तु इस बारे में उसे जानकारी नहीं है कि वह समाचार सही है अथवा नहीं ?

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो

†*२१९६. **श्री कामत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अस्वीकृत प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो के पदाधिकारियों की संख्या उनके नाम और उनके पदों के नाम क्या हैं; और

(ख) उन्हें ऐसे पदों पर क्यों रहनें दिया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या १८**]

(ख) जो पदाधिकारी नहीं चुने गये हैं वे तब तक अपने पदों पर रहेंगे जब तक आयोग द्वारा नियुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो जायेंगे। यह कार्य आयोग की सहमति से अथवा उसे सूचित कर दिया गया है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाएं

†१९९३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मिलाने के लिये केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग (जल विभाग) ने प्रस्ताव किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) इन परियोजनाओं पर कुल कितना व्यय किया जायेगा और प्रत्येक परियोजना पर कितना; और

(ग) विभिन्न परियोजनाओं में इनसे कुल कितने एकड़ भूमि में सिंचाई की जायेगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मिलाने के लिये परियोजनाओं के प्रस्ताव विभिन्न राज्य सरकारों ने किये हैं। केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग ने नहीं।

(ख) तथा (ग). उक्त (क) को ध्यान में रखते हुए उत्पन्न नहीं होता।

औद्योगिक एस्टेट्स (सम्पदा)

†**१९९४. श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक सम्पदा आरम्भ करने के लिये पैप्सू सरकार ने ऋण अथवा किसी अन्य सुविधा के लिये प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां। राज्य सरकार ने २७·९७ लाख रुपये का ऋण मांगा है।

(ख) कुछ बातों पर अतिरिक्त जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई है उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

सीमेंट

†**१९९५. श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में देश में कितने सीमेंट का उपयोग किया गया है; और

(ख) उसी कालावधि में कितने सीमेंट का निर्यात किया गया है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) ४५ लाख टन।

(ख) १९५५ में लगभग ४ हज़ार टन का निर्यात किया गया।

भाखड़ा नियन्त्रण बोर्ड

†**१९९६. श्री राम कृष्ण** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में भाखड़ा बोर्ड की कितनी बैठकें हुईं; और

(ख) क्या मुख्य निर्णय किये गये ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) ६।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला नोट संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या १९]**

लोहे के अयस्क का निर्यात

†**१९९७. श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहां तक लोहे के अयस्क का सम्बन्ध है महेन्द्रगढ़ पेप्सू का निर्यात करने वाला जिला है;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो क्या १९५५-५६ में कितने लोहे के अयस्क का निर्यात किया गया; और

(ग) किन पत्तनों से निर्यात किया गया ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) से (ग). महेन्द्रगढ़ में लोहे के अयस्क का उत्पादन होता है परन्तु जिलेवार लोहे के अयस्क के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

पारपत्र

†**१९९८. श्री राम कृष्ण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में विदेशों को जाने के लिये देशवार पारपत्र कितने भारतीयों को दिये गये थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जैसा कि २६ अप्रैल, १९५६ के प्रश्न संख्या १५०३ के उत्तर से पहले ही बताया जा चुका है जारी किये गये पारपत्रों के आंकड़े देशवार नहीं रखे जाते ।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पदाधिकारी

†**१९९९. चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में राजपत्रित और अराजपत्रित पदाधिकारियों की संख्या क्या है जिन्होंने १९५५-५६ में भारत में अपने पदों का त्याग किया है; और

(ख) उसके कारण क्या हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या २०]**

समुद्र पार के भारतीयों को सहायता

†२०००. { **चौधरी मुहम्मद शफी** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ जनवरी, १९५५ से ३१ मार्च, १९५६ तक विदेश में कुछ भारतीयों ने भारतीय दूतावासों और मिशनों से अग्रेतर अध्ययन चिकित्सा सहायता अथवा भारत वापस आने के लिये सहायता मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये उन्हें कुल कितनी राशि दी गई है; और

(ग) कितने मामलों में प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई है, और क्या उसके लिये कोई कारण दिये गये थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) ५६,६३१‡रुपये ।

(ग) ३५ मामलों में सहायता की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया गया उसके कारण दिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

‡इसमें पाकिस्तान से भारत को पुनर्वास मंत्रालय की योजना के अधीन सरकारी व्यय पर आने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का निष्क्रमण नहीं आता ।

दिल्ली राज्य में मकानों की नीलामी

†२००१. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ नवम्बर, १९५५ से ३० अप्रैल, १९५६ तक कितने मकान दिल्ली राज्य में नीलाम किये गये;

(ख) उससे कुल कितनी राशि मिली;

(ग) नीलाम करने वालों के व्यवहार और आचरण के विरुद्ध सरकार को कितनी शिकायतें मिलीं; और

(घ) सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) १३३४।

(ख) ४४,१५,५९,००० रुपये ।

(ग) इस प्रकार की कुछ शिकायतें मिली हैं ।

(घ) सब मामलों में जांच की गई और परिणामस्वरूप एक नीलामी करने वाले को चेतावनी दी गई तथा दूसरे को अनुमोदित सूची में से निकाल दिया गया ।

हथकरघा उपकर निधि

†२००२. { **श्री कृष्णाचार्य जोशी :**
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २८ जुलाई, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९८ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में हथकरघा उद्योग द्वारा आरम्भ की गई मुख्य विकास योजनायें क्या थीं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : योजनाओं का ब्योरा अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन में दिया गया है। इसकी प्रतियां प्रत्येक माननीय सदस्य को दी गई थीं और संसदीय पुस्तकालय में भी रख दी गई थीं। एक विवरण संलग्न है जिसमें बताया गया है कि इस वर्ष के दौरान में कौन सी विशेष मदों पर कार्य आरम्भ किये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या २१]**

भाखड़ा-नंगल परियोजना

†२००३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा-नंगल बहुप्रयोजनीय योजना के अनुसार आज तक कितने बिजली घर आरम्भ किये गये;

(ख) क्या यह सच है कि विद्युत् जनित्रों और टरबाइनों के लिये जापान और इंग्लैंड की सार्थों को आर्डर दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो वे कब तक दिये जायेंगे; और

(घ) उनकी सहायता से कब अधिक बिजली घर आरम्भ करने की आशा है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) एक ।

(ख) जी हां ।

(ग) तथा (घ). एक विवरण संलग्न है । **[देखिय परिशिष्ट, १३, अनुबन्ध संख्या २२]**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

लोहे और इस्पात का कबाड़

†२००४. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में रेलों से लोहे और इस्पात का कुल कितना कबाड़ मिला;

(ख) विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया जाता है; और

(ग) सरकारी विभागों और गैर-सरकारी सार्थों के लिये कबाड़ बेचने के लिये क्या मूल्य निश्चित किया गया है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) तथा (ख). ठीक जानकारी उपलब्ध नंहीं है ।

(ग) कबाड़ के मूल्य संविधि से निश्चित किये जाते हैं तथा वे सरकारी और गैर-सरकारी सार्थों के लिये एक से होते हैं। कबाड़ के अभिनवतम मूल्यों की सूची की प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस–१८१/५६]**

कोरिया युद्ध बन्दी

†२००५. **श्री वेलायुधन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरिया से लाये गये बन्दियों पर भारत ने कुल कितना व्यय किया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : संयुक्त राष्ट्र कमान और उत्तर कोरिया तथा चीन कमान की ओर से भारत लाये गये भूतपूर्व कोरयाई युद्ध बन्दियों पर फरवरी, १९५६ के अंत तक भारत सरकार ने ५,८९,४६२--१०--० रुपये उनके संधारण और उन्हें स्वदेश भेजने के लिये खर्च किये हैं। भूतपूर्व कोरियाई बन्दियों पर व्यय की गई समस्त राशि दोनों कमानों से वसूल की जा सकती है ।

हिन्द-चीन में युद्ध विराम पर्यवेक्षी आयोग

†२००६. **श्री वेलायुधन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्द-चीन में अन्तर्राष्ट्रीय आयोग पर सम्पत्ति के रूप में अभी तक भारत ने कुल कितना व्यय किया; और

(ख) आयोग के व्यय के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ से अथवा आयोग से सम्बद्ध अन्य देशों से क्या सहायता प्राप्त हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) हिन्द-चीन में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षी आयोग पर सरकार ने अगस्त, १९५४ से मार्च, १९५५ तक १४,४७,३६२ रुपये व्यय किये । १९५५-५६ वर्ष में ११,७८,४८४ रुपये व्यय होने की आशा है।

(ख) आयोग के व्यय के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती । तीन पर्यवेक्षी शक्तियां (कनाडा, पौलेंड और भारत) अपने राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों का वेतन और भत्ता सम्बन्धी व्यय तथा निरीक्षण दलों में अपने कर्मचारियों का व्यय सहती हैं। चार, हिन्द-चीनी राज्य आयोग के स्थानीय व्ययों को पूरा करते हैं । जिसमें हिन्द-चीन में विकास चिकित्सा सुविधा, यातायात के सार्वजनिक साधनों और संचार तथा स्थानीय रूप में नियुक्त किये गये व्यक्तियों का वेतन सम्मिलित है । आयोग के अन्य व सब व्यय एक सामान्य निधि से दिये जा सकते हैं जिनमें इंगलिस्तान, रूस, चीन और फ्रांस बराबर-बराबर भाग देती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पब्लिकेशन्स् डिवीज़न

†२००७. **श्री वेलायुधन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में इस समय पब्लिकेशन डिवीज़न में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कितने पदाधिकारी हैं; और

(ख) प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों की संख्या क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) प्रथम श्रेणी के १९ तथा द्वितीय श्रेणी में ४२ ।

(ख) बिल्कुल नहीं ।

टिप्पण : प्रथम और द्वितीय श्रेणी के लिये भर्ती **साधारण** तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है ।

भर्ती करते समय अनुसूचित जाति के लिये विहित रक्षित स्थानों का ध्यान रखा जाता है । जहां तक व्यवहार्य होता है ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती हैं ।

चलचित्र विभाग

†२००८. **श्री वेलायुधन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के चलचित्र विभाग में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की संख्या क्या है;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति सीधे नियुक्त किये गये थे और बाद में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा नियमित किये गये या पुनः चुने गये थे; और

(ग) चलचित्र विभाग में अनुसूचित जातियों के प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के कितने अधिकारी हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या २३]**

संयुक्त राष्ट्र टैक्निकल सहायता बोर्ड

†२००९. **श्री वोडयार :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र टैक्निकल सहायता बोर्ड द्वारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के आरम्भ होने की तिथि से लेकर भारत की सामुदायिक परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिये दूसरे देशों को कितने अध्ययन दलों को पोषित किया है;

(ख) अध्ययन दल किन-किन स्थानों पर जा चुका है; और

(घ) क्या उन्होंने जिन क्षेत्रों का दौरा किया है, उनके काम के बारे में कोई प्रतिवेदन दिये हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) :** (क) छः ।

(ख) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या २४]**

(ग) जी, नहीं ।

भाखड़ा परियोजना से बिजली

†२०१०. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा की बिजली के उपयोग के लिये जो रखी गई, दर के प्रश्न का पुनर्विचार और पुनर्परीक्षण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या आधार ह और क्या निर्णय किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) तथा (ख). घरेलू और वाणिज्यिक कार्यों के लिये प्रयोग में लाई जाने वाली बिजली की वर्तमान दरों के संशोधन का प्रश्न पंजाब सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक विशेष समिति को सौंपा गया है, ताकि गरीब वर्गों के प्रयोक्ताओं को कुछ आराम मिल सके और राज्य के राजस्व में कुछ वृद्धि भी हो सके। इस समिति का कार्य प्रगति पर है।

नमूने के गांव

†२०११. **श्री राम कृष्ण** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ से १९५६ तक नमूने के गांवों के निर्माण के लिये पैप्सू राज्य को कितना ऋण और अर्थ-सहायता दी गई है;

(ख) ऐसे कितने गांवों के निर्माण के लिये पैप्सू सरकार ने योजना बनाई है; और

(ग) क्या समस्त राशि प्रयोग में लाई गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क) पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विशेष रूप के नमूने के गांवों के निर्माण के लिये भारत सरकार ने किसी भी राज्य सरकार को कोई ऋण की अर्थ सहायता नहीं दी है।

(ख) समझा जाता है कि पैप्सू सरकार ने नमूने के १०० गांव बनाने की योजना बनाई है।

(ग) भाग (क) उत्तर में वर्णित स्थिति की दृष्टि से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लोहे के कबाड़ का उत्सर्जन

†२०१२. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी खानों के स्थानीय खान अधिकारियों को संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक को पूछे बिना रद्दी लोहे और दूसरी टूटी-फूटी मशीनों का उत्सर्जन करने का अधिकार है; और

(ख) यदि हां, १९५३, १९५४, और १९५५ में प्रत्येक सरकारी खदान में ऐसे कितने माल का उत्सर्जन किया गया, और वह कितने मूल्य का था ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) सरकारी खानों में रद्दी लोहे और दूसरी टूटी-फूटी मशीनों का उत्सर्जन सरकारी खानों के मुख्य खनन इंजनीयर अपने सहायक वित्त के परामर्श के साथ करते हैं, और स्थानीय खान अधिकारियों के परामर्श से नहीं। सम्भरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक से पूछना अनिवार्य नहीं है।

(ख) जानकारी नीचे दी जाती है :—

१९५३ और १९५४—शून्य

१९५५

वर्णन	मात्रा टन हंडरवेट क्वाटर पौंड	मूल्य रुपये	कोयला खान का नाम
रद्दी माल ...	१२०—१७—१—१३	५०७७-९-९	बोकारो
रद्दी माल और पुराना तथा काम न करने वाली ड्रिल मशीन और खराद आदि ...	५३—२—०—१५	११,१३४-७-०	कारगली

†मूल अंग्रेजी में।

कोयला

†२०१३. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रमशः १९५३-५४, १९५४-५५ और १९५५-५६ में गिरिदीह खानों में सब गुण प्रकार का कुल कितना कोयला निकाला गया है;

(ख) इन वर्षों में प्रति टन उत्पादन की औसत लागत क्या है; और

(ग) क्या भविष्य में उत्पादन बढ़ाने की कोई प्रस्थापना है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) :** (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संबद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या २५]**

(ग) जी, हां ।

विस्थापित लड़कियों को नर्सों का प्रशिक्षण

†२०१४. **डा० सत्यवादी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न केन्द्रों में कितनी विस्थापित लड़कियां नर्सों का प्रशिक्षण पा रही हैं; और

(ख) उनको कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) :** (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा के पटल पर रख दी जायगी ।

त्रिपुरा नदियों में बाढ़ रोक-थाम उपाय

†२०१५. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा की कितनी नदियों में बाढ़-नियंत्रण के उपाय किये गये हैं;

(ख) कितनी प्रगति की गई है; और

(ग) इन कार्रवाइयों की अनुमानित लागत क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) :** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी रखने वाला विवरण संबद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या २६]**

डिबरुगढ़ रक्षणात्मक कार्य

†२०१६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विशेषज्ञ को डिबरुगढ़ रक्षणात्मक कार्यों और उत्तर-बिहार बाढ़ समस्याओं के बारे में मंत्रणा देने के लिये बुलाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या सुझाव हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) :** (क) और (ख). इस सम्बन्ध में अब तक छः विशेषज्ञों को बुलाया गया है । उनके सुझावों का नीचे संक्षेप दिया जाता है :—

१. श्री बी० ई० टौरपन

उत्तर बिहार—श्री टौरपन ने पर्याप्त बुनियादी आंकड़े इकट्ठे करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो समन्वयित योजना बनाने के लिये आवश्यक हैं । उन्होंने उत्तर बिहार की सहायक नदियों पर जल इकट्ठा करने के स्थानों की जांच करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया ।

वह कोसी सम्बन्धी वर्तमान प्रस्तावों से सामान्यतया सहमत थे और उन्होंने कहा कि नदी के किनारे के बांध पर नदी के सीधे आक्रमण के स्थान पर मिट्टी खुरचने से बचाव करने के लिये भारी.....की आवश्यकता होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

२. श्री वांगू हू चेंग

उत्तर बिहार––श्री चेंग का यह मत था कि वर्तमान कोसी योजनायें ठोस हैं, यदि वहां जमा होने वाली रेत को रोकने के लिये उपाय किये जायें। उन्होंने यह मंत्रणा दी कि एक केन्द्र की ओर के प्रवाह के बांधों को उसी ध्यान और चौकसी के साथ बनाना चाहिये, जो मुख्य मिट्टी के बांध के मामले में आवश्यक था, अर्थात् अधिक नमी के तत्व के साथ उचित कम्पैशन।

३. मैसर्स एल० बी० लीपोल्ड थामस मैडौक

उत्तर बिहार––मैसर्स लीपोल्ड और मैडौक ने अनुभव किया कि बिहार में बाढ़ समस्या असाधारणतया पेचीदा है और किसी नियंत्रण पद्धति को न केवल अस्थायी, अपितु अपूर्ण भी, समझा जाना चाहिये। कोई स्थायी और पूर्ण हल नहीं है। उत्तर बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिये जो योजनायें बनाई जा रही हैं वे ठीक जंचती हैं। कोसी परियोजना में लचीलापन का महत्वपूर्ण लाभ था और लागत भी बहुत अधिक नहीं थी। बुनियादी आंकड़े एकत्र करने का कार्यक्रम और विशेष अनुसंधान कार्य में विस्तार किया जाना चाहिये। तलछट भार, विभिन्न आकार के मिट्टी कंकड़ के जमा होने के क्षेत्रों, और नालों के जल सम्बन्धी स्वभाव के साथ भार का सम्बन्ध, का लगातार अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है। बाढ़ संरक्षणात्मक कार्यों की उचित मरम्मत होनी चाहिये।

४. श्री हारबिल ई० वैलर

(१) **उत्तर बिहार**––श्री वैलर ने परामर्श दिया कि (कोसी के साथ) १५ फुट से अधिक ऊंचाई के बांध, १:३ से अधिक ढलान (धार) के साथ बनाये जाने चाहियें और उस पर "दूब" घास लगाई जानी चाहिये। बांधों की अच्छी तरह मरम्मत करना बहुत जरूरी है। बांधों के समीप की भूमि में नालियों का उचित प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

(२) **डिबरुगढ़ बाढ़ नियंत्रण कार्य**––श्री वैलर ने सिफारिश की कि भविष्य में जो संरक्षणात्मक कार्य बनाये जायें वे लगातार होने चाहियें और जल के नीचे पत्थर का फर्श होना चाहिये तथा जल तल पर पत्थरों की चिनाई होनी चाहिये।

नदी से भविष्य में आने वाली बाढ़ों का मुकाबला करने के लिये पर्याप्त बजड़े, नाव और सवारी ढोने वाले छोटे जहाजों का अधिग्रहण किया जाना चाहिये। लकड़ी के लट्ठों का फर्श बनाया जाना चाहिये जिस से पुल के स्तम्भ न हिल सकें और बाँध में लट्ठे नष्ट न हो सकें। जल के तल के नीचे और ऊपर दोनों जगह नदी का किनारा काटने के लिये मशीनों का प्रयोग किया जाना चाहिये।

५. सर क्लोड इंगलिस

(१) **उत्तर बिहार**––सर क्लोड इंगलिस ने उत्तर बिहार बाढ़ समस्याओं के हल के लिये सोचे गये बाढ़ नियंत्रण उपायों की प्रशंसा की।

(२) **डिबरुगढ़ संरक्षणात्मक कार्य**––डिबरुगढ़ के लिये जो संरक्षणात्मक उपाय सोचे गये थे और किये गये थे, उनसे वह सहमत थे।

पंचायत पद्धति

†२०१७. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री अस्थाना :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योज़ना के अन्तर्गत पंचायत पद्धति के विकास के लिये कोई व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक और किन विषयों में ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) से (ख). योजना आयोग राज्य सरकारों से सिफारिश कर रहा है कि वे ग्राम पंचायतों को बुनियादी अनुपात के रूप में, भूमि राजस्व के १५ से २० प्रतिशत तक अनुदान देने और इस शर्त पर भूमि राजस्व का लगभग १५ प्रतिशत अधिक अनुदान देने का विचार करें, कि पंचायतें करारोपण के द्वारा या स्वेच्छापूर्वक अंशदान के द्वारा उतनी ही अतिरिक्त राशि जुटायें। आशा की जाती है कि इस उपबंध से पंचायतें ग्रामीण पुनर्निर्माण और विकास के कार्यक्रम में अच्छी तरह भाग ले सकेंगी। बहुत सी राज्य सरकारों ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में पंचायतों के विकास के लिये पहले ही धन का उपबंध कर दिया है।

नारियल जटा उद्योग

†२०१८. **श्री ए० एम० थामस** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल जटा उद्योग के विकास के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार की योजनाएं सम्मिलित करने का विचार किया गया है;

(ख) इन योजनाओं पर कुल कितना व्यय होगा; और

(ग) (१) केन्द्र, (२) राज्यों और (३) नारियल जटा बोर्ड, द्वारा किस अनुपात से खर्च किया जायेगा ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) से (ग). नारियल जटा बोर्ड ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये नारियल जटा उद्योग के विकास की एक योजना योजना आयोग को पेश की है। नारियल जटा बोर्ड द्वारा पेश की गई योजना पर कुल २·२६ करोड़ रुपये व्यय होंगे। तथापी योजना आयोग ने परीक्षात्मक रुप से केवल १ करोड़ रुपये की राशि दी है, जिसमें केवल कार्यवह पूंजी का व्यय सम्मिलित नहीं है। कार्यान्वित की जाने वाली विशिष्ट योजनायें केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता का स्वरूप विचाराधीन है।

उत्तर-पूर्व सीमा अभिकरण में सामुदायिक परियोजनायें और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड

†२०१९. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण में पहली पंचवर्षीय योजना में कितनी सामुदायिक परियोजनायें और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खोले गये हैं;

(ख) ग्राम सेवक और अधिकारी कहां से और किस प्रकार चुने गये हैं; और

(ग) स्थानीय लोगों की भरती तथा प्रशिक्षण के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** :

(क) सामुदायिक विकास खण्ड—१ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड
(उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण ढंग के) ५

(ख) अधिकतर ग्राम सेवक और पदाधिकारी वर्तमान अभिकरण के कर्मचारियों और दूसरे विभागों से चुने गये हैं। बाहर से भी भरती की गई थी, विशेषकर आसाम से, और आदिम जाति के लोगों को प्राथमिकता दी गई थी, जिन्हें अपेक्षित प्रशिक्षण दिया गया है।

(ग) इन खण्डों का प्रबन्ध करने के लिये उपयुक्त स्थानीय अभ्यर्थियों की भरती को अतिरिक्त और उत्तरपूर्व सीमान्त अभिकरण के बाहर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिये, अभिकरण प्रशासन ने हाल ही में पूर्णतः स्थानीय लोगों से ग्राम सेवकों की भरती करने का निर्णय किया है। इस काम के लिये शिक्षा सम्बन्धी योग्यताओं में ढील कर दी गई है। पासीघाट में एक विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र भी खोला गया है।

†मूल अंग्रेजी में।

राष्ट्रीय निर्माण संगठन

†२०२०. **श्री राधा रमण :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय निर्माण संगठन ने यह सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य में पर्याप्त संख्या में प्रयोगात्मक इमारतें बनवाई जायें जो सामान्य प्रकार की इमारतों से डिजाइन और प्रकार में भिन्न हों;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अपनी गृह-निर्माण योजना में सरकार का विचार इस प्रकार का निर्माण कार्यक्रम सम्मिलित करने का है; और

(ग) इस निर्माण कार्यक्रम पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर) :** (क) ५ और ६ मार्च, १९५६ को हुई राष्ट्रीय निर्माण परिषद् की बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया जिसमें प्रत्येक राज्य में प्रयोगात्मक इमारतें पर्याप्त संख्या में निर्मित करने की सिफारिश की है।

(ख) और (ग). यह चीज़ इस बात पर निर्भर होगी कि आवश्यक टेक्निकल अध्ययन तथा गवेषणा के आधार पर और इस आधार पर कि राज्य सरकारों द्वारा कितना काम किया जायेगा राष्ट्रीय निर्माण संगठन किस सीमा तक सामान्य प्रकार के समान-डिजाइन और तरीकों में परिवर्तन की सिफारिश करता है।

कोयला

†२०२१. **श्री इब्राहीम :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून और सितम्बर, १९५५ के मासों में कितना कोयला तथा कोक उत्पादन किया गया; और

(ख) सन् १९५४ के इन्हीं मासों में कितना कोयला तथा कोक उत्पादित किया गया था ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) :** (क) और (ख). तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :

	जून १९५४	जून १९५५	सितम्बर १९५४	सितम्बर १९५५
	टन	टन	टन	टन
कोयला	२,८८५,१८२	३,०७४,६२२	३,१७१,४०४	३,३७८,३६५
हार्ड कोक	१९२,०८३	२१२,१२२	१९२,३२६	२१७,८४४
सॉफ्ट कोक	१३४,१५२	१२९,९२८	१७३,८६६	१८५,८४४

आयात नीति

†२०२२. **श्री इब्राहीम :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हाल में सरकार ने अपनी आयात नीति उदार कर दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो जुलाई से दिसम्बर, १९५५ की अवधि में कन्फेक्शनरी, बिस्कुट, मुरब्बे तथा केक आदि के आयात के आयात कोटे में कितनी वृद्धि की गयी है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) और (ख). चूंकि सरकार ने मशीनों तथा औद्योगिक कच्चे माल के सम्बन्ध में कई अर्ध-वर्षों में अपनी आयात नीति उदार की है, इस प्रकार का कोई सामान्य वक्तव्य देना सम्भव नहीं है। अनेक वस्तुओं जब जब आयात शुल्क बढ़ा दिया गया तो सरकार ने कोटा का प्रतिबन्ध या तो हटा दिया अथवा ढीला कर दिया।

मलाया और सिंगापुर को भारतीय प्रवासी

†२०२३. **श्री इब्राहीम :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मलाया और सिंगापुर में अगस्त, १९५३ में नये आप्रवासी विनियमों के जारी किये जाने के बाद से कितने भारतीय वहाँ गये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अगस्त, १९५५ से मार्च, १९५६ तक मलाया तथा सिंगापुर को ७६,००९ भारतीय समुद्री रास्ते से हो कर गये जिनमें से अधिकतर वापस आने वाले लोग थे ।

नीरा से चीनी

२०२४. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नीरा' से चीनी बनाने के प्रयोग किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (ग) जी, हां ।

(ख) ताड़ गुड़ उद्योग के विकास के लिये सहकारी समितियों, रजिस्टर्ड संस्थाओं तथा कानून द्वारा स्थापित राजकीय बोर्डों को सरकार आर्थिक सहायता दे रही है । इस उद्योग के विकास कार्यक्रम में नीरा से चीनी बनाने का काम भी सम्मिलित है ।

पीतल की चादरों के कारखाने

२०२५. श्री के० सी सोधिया : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पीतल की चादरें बनाने के बड़े कारखाने कितने हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) १९५५-५६ में कितने टन पीतल की चादरें बनाई गईं;

(ग) इन कारखानों की कुल उत्पादन-क्षमता कितनी है;

(घ) क्या इस क्षमता का पूरा उपयोग किया जाता है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) देश में अनुमानत: पीतल की वार्षिक खपत कितनी है और प्रतिरक्षा कारखानों में पीतल का कितना उत्पादन होता है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) दस कारखाने हैं, जो निम्न राज्यों में हैं :—

राज्य का नाम	कारखानों की संख्या
बम्बई	५
बिहार	१
प० बंगाल ...	१
राजस्थान ...	१
मद्रास	१
पंजाब	१

(ख) लगभग १०,२२० टन ।

(ग) केवल पीतल की चादरें बनाने की उनकी उत्पादन क्षमता के सही आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं । किन्तु पीतल की चादरें और गोल खण्ड तथा तांबे की चादरें और गोल खण्ड ढालने की कुल क्षमता लगभग ४०,५०० टन वार्षिक कूती जाती है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) इस के निम्न मुख्य कारण हैं :—

(१) बड़े पैमाने के उत्पादकों के यहां व्यापारिक श्रेणी की पीतल की चादरें बनाने की ही मशीनें मुख्यत: हैं जिनकी मांग गिर गयी है । औद्योगिक प्रकार की चादरें बनाये जाने की देश में अभी व्यवस्था होनी शेष है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(२) पीतल की चादरें बनाने वाले बड़े उत्पादकों और छोटे उत्पादकों में अब भी प्रतियोगिता चल रही है क्योंकि छोटे उत्पादकों की जो टूटी-फूटी पीतल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, उत्पादन लागत कम होती है ।

(च) पीतल की खपत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

१९५५-५६ में शस्त्रास्त्र कारखानों का पीतल का उत्पादन मोटे तौर पर ६,००० टन के स्तर का था । शस्त्रास्त्र कारखानों में पीतल की चादरें नहीं बनायी जाती हैं ।

पारपत्र

†२०२६. **डा० सत्यवादी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक पारपत्र कार्यालय, दिल्ली को वर्ष १९५५ में विदेशी पारपत्रों के लिये पंजाब राज्य से प्राप्त हुए आवेदनपत्रों की जिलेवार संख्या क्या है;

(ख) अस्वीकृत आवेदपत्रों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को पंजाब राज्य के किन्हीं संगठनों से इस आशय का कोई स्मरणपत्र प्राप्त हुआ है कि अदक्ष कर्मचारियों को पारपत्र देने के सम्बन्ध में जो मौजूदा प्रतिबन्ध हैं उन्हें शिथिल किया जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). पारपत्रों के लिये प्राप्त और अस्वीकृत किये गये आवेदनपत्रों के राज्यवर अथवा जिलेवार आंकड़े अब तक रखे नहीं गये हैं ।

(ग) और (घ). हाल ही में एक स्मृतिपत्र प्राप्त हुआ है और वह विचाराधीन है ।

भारतीय संगीत वाद्यों का निर्माण

†२०२७. **डा० सत्यवादी :** क्या **उत्पादन** मंत्री २३, अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन प्रशिक्षार्थियों को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता दी जा रही है जिन्होंने संगीत वाद्यों के निर्माण में प्रशिक्षण देने के लिये केन्द्र में प्रविष्ठ हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी जा रही है; और

(ग) इन प्रशिक्षार्थियों को और कौनसी सुविधायें दी जाती हैं ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) :** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). स्थानिक प्रशिक्षार्थियों को २५ रुपये प्रतिमास और मुफ़स्सिल प्रशिक्षार्थियों को ४० रुपये प्रतिमास वृत्तिका दी जाती है । प्रशिक्षार्थियों को इस समय कोई अन्य सुविधायें नहीं दी जा रही हैं ।

पंजाब और पेप्सू को ऋण और अनुदान

†२०२८. **सरदार इक़बाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में पंजाब और पेप्सू सरकार को सिंचाई के प्रयोजनों के लिये दिये गये ऋणों और वित्तीय सहायताओं को वर्षवार किस हद तक राज्य सरकारों द्वारा काम में लाया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन पर कि यह धन राशि व्यय की गई है; और

(ग) जो राशि व्यय होने से बच गई है उसे काम में लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और तैयार होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रकाशनों का आयात और निर्यात

†२०२९. { **सरदार इक़बाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डालर, पौण्ड, येन और रूबल क्षेत्रों से वर्ष १९५५ में भारत में आयातित पुस्तकों, पत्रिकाओं और नियतकालिकाओं का कुल मूल्य पृथक्-पृथक् कितना है; और

(ख) उसी अवधि में उक्त क्षेत्रों को निर्यात की गई पुस्तकों, पत्रिकाओं और नियतकालिकों का मूल्य कितना है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या २७**]

बन्दोबस्त कर्मचारी

†२०३०. { **सरदार इक़बाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **पुनर्वास** मंत्री ५ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७५९ के उत्तर के सम्बन्ध में सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें उन स्थानों के नाम दिये गये हों जहां प्रश्न में निर्देशित विभिन्न वर्गों के अधिकारी नियुक्त किये गये हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)**: मौजूदा स्थिति को बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या २८**]

स्लेट फैक्टरियां

†२०३१. { **सरदार इक़बाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और पेप्सू में जिन स्थानों में स्लेट की सरकारी फैक्टरियां हैं उनके नाम क्या हैं;

(ख) उक्त राज्यों में जिन स्थानों पर स्लेट का पत्थर पाया जाता है उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या नई फैक्टरियां स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है; और

(घ) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, १४ मई, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर ...	२३५७–७७
तारांकित प्रश्न संख्या		
२१५८	बन्दरों का निर्यात ...	२३५७–५९
२१५९	शिक्षा सम्बन्धी पेनल (तालिका)	२३५९–६०
२१६०	मशीन औजार सर्वेक्षण ...	२३६०–६१
२१६१	मैडागास्कर में भारतीय ...	२३६१–६२
२१६२	तम्बाकू	२३६२–६३
२१६४	नदी घाटी परियोजना टैक्नीकल कर्मचारी समिति ...	२३६३
२१६५	जूनागढ़	२३६३–६५
२१६६	अभ्रक का निर्यात ...	२३६५–६६
२१६७	बादशाह बहादुर शाह का मकबरा	२३६६–६८
२१६८	राज्य-व्यापार निगम ...	२३६८–६९
२१६९	स्थानीय विकास कार्य ...	२३६९–७०
२१७०	मछली का निर्यात ...	२३७०–७१
२१७२	शरावती जल-विद्युत परियोजना	२३७१–७२
२१७३	बीड़ी तम्बाकू	२३७२–७३
२१७५	ऊष्मसह मिट्टी	२३७३–७४
२१७६	नारियल की जटा के लिये केन्द्रीय गवेषणा संस्था	२३७४
२१७८	तिब्बत को सद्भावना मण्डल ...	२३७४–७५
२१७९	आसाम में नदी घाटी परियोजनायें	२३७५–७६
२१८०	आसाम में कागज और समाचारपत्रों के कागज की मिलें	२३७६–७७
२१८१	बाढ़ सम्बन्धी विशेष जांच समिति ...	२३७७
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	२३७८–९६
तारांकित प्रश्न संख्या		
२१६३	संयुक्त राष्ट्र संघ	२३७८
२१७१	विस्थापित क्षय रोगी	२३७८
२१७४	सीमान्त घटनायें	२३७८–७९
२१७७	अनुसूचित क्षेत्रों में सामुदायिक परियोजनायें और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड	२३७९
२१८३	निवेली में उद्योग	२३७९
२१८४	बम्बई में कपास का वायदा व्यापार	२३८०
२१८५	अम्बर चर्खा	२३८०
२१८६	राज्यों को सीमेंट और इस्पात का कोटा	२३८०–८१
२१८७	देहातों में बिजली	२३८१
२१८८	बर्मा में भारतीय भूस्वामी ...	२३८१
२१८९	परियोजना स्थलों पर प्रशिक्षण केन्द्र	२३८१–८२
२१९०	काश्मीर समस्या ...	२३८२
२१९१	कान्सटीट्यूशन हाऊस	२३८२
२१९२	त्रावनकोर-कोचीन राज्य में कताई मिल ...	२३८२
२१९३	अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में परामर्शदाता-तालिका ...	२३८२–८३
२१९४	पृष्ठानुसार मूल्य योजना	२३८३
२१९५	पुर्तगाली बस्तियां	२३८३
२१९६	प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो	२३८३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१९९३	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनायें	२३८३–८४
१९९४	औद्योगिक एस्टेट्स (सम्पदा)	२३८४
१९९५	सीमेंट	२३८४
१९९६	भाखड़ा नियन्त्रण बोर्ड	२३८४
१९९७	लोहे के अयस्क का निर्यात ...	२३८४–८५
१९९८	पारपत्र	२३८५
१९९९	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पदाधिकारी	२३८५
२०००	समुद्र पार के भारतीयों को सहायता	२३८५
२००१	दिल्ली राज्य में मकानों की नीलामी	२३८६
२००२	हथकरघा उपकर निधि	२३८६
२००३	भाखड़ा-नंगल परियोजना	२३८६
२००४	लोहे और इस्पात का कबाड़	२३८७
२००५	कोरिया युद्ध बन्दी	२३८७
२००६	हिन्द-चीन में युद्ध विराम पर्यवेक्षी आयोग	२३८७
२००७	पब्लिकेशन्स डिवीजन ...	२३८८
२००८	चलचित्र विभाग	२३८८
२००९	संयुक्त राष्ट्र टेक्निकल सहायता बोर्ड ...	२३८८
२०१०	भाखड़ा परियोजना से बिजली	२३८८–८९
२०११	नमूने के गांव	२३८९
२०१२	लोहे के कबाड़ का उत्सर्जन ...	२३८९
२०१३	कोयला	२३९०
२०१४	विस्थापित लड़कियों को नर्सों का प्रशिक्षण	२३९०
२०१५	त्रिपुरा नदियों में बाढ़ रोक-थाम उपाय	२३९०
२०१६	डिबरूगढ़ रक्षणात्मक कार्य ...	२३९०–९१
२०१७	पंचायत पद्धति	२३९१–९२
२०१८	नारियल जटा उद्योग	२३९२
२०१९	उत्तर-पूर्व सीमा अभिकरण में सामुदायिक परियोजनायें और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड	२३९२
२०२०	राष्ट्रीय निर्माण संगठन	२३९३
२०२१	कोयला	२३९३
२०२२	आयात नीति	२३९३
२०२३	मलाया और सिंगापुर को भारतीय प्रवासी ...	२३९३–९४
२०२४	नीरा से चीनी	२३९४
२०२५	पीतल की चादरों के कारखाने ...	२३९४–९५
२०२६	पारपत्र	२३९५
२०२७	भारतीय संगीत वाद्यों का निर्माण	२३९५
२०२८	पंजाब और पेप्सू को ऋण और अनुदान ...	२३९५–९६
२०२९	प्रकाशनों का आयात और निर्यात	२३९६
२०३०	बन्दोबस्त कर्मचारी	२३९६
२०३१	स्लेट फैक्टरियां	२३९६

सोमवार
14 मई 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग--२ प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड ५, १९५६

(९ मई से ३० मई, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ५ में अंक ६१ से ६७ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

[वाद-विवाद; भाग २—खण्ड ५; ९ मई से ३० मई, १९५६]

	पृष्ठ
अंक ६१—बुधवार, ९ मई, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३२७९
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंतीसवां तथा छत्तीसवां प्रतिवेदन	३२८०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
बावनवां प्रतिवेदन	३२८०
अनुपस्थिति की अनुमति ...	३२८०–८१
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	३२८१
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौतीसवां प्रतिवेदन	३२८१–८२
सभा का कार्य	३२८२–८४
भारतीय टंक अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई	
प्रारूप अधिसूचनाओं के बारे में प्रस्ताव	३२८४–९०
संविधान (दसवां संशोधन)—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	३२८४–९०
कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३३१७–२५
दैनिक संक्षेपिका ...	३३२६
अंक ६२—गुरुवार, १० मई, १९५६	
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	३३२७
सदस्यों का बन्दीकरण तथा निरोध ...	३३२७–२८
भारतीय रड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक ...	३३२८–२९
कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३३२९–८५
दैनिक संक्षेपिका ...	३३८६
अंक ६३—शुक्रवार, ११ मई, १९५६	
राज्य-सभा से सन्देश	३३८७
मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक	३३८७
समितियों के लिये निर्वाचन—	
प्राक्कलन समिति	३३८८
लोक लेखा समिति	३३८८
राज्य-सभा के सदस्यों का लोक लेखा समिति में सम्मिलित किये जाने के	
बारे में प्रस्ताव	३३८८
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंतीसवां और छत्तीसवां प्रतिवेदन ...	३३८९–९१

पृष्ठ

सभा का कार्य ३३९१–९२

कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव ... ३३९२–३४२७

खण्ड २ से ५५ और १ तथा अनुसूची ३३९९–३४२५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ३४२५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

बावनवां प्रतिवेदन ३४२७

व्यक्ति की अधिकतम आय के बारे में संकल्प ३४२७–५०

दैनिक संक्षेपिका ३४५१

अंक ६४––सोमवार १४ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३४५३–५४

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ३४५४

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति––

चौथा प्रतिवेदन ३४५४

राज्य पुनर्गठन विधेयक ... ३४४४–५६

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ३४५६

जीवन बीमा निगम विधेयक ३४५६

त्रावनकोर-कोचीन आय-व्ययक––

सामान्य चर्चा ३४५७–३५००

अनुदानों की मांगें ... ३५००–३२

त्रावनकोर-कोचीन विनियोग विधेयक ३५४७–४८

दैनिक संक्षेपिका ... ३५४९

अंक ६५––मंगलवार, १५ मई, १९५६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में वक्तव्य ३५५१–५४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३५५४

राज्य-सभा से सन्देश ३५५४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३५५४–३६०२

दैनिक संक्षेपिका ... ३६०३

अंक ६६––बुधवार, १६ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३६०५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

त्रेपनवां प्रतिवेदन ३६०५

सभा का कार्य––

द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर चर्चा ३६०६–१०

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक ... ३६१०–११

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा

प्रतिवेदित रूप में ३६११–६१

पृष्ठ

खण्डों पर विचार--

खण्ड ४, ५ और ७ ... ३६१४–२९

खण्ड २, ३, ६ और ८ से ४० ३६२९–५४

खण्ड ४१, ४२ और ४७ ३६५४–६१

राज्य-सभा से सन्देश ३६६२

दैनिक संक्षेपिका ३६६३

अंक ६७--गुरुवार, १७ मई, १९५६

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३६६५–६६

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३६६६–३७१६

खण्ड ४१ से ८३ तक ... ३६६६–३७१५

पारित करने का प्रस्ताव, संशोधन रूप में ३७१६

दैनिक संक्षेपिका ... ३७१७

अंक ६८--शुक्रवार, १८ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७१९

राज्य-सभा से संदेश ... ३७१९–२०

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक ... ३७२०

प्राक्कलन समिति--

सत्ताईसवां प्रतिवेदन ३७२०

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (खड्गपुर) विधेयक ३७२०

त्रावनकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक ३७२१–२२

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ... ३७२२–३५

पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में ३७२२

जीवन बीमा निगम विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३७३५–५३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--तिरपनवां प्रतिवेदन ३७५४

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९४ का संशोधन) ... ३७५४

खान संशोधन, विधेयक (धारा ३३ और ५१ का संशोधन) ३७५४–६२

विचार करने का प्रस्ताव ३७५४

भारतीय बाल दत्तक-ग्रहणन विधेयक ३७६३–६४, ३७६५–७३

विचार करने का प्रस्ताव ३७६३

सभा का कार्य ३७६४–६५

नियम समिति--

चौथा प्रतिवेदन ३७६५

दैनिक संक्षेपिका ३७७४–७५

अंक ६९--सोमवार, २१ मई, १९५६ **पृष्ठ**

स्थगन प्रस्ताव ३७७७–७८
सभा का कार्य ... ३७७८–७९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७७९–८०
राज्य-सभा से सन्देश ३७८०–८६
प्राक्कलन समिति--
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन ... ३७८६
जीवन बीमा निगम विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३७८६–३८३५
खण्डों पर विचार--
खण्ड २ ३८३१--३५
दैनिक संक्षेपिका ३८३६

अंक ७०--मंगलवार, २२ मई, १९५६

स्थगन-प्रस्ताव--
भुखमरी के कारण कुछ नागाओं की कथित मृत्यु ३८३७–३९
सदस्यों की रिहाई ३८३९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
अल्जीरिया के सम्बन्ध में सरकार की नीति ... ३८३९–४२
जीवन बीमा निगम विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--
खण्ड ४, १९ और २२ ३८४३–५८
खण्ड ११ और १२ ३८५८–६८
खण्ड १४ ३८६८–७०
खण्ड २५ और २९क ... ३८७०–८५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३८८५
दैनिक संक्षेपिका ३८८६

अंक ७१--बुधवार, २३ मई, १९५६

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
खडगपुर और काजीपेट जंकशनों पर रेलवे श्रमिकों की हड़ताल ... ३८८७–९३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३८९३–९४
राज्य-सभा से सन्देश ३८९४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चौवनवां प्रतिवेदन ३८९४
भारतीय डाक और तार अधिनियम के बारे में याचिका ... ३८९४
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३८९४
पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के सामूहिक निष्क्रमण के बारे में वक्तव्य ३८९४–९८
जीवन बीमा निगम विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३८९८–३९४१
खण्ड ४३ ३८९८–३९०५

पृष्ठ

खण्ड १६, ३५, ३६ और अनुसूचियां ३९०६–३०

खण्ड ५ से १०, १३, १५, १७, १८, २०, २१, २३, २४, २६ से ३४, ३७ से ४२, ४४ से ४९ और १ ... ३९३०–४१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३९४१

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प ३९४१–६०

कार्य मंत्रणा समिति––

सैंतीसवां प्रतिवेदन ३९६०

दैनिक संक्षेपिका ३९६१–६२

अंक ७२––शुक्रवार, २५ मई, १९५६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

काजू के कारखानों में तालाबन्दी ३९६३–६४

द्वितीय पंचवषीय योजना के बारे में संकल्प ३९६४–७०, ३९७१–९४

सभा का कार्य ३९७०–७१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

चौवनवां प्रतिवेदन ... ३९९४

व्यक्ति की आय पर उच्चतम सीमा सम्बन्धी संकल्प ३९९४–४००७

आयकर विभाग के कार्य की जांच के बारे में संकल्प ४००८–१३

गन्ने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ४०१३–२०

दैनिक संक्षेपिका ४०२१

अंक ७३––शनिवार, २६ मई १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४०२३, ४०२५–२६

प्राक्कलन समिति––

उनतीसवां और तीसवां प्रतिवेदन ... ४०२३

भारतीय डाक और तार अधिनियम के बारे में याचिका ... ४०२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना––

त्रिपुरा में चावल के भाव में वृद्धि ... ४०२४

पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा भारतीय राज्य-क्षेत्र में लगातार गोलीबारी ... ४०२४–२५

कार्य मंत्रणा समिति––

सैंतीसवां प्रतिवेदन ४०२६–२७

मालिक-मजदूर झगड़े सभा के सामने लाने के बारे में विनिर्णय ४०२७–२८

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प ४०२८–७२

राज्य-सभा से संदेश ... ४०७२–७४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक ४०७४

दैनिक संक्षेपिका ४०७५–७६

पृष्ठ

अंक ७४—सोमवार, २८ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४०७७–७९
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	४०७९
प्राक्कलन समिति—	
इक्तीसवां प्रतिवेदन ...	४०७९
सभा का कार्य	४०८०–८१
त्रावणकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन)	
विधेयक	४०७९, ४०८१–४१०१
विचार करने का प्रस्ताव	४०७९
खण्ड २, ३ और १	४०९३–४१०१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	४१०१
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक ...	४१०२–०७
विचार करने का प्रस्ताव	४१०२
खण्ड १ और २ ...	४१०७
पारित करने का प्रस्ताव ...	४१०७
खड्गपुर में हड़ताल की स्थिति के बारे में चर्चा	४१०८–३३
राष्ट्रीय अनुशासन योजना के बारे में आध घंटे की चर्चा ...	४१३४–३९
दैनिक संक्षेपिका ...	४१४०–४१

अंक ७५—मंगलवार, २९ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४१४३–४४
प्राक्कलन समिति—	
बत्तीसवां प्रतिवेदन ...	४१४४
लोक लेखा समिति—	
सोलहवां प्रतिवेदन	४१४४
सभा की बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	४१४४
काजू के कारखानों में तालाबन्दी के बारे में वक्तव्य	४१४४–४५
सदस्यों का बन्दीकरण और रिहाई	४१४५
सभा का कार्य	४१४५–४६
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	४१४६–८६
खण्ड २ से ४ और १	४१८०–८६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	४१८६
निवारक निरोध अधिनियम की कार्यान्विति के बारे में प्रस्ताव ...	४१८७–९३
पीलिया जांच समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में आधे घंटे की चर्चा ...	४१९३–९८
राज्य-सभा से संदेश	४१९८
दैनिक संक्षेपिका	४१९९–४२००

पृष्ठ

अंक ७६—बुधवार, ३० मई, १९५६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना तथा स्थगन प्रस्ताव—

कालका रेलवे स्टेशन पर उपद्रव ४२०१–०८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४२०८–०९

प्राक्कलन समिति—

तैंतीसवां प्रतिवेदन ४२०९

याचिका समिति—

नवां प्रतिवेदन ४२१०

अनुपस्थिति की अनुमति ... ४२१०

अतारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ४२१०

मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक ... ४२१०–११

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति ४२११–१६

सभा का कार्य ४२१६–१७

निवारक निरोध अधिनियम का कार्यान्विति के बारे में प्रस्ताव ... ४२१७–४५

पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के भारत की ओर सामुहिक निष्क्रमण के बारे में चर्चा ४२४५–६३

राज्य-सभा से संदेश ४२६३

भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये आपातकालीन भर्ती के बारे में नियमों पर चर्चा ४२६३–७३

कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४२७३–७६

प्रतिलिप्याधिकार विधेयक ४२७६

दैनिक संक्षेपिका ... ४२७७–७९

बारहवें सत्र की कार्यवाही का सारांश ४२८०–८१

M148LSD—190—8-4-58—GIPF.

लोक सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

सोमवार, १४ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-२९ म० पू०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

निवारक निरोध अधिनियम के कार्य संचालन के सम्बन्ध में सांख्यकी सूचना

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : मैं निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) ३० सितम्बर, १९५४ से ३० सितम्बर, १९५५ की अवधि में निवारक निरोध अधिनियम, १९५० के कार्य संचालन के सम्बन्ध में सांख्यकी सूचना ।

(२) ३० सितम्बर, १९५५ से ३१ दिसम्बर, १९५५ की अवधि में निवारक निरोध अधिनियम, १९५० के कार्य संचालन के सम्बन्ध में सांख्यकी सूचना । **[पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एस-१७६/५६]**

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : सभा को यह जानकारी है कि निवारक निरोध अधिनियम पर चर्चा अगले सप्ताह होगी तथा माननीय मंत्री ने सांख्यकी सूचना उचित अवसर पर रखी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसी प्रकार की सूचना अप्रैल, १९५६ के अन्त तक की अवधि की भी दे सकेगी जिससे राज्य पुनर्गठन के द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी हो सके ?

†**श्री दातार** : जैसा कि मैंने बताया कि हमें विभिन्न राज्य सरकारों को लिखना पड़ेगा तथा राज्य सरकारें यह जानकारी विभिन्न जिलों के कार्यालयों से मंगायेंगी जिसमें समय लगेगा । यह जानकारी ३१ दिसम्बर, १९५५ की अवधि की दी गयी है । माननीय सदस्य इसके बाद की सूचना चाहते हैं परन्तु हमको बताने में समय लगेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : हमें विभिन्न राज्यों विशेषतया बम्बई राज्य की घटनाओं की चर्चा करनी है तथा हमें इसके प्रत्येक पहलू की जांच करनी है, इसलिये पूरी जानकारी हमें मालूम होनी चाहिये अन्यथा जो हम बतायें उसे सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह गारंटी नहीं दी जा सकती कि सरकार, किसी सदस्य द्वारा बताई गई सूचना को ठीक समझ ले अन्यथा सूचना दे । परन्तु सरकार को दिसम्बर के पश्चात् की सूचना बतानी चाहिये । कठिनाई बताई गई है कि राज्य सरकारों से सूचना मंगाई जायेगी तथा इसमें समय लगेगा । मैं सरकार से यही कह सकता हूं कि दूसरी सूचना भी मंगाई जाये ।

†**श्री एस० एस० मोरे :** जहां तक बम्बई राज्य का प्रश्न है, मुख्य मंत्री ने मार्च के अन्त तक के आंकड़े बताये हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** आशंका नहीं होनी चाहिये । मैं सरकार से यही कह रहा हूं कि यदि सूचना है तो सभा-पटल पर रख दें ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** तर्क की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे तथा जितनी प्राप्य होगी उतनी अन्तिम सूचना हम बताने का प्रयत्न करेंगे । परन्तु यह इतनी व्यापक नहीं होगी कि सभी राज्यों की हो फिर भी जो भी हमें प्राप्त हो सकेगी हम सभा के समक्ष रख देंगे ।

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव :** श्रीमान्, मुझे सभा को सूचित करना है कि वर्तमान सत्र में संसद् की सभाओं द्वारा पारित त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५६ पर १० मई, १९५६ को राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

चौथा प्रतिवेदन

†**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं ।

राज्य पुनर्गठन विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के राज्यों का पुनर्गठन और उनसे सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित किये जाने के लिये निश्चित समय को आगामी सत्र के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मेरी प्रार्थना है माननीय मंत्री इस पर प्रकाश डालें क्योंकि मुझे यह चीज बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तिथि को और आगे तो नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

बढ़ाया जायेगा। दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने विधेयक की प्रगति की अनुसूची बनाई है? तथा क्या बंगाल-बिहार समस्या का इस विधेयक में संशोधन करके हल किया जायेगा अन्यथा दूसरा विधेयक उपस्थापित किया जायेगा ?

अन्त में, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमें यह जानकारी नहीं है कि प्रधान मंत्री कितने समय तक विदेश में रहेंगे। क्या सरकार प्रधान मंत्री की अनुपस्थिति में भी विधेयक के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार करती है? मेरे विचार में उन्हें उनकी वापिसी की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य द्वारा बताई गई सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। परन्तु इस समय प्रधान मंत्री की वापिसी पर चर्चा न होकर विधेयक पर चर्चा हो रही है। माननीय मंत्री यह नहीं बता सकते कि संयुक्त समिति इस पर कब तक विचार कर लेगी तथा समिति के सभापति यह बता सकेंगे कि वह कब तक इस पर विचार कर लेंगे। परन्तु निश्चित अवधि वह भी नहीं बता सकते।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** आपने यह बिल्कुल ठीक कहा है कि मैं यह निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि संयुक्त समिति कब तक कार्य समाप्त कर लेगी। मुझे सभापति ने सूचित किया है कि समिति ने इस मामले पर विचार किया था तथा संयुक्त समिति की यह राय थी कि वह इस कार्य को जून के अन्त तक समाप्त कर लेगी। मैं यह नहीं मानता कि यह उनका अन्तिम निश्चय है। यह संयुक्त समिति का सामान्य दृष्टिकोण था। संभव है प्रतिवेदन जुलाई की प्रारंभिक तिथियों में सभा में उपस्थापित हो जाये। इसीलिये १० जुलाई निश्चित की गई थी परन्तु मेरा विचार है कि उचित तिथि आगामी सत्र का प्रथम दिन होगा। कुछेक दिन इधर अथवा उधर।

अन्य कार्यक्रमों के सम्बन्ध में मुझे विश्वास है कि मेरे साथी गृह-मंत्री जो संयुक्त समिति के सभापति हैं, यहां आने पर, क्योंकि वह तीन अथवा चार दिन के लिये बाहर गये हुये हैं, सभा को सूचित करेंगे तथा मुझे आशा है कि इस सत्र के समाप्त होने से पूर्व, इस मामले के सम्बन्ध में तथा आगामी चुनावों की तिथियों के प्रश्न के सम्बन्ध में पूर्णतया विश्वास प्राप्त कर लेंगे।

†**डा० रामाराव** (काकिनाड़ा) : मैं यह बताना चाहता हूं कि चार, पांच दिन से संयुक्त समिति की बैठक नहीं हो रही है। इसके क्या कारण हैं?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** संयुक्त समिति के सभापति यहां पर नहीं हैं तथा जब वह यहां उपस्थित हों तब सभी बातें पूछी जा सकती हैं। संभव है वह स्वयं एक वक्तव्य दें।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं आपको उन बातों की याद दिलाना चाहता हूं जो हम में से कुछ ने कुछ दिन पूर्व कही थीं। हमें पूर्ण विश्वास था कि समिति समय बढ़ाने के लिये कहेगी। सभा में यह भी बताया गया था कि इस देरी से सार्वजनिक चुनावों के समस्त कार्यक्रम पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिये हम यह जानना चाहते हैं कि स्थिति क्या है?

राज्य पुनर्गठन विधेयक के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों का मामला है। हमें बताया गया कि इसमें पर्याप्त समय चाहिये। प्रधान मंत्री ने कुछ दिन पूर्व बताया था कि सरकार का विचार पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलने का है परन्तु कुछ अदृष्ट घटनायें भी हो सकती हैं। मेरा विचार है कि इस समय हम यह बता सकते हैं कि अदृष्ट घटनायें तो नहीं हैं। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमारा दल कार्यक्रम में अदल-बदल नहीं चाहता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रधान मंत्री को या तो मैं नहीं समझा अथवा माननीय सदस्य नहीं समझे। उन्होंने बताया है कि दो-तीन दिन पश्चात् माननीय गृह-कार्य मंत्री इस सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी हां, आपने ठीक फरमाया । गत अवसर पर जब यह मामला उठाया गया था मैंने कहा था कि सरकार सामान्यतः सामान्य निर्वाचन की तिथि पर स्थिर रहने को उत्सुक है । जितनी मुझे जानकारी है कोई निश्चित अनुसूची नहीं बनाई गई है । स्थूल रूप से, यह आगामी वर्ष की पहली तिमाही में होंगे । हम इस तिथि को निश्चित करने को उत्सुक हैं । अब हम निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से इन तिथियों को निश्चित करने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा सभा को सूचना दे देंगे । हमारा विचार आगामी वर्ष के प्रारंभिक महीनों में चुनाव करने का है । मैं निश्चित मास नहीं बता सकता हूं । एक-आध मास की देरी भी हो सकती है परन्तु यह संविधान द्वारा स्वीकृत अवधि में होंगे । यही मेरी बात है । इन तिथियों की घोषणा हो जायगी । संयुक्त समिति की बैठकों की वर्तमान तिथियां इस आधार पर निश्चित की जायेंगी कि जिससे चुनावों के समय तक कार्य समाप्त कर सकें ।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली) : महत्वपूर्ण मामलों के कारण, यह उचित होगा कि इस मामले पर चर्चा के समय प्रधान मंत्री यहां उपस्थित रहें । अभी कुछ कठिनाइयां हैं तथा हमें आशा है कि वह उनके मार्ग-दर्शन से सुलझ जायेंगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इच्छा व्यक्त कर दी गई, प्रधान मंत्री इस पर विचार करेंगे । प्रश्न यह है :

"कि भारत के राज्यों का पुनर्गठन और उनसे सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित किये जाने के लिये, निश्चित समय को आगामी सत्र के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय की वृद्धि

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित किये जाने के लिये निश्चित समय को आगामी सत्र के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया और वह स्वीकृत हुआ ।

जीवन बीमा निगम विधेयक

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता--दक्षिण-पूर्व) : सभा का कार्य प्रारंभ होने से पूर्व, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि जीवन बीमा निगम विधेयक पर चर्चा की सुविधा के लिये प्रवर समिति ने साक्ष्य को सभा में परिचालित करने का निर्णय किया । परिचालित साक्ष्य में ज्ञापनों आदि की ओर निर्देश है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापनों आदि का प्रकाशन कराया जाये तथा उन्हें सभा के सदस्यों में परिचालन कराया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने ठीक कहा है । उनका सुझाव अध्यक्ष महोदय को बता दिया जायेगा तथा वह निर्णय करेंगे कि ज्ञापन आदि का परिचालन होना चाहिये अथवा नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रावनकोर-कोचीन आय-व्ययक

सामान्य चर्चा

†**उपाध्यक्ष महोदय :** त्रावनकोर-कोचीन आय-व्ययक कोष १९५६–५७ पर चर्चा करने के लिये छः घंटे निश्चित हुए हैं। माननीय सदस्य इस समय को सामान्य चर्चा तथा कटौती प्रस्ताव चर्चा में बांटना चाहते हैं अथवा सीधे कटौती प्रस्ताव पर चर्चा चाहते हैं।

†**श्री पुन्नूस** (आल्लप्पि) : मेरा सुझाव है कि आप कार्यक्रम देखकर कृपया यह बताने की कृपा करें कि एक घंटा और दिया जा सकता है। हमारा सब का विचार है कुछ समय और दिया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यदि छः बजे की आधा घंटे की चर्चा और किसी दिन की जाये तो आधा घंटा और मिल सकता है। तथा माननीय सदस्य साढ़े छः बजे तक बैठ कर एक घंटा बढ़ा सकते हैं।

†**श्री पुन्नूस :** मुझे विश्वास है कि यह सभा आधा घंटा अधिक बैठने में आना कानी नहीं करेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय का कुछ भाग सामान्य चर्चा को दिया जाये तथा शेष कटौती प्रस्तावों को। क्या समय का विभाजन ४ घंटे सामान्य चर्चा तक ३ घंटे कटौती प्रस्ताव में किया जाये ?

सभा एक बात का और ध्यान रखे कि ३०५ कटौती प्रस्ताव श्री ए० के० गोपालन, श्री वी० पी० नायर, श्री वेलायुधन, श्री पुन्नूस तथा श्री एन० श्रीकान्तन नायर के हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि १५ मिनट में वह यह बता दें कि किन मंत्रालयों के कटौती प्रस्तावों पर अधिक बल देना चाहते हैं। सूची प्राप्त हो जाने पर सभी कटौती प्रस्तावों पर ध्यान न देकर, उन्हीं कटौती प्रस्तावों पर ध्यान दिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त अगले आध घंटे में हम निश्चित कर सकते हैं कि किन मंत्रालयों पर अधिक ध्यान देना चाहिये। इसमें सुविधा हो जायेगी।

†**श्री एन० श्रीकान्तन नायर** (क्विलोन व मोवलिक्करा) : क्या आप सभी कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत हुआ स्वीकार नहीं कर रहे हैं तथा फिर चुने हुए कटौती प्रस्तावों को अलग नहीं ले रहे हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** जिन कटौती प्रस्तावों पर, सदस्यों ने अपना ध्यान लगाने को कहा है, वही प्रस्तुत माने जायेंगे। माननीय सदस्य अपनी इच्छा १५ मिनट में बतायें।

†**श्री वी० पी० नायर** (चिरयिन्कील) : एक और कठिनाई है कि कटौती प्रस्तावों से ही हम अपनी बातें सरकार को बता सकते हैं परन्तु यदि कुछ चुने कटौती प्रस्ताव रह जायेंगे तो सरकार सब पर विचार न करके केवल कुछ घंटे कटौती प्रस्तावों पर विचार करेगी। इसके अतिरिक्त मैं चाहता हूं कि समय ५ घंटे तथा २ घंटे रखा जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने एक सुझाव दिया था। यदि माननीय सदस्य राज्य के लिये इसे लाभदायक समझें तो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत समझे जायें। परन्तु ये मतदान के लिये कैसे रखे जायेंगे।

†**श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** सभी एक साथ सभा में मतदान के लिये रखे जायें।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** बहुत अच्छा। जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वह १५ मिनट में मुझे सूचित कर दें। अन्य सब अपने सभी संशोधन प्रस्तुत समझें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पुन्नूस :** सभा को यह जानकारी है कि इस आय-व्ययक की चर्चा के लिये सात घंटे निश्चित किये गये हैं जब कि एक करोड़ व्यक्तियों से अधिक अपनी शिकायतें प्रस्तुत करना चाहते हैं। सत्र में यह समय बहुत ही थोड़ा है फिर भी हम अपनी बातें प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे।

मुझे इन परिस्थितियों का बड़ा ही खेद है जिनके कारण ऐसी दशा आई। हमारे राज्य में सर्व-प्रथम प्रतिनिधि संस्थाओं का आविर्भाव हुआ था तथा अब उसी राज्य को दिल्ली की ओर देखना पड़ रहा है। भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने अपना त्यागपत्र राजप्रमुख को देते हुए कहा था कि मंत्रि-मंडल में बार-बार संकट विरोधी दल के कारण नहीं हुआ है अपितु शासक दल के अपने षड्यंत्रों के कारण हुआ है। हमारी भाषा में एक कहावत है कि यदि कौवे को पेड़ पर घोंसला बनाने दिया जाये तो वह पेड़ के लिये भी हानिकारक होगा। वही अनुभव हमें कांग्रेस को शासनारूढ़ करके हुआ है। कांग्रेस सत्ता को छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि लोगों ने यह घोषणा कर दी है कि वह अब उसे और नहीं चाहते हैं। जिस राज्य से मैं आया हूं वहां कांग्रेस का मान प्रतिदिन घटता जा रहा है। क्या राज्य की विधान सभायें और क्या नगरपालिकायें सभी जगह कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या निरन्तर कम होती जा रही है। १९४८ में जहां उनके पास १०८ में से ९९ सीटें थीं, १९५४ में वहां केवल ४५ सीटें ही रह गईं। इसी प्रकार नगरपालिकाओं में जहां उनके पास पहले २८ में से १९ सीटें थीं वहां अब केवल ९ ही रह गई हैं। किन्तु फिर भी कांग्रेस ने वहां पर जनता की इच्छा की कोई परवाह नहीं की है और अन्त में हमें फिर वहां पर परामर्शदाता द्वारा शासन कायम करना पड़ा है।

हमारी स्टेट भारत का फ्रांस है। पिछले आठ वर्षों में वहां पर ६ बार शासन व्यवस्था बदली है और तीन बार सामान्य निर्वाचन हुए हैं। इस सब का दोष किस पर है? इस सब का दोष कांग्रेस पर है। उन्हें मौका दिया गया था किन्तु वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। इसीलिये अब लोग उसे असफल बनाने पर तुले हुए हैं।

हमारे सामने आज यह बजट आया है। मैं इसकी निष्पक्ष दृष्टि से आलोचना करूंगा। इस बजट में भी मुझे वहां की समस्याओं का हल नहीं दिखाई देता है। यदि इसमें सच्चे दिल से वहां की समस्याओं को हल करने की बात कही गई होती तो मैं अवश्य ही इसका समर्थन करता, चाहे मेरा राजनैतिक दृष्टि से कितना भी मतभेद क्यों न हो। मैं राष्ट्रपति के शासन के विरुद्ध हूं किन्तु फिर भी श्री पी० एस० राव यदि वहां की समस्याओं का कुछ हल करें तो वहां के लोगों को लाभ हो सकता है।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य भारत का सब से सुन्दर राज्य है। उसे भारत का उद्यान कहा जाता है। विदेशियों ने भी उसकी भूमि और जलवायु आदि की प्रशंसा की है। किन्तु मुझे बड़े दुख के साथ यहां यह कहना पड़ रहा है कि वहां के लोगों का जीवन भारत के सभी भागों के लोगों से अधिक कष्टमय है। वहां लोगों के पास न कपड़ा है और न जूता। वहां के लोगों में शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत भारत भर में सब से अधिक है। हमारे यहां १९५३–५४ में १८ लाख बच्चे स्कूलों व कालिजों में जा रहे थे।

हमारे यहां अनेकों वाणिज्यिक फसलें उत्पन्न होती हैं। किन्तु हमारे यहां सब से बड़ी कठिनाई यह है कि हमारी जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। प्रतिवर्ग मील में लगभग १८०० आदमी रह रहे हैं जबकि शेष भारत में प्रति मील केवल ३८० आदमी ही रहते हैं। तट के पास तो यह घनत्व और भी अधिक है। हमारे यहां केवल ३४ लाख एकड़ भूमि ही कृषि के योग्य है। प्रति व्यक्ति लगभग एक-तिहाई एकड़ भूमि ही आती है।

†मूल अंग्रेजी में

फिर हमारे यहां बेकारी की समस्या भी बड़ी विकट है। हमार यहां १५ वर्ष की तथा उससे ऊपर की आयु वाले लगभग ६१·७१ लाख व्यक्ति हैं। इनमें से २८·०५ लाख व्यक्ति पूर्णतया दूसरों पर निर्भर हैं। १५ से २४ वर्ष की आयु वाले २०·२६ लाख युवक हैं उनमें से केवल ३·४७ लाख ही नौकर हैं। इस प्रकार हमारे यहां लगभग ३१ लाख ऐसे लोग——स्त्रियां तथा पुरुष——हैं जो काम करने के योग्य हैं किन्तु उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है। केरल में शिक्षित बेरोज़गारों की और भी दुर्दशा है। इसी कारण हमें यह भिन्न वाद दिखाई दे रहा है। इस सब का दोष सरकार पर है। हमने इस समस्या को हल करने के लिये इस बजट में क्या किया है ?

इस बजट में शिक्षा के लिये ७।। करोड़ रुपये से ऊपर की मांग की गई है। लेकिन हम किस प्रकार की शिक्षा देंगे ? हमारे राज्य में पहले से ही ४६ कालिज हैं। किन्तु उनमें से केवल एक ही टेक्नीकल कालिज है। उसमें केवल ६२ विद्यार्थी हैं। इसी प्रकार एक इंजीनियरिंग कालिज है उसमें ३६१ विद्यार्थी हैं। मेडिकल कालिज में केवल ५०३ विद्यार्थी हैं। इस प्रकार कुल मिला कर ३८ लाख विद्यार्थियों में से केवल ३,००० विद्यार्थियों को ही टेक्नीकल शिक्षा मिल रही है। इसमें बी० टी०, एल० टी० जैसे व्यर्थ के व्यवसाय भी शामिल हैं। क्योंकि इनके बाद भी लोगों को अध्यापक बनकर आधे भूखे मरना पड़ता है। अब इस बजट में हमें क्या दिया जा रहा है ? कहीं पर अंग्रेजी और मलयालम की एम० ए० की श्रेणियां जारी की जायेंगी और कहीं पर विज्ञान के लिये स्नातक श्रेणियां। इसी प्रकार कहीं पर हिल्स में एक पब्लिक स्कूल तथा कहीं पर केन्द्रीय पुस्तकालय आदि खोला जा रहा है। ये सब पुरानी बातें हैं। इसमें कुछ भी नवीन नहीं है। हमारे यहां औद्योगिक विकास और टेक्नीकल शिक्षा का प्रबन्ध क्यों नहीं किया जा रहा है ? आज हमें सब से अधिक टेक्नीकल शिक्षा की आवश्यकता है।

हमारा कल्याण केवल औद्योगीकरण द्वारा ही हो सकता है। जब कभी हम औद्योगिक विकास का प्रश्न उठाते हैं हमें यह कहा जाता है कि त्रावनकोर-कोचीन में बड़ी औद्योगिक अशान्ति है। वहाँ हर रोज़ हड़तालें होती रहती हैं। हम भला वहां कैसे कोई उद्योग चला सकते हैं ! मैंने इंडियन लेबर गज़ट देखा है। त्रावनकोर-कोचीन में पश्चिमी बंगाल और बम्बई से अधिक अशान्ति नहीं है। फिर आप इन हड़तालों का कारण भी तो सोचिये। हमारे यहां २०० रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले श्रमिकों की औसतन वार्षिक आय ६८३ रुपये के लगभग बैठती है जबकि अंडेमान-निकोबार में भी न्यूनतम औसत आय लगभग ८६४ रुपये है। फिर अधिकतर हड़तालें 'बर्खास्ती, बोनस अथवा छुट्टी आदि' के सम्बन्ध में हुई हैं। हमारे राज्य में ९८ प्रतिशत हड़तालें वर्तमान दशाओं को सुधारने अथवा सरकारी विधियों का पालन करने के लिये ही होती हैं। मैं माननीय मंत्री से इस सम्बन्ध में निष्पक्ष रूप से जांच करने की अपील करता हूं।

आज हमारे यहां का श्रमिक वर्ग बड़ा शक्तिशाली है। आज वह राजनीति में एक निर्णायक स्थिति रखता है। प्रारम्भ से ही वह राष्ट्रीय संघर्ष में सब से आगे रहा है। तब कहीं आज उन्हें यह स्थिति प्राप्त हुई है। किन्तु आज हमारे कांग्रेसी भाई उनकी कोई वैध मांग मानने को भी तैयार नहीं हैं। वह उन्हें बार-बार के संघर्षों में डालकर उन्हें थका कर मार देना चाहते हैं।

अब मैं नये उद्योगों की ओर आता हूं। सरकार ने वहां नारियल जटा उद्योग बोर्ड की स्थापना की है। यह उद्योग केरल का जीवन है। इसमें २१ लाख लोग लगे हुए हैं। किन्तु आज उनकी क्या दशा है ? सरकार ने उनके लिये तीन कदम उठाये हैं। एक तो नारियल जटा उद्योग बोर्ड की स्थापना के लिये उसने कुछ रुपया दिया है। दूसरे उसने इस उद्योग सम्बन्धी कुछ सहकारी संस्थाओं की स्थापना की है और तीसरे इस उद्योग के लिये न्यूनतम वेतन निश्चित किया है। किन्तु मुझे बोर्ड के सभापति ने बताया है कि यह बोर्ड कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा है। विदेशों में नारियल जटा का सामान बनाने

[श्री पुन्नूस]

के लिये नई-नई फैक्टरियां खोली जा रहीं हैं। अतः हमारा निर्यात लगातार घटता जा रहा है। हमारे यहां के लोग भूखे मर रहे हैं। हमारे यहां सहकारी संस्थाओं के लिये ३६ लाख रुपया स्वीकृत हुआ था। उसमें से आधा काल व्यपगत हो गया है। और जो व्यय भी किया गया है वह केवल नारियल जटा की भूसी के स्वामियों को ही दिया गया है। इस उद्योग में एक भारी संकट आ रहा है। अब आप न्यूनतम वेतन को लीजिये। लगभग ८० प्रतिशत झगड़े इसीलिये हो रहे हैं क्योंकि श्रमिकों को वह न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है।

आप रबड़ उद्योग को लीजिये। त्रावनकोर-कोचीन में भारतवर्ष के सम्पूर्ण रबड़ का ९६ प्रतिशत रबड़ बनता है। वहां पर एक टायर फैक्टरी खोलने की योजना थी। किन्तु अब सरकार उसे मद्रास में ले जाना चाहती है। हम इसका विरोध करते हैं। हम किसी के साथ हिस्सा-पत्ती करने को तैयार नहीं हैं। हमारे यहां रबड़ फैक्टरी बननी चाहिये। मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आखिर यह उद्योग हमारे यहां क्यों नहीं खोला जा सकता है? वहां के राज्य के वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में बड़े आश्वासन दिये हैं। उन्होंने कहा है कि यहां पर एक भारी बिजली के उपकरणों का कारखाना खोला जायेगा तथा मीन क्षेत्रों का विकास होगा, आदि, आदि। मैं पूछना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस दिशा में क्या करने जा रही है?

हमारे राज्य में बड़ी दुर्दशा है। हमारे यहां की पुलिस व्यवस्था सब से निकम्मी और गली-सड़ी है। पुलिस की जो हालत १०० वर्ष पहले थी आज भी वही है। लोगों पर वैसी ही ज्यादतियां हो रही हैं। उन्हें पीटा जा रहा है वैसे ही हवालातों में बन्द किया जा रहा है। वहां की सारी शक्ति आई० जी० के हाथ में है। जब तक उसका तबादला नहीं हो जाता वहां की व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। अतः आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि आप सब से पहले वहां की प्रशासन सेवाओं का सुधार करें ताकि भावी संततियां यह न कहें कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिये कुछ भी नहीं किया है। हमें आशा है कि राष्ट्रपति के राज्य में हमें कम से कम इतना लाभ तो हो ही सकता है।

†**श्री ए० एम० थामस** (एरणाकुलम्) : अभी मेरे मित्र श्री पुन्नूस ने बजट पर अपने विचार अभिव्यक्त किये हैं। वह कुछ अधिक आशाजनक नहीं थे। वास्तव में यदि वह त्रावनकोर-कोचीन राज्य की आर्थिक व्यवस्था तथा वहां की बेकारी आदि की समस्याओं को हल करने के लिये कुछ क्रियात्मक सुझाव रखते तो अधिक अच्छा होता। मगर उन्होंने सारी शक्ति कांग्रेस के जिम्मे दोष मढ़ने में ही लगा दी। मानो वह कहीं पर चुनाव के लिये हो रही सभा में भाषण दे रहे थे।

१९५२ से, जब से यह सभा बनी है यहां पर त्रावनकोर-कोचीन को विशेष स्थान दिया गया है। यहां तक कि कई सदस्यों ने यह भी कह डाला कि क्या भारतवर्ष में केवल त्रावनकोर-कोचीन ही का राज्य है? अगर हम वहां की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर देखें तो हमें वहां पर कांग्रेस सरकार द्वारा किये गये कार्य के लिये गर्व अनुभव होता है। वहां पर कितनी ही बार राज्य बदला। यदि हम केवल इसी बात का ध्यान करें तो हमें पता लगेगा कि सरकार की सफलताऐं कितनी महान् हैं।

त्रावनकोर-कोचीन में केवल समाजवादी दल नाम की एक पार्टी है। चुनाव के दिनों में उसने लोगों में यह प्रचार किया कि केरल में बड़े साधन हैं, यहां बड़े-बड़े ऐसे युद्धोपयोगी पदार्थ हैं जो देश भर में नहीं मिलते। नारियल और रबड़ के उद्योगों में तो उसका एकाधिकार है। हमारे यहां बड़े-बड़े खनिज संसाधन हैं आदि। यह सब तर्क रख कर वह केरल को एक स्वायत्त तथा स्वतन्त्र राज्य बनाना चाहते थे। उन्होंने सदा पंचवर्षीय योजना में सहयोग देने की बजाए उसमें रोड़े अटकाने की कोशिश की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री पुन्नूस साहब वाली पार्टी भी आजकल पंचवर्षीय योजना की कटु आलोचना ही करती रही है। अभी हाल ही में उन्होंने पालघाट सम्मेलन में अपना इरादा कुछ-कुछ बदला है और योजना में सहयोग देने की बात सोची है। मैं उनसे पूछता हूं कि उन्होंने राज्य के हित में सरकार को आज तक क्या सहयोग दिया है? उल्टे वे हड़तालें करवा के शान्ति और व्यवस्था के भंग कराने में ही लगे रहे। ऐसी हालत में कांग्रेस सरकार वहां कैसे कार्य कर सकती थी?

मैं तो यह कहूंगा कि श्री पुन्नूस द्वारा की गयी आलोचना के बावजूद वहां के वित्त मंत्री श्री जान का भाषण बहुत ही सादा और स्पष्ट था। अभी फिलहाल त्रावनकोर-कोचीन के प्रशासन की भार-साधक केन्द्रीय सरकार को कुछ बात ध्यान में रखनी चाहिये। एक नया राज्य बनाया जा रहा है और उस भावी केरल राज्य के वित्तीय भविष्य का बड़ा निराशाजनक चित्र अंकित किया गया है। केन्द्रीय सरकार के गृह-कार्य मंत्रालय के सब से आधुनिक प्रतिवेदन में कहा गया है कि वहां बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति खेती का क्षेत्र कम होते हुए त्रावनकोर-कोचीन के सामने बड़ी कठिन समस्याएं हैं। फिर भी सूक्ष्म-निरीक्षण के बाद हम यह देख सकेंगे कि भारत की स्वतन्त्रता के बाद उस राज्य की गतिविधि के लिये कोई भी गर्व कर सकता है। श्री पुन्नूस ने उसकी एक समस्या का निर्देश किया है और वह यह है कि १९५१ की जनसंख्या के अनुसार त्रावनकोर-कोचीन में जनसंख्या का घनत्व १,०१५ प्रति वर्ग मील है और संकेतों के अनुसार १९६१ में वह २,१९२ हो जायगा जो दुनिया में शायद सब से अधिक होगा।

[**श्री राघवाचारी** पीठासीन हुए]

राज्य पुनर्गठन प्रतिवेदन से हम यह देख सकेंगे कि केरल के १४,९८० वर्ग मील में १·३६ करोड़ जनसंख्या होगी और कर्नाटक के ७२,७३० वर्ग मील में १·९ करोड़ जनसंख्या होगी जिससे कि केरल राज्य में जन संख्या घनत्व कर्नाटक की अपेक्षा चौगुना अधिक होगा। उसके लिये यह सुझाव दिया गया है कि अन्तर्प्रान्तीय आप्रवास कराया जाये। केन्द्र ने इस दिशा में कुछ प्रयत्न किया था और कुछ परिवारों को अन्दमान और भोपाल में बसाया गया है। साधनों के उपयोग में लाने के लिये वहां पर्याप्त क्षेत्र हो सकता है किन्तु मुझे मालूम हुआ है कि त्रावनकोर-कोचीन से भोपाल गये हुए परिवारों की स्थिति वास्तव में बड़ी दयनीय है। उन्हें जो निवासस्थान दिये गये हैं वे पशुओं के स्थान से भी बदतर हैं। यदि सरकार इसी प्रकार से अन्तर्प्रान्तीय आप्रवास संगठित करना चाहती है तो मैं यह कहूंगा कि हमें ऐसा अन्तर्प्रान्तीय आप्रवास बिलकुल नहीं चाहिये।

त्रावनकोर-कोचीन के वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह प्रस्थापना रखी थी कि त्रावनकोर-कोचीन में उपलब्ध भूमि समाज के योग्य भाग को सौंप दी जाये और उसके लिये एक भूमि आयोग नियुक्त किया जाये। ऐसे आयोग की स्थापना और उपबन्ध भूमि का योग्य समुदाय में वितरण की आवश्यकता के प्रति मैं वित्त मंत्री और गृह-मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं। इस सम्बन्ध में मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि कुछ समय पूर्व वहां कुछ परिवारों को पांच से दस एकड़ जमीन दी गयी थी किन्तु उचित योजना और उस क्षेत्र के उचित विकास की व्यवस्था न होने के कारण उसका ऐसा शोषण किया गया कि मिट्टी बह जाने के कारण वह बिलकुल रेगिस्तान बन गयी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि एक उचित योजना बनायी जाये और राज्य की उपलब्ध भूमि इस प्रकार बांटी जाये कि वह बरबाद न हो।

अब मैं उस राज्य में बेरोजगारी समस्या के आकार के बारे में बताऊंगा। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रतिवर्ष ६०,००० बेरोजगार व्यक्ति बढ़ते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि १९५५ के अन्त में १४·५ लाख व्यक्ति बेरोजगार थे और १० लाख व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें न्यून काम प्राप्त था। यदि ७·२५ लाख औरतों को निकाल दिया जाये तब भी शेष १०·२५ लाख व्यक्ति बेरोजगार और

[श्री ए० एम० थामस]

१० लाख व्यक्ति न्यून काम प्राप्त व्यक्ति होंगे। रोजगार का चालू स्तर कायम रखने के लिये हमें ३ लाख से अधिक व्यक्तियों को काम ढूंढना होगा। त्रावनकोर-कोचीन में स्थिति और पेचीदा इसलिये है कि वहां शिक्षित बेरोजगार भी हैं। ऐसी समस्या देश के किसी अन्य राज्य के सामने नहीं है।

हमें यह स्मरण रखना होगा कि सब गरीबी होते हुए भी त्रावनकोर-कोचीन भारत में सब से उन्नतशील राज्य है और वहां राष्ट्र निर्माण कारी कार्यों में, विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार के क्षेत्रों में प्रगतिशील नीति अपनायी गयी है।

हमें दिये गये आंकड़ों से यह मालूम होता है कि उस छोटे राज्य में प्रथम श्रेणी के ५० कालेज हैं जिसमें एक मेडिकल कालेज, एक इंजिनियरिंग कालेज, एक कृषि कालेज और एक पशु चिकित्सा कालेज है। मैं नहीं समझता कि ब्रिटेन में भी एक लाख जनसंख्या के प्रति इतने अधिक छात्र हों। उस राज्य में ५,८७२ शिक्षा संस्थायें हैं जिनमें ६१३ हाईस्कूल, ८५५ मिडिल स्कूल, और ४,२१९ प्राथमिक स्कूल हैं। स्वास्थ्य तथा अन्य विकास कार्यों में भी काफी प्रगति हुई है। वहां ५२ बड़े अस्पताल, १६६ औषधालय और ३५ सहायता प्राप्त अस्पताल हैं। फिर १६ आयुर्वेदिक अस्पताल, ८१ औषधालय और ३२० सहायता प्राप्त आयुर्वेदिक अस्पताल हैं।

ये सब तथ्य मैं इसलिये बता रहा हूं कि उस राज्य के लिये जो भी योजनाएं हम बनायें वे उस राज्य में अब तक हुई प्रगति के अनुरूप होनी चाहियें जिससे कि वह प्रगति में बाधक न हों। वहां प्रगति और रहन-सहन के अधिक अच्छे स्तर के लिये उग्र लालसा है।

दूसरी बात यह ध्यान में रखनी चाहिये कि उस राज्य में बहुत बड़ी व्यापारिक मंदी आयी है जिसके कारण उस राज्य की आय में लगभग ७० करोड़ रुपये की कमी हुई है। अर्थात् उस हद तक उस राज्य की जनसंख्या की क्रयशक्ति घट गयी है।

अब हम यह देखें कि त्रावनकोर-कोचीन के इन बड़े-बड़े प्रश्नों को केन्द्र ने किस प्रकार सुलझाया है। पहली पंचवर्षीय योजना में हमें ६० करोड़ रुपये मिलने चाहिये थे किन्तु बेरोजगारी समस्या तथा अन्य चीजों के कारण अतिरिक्त नियतन के साथ भी, वास्तव में केवल ३० करोड़ रुपये का नियतन किया गया। १९५४ के पहले चार-पांच वर्षों में खाद्यानों के वितरण के लिये राजकीय सहायता के रूप में उस राज्य को १६·७६ करोड़ रुपये खर्च करने पड़े और केन्द्र ने ८·५७ करोड़ रुपये दिये। १९५६–५७ के आय-व्ययक में ३१ करोड़ ३८ लाख रुपये में से, ७ करोड़ ११ लाख रुपये केवल शिक्षा के लिये अलग रखे गये हैं अन्य कोई राज्य इतने अनुपात में शिक्षा पर खर्च नहीं करता। मैं माननीय मंत्री से पूछता हूं कि उस राज्य में औद्योगीकरण के लिये उन्होंने कितना विनियोजन किया है। वहां डी० डी० टी० कारखाना स्थापित किये जाने के अतिरिक्त त्रावनकोर-कोचीन में केन्द्रीय खर्च की एक पाई भी खर्च नहीं की गयी है। वहां के वित्त मंत्री ने वहां के बिजली के भारी सामान का कारखाना, जहाज बनाने का कारखाना और एक सेन्ट्रल प्रेस स्थापित करने का सुझाव दिया है। मैं तो यह कहूंगा कि सरकार ने उस राज्य के प्रति अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया है। मैं पूछता हूं कि त्रिवेन्द्रम, क्विलोन और त्रिचूर में औद्योगिक सम्पदायें, सिहवेल्ला और एत्तुमनूर में दो बड़े कारखाने और अलिंगल, भूवट्टपुझा तथा और किसी स्थान पर तीन छोटे कारखानों की योजनाओं के लिये मंजूरी देने में इतने विलम्ब के क्या कारण हैं? मैं केवल यही बताना चाहता हूं कि इस विषय में केन्द्र का दृष्टिकोण ठीक नहीं है।

२८ मार्च, १९५६ को आय-व्ययक भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था कि वे त्रावनकोर-कोचीन के वित्त मंत्री द्वारा पुरःस्थापित आय-व्ययक ही पुरःस्थापित कर रहे हैं और वे वहां उल्लिखित आंकड़ों के लिये वचनबद्ध नहीं हैं। विभिन्न राज्यों को यह आदेश दिया गया था कि कम से कम उनके

आय-व्ययकों का राजस्व अवश्य संतुलित किया जाना चाहिये। मैं वित्त मंत्री से पूछता हूं कि भाग 'ग' राज्यों को छोड़ कर किस राज्य का राजस्व आय-व्ययक संतुलित किया गया है ? अतः त्रावनकोर-कोचीन अपवाद नहीं था।

मैं यह कहूंगा कि योजना आयोग ने योजना के जिस आकार को स्वीकार किया है उसके लिये केन्द्र वचनबद्ध है। आय-व्ययक पत्रों से मुझे यह ज्ञात हुआ है कि योजना के अन्तिम वर्षों में राशि खर्च करने के बजाय उन्होंने इस तरह योजना बनायी है कि खर्च का पांचवां हिस्सा योजना के पहले साल में ही खर्च किया जाये। इसी दृष्टिकोण से आय-व्ययक बनाया गया है। अतः यदि हम आंकड़ों के लिये मतदान दें तो केन्द्र को यह नहीं कहना चाहिये कि वह इन आंकड़ों के लिये वचनबद्ध नहीं है। ऋण, अनुदान तथा अन्य रूप में सहायता देने के लिये केन्द्र को अवश्य तैयार रहना चाहिये। उस राज्य में दूसरी पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करते समय केन्द्र को पीछे नहीं हटना चाहिये। इस कार्य के लिये नये प्रशासन को भी तैयार किया जा रहा है।

†**श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : लगभग डेढ़ महीने पहले इस सभा ने त्रावनकोर-कोचीन राज्य के सम्बन्ध में लगभग १०,००,८९,००० रुपये के लिये विनियोग (लेखानुदान) विधेयक पारित किया था। अब हम सामान्य आय-व्ययक का विवेचन कर रहे हैं जिसमें अनुमानित राजस्व १८,८९,९०,००० रुपये और व्यय २१,९८,२८,००० रुपये हैं। अब हमें यह आय-व्ययक भी पूरा करना है। मैं यह भी सुनता हूं कि उस राज्य में एक सह परामर्शदाता और साथ ही एक भ्रष्टाचार विरोधी पदाधिकारी भी नियुक्त किये गये हैं। राज्य का सारा भ्रष्टाचार दूर करने के लिये एक बम्बई वाले को भेजा गया है। मुझे बताया गया है कि वे केन्द्रीय सेवा के निवृत्ति वेतन-प्राप्त व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्तियों का हमें बहुत कटु अनुभव है।

मेरी यह धारणा है कि राष्ट्रपति का प्रशासन राज्य पर बलात् लादा गया है और अन्य दलों को इस कारण सत्तारूढ़ नहीं होने दिया गया था कि सरकार यह नहीं चाहती थी कि वामपक्षी मंत्रालय कांग्रेस मंत्रालय के सब भ्रष्टाचारों का भंडाफोड़ कर दे। अतः यह स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार विरोधी पदाधिकारी पहले के मंत्रियों के भ्रष्टाचारों का भंडाफोड़ करने में असमर्थ हो। किन्तु उस राज्य में अच्छे प्रशासन की स्थापना के लिये हमें यह समझना चाहिये कि इन सभी दोषों के बुनियादी कारण क्या हैं।

इस सभा में दो बातों की ओर अर्थात् एक बेरोजगारी और दूसरी जमीन की कमी की ओर संकेत किया गया है। किन्तु अन्य बातों का श्री पुन्नूस ने निर्देश किया है, जैसे कि पुलिस का अत्याचार, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार है। ये सभी एक दूसरे से सम्बद्ध हैं और पुराने प्रशासन की देन हैं।

बेरोजगारी की स्थिति के सम्बन्ध में मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं। मजूरी कमाने वाले करीब २६·१ लाख लोगों को ७५·४५ लाख मजूरी न कमाने वाले लोगों को आश्रय देना होता है। ३०·७७ लाख लोग ऐसे हैं जो काम करने के लिये तैयार हैं किन्तु उन्हें काम न मिलने से वे बेरोजगार हैं। अनुमान है कि २९·४ प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिन्हें ५० रुपये महावार से कम मिलता है। ५० से १०० रुपये बीच माहवार पाने वाले परिवार ३६·४ प्रतिशत हैं। २०० से ३०० रुपये बीच माहवार पाने वाले परिवार ६·२ प्रतिशत और ३०० रुपये माहवार से ऊपर पाने वाले ५·६ प्रतिशत हैं।

भूमि के वितरण की ओर देखें तो यह दिखायी पड़ेगा कि आबी जमीन का ८२ प्रतिशत और खुश्की जमीन का ७५ प्रतिशत एक एकड़ से नीचे वाले टुकड़ों में बंटा हुआ है और केवल ३ प्रतिशत टुकड़े ५ एकड़ से ऊपर के हैं। किसानों के हाथ में कम जमीन और गत दो वर्षों में कृषि-पदार्थों के

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एन० श्रीकान्तन नायर]

वास्तविक मूल्य में २१·२ प्रतिशत मद्दी पर विचार करने से हम समझ सकते हैं कि उस राज्य के किसान की दशा भारत के अन्य किसी राज्य के किसान की दशा से बहुत ही अधिक खराब है।

मेरे माननीय मित्र श्री थामस ने बताया था कि जमीन के टुकड़ों को सीमित करने और उन्हें भूमि-हीन लोगों को देने का प्रयत्न बन्द कर दिया गया था। इसका कारण यह था कि कांग्रेस निहित हितों का दल है और वह ऐसे विधेयक नहीं ला सकती क्योंकि वह समर्थन से वंचित हो जायगी।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

यह भी बताया गया है कि गरीबी, बेरोजगारी, भूमि का अभाव आदि रहते हुए भी हमें पहली पंचवर्षीय योजना के लिये उसका केवल ५० प्रतिशत ही मिला है जो कि हमको मिलना चाहिये था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये हमें १२५ करोड़ रुपये मिलने चाहिये थे जबकि केवल ५८ प्रतिशत ही मिला है। केन्द्रीय सरकार कहती है कि यह भी बहुत ज्यादा है। रेलों के सम्बन्ध में हमारी स्थिति भारत के अन्य किसी भाग से कहीं बदतर है। राज्य के भूतपूर्व वित्त मंत्री आशा करते थे कि ७१·२ करोड़ रुपये से वे १·८१ लाख नौकरियों की व्यवस्था कर सकेंगे। यदि यह आशा पूरी भी हो जाये तब भी प्रति वर्ष ६०,००० अतिरिक्त व्यक्तियों को काम ढूंढना होगा। अतः दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक ३ लाख व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे और चार व्यक्ति एक व्यक्ति के आश्रित होंगे। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि दो वर्ष पूर्व केन्द्रीय आय व्ययक में टिटानियम धातु के कारखाने की स्थापना के लिये २ लाख रुपये का उपबन्ध था। उसके लिये कच्चे माल के विषय में अर्थात् इलमनाईट के संबंध में हमारा एकाधिकार है किन्तु हमारे राज्य में वह कारखाना चालू करने के लिये अभी तक कोई योजना नहीं है। त्रावनकोर-कोचीन के लिये यह एक नाजुक मौका है विशेष कर जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार हो रही है, केरल राज्य बन रहा है तथा हमारे सामने सेवाओं के एकीकरण का प्रश्न आ रहा है ऐसे ही मौके पर हमारे ऊपर आई० सी० एस० अफसर लादे जा रहे हैं।

कहा जाता है कि प्रशासन में जो त्रुटियां आ गई हैं उन्हें वह दूर करेंगे। वास्तव में कोई आमूलचूल परिवर्तन करने के लिये न ही समय है और न ही सुविधायें हैं। वहां की पुलिस का इन्स्पेक्टर-जनरल आज भी पुरानी तानाशाही चलाता है। कांग्रेस पार्टी ने सत्तारूढ़ होते ही अपने पुराने सबक भूला दिए। इसका परिणाम यह हुआ है कि उसकी प्रतिष्ठा गिर गयी है। इन पुलिस ज्यादतियों को समाप्त करना होगा नहीं तो कांग्रेस की बची खुची प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जायगी।

पुलिस आज प्रत्येक औद्योगिक विवाद में हिस्सा ले रही है, ज्योंही कोई नियोजक शिकायत करता है त्यों ही पुलिस कामगारों को अपने पंजे में उठा लेती है और उन पर तरह-तरह के अत्याचार ढाए जाते हैं।

बताया गया है कि वहां के श्रमिक झगड़ालू हैं तथा वह हड़तालें करते रहते हैं। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? इसका कारण कामगारों की अवैध भरती है। हमने इसका विरोध किया तथा हड़तालें कीं। मामला पंजाब उच्च-न्यायालय तक गया। वहां क्या हुआ यह तो सरकार को मालूम है। कांग्रेस सरकार वहां उन समस्त कार्मिक संघों को भंग करना चाहती थी जिन पर कि उनके विरोधियों का प्रभाव है।

चाबारा घटना में सरकार को क्या मिला? श्रमिकों को भारी नुकसान हुआ तथा राष्ट्र के एक लाख जन-दिन की हानि हुई, मुकदमा चल रहा है। राज्य स्वामित्व के उद्योगों का प्राक्कलित राजस्व १९ लाख रुपया दिखाया गया था जब कि केवल १२·०१ लाख रुपया प्राप्त हुआ है। भ्रष्टाचार के कारण यह सारा ग़बन हो रहा है।

कुंदारा स्थित कुम्भकारी फैक्टरी में सब मिलाकर ५० प्रतिशत कमीशन दिया जा रहा है जबकि पहले यह केवल साढ़े सात प्रतिशत था, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं ? इस तरह के सैंकड़ों मामले राज्य विधान सभा में पेश किये गए। उनका कोई जवाब नहीं दिया गया। केवल सरकार दो अथवा तीन मतों से अविश्वास के प्रस्ताव से बच निकली। भ्रष्टाचार के कारण पनमपल्ली गोविंद मेनन के मंत्रिमंडल की प्रतिष्ठा गिर रही है। उसके अपने साथी उसका साथ छोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस तो हम जैसे लोगों ने वहां अपने खून पसीने से बनायी थी, लेकिन अब इसके नाम को वहां बट्टा लगाया जा रहा है।

इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अपेक्षा आल-इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की सदस्यता दस गुनी है। किन्तु फिर भी चाय बोर्ड में उनका प्रतिनिधि नहीं लिया गया। ऐसी दशा में कांग्रेस श्रमिक वर्ग का सहयोग कैसे प्राप्त कर सकती है ?

मैं महसूस करता हूं कि श्री राव एक बातूनी व्यक्ति हैं। उन्होंने कई योजनाओं का जिक्र किया। वह उन योजनाओं के लिये पैसा कहां से लायेंगे ?

उन्होंने इस सभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है। उन्होंने वहां के अधिकारियों को बता दिया है कि उन्हें दस महीने तक मंत्रियों के हस्तक्षेप के बिना काम करने की खुली छुट्टी है। यह लोकतन्त्र का अपमान है। उन्होंने कैसे अनुमान लगाया कि राष्ट्रपति का शासनकाल बढ़ जायेगा। हम चाहते हैं कि इस तरह का राज्य वहां शीघ्रातिशीघ्र समाप्त किया जाये। इस तरह की तानाशाही वहां नहीं चलेगी।

†**श्री अच्युतन** (क्रेंगनूर) : खेद है कि हमें लोक-सभा में त्रावनकोर-कोचीन के बजट पर विचार करना पड़ रहा है। श्री पुन्नूस ने कहा कि त्रावणकोर-कोचीन में राष्ट्रपति शासन लागू होने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर है। इसमें कुछ सत्य अवश्य है। कांग्रेस का महत्व वहां घट रहा है। परन्तु उनके दल—साम्यवादी दल—की क्या स्थिति है ? त्रावनकोर-कोचीन में जितने भी दल हैं उन सबकी अपनी अलग-अलग विचारधारायें हैं। क्या वे जनता की शिक्षा के सम्बन्ध में उचित लाइनों पर चल रहे हैं ? साम्यवादी दल को स्वयं इस पर विचार करना चाहिये। उसे कांग्रेस पर आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस अवांछनीय घटना के लिये वह भी समान रूप से जिम्मेदार है। आगामी चुनाव में ही यह निर्णय हो सकेगा कि किस दल को जनता का विश्वास प्राप्त है।

जहां तक बजट का सम्बन्ध है, भूतपूर्व वित्त मन्त्री श्री जान का भाषण बहुत अच्छा है। हमने जो कुछ कार्य अभी तक किया है उसका हमें गर्व नहीं है। राज्य की वित्तीय स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष वहां २१ करोड़ रुपये खर्च होंगे। परन्तु वह अध्याय बन्द हो गया और अब वहां राष्ट्रपति शासन स्थापित हो गया है।

हम नहीं जानते कि सलाहकार श्री राव ने एक सहायक सलाहकार क्यों नियुक्त किया। परन्तु उसकी नियुक्ति में हम संसत्सदस्यों से भी परामर्श किया जाना चाहिये था। गृह-मन्त्रालय को श्री राव की प्रार्थना स्वीकार करने के पूर्व हम लोगों से परामर्श करना चाहिये था। यह तरीका सर्वोत्तम है ताकि हम जनता को ठीक स्थिति बतायें और राष्ट्रपति के शासन से स्थिति में सुधार हो।

जहां तक भ्रष्टाचार-विरोधी अधिकारी की नियुक्ति का सम्बन्ध है, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के रखे जाने के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है क्योंकि उस विभाग में बाहर के व्यक्ति का रखा जाना ही अधिक अच्छा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अच्युतन]

जहां तक पुलिस विभाग का सम्बन्ध है, मैं श्री पुन्नूस और श्री नायर के इस विचार से सहमत हूं कि उसमें सुधार की आवश्यकता है। मैं इस मामले पर कई वर्षों से विचार करता आ रहा हूं। पुलिस-इन्सपेक्टरों के पदों पर हमें योग्य और चरित्रवान् व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिये ताकि वे भ्रष्टाचार के जाल में न फंसें। इन पदों पर २० से लेकर २५ वर्ष तक की अवस्था के व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं। इस अवस्था में चारित्रिक भ्रष्टता की अधिक सम्भावना रहती है। इसलिये कोई ऐसी योजना बनाई जानी चाहिये, जिस से चरित्रवान् व्यक्ति ही इन पदों पर नियुक्त किये जायें। यदि इस दिशा में कोई कदम उठाये जा सकें तो पुलिस का सुधार हो सकता है।

सेवाओं के सम्बन्ध में कोचीन और त्रावणकोर के अधिकारियों की अनेक शिकायतें हैं। सेवाओं का एकीकरण उचित आधार पर नहीं किया गया है। हमें उनकी शिकायतों पर विचार करना चाहिये और यदि वे उचित हों तो उनको दूर करना चाहिये। कुछ समय बाद मलाबार के पदाधिकारी भी इस राज्य में शामिल होंगे। उसके पूर्व ही यह कार्य हो जाना चाहिये।

जहां तक बजट की सामान्य योजना का सम्बन्ध है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं यह नहीं मानता कि चूंकि त्रावणकोर-कोचीन से बहुत सी वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, इसलिये उसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता मिलनी चाहिये। ऐसा करने से आसाम और बंगाल भी क्रमशः चाय और जूट के निर्यात के आधार पर वैसे ही दावे करेंगे। मेरा सुझाव है कि इस प्रश्न का निर्णय करने में राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों का विचार रखना चाहिये।

बहुत से माननीय सदस्यों ने बेरोजगारी का उल्लेख किया। इस समस्या का हल शीघ्र नहीं हो सकता। यह कहना ठीक नहीं है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बेकारी खत्म हो जायेगी क्योंकि हमारी जन संख्या में प्रति वर्ष जितनी वृद्धि होती है, उसके अनुपात से हम नौकरियां नहीं दे सकते।

राज्य की कृषि को ही लीजिये। किसानों को क्या सुविधायें दी जा रही हैं? कम मूल्य पर खाद और बीज देकर गहन कृषि को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। सरकार को सब स्थानों में बिजली की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि लोग मोटर लगाकर सिंचाई के लिये जल प्राप्त कर सकें।

नारियल-जटा (कॉयर) बोर्ड के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि बोर्ड तैयार माल नहीं भेजता है। वास्तव में बात यह है कि बोर्ड ने तो तैयार माल भेजने का प्रयत्न किया है, परन्तु विदेशों ने कहा कि हम रेशा ही चाहते हैं; तैयार माल नहीं। हमने यह भी जोर दिया है कि नारियल-जटा उद्योग को सहकारी-परिचालन के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये। इस तरह मैं कहूंगा कि नारियल-जटा बोर्ड ने अच्छा कार्य किया है। मुझे दुख है कि श्री थामस ने कागजों को नहीं देखा।

जहां तक मीन-क्षेत्र का सम्बन्ध है, श्री वी० पी० नायर उसके बारे में सदा प्रश्न पूछते रहे हैं। हमें मछुवा लोगों की सहायता के लिये कोई योजना बनानी चाहिये। मछलियों के संग्रहण और परिवहन की सुविधायें होनी चाहियें ताकि वे समुद्रतट से दूरस्थ स्थानों को भेजी जा सकें।

त्रावणकोर-कोचीन का दूसरा मुख्य उद्योग हाथ-करघा उद्योग है। हाथ-करघा बोर्ड के प्रतिवेदन से मालूम होता है कि राज्य ने उपलब्ध ऋणों और अनुदानों का अधिक लाभ नहीं उठाया है। दिये हुए विवरणपत्र से मालूम होता है कि ३१-१-१९५६ तक मद्रास को ३० करोड़ रुपये मिले, जबकि त्रावनकोर-कोचीन को केवल ३५ लाख रुपये ही मिले। मुझे सन्देह है कि हमारे राज्य की सरकार

केन्द्र से सहायता प्राप्त करने के लिय भरसक प्रयत्न नहीं कर रही ह । मैंने ऐसी कुछ शिकायतें सुनी हैं कि नारियल-जटा बोर्ड अथवा हाथ-करघा बोर्ड के निरीक्षक इन समितियों की प्रगति में बाधा पहुंचाते हैं । उन्हें तो सहयोगी समितियों का पथ प्रदर्शन करना चाहिये न कि उनके मार्ग में अड़ंगा बनना चाहिये ।

अब मैं सिंचाई को लेता हूं । इदीकी योजना एक बड़ी योजना है । उसे कार्यान्वित करन से बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा । नेम्मारा की जनता को पीने के पानी का कष्ट है । वह पोथंडी योजना को कार्यान्वित करने से दूर हो सकता है । इन दोनों योजनाओं से जनता को बहुत लाभ होगा ।

अब मैं अन्य विषयों पर आता हूं । राज्य में पर्याप्त सड़कें और पुल हैं । संचार विभाग कुछ और सड़कें बनाने के सम्बन्ध में भी विचार कर रहा है । क्रेंगनूर तालुक के उत्तरी भाग और मालाबार जिले के पोन्नाई तालुक के दक्षिणी भाग के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है । सरकार को वहां एक पुल बनवाना चाहिये ।

पीने के पानी के सम्भरण के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के समस्त तटीयक्षेत्र में उसकी कमी है । वहां की जनता ने मेरे पास तार भेजे हैं कि मैं बजट सम्बन्धी चर्चा में उसका प्रश्न उठाऊं ।

कुछ और भी बातें हैं जिनकी जांच करना आवश्यक है । एक माननीय सदस्य ने कालेजों के सम्बन्ध में कहा । वहां एक ही मेडिकल कालेज है । एक कालेज और होना चाहिये । वह त्रिचूर, मालाबार अथवा कालीकट कहीं भी स्थापित किया जा सकता है । इसके अलावा कृषि और इंजीनियरिंग के भी और कालेज होने चाहियें । कला और विज्ञान की अपेक्षा प्राविधिक संस्थाओं की देश के लिये अधिक आवश्यकता है । आपको कला के कालेजों की संख्या में वृद्धि को रोकना चाहिये । कालेज खोलने की एक होड़ सी लगी हुई है जिसके कारण बेकारी की समस्या बड़ी उग्र हो गई है । मैं समझता हूं कि समस्त संसद् इस स्थिति से चिन्तित है और त्रावनकोर-कोचीन को जटिल समस्यायों वाला राज्य माना जाता है ।

मैं राष्ट्रपति-शासन लागू किये जाने से प्रसन्न नहीं हूं । मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय मंत्री त्रावनकोर-कोचीन का विशेष ध्यान रखगे और जितना धन उसके लिये वण्टित किया गया है उसे खर्च करने का प्रयत्न करेंगे । यदि सरकार वहां १० करोड़ रुपये खर्च करे तो सुधार हो सकता है । वहां की जनता शिक्षित है । यदि रोजगार दिया जाय तो लोगों का जीवन-स्तर सुधर सकता है । सरकार को वहां प्राविधिक शिक्षा का प्रबन्ध करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

मैं माननीय गृह-मन्त्री और वित्त मन्त्री से पुनः अनुरोध करूंगा कि वे इस राज्य के प्रति विशेष ध्यान रखें । सरकार को चाहिये कि ऐसा प्रयत्न करे कि राष्ट्रप्रति-शासन की समाप्ति पर वहां की जनता यह अनुभव करे कि राष्ट्रपति-शासन के कारण उसकी स्थिति में इतना सुधार हुआ है जितना उनके अपने मन्त्रियों के शासन में नहीं हो सकता था ।

†**कुमारी एनी मैस्करीन** (त्रिवेन्द्रम्) : त्रावणकोर-कोचीन का बजट लोक-सभा में चर्चा के लिये पहली बार नहीं आया है । परन्तु इस बार एक समस्या वाले राज्य का बजट केन्द्रीय सरकार के हाथ में आया है जो स्वयं त्रावनकोर-कोचीन राज्य की समस्या से बड़ी समस्या है । अंग्रेजी में एक 'सिनएकडॉकी' अलंकार ह जिसमें पूर्ण के लिये अंश रखा जाता है । परन्तु यहां अंश के लिये पूर्ण रखा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[कुमारी एनी मैस्करीन]

हमारे देश में प्रजातन्त्र की ऐसी विचित्र दशा है कि त्रावनकोर-कोचीन में राष्ट्रपति-शासन लागू किया गया है जहां कि भारतीय गणतन्त्र की स्थापना के पूर्व भी प्रजातांत्रिक सरकार थी। वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता और केन्द्रीय सरकार की सहायता मांगने आया है। हमें बजट पर इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए चर्चा करनी होगी।

एक कांग्रेसी सदस्य ने कहा कि वित्त मंत्री के भाषण से कांग्रेस शासन की सफलताओं का पता चलता है। मैं वहां के शासन की वास्तविक स्थिति का चित्रण करूंगी। यदि आप वित्त मंत्री के भाषण में पृष्ठ २ पर दिये गये राज्य के १९५३ से १९५६ तक के उत्पादन का विवरण देखें तो मालूम होगा कि १९५४ से १९५६ तक एक-दो वस्तुओं को छोड़कर उत्पादन कम होता गया है। फिर यदि आप उसका पृष्ठ १० देखें तो आप को वहां की कांग्रेस सरकार और प्रजा समाजवादी सरकार के बजट लेखाओं का अन्तर मालूम होगा। आप देखेंगे कि पहले वहां का बजट घाटे का था परन्तु प्रजा समाजवादी सरकार द्वारा नियन्त्रण हटाये जाने के पश्चात् वह घाटा नहीं रहा। प्रजा समाजवादी सरकार के कारण राज्य की स्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ है और स्वयं वित्त मंत्री ने कहा है कि "इस तरह २०५·१७ लाख रुपये के व्यय के बदले वास्तव में २२३·१९ लाख रुपये की आय है जो बजट प्राक्कलनों और वास्तविक व्यय का ४२८·३६ लाख रुपये का अन्तर बताता है। यदि ऐसा न होता तो बजट सम्बन्धी पुर्वानुमान सर्वथा न उलट जाते और वर्ष के अन्त में ५४·७४ लाख रुपये की बढ़ोतरी रहती।" इससे कांग्रेस शासन और प्रजा समाजवादी शासन का अन्तर मालूम होता है। नियन्त्रण हटाते ही घाटा बढ़ोतरी में बदल गया। परन्तु, आज हम फिर नियन्त्रण लागू कर रहे हैं जो अनुचित है।

अब मैं आप का ध्यान व्याख्यात्मक ज्ञापन के पृष्ठ ८ की ओर आकर्षित करूंगी, जिसमें आय की सूची दी हुई है। १९५४ से लेकर १९५६ तक आय कम होती गई है—केवल राज्य आबकारी करों को छोड़ कर। दूसरी ओर यदि आप पृष्ठ ९ में व्यय को देखें तो पायेंगे कि १९५४–५५ से १९५६–५७ तक व्यय बढ़ता गया है। मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या प्रजातन्त्र इसी को कहते हैं कि आय कम हो और व्यय अधिक ?

ज्ञापन के पृष्ठ ४७ में मांग ९—राज्यों के प्रधान, मंत्री और प्रधान कार्यालय के कर्मचारी—के आंकड़ों को देखने से मालूम होता है कि १९५४ से १९५६ तक वेतन और भत्तों पर व्यय राष्ट्रपति, राज्यों के प्रधान, कैबिनेट और मंत्रियों के सम्बन्ध में १·८ लाख रुपये से बढ़कर ११·७१ लाख रुपये और सचिवालय तथा प्रधान कार्यालय स्थापना के सम्बन्ध में १९·८६ लाख रुपये से बढ़कर २६·९९ लाख रुपये हो गया है। राजस्व घटता जा रहा है, कृषि उत्पादन घटता जा रहा है और खर्च बढ़ता जा रहा है। और उस भारी खर्च का भार बेचारे कर दाताओं को ही सहन करना पड़ता है।

जहां तक आय-व्ययक का सम्बन्ध है, मैं यहां तथा केन्द्र में कोई भेद नहीं देखती। केन्द्र में जिस भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत की गयी है, त्रावनकोर-कोचीन राज्य में वह और भी बढ़ा हुआ है। पुलिस ने तो वहां पर कुहराम मचा रखा है। पुलिस के अफसर बड़े कठोर हैं और मनमानी कर रहे हैं। यह खराबी केवल उसी राज्य में ही नहीं है, सारे देश में पुलिस प्रशासन की यही दशा है। अतः देश में प्रशासन को स्थिर करने के लिये पुलिस प्रशासन का सुधार करना ही होगा।

त्रावनकोर-कोचीन में मुख्य समस्या शिक्षित लोगों की बेकारी है और इसी के परिणामस्वरूप उस राज्य में इतनी अधिक पार्टियां हैं, और प्रत्येक पार्टी के अपने-अपने नेता हैं। यही कारण है कि वहां पर कोई भी ऐसी बहु संख्यक पार्टी नहीं है जो कि प्रशासन को सुचारू रूप से चला सके। इसीलिये बेकारी समस्या को हल नहीं किया जा सकता है। जहां तक नौकरी दिलाने वाले दफतरों का सम्बन्ध है मैं जानती हूं कि वे किस प्रकार से काम कर रहे हैं। मैं समझती हूं कि बेकारी की समस्या का हल केवल उद्योगीकरण के द्वारा ही किया जा सकता है। और देश में भारी उद्योगों के लिये गुंजाइश भी है परन्तु

दुःख है कि केन्द्रीय सरकार ने उनकी ओर कोई गम्भीर ध्यान नहीं दिया है। उदाहरण मेरे निर्वाचन क्षेत्र में टिटेनियम उत्पादन उद्योग में अभी तक ब्रिटिश कम्पनी का भाग है, और इस प्रकार से सरकार विदेशी समवायों को प्रोत्साहन दे रही है।

इस क्षेत्र में ऐसे और भी कई उद्योग हैं जिन्हें जान बूझ कर विदेशी पूंजीपतियों के अधीन रखा हुआ है और उन्हें यहां पर विकसित नहीं होने दिया जाता। नारियल-जटा उद्योग का भी अधिकांश कार्य विदेशों में ही किया जा रहा है। यह सच है कि साबुन उद्योग स्वयं सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, परन्तु वह सरकारी उद्योग घाटे पर चल रहा है। इसीलिये मैंने उस दिन भी सुझाव दिया था कि ये सभी उद्योग गैर-सरकारी रूप में चलाये जायें और गैर-सरकारी क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन दिया जाये।

मैं समझती हूं कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य में एक मुद्रण उद्योग प्रारम्भ होने वाला है। इस सम्बन्ध में सस्टेनकोटा से यह याचिका प्राप्त हुई है कि यह उद्योग वहां पर प्रारम्भ किया जाये क्योंकि वहां पर उसके योग्य सभी परिस्थितियां विद्यमान हैं।

हमारे क्षेत्र में खनिज भी है। खनिज मिट्टी का काम करने वाली वहां पर चार खनिज कम्पनियां भी हैं। वहां पर सभी आवश्यक वस्तुयें पायी जाती हैं परन्तु फिर भी वह उद्योग वहां पर शुरू न कर के बम्बई में शुरू किया जा रहा है। इसी प्रकार से कागज उद्योग के सम्बन्ध में भी सारा कच्चा माल पाया जाता है। परन्तु वहां पर कागज उद्योग प्रारम्भ न करके भारी उद्योगों को प्रारम्भ करने की सिफारिश की गयी है।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य के वित्त मंत्री ने राज्य की विधान सभा में भाषण देते हुये सन्तोष प्रकट किया है कि राज्य ने सन्तोषजनक सफलता प्राप्त की है। परन्तु जैसा मैं पहले बता चुकी हूं राज्य में राजस्व और आमदनी तो घट गयी है और खर्च बढ़ गया है। मैं पूछती हूं कि क्या यही सफलता प्राप्त की गयी है?

सारे देश में यदि किसी राज्य के साथ सर्वाधिक अन्याय किया जा रहा है तो वह त्रावनकोर-कोचीन है। सारे देश में सब से अधिक साक्षरता हमारे राज्य में है, बहुत से उद्योग चलाने के लिये संसाधन हमारे राज्य में हैं, और वाणिज्यिक उत्पादनों के लिये भी हमारा राज्य प्रसिद्ध है। परन्तु वहां के गैर-सरकारी उद्योगों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। वहां पर जैसे शिक्षा का प्रचार गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा अत्यन्त सुन्दर रूप में किया गया है, वैसे ही उद्योगों का कार्य भी गैर-सरकारी समवायों द्वारा सुचारु रूप से चलाया जा सकता है। यदि गैर-सरकारी उद्योगपतियों को उद्योग चलाने की अनुमति दी जाये तो उससे उद्योग भी अच्छी प्रकार से चलेंगे और उसके साथ ही साथ बेकारी की समस्या भी सरलता से हल हो जायेगी। बेकारी समस्या के हल का आगामी चुनावों पर अच्छा असर पड़ेगा, बहु संख्यक पार्टी शासक होगी और प्रशासन अत्यन्त सुन्दर प्रकार से चलेगा।

†**श्री कौट्टुकप्पल्ली** (मीनाचिल) : श्री पुन्नूस ने लार्ड कर्जन द्वारा किये गये केराला के वर्णन का उल्लेख किया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि मेरा राज्य एक अत्यन्त सुन्दर, शोभाशाली तथा प्रकृति के सौंदर्य से लदा हुआ प्रदेश है। यह प्रदेश हास विलास, गीत संगीत तथा नृत्य से परिपूर्ण है। केरल 'कथाकली' नृत्य की जन्म भूमि भी ह। श्री पुन्नूस तथा श्री कान्तन् नायर इस नृत्य के भी माहर हैं। उन्होंने नाटकीय ढंग से कांग्रेस सरकार पर जो आरोप लगाये हैं, मुझे आशा है कि सभा उस पर अपना ध्यान न देगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कौट्टुकप्पल्ली]

जहां तक इस आय-व्ययक का सम्बन्ध है, मैं उसे एक गम्भीर, ठोस तथा एक सूझबूझ वाला आय-व्ययक समझता हूं जिसमें श्री ए० जे० जौन का व्यक्तित्व झलकता है जिनके सार्वजनिक जीवन के बारे में किसी को कोई शिकायत नहीं है ।

आय-व्ययक से मालूम होता है कि राजस्व के आंकड़े जहां १९५४–५५ में १७ १/२ करोड़ रुपये थे, और १९५५–५६ में १८ करोड़ रुपये थे, वहां १९५६–५७ के लिये १९ करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है । जहां तक खर्च का सम्बन्ध है, १९५४–५५ में २२ १/२ करोड़ रुपये था, १९५५–५६ में २० करोड़ रुपया था, और १९५६–५७ के लिये केवल २२ करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है । अतः मैं कुमारी ऐनी मैस्करीन के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि आय घट रही है और खर्च बहुत बढ़ रहा है ।

सभा के विपक्ष के सदस्यों ने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि शिक्षा के प्रचार के लिये बहुत ज्यादा राशि कुल आय-व्ययक की एक-तिहाई राशि निर्धारित की गयी है । मैं उनके आरोप से सहमत नहीं हूं । हमें इस बात का गर्व है कि हमारा राज्य शिक्षा की ओर इतना अधिक ध्यान दे रहा है; संसार में सब से अधिक साक्षरता हमारे ही राज्य में है । शिक्षा ही योग्य नागरिक बनाती है और वही राज्य को परम वैभव की ओर ले जा सकती है ।

शिक्षा के लिये अतिरिक्त खर्च इसलिये निर्धारित किया गया है कि लगभग १-१/२ करोड़ रुपया सरकारी तथा गैर-सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को दिया जाना है । मैं श्री जौन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि उन्होंने इन निर्धन तथा परिश्रमी शिक्षकों के उद्धार की ओर ध्यान दिया है ।

इसके अतिरिक्त २१८ लाख रुपया लोक कार्यों पर, १७१ लाख रुपया चिकित्सा सहायता पर, और ११८ लाख रुपया सामुदायिक परियोजना पर लगाया जायेगा । विद्युत् सम्बन्धी योजनाओं के लिये भी एक राशि निर्धारित की गयी है । इस प्रकार से राज्य की सर्वतोमुखी प्रगति के लिये खूब सोच विचार कर आय-व्ययक बनाया गया है । धन निर्धारित करते समय वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है । मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्व को बढ़ाने के लिये कोई नया कर नहीं लगाया गया है ।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य की मूल समस्या भूमि की कमी है । मुझे आशा है कि सरकार इसकी ओर पूरा ध्यान देगी और इसे हल करने का प्रयत्न करेगी । इस राज्य में कृषि योग्य भूमि बहुत कम है । लगभग ९७ प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनके पास ५ एकड़ से भी कम भूमि है । वहां पर सब से बड़ी यही समस्या है । केन्द्रीय सरकार जहां अन्य बहुत सी समस्यायें हल कर रही है, मेरी प्रार्थना है कि वह त्रावनकोर-कोचीन की इस भूमि समस्या को भी एक राष्ट्रीय समस्या समझ कर उसे हल करने का प्रयत्न करे ।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य का सुधार करने के लिये श्री जौन ने कई सुझाव दिये हैं, भारत सरकार से मेरी प्रार्थना है कि उन सुझावों को स्वीकार करके उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया जाये ।

जहां तक रेलों का सम्बन्ध है, बाकी देश में प्रति लाख की आबादी के लिये लगभग ८ मील लाइन है परन्तु त्रावनकोर-कोचीन में प्रति लाख की आबादी के लिये केवल २-३/४ मील लाइन है । उस क्षेत्र में कई नई लाइनें प्रारम्भ की जा सकती हैं, और मैं चाहता हूं कि उन सभी लाइनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

इदिक्की जल-विद्युत् योजना के सम्बन्ध में बहुत से सदस्यों ने योजना आयोग से यह प्रार्थना की है कि इस परियोजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाये, परन्तु दुःख की बात है कि उसकी ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है । इसके अतिरिक्त रबड़ बागान, चाय बागान

तथा अन्य प्रकार के बागान के लिये एक निगम स्थापित किया जा सकता है। वहां पर एक इंजीनियरिंग कालिज, एक कृषि कालिज तथा एक चिकित्सा कालेज खोला जा सकता है, और उनके द्वारा वहां के नवयुवकों को शिक्षित करके देश के सच्चे सेवक तथा नागरिक बनाये जा सकता है। किसी भी राज्य की उन्नति सोना चांदी पर निर्भर नहीं करती अपितु वहां के विद्वान तथा शिक्षित नवयुवकों तथा नवयुवतियों पर निर्भर करती है।

†**श्री वेलायुधन** (क्विलोन व मावेलिक्करा--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : मैं अपने राज्य के श्रमजीवि वर्गों का प्रतिनिधित्व करता हूं जब कि श्री कौट्टुकप्पल्लो उसके वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने श्रमजीवि वर्गों को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया है। इसीलिये दोनों के दृष्टिकोण में अन्तर है।

मैं १९५० से लेकर अपने राज्य की अवस्था, तथा परिस्थितियों के सम्बन्ध में बोलता आया हूं। राज्य सरकार की ओर से जो आय-व्ययक प्रस्तुत किया गया है उस पर बोलते हुए मैं लज्जा का अनुभव कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि यह आय-व्ययक कांग्रेस द्वारा तैयार किये गये उसी पुराने आय-व्ययक का ही एक मृतक रूप है। मैं चाहता हूं कि इसे बदलती हुई नयी परिस्थितियों तथा नयी व्यवस्थाओं को दृष्टि में रखते हुए बनाना चाहिये था। इस में तो वही पुरानी भावना छिपी पड़ी है। नयी परिस्थितियों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है।

त्रावनकोर-कोचीन अथवा केराला के लोगों की सभी सदस्यों ने पूरि-पूरि प्रशंसा की है और यह कहा है कि वे प्रगतिशील हैं। यदि यह बात है तो फिर वहां पर राष्ट्रपति का शासन किस लिये लागू कर दिया गया है ? मैं समझता हूं कि वहां पर राष्ट्रपति-शासन लागू करना, कांग्रेस पार्टी के लिये उस राज्य के लिये तथा सारे देश के लिये एक शर्म की बात है।

श्री थामस तथा कांग्रेस पार्टी के बहुत से सदस्यों का यह कहना है कि उस राज्य में अधिक आबादी ही मूल समस्या है। परन्तु मैं उस कथन से सहमत नहीं हूं। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से हमारा राज्य सब से अधिक समृद्ध है, तो फिर भी हमारा राज्य इतना गरीब क्यों है, वहां भुखमरी क्यों है, वहां बेकारी क्यों है ? वहां पर प्राकृतिक संसाधन तो हैं, वहां पर सम्पत तो हैं परन्तु उनका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया जा रहा है। यदि स्वेच्छाचारिता से काम करते रहेंगे तो उससे कठिनाई कभी कम न होगी, समस्या कभी भी हल न होगी। मैं तो मार्क्सवाद में विश्वास रखता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मार्क्सवाद ही आज के भारत की सभी समस्याओं का हल है। मैं चाहता हूं कि त्रावनकोर में उसका प्रयोग किया जाये, एक समाजवादी ढंग के समाज का प्रयोग किया जाये। वहां पर चाय, रबड़, काफी आदि कई प्रकार के सम्पद् हैं। यदि सरकार में साहस है तो उन सभी बागानों आदि का राष्ट्रीयकरण कर दे। परन्तु मुझे पता है कि सरकार ऐसा नहीं करेगी और इसी लिये समस्या हल नहीं होती।

इन सभी कठिनाइयों का वास्तविक कारण यह है कि वहां पर प्रारम्भ से ही एक भ्रष्ट सरकार रही है। इन सभी खराबियों की जिम्मेवार कांग्रेस ही है। भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, पक्षपात तथा परिवार-पोषण की जिम्मेदार कांग्रेस ही है। मैं कांग्रेस सरकार को चुनौती देता हूं। कोई भी निष्पक्ष जांच आयोग यही निर्णय देगा कि वहां के मन्त्रियों ने वहां पर उन का खूब दुरुपयोग किया और स्वयं भी खूब कमाया।

केराल राज्य का इतिहास बताता है कि वहां पर एक समय चेरामन पेरुमन का राज्य था; चेरामन पेरुमन अस्पृश्य जाति का था। उसी ने वहां पर निर्वाचन पद्धति प्रारम्भ की थी। उसी ने वहां

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वेलायुधन]

पर समाजवादी पद्धति को भी प्रारम्भ किया था। इतिहास तो हमें यही बताता है, भले ही आज के सम्प्रदायवादी नेता उससे सहमत न हों। जब प्रधान मंत्री त्रावनकोर-कोचीन गये थे तो उनके सामने केराला की वास्तविक संस्कृति का रूप अभिव्यक्त नहीं किया गया था। वास्तव में हमारे राज्य में सामन्तवादी संस्कृति का कोई स्थान नहीं है। हम वहां की वास्तविक संस्कृति का ही विकास चाहते हैं।

आय-व्ययक में लगभग ३० लाख रुपये हरिजनों के उद्धार के लिये निर्धारित किये गये हैं, परन्तु उस राशि में से वास्तव में कितनी राशि खर्च की गयी है ? बहुत कम। इसके अतिरिक्त वहां पर बसायी गयी नई बस्तियों के लिये मन्जूर किये गये अनुदानों में से थोड़ा सा रुपया कुछ एक विशेष-लोगों को दे दिया गया है जो कांग्रेस के समर्थक हैं। इस प्रकार से आदर्श कल्याण केन्द्रों के लिये निर्धारित रुपया भी सरकार ने केवल अपने ही लोगों को दे दिया है।

वहां से अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने ७ करोड़ रुपया निर्धारित किया था, परन्तु वास्तव में यह रुपया उस कार्य के लिये नहीं लगाया जा रहा है। वहां पर अस्पृश्यता निवारण के लिये एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा रहा है। जो लोग कांग्रेस पक्ष के हैं केवल उन्हें ही रुपया दिया जाता है और इस प्रकार वहां अस्पृश्यता निवारण का ढोल पीटा जाता है।

श्री पुन्नूस ने जैसा कहा है वहां पुलिस का अत्याचार काफी बढ़ा हुआ है और उनके सब से अधिक शिकार अस्पृश्य लोग ही हैं जिन्हें सदैव तंग किया जाता है। यहां तक कि उनकी बेइज्जती भी की जाती है। यह दशा आज की नहीं है बल्कि जब से हमें स्वतन्त्रता मिली है तब से त्रावनकोर-कोचीन में पुलिस राज्य छाया हुआ है। हमारा राज्य जो इतना शिक्षित और जाग्रत है वहां पर यह दशा कब तक चल सकती है। पुलिस के अत्याचार के कारण हजारों आदमी जेलों में मर चुके हैं। मेरे मित्र श्री कान्तन नायर की भी पुलिस के हाथों बड़ी दुर्दशा की गई है। उन्हें पांच-छः नारियल चुराने का आरोप लगा कर पकड़ लिया गया था। श्री पुन्नूस एक और उदाहरण है। मैं सब लोगों के नाम यहां बताना नहीं चाहता। इन अत्याचारों को कम करने के बजाय सरकार पुलिस वालों को भारी-भारी इनाम देती है।

त्रावनकोर-कोचीन के निवासियों ने इस आतंक और अत्याचार को समाप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। हम राष्ट्रपति के शासन या ऐसे अन्य किसी शासन को नहीं चाहते। अगले चुनाव के बाद लोग देखेंगे कि वहां हमारी निजी सरकार होगी। भारत का नया इतिहास दक्षिण भारत से प्रारम्भ होगा और दक्षिण में भी केरल सब का अग्रणी होगा।

†**श्री मात्तन** : (तिरुवल्ली) : मेरे साम्यवादी मित्र श्री पुन्नुस ने राष्ट्रपति के शासन की बड़ी कटु आलोचना की है किन्तु मैं केवल तीन सप्ताह पहले वहां मौजूद था और वहां ९९ प्रतिशत लोग इस शासन से सन्तुष्ट हैं।

†**श्री पुन्नूस** : कहीं आपका यह आशय तो नहीं है कि कांग्रेस शासन की अपेक्षा वे राष्ट्रपति का शासन पसन्द करते हैं ?

†**श्री मात्तन** : यह मैं मानता हूं कि वहां कांग्रेस के नाम में कुछ बट्टा जरूर लगा है किन्तु वहां के लोग बहुत समझदार हैं और मुझे विश्वास है कि अगले चुनाव में अन्य दलों की अपेक्षा कांग्रेस को सब से अधिक मत मिलेंगे।

जब प्रथम पंचवर्षीय योजना पेश की गई थी तो विरोधी दलों ने बड़ी हाय तोबा मचाई थी और वे सहयोग देने को तैयार न थे किन्तु जब उन्होंने देखा कि रूस हमारे पक्ष में सहायता के लिये

†मूल अंग्रेजी में

तैयार है तो वे ठंडे पड़ गये। इसी प्रकार मुझे आशा है द्वितीय योजना में भी लोग हमें सहयोग प्रदान करेंगे और हमारे दल को सम्मान प्राप्त होगा।

मेरे मित्र ने त्रावनकोर-कोचीन राज्य के औद्योगिक विवादों और श्रमिकों की दशा का उल्लेख किया है किन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि वहां उद्योगीकरण के अभाव का जो मूल कारण है वह यह है कि वहां के श्रमिक इतने झगड़ालू हैं कि वहां पर उद्योगपति कोई उद्योग खोलना पसन्द नहीं करते। उदाहरण के लिये रबड़ उद्योग को लीजिये। वहां पर रबड़ उपलब्ध होने पर भी यह एक खेद का विषय है कि उद्योगपतियों ने वहां की अपेक्षा मद्रास में फैक्टरी खोलना पसन्द किया है। डनलप कम्पनी के लिये भी पता चला है कि वह मद्रास में रबड़ फैक्टरी खोल रही है। त्रावनकोर-कोचीन के लिये यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्रीय सरकार के इतने उदार होने पर भी और केन्द्रीय मन्त्रियों की उस राज्य के प्रति इतनी सहानुभूति होने पर भी वहां उद्योग का समुचित विकास नहीं हो रहा है। यदि वहां सरकार, श्रमिकों और उद्योगपतियों में सहयोग हो, तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो जाये। वहां के श्रमिकों में अनुशासन का नितांत अभाव है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक दल अपने हित को नहीं बल्कि राष्ट्र के हित को अपने सामने रख कर काम करे।

मेरे मित्र श्री वेलायुधन ने वहां के इन्सपेक्टर-जनरल, पुलिस की आलोचना की है। मैं इस विषय में अधिक नहीं जानता।

†**श्री पुन्नूस** : फिर आप इसका क्यों जिक्र करते हैं ?

†**श्री मात्तन** : मुझे इतना अवश्य मालूम है कि पिछले चुनाव में ये इन्सपेक्टर-जनरल कांग्रेस के बजाय विरोधी दल के समर्थक थे फिर भी विरोधी दल वाले यह कहते थे कि वे कांग्रेस के हितैषी हैं। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस का द्वार सब के लिये खुला है और श्री वेलायुधन भी यदि चाहें तो कांग्रेस के सदस्य बन सकते हैं।

त्रावनकोर-कोचीन में सब से महत्वपूर्ण समस्या शिक्षित बेकारों की है। इस विषय में मैंने १९५२ में भी सभा में भाषण दिया था जिस का जिक्र श्री ए० एम० थामस ने किया है। बेकारी की समस्या को दूर करने का वहां एक ही उपाय है और वह है उद्योगीकरण।

मैंने सभा के एक विशेष सदस्य से वहां उद्योग प्रारम्भ करने का जिक्र किया था किन्तु वे बोले कि वहां के श्रमिकों के कारण उद्योग से कोई लाभ नहीं होगा।

सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में कागज की बहुत कमी है किन्तु हमारे राज्य में कागज की एक बड़ी मिल अच्छी तरह चल सकती है क्योंकि वहां परियार झील के किनारे बांस के बहुत पेड़ हैं। इस मिल का प्रस्ताव वहां १९२१ से चल रहा है और एक छोटी मिल वहां मौजूद भी है फिर भी म सरकार से निवेदन करता हूं कि वहां यह मिल खोली जाये और इसके अलावा एक रबड़ फैक्टरी खोली जाये, वहां टिटेनियम फैक्टरी की भी आवश्यकता है। हमारे यहां विश्व में सब से अधिक इलमेनाइट पाया जाता है जिस से टिटेनियम बनता है जो अलूमीनियम से भी हल्का होता है और यह इस्पात से अधिक मजबूत होता है। हम आशा करते हैं कि सरकार उसके खनन का शीघ्र ही प्रबन्ध करेगी।

व्यापारिक जहाजों के नाविकों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने चाहियें। जब कांधला और कलकत्ता में ऐसे केन्द्र हैं तो वहां भी होने चाहियें। हमारे यहां के लोग तो बहुत प्राचीन समय से नौवहन करते रहे हैं। हमारे राज्य ही समुद्र के किनारे हैं। यदि भारत सरकार कोई जहाजी कारखाना भी खोलना चाहे तो उस के लिये कोचीन से अच्छा स्थान कोई अन्य कहीं नहीं हो सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मात्तन]

हमें जहाजों की बहुत आवश्यकता है और दूसरा जहाजी कारखाना खोले बिना हमारा काम नहीं चल सकता। इसी प्रकार वहां छोटे-छोटे अनेक इंजीनियरिंग कालेज हैं जहां हजारों छात्र प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त करते हैं। सरकार को चाहिये कि इन संस्थाओं को भली भांति संगठित किया जाये ताकि वहां के प्रमाणित छात्रों को अच्छे रोजगार मिल सकें।

हमारे राज्य में स्त्रियों में भी बेकारी बहुत है। विश्व स्वास्थ्य संघ के एक प्रतिनिधि ने कहा था कि त्रावनकोर-कोचीन में ५,००० नर्सों का एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाना चाहिये। वहां की लड़कियां बड़ी योग्य और शिक्षित हैं और प्रशिक्षिण पाने पर वे बड़ी अच्छी नर्सें सिद्ध होंगी।

हमारे यहां पर्यटन को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। एड़ापल्लम में बहुत सुन्दर रक्षित वन हैं और वहां हाथियों के झुंड के झुंड घूमा करते हैं। पहाड़, झील, वन और उपवन की दृष्टि से हमारा राज्य बहुत सुन्दर है। सरकार को चाहिये अन्तर्राष्ट्रीय पथ पर मद्रास भी एक केन्द्र बनाया जाय ताकि विदेशी पर्यटक वहां उतर सकें। अभी तो वे लोग बम्बई, दिल्ली और कलकत्ते के मार्ग से आते-जाते हैं। प्रतिवर्ष हजारों अमेरिकी आते हैं किन्तु उनमें से बहुत कम व्यक्ति दक्षिण भारत जाते हैं।

जब हम वहां के विश्वविद्यालयों की ओर दृष्टिपात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां के प्राध्यापकों को सब से कम वेतन मिलता है। अन्य विश्वविद्यालयों में जहां ३०० रुपये मासिक मिलता है वहां वे केवल १०० रुपया मासिक पाते हैं और आंशिक समय के संगीत और हिन्दी अध्यापकों को २५ रुपया महीना मिलता है।

अन्त में मैं रेलव के लिये यह निवेदन करता हूं कि हमारे राज्य द्वारा जिस नई लाइन के लिये सिफारिश की गई है उसको अवश्य बनवाया जाय। बस यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

†**श्री वी० पी० नायर** : अन्य लोगों की भांति मैं इस बजट की प्रशंसा नहीं कर सकता। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि यह बजट त्रुटियों से भरा हुआ है। मुझे श्री थामस का वक्तव्य सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ जब वे त्रावनकोर-कोचीन के कांग्रेसी शासन को बहुत सफल बता कर उसकी झूठी दुहाई फेर रहे थे।

मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल बजट का अर्थ ही नहीं जानते। बजट में वर्ष के आय-व्यय का प्राक्कलन होता है किन्तु आजकल जितने अनुमान लगाये जाते हैं वे असत्य सिद्ध होते हैं। त्रावनकोर-कोचीन के बजट में पिछले पांच वर्षों से एक भी वस्तु का सही अनुमान नहीं लगाया गया है। प्रारम्भ में घाटे का अन्दाज लगाते हैं और बाद में करोड़ों रुपये की बचत सिद्ध हो जाती है। यदि दो-चार प्रतिशत का हेरफेर हो तो कोई आश्चर्य नहीं है किन्तु हम ने देखा है कि प्राक्कलन में और वास्तविक व्यय में ३० प्रतिशत तक अन्तर रहता है। शिक्षा, पुलिस और लोक-निर्माण विभाग में ऐसा ही हुआ ह।

मैंने त्रावनकोर-कोचीन के सचिवालय में नौकरी की है। मेरा वहां क डिवीजन-अफसरों से परिचय है। मुझे मालूम है कि वहां की योजना तथा प्राक्कलन में कितनी गम्भीर त्रुटियां होती हैं।

श्री थामस ने अपने भाषण में सरकार की करारोपण नीति पर कोई प्रकाश नहीं डाला है। मैंन लोक-सभा की रिसर्च एण्ड रेफरेन्स ब्रांच से कुछ आंकड़े प्राप्त किये हैं जिन के अनुसार इस वर्ष अप्रत्यक्ष करारोपण वहां ८८·७ प्रतिशत हो गया है जब कि प्रत्यक्ष करारोपण केवल ११·३ प्रतिशत

†मूल अंग्रेजी में

रह गया है। इस वर्ष वहां के राजस्व में ४·८ करोड़ रुपये की वृद्धि का प्रस्ताव है। वहां की निर्धन जनता इतना धन कैसे दे सकेगी। उसका तो पहले ही खून चूसा जा रहा है और अब तो उसकी कमर टूट जायेगी।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य की समस्याओं पर यदि गम्भीर रूप से विचार किया जाये तो वे हल हो सकती हैं। वहां की ८५ प्रतिशत भूमि इस प्रकार किसानों में बांटी हुई है कि सब के पास एक एकड़ से कम जमीन है। भूमि का इस तरह छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा जाना भारत के इतिहास में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। इसके बावजूद वहां नारियल-जटा की वस्तुयें, काली मिर्च, अदरक, इलायची आदि वस्तुओं के निर्यात से भारत को करोड़ों रुपये की आमदनी होती है। अतः इन चीजों के भाव नहीं गिराये जाने चाहियें। श्री जान मथाई ने अपने मन्तव्य में बताया है कि इन वस्तुओं के दाम पिछले दो-तीन वर्षों में गिर गये हैं। यह एक चिन्ताजनक विषय है।

जहां तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रश्न है मुझे यह अत्यन्त दुःख के साथ कहना पड़ता है कि त्रावनकोर-कोचीन में उसका होना न होना बराबर ही रहा क्योंकि वहां इसके लिये केवल २५ करोड़ रुपया व्यय किया गया।

डा० पी० जे० थामस ने, जो कुछ वर्षों पहले भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार भी थे, कहा है कि कीमतों के घटने और बढ़ने से त्रावनकोर-कोचीन के किसानों को पिछले तीन वर्षों के भीतर ६० करोड़ रुपये की हानि हुई है। सरकार ने उक्त वर्षों में त्रावनकोर-कोचीन के किसानों के लिये कुल २५ करोड़ रुपये व्यय किये हैं जब कि वहां के किसानों को इससे दूनी रकम की हानि उठानी पड़ी है।

इस समय त्रावनकोर-कोचीन राज्य में दस लाख स्वस्थ पुरुष तथा बीस लाख स्त्रियां बेकार हैं। वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान में मैंने वित्त मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया था कि इस वर्ष के केन्द्रीय बजट में, जब कि विभिन्न राज्यों के लिये ऋण तथा अग्रिम धन के रूप में ५०० करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है, हमारे राज्य को केवल ४ करोड़ रुपये दिये गये हैं, यह केवल नाम मात्र की राशि है। चर्चा का उत्तर देते समय वित्त मंत्री ने इस विषय पर कुछ नहीं कहा और यह कह दिया कि उनके पास इन बातों को लेने के लिये समय नहीं है। मैं वित्त मंत्री जी से इस बात का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि जब त्रावनकोर-कोचीन राज्य भी राज्यों के बराबर राजस्व देता है, और वहां बेकारी की समस्या अन्य राज्यों से बहुत गम्भीर है तब क्या उसे अधिक राशि नहीं दी जा सकती है ?

सरकार बार-बार हम से कह चुकी है कि अभी लिगनाइट निकालने की कोई आशा नहीं है यद्यपि मेरे पास ऐसे कागजात मौजूद हैं जिनसे मैं सिद्ध कर सकता हूं कि त्रावनकोर-कोचीन खनिज पदार्थों में किसी भी अन्य राज्य के पीछे नहीं है। सर्वोत्तम प्रकार की ग्रेफाइट (लिखिज) तथा मोनाजाइट त्रावनकोर-कोचीन में पाई जाती है। क्या सरकार इतनी वस्तुओं के होते हुए वहां एक भी परियोजना नहीं बना सकती है। आप द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ४,८०० करोड़ रुपयों की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे राज्य की जन संख्या १ करोड़ है इस प्रकार सामान्य रूप से हमें १५० करोड़ रुपये मिलने चाहिय। हमारी समस्यायें बुनियादी प्रकार की हैं उनका हल केवल बाहरी बातों से होना सम्भव नहीं है न गर्भ निरोध आदि उपचारों से ही इसका हल सम्भव है। हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं, जिनसे हम लाभ उठा सकते हैं। योजना मंत्रीजी को यह बातें बता देने के बावजूद भी कि नौ-प्रांगण के निर्माण के लिये त्रावनकोर-कोचीन से उपयुक्त स्थान नहीं है वहां नौ-प्रांगण के निर्माण की आशा बहुत कम दिखाई दे रही है। भारी विद्युत् (हेवी इलेक्ट्रिक) का कारखाना भी अब भोपाल में खुलेगा। मुझे श्री मात्तन की यह बात सुन कर बहुत ही दुख हुआ कि त्रावनकोर-कोचीन

[श्री वी० पी० नायर]

के श्रम वर्ग में देश भक्ति की भावना नहीं है। वे कभी श्रमिक वर्ग के सम्पर्क में नहीं आये हैं वस्तुतः त्रावनकोर-कोचीन में हड़तालें सब से कम हुई हैं। सब से अधिक हड़तालें अर्थात् ५१ प्रतिशत हड़तालें पश्चिमी बंगाल में हुई हैं उसके बाद बंगाल आता है वस्तुतः बात यह है कि त्रावनकोर-कोचीन का श्रमिक वर्ग एक निर्णायक राजनैतिक शक्ति बन गया है इसलिये आप उनसे प्रतिशोध लेना चाहते हैं और वहां एक भी परियोजना नहीं बना रहे हैं।

त्रावनकोर की समस्याओं से वित्त मंत्री तथा योजना मंत्री कोई भी इन्कार नहीं कर सकते हैं। वहां वे सभी सुविधायें उपलब्ध हैं जिन से भारत में सबसे सस्ती विद्युत् का उत्पादन हो सकता है। डा० एम० एस० कृष्णन के मतानुसार कुन्द्र क्षेत्र में १३० लाख टन शोधित मिट्टी उपलब्ध की जा सकती है और इस प्रकार हमारे यहां कुम्भकारी के उद्योग के सर्वोत्तम साधन हैं। यदि हम इनका उपयोग करें तो कम से कम कुंभकारी उद्योग में ही २० या ३० हजार व्यक्ति खप सकते हैं, किन्तु कांग्रेसी सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं किया है।

त्रावनकोर-कोचीन के सरकारी कर्मचारियों का वेतन सारे भारत में निम्नतम है और साथ ही वे कई वर्गों में बंटे हुए हैं यथा आकस्मिक सेवा के कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी इत्यादि। भला इन लोगों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहयोग देने के लिये क्या उत्साह हो सकता है, जब कि वे जानते हैं कि उन्हें स्थायी सरकारी कर्मचारियों के कोई भी अधिकार नहीं हैं। वहां सभी विभागों में आकस्मिक कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या है वहां 'मीनियल' (निम्न) कर्मचारियों का भी एक वर्ग है जब आप समाजवादी ढांचे के समाज की बात करते हैं तो क्या यह लज्जा की बात नहीं है कि वहां अब भी निम्न कर्मचारी हैं। इसलिये सरकार को तत्काल ऐसी योजना बनानी चाहिये कि एक वर्ष के भीतर ही प्रत्येक आकस्मिक अथवा अस्थायी कर्मचारी स्थायी हो जाय।

अब मैं वित्त मंत्री के विचारार्थ कुछ सुझाव प्रस्तुत करूंगा। हला त्रावनकोर-कोचीन के इस बजट को रद्द करके एक अन्य वैकल्पित बजट बनाया जाय, जिसे पदाधिकारियों का एक दल वहां जाकर तैयार करे। दूसरा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में संशोधन करके, खनिज तथा धातु कार्मिक उद्योगों, भारी रासायनिक उद्योगों, इंजीनियरिंग उद्योगों इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जाय, तीसरे जोतों के सम्बन्ध में सरकार तत्काल कोई विधान बनाये, चौथे सरकार बागान उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करे, पांचवे प्रत्येक अस्थायी तथा आकस्मिक कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जाये, छठे कम वेतन पाने वालों का वेतन बढ़ाया जाय। इसके अलावा राज्य निर्यात योग्य वस्तुओं का स्वयं व्यापार करना प्रारम्भ करे, इससे उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त हो सकेगा।

इस बात पर सभी सहमत हैं कि वहां की पुलिस बहुत अत्याचार करती है। उनको जनता से वर्ताब करने का तरीका तक ज्ञात नहीं है वे बात चीत तक करना नहीं जानते हैं। इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूं। मेरा सुझाव है कि वहां की पुलिस के समस्त कर्मचारियों को, ऊपर से नीचे तक बदल दिया जाय और दोषी व्यक्तियों को दंड दिया जाय। वहां सुरक्षा प्रक्रिया के अधीन सब से अधिक मामले पंजीबद्ध हुए हैं लगभग प्रत्येक कार्मिक संघ कार्यकर्त्ता के ऊपर दस या पन्द्रह मामले हैं। एक बार मैं ने सुरक्षा प्रक्रिया के मामलों की संख्या पूछी थी, उसका उत्तर यह दिया गया कि जानकारी एकत्र की जा रही है।

इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बजट को बिल्कुल रद्द कर दें और अपने विश्वसनीय पदाधिकारियों का एक दल वहां भेज कर वहां की वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त कर एक अन्य बजट प्रस्तुत करें। तब तक के लिये वहां के कर्मचारियों के वेतन की कोई अन्य व्यवस्था कर दी जाये।

†**श्री सी० आर० अय्युण्णि** (त्रिचूर) : हमारा राज्य भारत में सब से छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल ९४४ वर्ग मील और जन संख्या ९२·५ लाख है। प्रत्येक वर्गमील में औसतन १,०१५ व्यक्ति रहते हैं। यह जन संख्या पर्याप्त शिक्षित है। जब विस्थापित व्यक्तियों का प्रश्न आया, तो केन्द्रीय सरकार उनकी सहायता के लिये आगे बढ़ी। यह उचित था हमारे राज्य में इस समय भयंकर बेकारी फैली हुई है। किन्तु केन्द्रीय सरकार ने हमारे राज्य की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया है वस्तुतः त्रावनकोर-कोचीन के व्यक्ति ही सुदूर देशों, बोर्नियो, फिलीपीन्स, सिंगापुर, बर्मा, लंका, अफ्रीका इत्यादि देशों में रोजगार करने के लिये गये हुये हैं, किन्तु अब यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वे देश उन्हें अधिक दिनों तक टिकने नहीं देना चाहते हैं। जब हमने लोगों की अल्प बचत को प्रोत्साहन देने के लिये १५० बैंक खोले, तो वित्त मंत्री ने आपत्ति की कि इतने बैंक खोलने से क्या लाभ जब कि कुल बैंकों की संख्या केवल ५०० है। हम इन बैंकों द्वारा कृषकों, उद्योगपतियों इत्यादि सभी को ऋण दे रहे हैं और यथाशक्ति उनकी सहायता का प्रयत्न कर रहे हैं, तथापि शिक्षित बेकारी दूर नहीं हुई है। अन्य परियोजनाओं के लिये आपने ६०० करोड़ रुपये व्यय किये हैं किन्तु त्रावनकोर-कोचीन में आपने कुछ नहीं किया है। मैं श्री मात्तन की इस बात से सहमत हूं कि हमारे श्रमिक नेताओं के ऊपर ही यह दायित्व है कि वे लोगों को कारखाने खोलने के लिये प्रोत्साहित नहीं करते हैं किन्तु यह बात निजी उद्योग के सम्बन्ध में ही सच है किन्तु मैं श्री पुन्नूस और श्री श्रीकान्तन नायर की बातों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि बारह-आने पाने वाले व्यक्ति को तत्काल डेढ़ रुपया नहीं दिया जा सकता है कुछ समय के लिये उसे सवा रुपये पर ही सन्तोष करना होगा। श्री वी० पी० नायर ने आकस्मिक कर्मचारियों का उल्लेख किया है। वस्तुतः कुछ वर्षों पूर्व जब वहां खाद्यान्नों का अभाव हुआ था और वहां १६ करोड़ रुपये का घाटा हुआ था, उस समय कई व्यक्तियों को अस्थायी रूप से रख लिया गया था। अब वस्तुतः उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसलिये उन्हें स्थायी बनाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि मैं उन्हें स्थायी बनाने के विरुद्ध हूं वस्तुतः उन्हें कारखानों में नियुक्त कर दिया जाय।

वस्तुतः त्रावनकोर की बुनियादी समस्या बेकारी है जिसे यथा शीघ्र दूर करना अनिवार्य है। सरकार आसानी से कई कारखाने इत्यादि खोल कर इसे दूर करने की व्यवस्था कर सकती है।

अब मैं रेलों के विषय पर आता हूं वस्तुतः त्रावनकोर में लगभग २०० मील से कुछ ही अधिक रेलवे लाइनें हैं। इसलिये वहां रेलवे लाइनों की वृद्धि करना अत्यावश्यक है। इससे दो लाभ होंगे। एक तो लोगों को रोजगार प्राप्त होगा और दूसरे वस्तुओं के मूल्य उचित स्तर पर स्थिर रहेंगे।

त्रावनकोर-कोचीन में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है, अतः देश की परियोजनाओं में काम करने के लिये उन्हें टेक्नीकल अथवा प्रौद्योगिकीय शिक्षा दी जा सकती है। मेरा तो यह सुझाव है कि कुछ सामान्य कालेजों को बन्द कर उनके स्थान पर टैक्नीकल संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में भारत ने नई भूमि बसाने के लिये कोई पृथक् राशि की व्यवस्था नहीं की है। त्रावनकोर-कोचीन में प्रति व्यक्ति भूमि केवल ६५ सेंट प्रति व्यक्ति है जब कि भारत में प्रति व्यक्ति औसत २२५ सेंट हैं इसलिये जो व्यक्ति किसी स्थान पर भार हों, उनका अन्य स्थानों में स्थानान्तरण करके उनको बसाने की सुविधायें दी जानी चाहिये। जहां पर वे लोग बसाये जायें वहां पर भी उन लोगों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। कम से कम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इसका उपबन्ध करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मैथ्यू** (कोट्टयम्) : ऐसा ज्ञात होता है कि बजट चर्चा में उत्तर--प्रत्युत्तर होना आवश्यक हो गया है । श्री पुन्नूस ने अपने भाषण के अधिकांश भाग में त्रावनकोर-कोचीन में कांग्रेस दल के पतन पर दुख प्रगट किया है । निःसन्देह कांग्रेस को अधिक शक्तिशाली होना चाहिये था किन्तु श्री पुन्नूस का दल वहां मन्त्रि मंडल ही नहीं बना सका है । विभिन्न पक्षों के सदस्यों के बीच इतने उत्तर-प्रत्युत्तर होने के बावजूद भी वे कुछ बातों में एक मत है, यह बात उत्साहप्रद है । सदस्यों ने कुछ रचनात्मक सुझाव दिये हैं । विशेषतः कुछ अन्य प्रौद्योगिकीय संस्थाओं की स्थापना करने के विषय में सभी सहमत हैं । श्री अय्युण्णि ने कला कालेजों को बन्द करने का सुझाव दिया है । वह तो ठीक नहीं है, परन्तु प्रौद्योगिकी संस्थायें खोली जा सकती हैं । मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं कि त्रावनकोर-कोचीन में अधिकतर कालिज गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा चलाये जाते हैं । ये गैर-सरकारी अभिकरण किसी न किसी कारण से कोई प्रविधिक संस्था या इंजीनियरी कालिज नहीं चलाना चाहते हैं । ऐसी संस्था खोलने के लिये जो भारी वित्तीय संसाधन अपेक्षित हैं, जो व्यय अन्तर्ग्रस्त हैं उनसे वे डरते हैं । मेरे विचार में यदि सरकार इनकी कुछ सहायता करे तब कुछ गैर-सरकारी अभिकरण प्रौद्योगिकीय संस्थायें खोलने का हौसला कर सकती हैं । त्रावनकोर-कोचीन में उत्तर में इंजीनियरी कालिज की इस समय अत्याधिक आवश्यकता है । इस समय वहां केवल एक कालिज है । एक और कालिज खुलने से वे सैंकड़ों विद्यार्थी जिन्हें उस एक कालिज में प्रवेश नहीं मिलता है, उस दूसरे कालिज में दाखिल हो सकेंगे ।

बेरोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में सभी व्यक्ति कुछ न कुछ कहते हैं और ठीक ही कहते हैं । इस सम्बन्ध में किसी एक कार्यवाही द्वारा न सही, परन्तु कुछ न कुछ किया जाना सम्भव अवश्य है । एक व्यक्ति तो यह कहता है कि समस्या के समाधान के लिये हम भारी उद्योग चाहते हैं । दूसरा व्यक्ति यह कहता है कि भारी उद्योग नहीं बल्कि कुटीर उद्योग में अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है इस लिये कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिये । मेरा मत यह है कि हमें सभी कार्यवाहियों द्वारा समस्या का समाधान करना होगा । बड़े पैमाने पर नई प्रकार के कुटीर उद्योगों को भी लोकप्रिय बनाना चाहिये और साथ ही भारी उद्योग भी प्रारम्भ किये जाने चाहियें । इन्हें स्थापित करने के मार्ग में बाधाओं की मैं चर्चा नहीं करना चाहता और न ही मजदूरों की हड़तालों के प्रश्न में मैं जाना चाहता हूं । कारण चाहे कुछ ही हो हम यह चाहते हैं कि हमारे राज्य में भारी उद्योग स्थापित किये जाने चाहियें । वे उद्योग क्या हों इसके ब्योरे में मैं नहीं जाना चाहता ।

इस एक बात पर हम सभी सहमत थे कि हम केन्द्र की ओर से अधिकतम ध्यान तथा उचित दृष्टिकोण चाहते हैं । बीते दिनों के बारे में चाहे जो कुछ भी कहा जाये इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि विभिन्न कारणों से त्रावनकोर-कोचीन राज्य की ओर अधिकतम ध्यान देने की आवश्यकता है और केन्द्रीय सरकार को पर्याप्त सहायता करनी चाहिये । मैं पड़ौसी राज्यों के अपने मित्रों को बताना चाहता हूं कि यदि मेरे अपने राज्य में कुछ बिगाड़ उत्पन्न हुआ तो उसका प्रभाव यथा समय इन पड़ौसी राज्यों पर भी होगा ।

अब मैं एक ऐसे मामले की चर्चा करना चाहता हूं जो न केवल त्रावनकोर-कोचीन बल्कि समूचे भारत के सम्बन्ध में सत्य है । वह यह कि देश के ग्रामीण भागों की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये और बड़े नगरों की ओर अधिक ध्यान देते समय उन्हें नहीं भूल जाना चाहिये । उत्तर भारत में गांव किसी और प्रकार के हैं और त्रावनकोर-कोचीन के गांव अन्य प्रकार के हैं । वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों की जनता उद्यमी, तथा समझदार है । मझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ था कि पंचवर्षीय योजना में या सामुदायिक परियोजनाओं में और राष्ट्रीय विस्तार सेवा परियोजनाओं में कुछ बातें जो अब कही जा रही हैं केन्द्रीय त्रावनकोर के मेरे अपने भाग में आज से ४०, ५० वर्ष पहले लोगों ने उनका

†मूल अंग्रेजी में

अनुमान लगा लिया था, जैसे कि ग्रामीणों द्वारा मिल-जुल कर नई सड़कें बनाने आदि का काम। और शिकायत यह थी कि जब ये नई सड़कें खोली गई थीं तब भी सरकार कम से कम सड़कों के सम्भरण का काम सम्भाल कर ग्राम निवासियों की सहायता करने के लिये सदैव तैयार नहीं होती थी। नगरों पर अधिकतम ध्यान देने की आवश्यकता है, यह स्वाभाविक ही है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जितना ध्यान दिया जाता था अब उससे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

मेरे मित्र श्री नायर ने वित्त मंत्री से पूछा था "एक और पोतांगण की स्थापना के लिये क्या कोचीन सब से उत्तम स्थान नहीं है?" मेरे विचार में सभी इस बात पर सहमत थे कि यह सब से उत्तम स्थान है और मुझे विश्वास है कि दूसरे पोतांगण की स्थापना के लिये इसे ही चुना जायेगा।

रेलवे के सम्बन्ध में सम्भवतः कुछ सदस्यों के विचार में एरणाकुलम्-क्विलोन लाइन का निर्माण एक बहुत बड़ी कार्यवाही है। हमारे राज्य में क्विलोन-त्रिवेंद्रम लाइन के अतिरिक्त सम्भवतः तीस वर्ष या इस से अधिक समय से और कोई नई रेलवे लाइन नहीं बनाई गई थी। इसलिये जो कुछ किया गया है वह एक छोटी सी बात है। मेरे जिन मित्रों ने यह कहा है कि हमें और कई नई रेलवे लाइनों की आवश्यकता है मैं उनके इस कथन से पूर्णतः सहमत हूं। जो ठोस सुझाव दिये गये हैं आशा है सरकार उन पर गम्भीरता से विचार करेगी।

†**श्री ए० के० गोपालन** (कन्नूर) : हमारे विरुद्ध कुछ गम्भीर प्रकार के आरोप लगाये गये हैं, परन्तु मैं यहां पर दल की या पालीघाट कांग्रेस की उन सभी नीतियों और कार्यक्रमों का स्पष्टीकरण नहीं करना चाहता हूं।

जहां तक इस आय-व्ययक का सम्बन्ध है, मेरे विचार में त्रावनकोर-कोचीन राज्य की जनता को यह एक प्रकार का दण्ड दिया गया है। वहां के लोगों को समझने का आय-व्ययक में कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है। लोगों का शिक्षित होना तथा उनके गुण ही सरकार की आंखों में उनका दोष बन गया है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि नारियल, काली मिर्च, टेपियोका इत्यादि कृषि जन्य वस्तुओं के दामों में काफी उतार-चढ़ाव हुआ है और इस से राज्य की कृषि अर्थ व्यवस्था पर काफी हद तक प्रभाव हुआ है। व्यापारिक फसलों के उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, परन्तु व्यापारिक फसलों पर सब से बुरा प्रभाव पड़ा है क्योंकि मन्दी बहुत अधिक हुई है। पिछले तीन वर्षों से किसान की समृद्धि कम होती रही है। कमाने वालों की संख्या बहुत कम है और दो-तिहाई परिवार १०० रुपये प्रति मास से कम आमदनी पर निर्वाह कर रहे हैं। राज्य में कोई बड़ा उद्योग नहीं है बल्कि नारियल की जटा तथा काजू सम्बन्धी छोटे उद्योग भी मिटते जा रहे हैं और इन उद्योगों में काम करने वालों की संख्या बहुत ही कम है।

१९५३–५४ में काली मिर्च का उत्पादन १५,००० टन था और उसकी कीमत १,०९३ लाख रुपये थी। १९५५–५६ में उत्पादन १७,००० टन था परन्तु कीमत केवल ५२३·४ लाख रुपये थी। यद्यपि उत्पादन में २,००० टन की वृद्धि हुई है तथापि कीमत आधी रह गई है। जहां तक काजू और अन्य फसलों का सम्बन्ध है उनमें अधिक उत्पादन हुआ है परन्तु कुछ मामलों में कीमत ५० प्रतिशत कम है और अन्य में ३० प्रतिशत कम हो गई है। इसलिये थोड़ी भूमि वाले किसानों की आमदनी कम हो गई है। आर्थिक स्थिति इस कारण बहुत ही खराब है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ए० के० गोपालन]

जैसा कि सभी दलों के सदस्यों ने स्वीकार किया है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बेरोजगारी की समस्या का है ।

कहा गया है २६·१७ लाख कमाने वाले व्यक्तियों को ३५·५२ लाख न कमाने वाले व्यक्तियों का बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है । और इन ३५·५२ लाख व्यक्तियों में से ३० लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो काम करने योग्य हैं परन्तु जिन्हें रोजगार के साधन प्राप्त नहीं हैं । इन आंकड़ों से त्रावनकोर-कोचीन राज्य में समस्या की गम्भीरता का पता चल सकता है । इसलिये हमारे सामने कोई भी आय-व्ययक प्रस्तुत किया जाये उसमें बेरोजगारी की समस्या के तुरन्त समाधान की कार्यवाही अवश्य होनी चाहिये ।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य के वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में कहा था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर लगभग डेढ़ लाख लोगों को रोजगार मिलेगा । इसका अर्थ यह हुआ कि यदि योजनायें उचित रूप से चलाई गईं तो ३५·५२ लाख व्यक्तियों में से केवल डेढ़ लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकेगा । इस आय-व्ययक के सम्बन्ध में मेरी आलोचना की यह प्रथम बात है ।

यद्यपि योजना आयोग ने इस समस्या पर ध्यान दिया है और यद्यपि यह कहा गया है कि औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए क्षेत्रों, तथा उन क्षेत्रों की ओर जहां अत्याधिक बेरोजगारी है, विशेष ध्यान दिया जायेगा, तथापि जब रकम के आवंटन का प्रश्न आता है तो हम देखते हैं कि देश के इस भाग को बिल्कुल ही भुला दिया गया है ।

जैसा कि अन्य सदस्य कह चुके हैं, मैं भी यही कहूंगा कि इस समस्या के समाधान के लिये सब से अच्छा उपाय यह है कि शीघ्रता से औद्योगीकरण किया जाये । इस के अतिरिक्त कुटीर उद्योग भी हो सकते हैं । हम यह नहीं कहते हैं कि कुटीर उद्योग नहीं होने चाहियें, परन्तु हम यह अनुभव करते हैं कि जहां तक औद्योगीकरण का सम्बन्ध है त्रावनकोर-कोचीन के साथ पूरी तरह न्याय नहीं किया गया है । जहां तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में हमें केवल एक करोड़ दस लाख रुपये दिये गये थे । यद्यपि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन यह राशि बढ़ाकर ६ करोड़ रुपये कर दी गई है, तथापि हम देखते हैं कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य में एक भी बड़ा कारखाना स्थापित करने का वचन नहीं दिया गया है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि गैर-सरकारी उद्योगपति भी त्रावनकोर-कोचीन में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर मजदूर नेता मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं और विध्वंसात्मक नीति पर चल रहे हैं । यह बात सदस्य ने हमारी ओर संकेत करते हुए कही थी । जहां तक प्रतिनिधान का सम्बन्ध है और जहां तक यूनियन की मान्यता का सम्बन्ध है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस मान्यता प्राप्त है और इस के ही प्रतिनिधि लिये जाते हैं । परन्तु जब तोड़-फोड़ की नीति का प्रश्न आता है तो सभी हमारी ओर संकेत करते हैं । यदि आप यह कहते हैं कि हमारा वहां के मजदूरों पर नियन्त्रण है तो निश्चय ही हमारी यूनियन को मान्यता दी जानी चाहिये और हमारी यूनियन का प्रतिनिधित्व होना चाहिये ।

हम किस विध्वंसात्मक नीति पर चले हैं ? मैं लोक-सभा में कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में तथा अपने लोगों के प्रतिनिधि के रूप में यह कहना चाहता हूं कि यदि कोई ऐसी नीति है जो त्रावनकोर-कोचीन के औद्योगीकरण के मार्ग में बाधक होती है तो हम उस विध्वंसात्मक नीति को हटाने के लिये तैयार हैं । परन्तु हम किस नीति पर चले हैं ? यदि सरकार ने न्यूनतम मजूरी नियत की है परन्तु उस मजूरी को बागान के मालिकों ने लागू नहीं किया है और यदि जब मजदूर यह कहते हैं कि उसे

अवश्य ही लागू किया जाये तब क्या यह कोई विध्वंसात्मक नीति है ? मैं अपने माननीय मित्रों को बताना चाहता हूं कि हम आपस में बहुत सी बातों की सुगमता से चर्चा कर सकते हैं, परन्तु वे हमारे राज्य के उन लोगों की बात भी सोचें जो लोग भूखे रह रहे हैं और तब वे कहें कि हमारी नीति किस प्रकार विध्वंसात्मक नीति है ।

त्रावनकोर-कोचीन की जनता शिक्षित है । वे पढ़-लिख सकते हैं । इसलिये वहां पर मजदूर समाचार पत्र पढ़ते हैं और वे जानते हैं कि उनके मूल अधिकार क्या हैं । जब उन्हें मालूम है कि सरकार ने एक विशिष्ट न्यूनतम मजूरी नियत की है तो वे यह अनुभव करते हैं कि उस न्यूनतम मजूरी को प्राप्त करना उनका अधिकार है । इसलिये वे सरकार को याचिकायें तथा ज्ञापन भेजते हैं । यदि फिर भी वे सफल नहीं होते हैं, तब वे यह अनुभव करते हैं कि उन्हें हड़ताल करनी चाहिये । मैं अपने माननीय मित्रों से पूछता हूं कि क्या यह विध्वंसात्मक नीति है ?

मजदूरों को कुछ अधिकार दिये गये हैं और समझौते के लिये उपबन्ध है । हम समझौता करने के लिये तैयार हैं परन्तु सरकार को यह देखना चाहिये कि वास्तव में समझौता होता है, कारखानों के मालिक भी मजदूरों को कुछ देते हैं यदि कारखानों के मालिक ही निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं तो झगड़ा खड़ा होगा ही । हम उसके लिये उत्तरदायी नहीं हैं । हम बारम्बार यह कहते रहे हैं कि प्रत्येक उद्योग के लिये एक न्यूनतम मजूरी निश्चित की जानी चाहिये । सरकार को यह बात समझ लेनी चाहिये और प्रत्येक उद्योग के लिये न्यूनतम मजूरी नियत करने के सम्बन्ध में एक न्यूनतम वेतन बोर्ड स्थापित करना चाहिये । यदि एक उचित न्यूनतम मजूरी निर्धारित कर दी जाती है और सरकार द्वारा पारित अधिनियम लागू कर दिया जाता है और मजूरों के अधिकारों पर किसी प्रकार का हमला नहीं होता है तब मैं कहता हूं कि हम मजदूरों के साथ होंगे और हम उनसे कहेंगे कि वे आपके साथ सहयोग करें । फिर हम देश की किसी भी पार्टी के साथ जिस में कांग्रेस पार्टी भी है, उद्योग के विकास के लिये और मजदूरों के भाग्य को सुधारने के लिये, सहयोग करेंगे ।

मैं अपने मित्र श्री ए० एम० थामस को बता सकता हूं कि किन बागानों में १९५१ में पारित किया गया बागान अधिनियम अभी तक लागू नहीं किया गया है । आखिर हम औद्योगीकरण को नष्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक औद्योगीकरण नहीं होता और जब तक सरकारी क्षेत्र में या गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योग का विकास नहीं होता, हमारे राज्य के ३५·५२ लाख बेरोजगार व्यक्तियों को कोई काम नहीं मिल सकता है । यदि आप मजदूर को उसकी न्यूनतम उचित मजूरी दे दें तो हम पूर्ण सहयोग के लिये तैयार हैं । मैं यहां तक कहता हूं कि एक ही यूनियन बनाई जाये । यदि मजदूरों का बहुमत किसी विशिष्ट यूनियन को मान्यता देना चाहता है तो हम उसे प्रतिनिधि यूनियन के रूप में मान्यता देने के लिये तैयार हैं ।

मेरे माननीय मित्र श्री ए० एम० थामस लोक-सभा के इस ओर के कुछ अन्य सदस्यों से तथा श्री पुन्नूस से नाराज थे । मैं यह कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, पक्षपात-वाद, तथा धन लुटाने की ये बातें हम नहीं कह रहे हैं । परन्तु त्रावनकोर-कोचीन में कांग्रेस दल के भूतपूर्व प्रधान, त्रावनकोर-कोचीन के भूतपूर्व मंत्री और कुछ अन्य कांग्रेस जन ये बातें कहते हैं । इन व्यक्तियों ने यह कहा है कि जिस मन्त्रि मंडल को भंग किया गया है उसके विरुद्ध २२ आरोप हैं । यदि वे आरोप झूठे हैं, यदि सरकार यह समझती है कि वे आरोप निराधार हैं, तो वह उन लोगों को कांग्रेस से बाहर क्यों नहीं निकाल देती और उनके विरुद्ध मान हानि का मुकदमा क्यों नहीं चलाती और इस प्रकार देश के सामने यह सिद्ध क्यों नहीं करती कि उन लोगों ने दल की राजनीति या दल के झगड़ों के कारण ये आरोप लगाये हैं ? वह अब भी कांग्रेस में हैं । आप स्वयं अपने लोगों पर नाराज न होकर हम लोगों पर क्यों नाराज होते हैं ? आप हम पर नाराज हो सकते हैं क्योंकि हमको बलि का बकरा

[श्री ए० के० गोपालन]

मान लिया गया है। परन्तु यदि आप देश-भक्त हैं, यदि आप इस देश से प्रेम करते हैं, तो आपको इस बात की व्यवस्था करनी चाहिये कि जब भी कभी कांग्रेस अथवा अन्य किसी भी दल के ऊपर कोई आरोप लगाया जाये तो उसकी जांच की जाये। यहां एक आरोप लगाया गया है जिसे कांग्रेस के साधारण सदस्यों ने नहीं लगाया है वरन् कांग्रेस के एक भूतपूर्व मंत्री ने और एक भूतपूर्व अध्यक्ष ने लगाया है। आप जनता से यह क्यों नहीं कहते हैं कि "इन लोगों ने यह कहा है; यह सही नहीं है"। आप इसीलिये यह नहीं कहते हैं क्योंकि इसमें आप का निहित स्वार्थ है।

अब मैं त्रावनकोर-कोचीन में पुलिस की ज्यादतियों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। हमने गृह-कार्य मंत्री को दिये गये अपने ज्ञापन में कुछ घटनाओं और सम्बन्धित नामों का ब्योरा दिया है। यदि आप यह देखें कि कोई मामला नहीं बनता है तो हमें बुलाइये, हम गवाही देने के लिये तैयार हैं। कलादी की घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति पापू को पीट-पीट कर मार डाला गया था। सरकार उस ए० एस० पी० और उन तीन अफसरों पर मुकदमा क्यों नहीं चलाती है जो तीन स्त्रियों को यात्रियों के बंगले में ले गये और उनको निरावरण कर के उनके साथ बलात्कार किया यह आरोप सही है या गलत इसका पता तो बाद में ही चल सकेगा।

इसलिये हम को इस तथ्य को छिपाना नहीं चाहिये कि वहां पुलिस द्वारा घोर दमन किया गया है। एक ऐसे व्यक्ति का भी मामला है जिसको दो तीन दिन तक पुलिस की हवालात में बन्द रखा गया और चौथे दिन उसको एक पेड़ से लटका पाया गया। कोट्टरवकरा के सुरेन्द्रन को मारते-मारते मार डाला गया——इस मामले की विभागीय जांच करायी गई थी। सरकार इस जांच के प्रतिवेदन को ही प्रकाशित कराये या हम से यही कह दे कि इस जांच से पता चला है कि उस आदमी की मृत्यु मारपीट के कारण नहीं हुई थी।

फिर सबरी मलई मन्दिर के जलाये जाने का मामला है। कहा जाता है कि इसको कम्युनिस्टों ने जला दिया था, क्योंकि यह आरोप भी कम्युनिस्टों पर ही थोपा जा सकता है। फिर इस की जांच करायी गयी। सरकार इस जांच के प्रतिवेदन को प्रकाशित क्यों नहीं करती है? जांच के परिणामों के प्रकाशित न किये जाने के कारण ही लोग अपने मन माने निष्कर्ष निकालते हैं।

मैं उस ओर बैठे अपने मित्रों को बताना चाहता हूं कि वहां भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का बोल बाला है। मैं सरकारी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के आधार पर तैयार की गयी यह पुस्तक मंत्री महोदय को देता हूं जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार लाखों रुपये बरबाद किये गये हैं। क्या सरकार द्वारा इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के आधार पर जांच करायी जायेगी? यह **रांग्स इन दि ट्रेजरी** नाम की पुस्तक है जिसमें धन के बरबाद किये जाने के सम्बन्ध में गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। मैं तो कहता हूं कि यदि जांच करा कर स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो केवल त्रावनकोर-कोचीन का ही नहीं समस्त देश का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। मैं किसी एक व्यक्ति पर दोषा-रोपण नहीं कर रहा हूं। हम सब को एक साथ मिल कर स्थिति में सुधार करना चाहिये।

फिर, औद्योगीकरण का प्रश्न है। त्रावनकोर-कोचीन की जनता सुशिक्षित है, परन्तु वहां बहुत अधिक बेरोजगारी है। यदि बेरोजगारी के प्रश्न को हल न किया गया, तो वहां कोई टिकाऊ मन्त्रि मंडल नहीं बन सकता है और यदि बन भी गया तो वह कार्य नहीं कर सकता है।

इसलिये त्रावनकोर-कोचीन की समस्या एक अत्यन्त ही गम्भीर समस्या है। वहां की इस स्थिति का उत्तरदायित्व मुख्यतया केन्द्रीय सरकार पर है। वह भारत की एकता की बात करते हैं और कहते हैं कि हम सब को एक साथ मिल कर रहना चाहिये। मेरे पास अधिक समय नहीं है अन्यथा मैं विस्तार-पूर्वक यह बताता कि विकास परियोजनाओं के लिये आवंटन करते समय त्रावनकोर-कोचीन के साथ किस

प्रकार का व्यवहार किया गया है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में त्रावनकोर-कोचीन के लिये कोई आवंटन नहीं किया गया था । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में त्रावनकोर-कोचीन के लिये एक भी औद्योगिक परियोजना मंजूर नहीं की गयी है। यदि आप जनता की शिकायतों पर ध्यान नहीं देंगे, यदि आप द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन त्रावनकोर-कोचीन के सम्बन्ध में किये गये आवंटनों का पुनरीक्षण नहीं करेंगे, यदि आप बेरोजगारी की समस्या को हल करने की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो मैं नहीं जानता कि क्या हो जायेगा ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : भाषण के दौरान में कुछ बातें उठायी गयीं हैं । मैं केवल उन्हीं पर अपने विचार प्रगट करूंगा ।

पहली बात यह कही गयी है कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य पर राष्ट्रपति का शासन बलात् लागू किया गया था । कुछ सप्ताह पूर्व यहां हुये वाद-विवाद में बताया गया था कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य में राष्ट्रपति का शासन इस लिये लागू करना पड़ा था क्योंकि वहां लोकप्रिय मन्त्रि मंडल नहीं बन सकता था । राष्ट्रपति ने किसी लोकप्रिय शासन में रुकावट डालने के लिये ही ऐसा नहीं किया है, अपितु जब यह देखा गया कि राज्य के हित को देखते हुये वहां प्रशासन का चलाना राष्ट्रपति के लिये बिल्कुल आवश्यक हो गया तभी ऐसा किया गया क्योंकि कोई भी मन्त्रि मण्डल इस भार को सम्भालने के लिये तैयार नहीं था । उस समय यह बताया गया था कि उस स्थिति में राष्ट्रपति को प्रशासन को अपने हाथ में ले लेना अवश्यम्भावी था । ऐसी परिस्थिति में यह कहना ठीक नहीं होगा कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य पर वहां की जनता की इच्छा के विरुद्ध राष्ट्रपति का शासन थोपा गया था ।

जहां तक राष्ट्रपति के शासन का सम्बन्ध है एक निश्चित नीति का पालन किया जाता है । उस नीति के सम्बन्ध में हम यह करते हैं कि जहां कहीं राष्ट्रपति का शासन लागू करना होता है और प्रशासन कार्य को चलाना अपेक्षित होता है तो राष्ट्रपति की ओर से परामर्श दाता इस बात का ध्यान रखता है कि प्रशासन उचित निष्पक्ष और अच्छी प्रकार से चलाया जाये । जब भी कभी अकुशलता अथवा रुपये की बरबादी आदि के मामले पाये जाते हैं, सरकार उनको तुरन्त ही समाप्त करने के लिये कठोर कार्यवाही करती है । अतः परामर्शदाता तथा राजप्रमुख इस बात का ध्यान रखते हैं कि राष्ट्रपति की ओर से प्रशासन बिल्कुल निष्पक्ष रूप से चलाया जाये और इस प्रकार के प्रशासन में कुशलता बढ़ाने और उसे बनाये रखने के लिये यथासम्भव प्रयत्न किये जाते हैं । सभा को यह ज्ञात है कि उन सभी मामलों में, जहां राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा था, जब राष्ट्रपति के शासन की समाप्ति हुई तब प्रत्येक ऐसे अवसर पर उस प्रशासन को ऐसी लोक प्रिय सरकारों को सौंप दिया गया जो राष्ट्रपति द्वारा प्रशासन भार सम्भाले जाने के समय की स्थिति की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति में थे । मैं सभा को यह आश्वासन दूंगा कि यह देखने के लिये कि प्रशासन कुशल और निष्पक्ष है, सभी प्रकार की उपयुक्त कार्यवाहियां की जायेंगी ।

कुछ माननीय सदस्यों ने अप्रत्यक्ष रूप से यह कहा कि वहां सरकारी कर्मचारियों के कुछ ऐसे वर्ग थे जो राजनीति में भाग ले रहे थे । परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को, चाहे वह पुलिस विभाग का हो अथवा किसी अन्य विभाग का हो, राजनीति म भाग लेने का अथवा दलगत मामलों में पड़ने का कोई अधिकार नहीं है । सभी सरकारी कर्मचारियों को दलों और राजनीति से परे रहना होता है । और यदि किसी विशेष उदाहरण का पता लगा, तो सरकार द्वारा उस व्यक्ति विशेष अथवा उन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी । इसलिये लोक-सभा को इस बात की ओर से आश्वासन रहना चाहिये कि जहां तक प्रशासन का समबन्ध

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

है, वहां का प्रशासन ठीक ढंग से चलाया जायेगा, और साधारण निर्वाचन भी स्वतन्त्र ढंग से कराया जायेगा । कुशलता स्तर को ऊंचा रखने का पूरा ध्यान रखा जायेगा ।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी विकास योजनाओं को तीव्र गति और संतोषप्रद ढंग से पूरा किया जायेगा । इस सम्बन्ध में लोक-सभा यह देखेगी कि राष्ट्रपति ने २७ मार्च, १९५६ को ही प्रशासन अपने हाथ में लिया था । उससे पूर्व, राज्य मन्त्रि मंडल और योजना आयोग के बीच अनेक बार चर्चा हुई थी और मन्त्रि मंडल द्वारा कुछ प्रस्थापनायें प्रस्तुत की गयी थीं । उनमें से कुछ प्रस्थापनाओं को स्वीकार कर लिया गया था और अब उनको लागू किया जा रहा है । इसलिये, मैं लोक-सभा को यह आश्वासन दूंगा कि यद्यपि राष्ट्रपति द्वारा शासन चलाया जा रहा है, परन्तु विकास सम्बन्धी कार्य यदि उससे अधिक गति से नहीं, जितनी कि किसी लोक प्रिय सरकार के अधीन सम्भव होता, तो कम से कम उसके बराबर की गति से अवश्य चलाये जायेंगे क्योंकि त्रावनकोर-कोचीन की अपनी विशिष्ट समस्यायें हैं ।

जैसा कि दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने संकेत किया है, त्रावनकोर-कोचीन एक सुन्दर राज्य है, भारत के सुन्दरतम राज्यों में से एक है; इसमें सुन्दर प्राकृतिक स्थल हैं और प्रकृति द्वारा प्रदत्त अनेक उपहार भी मौजूद हैं । यह हमारा कर्त्तव्य है कि वहां के लिये सभी आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध किया जाये । मैं अपने माननीय मित्र श्री थामस की इस बात से काफी सीमा तक सहमत हूं कि केवल औद्योगीकरण ही इन सभी आर्थिक कठिनाइयां को, आज जिन में होकर राज्य गुजर रहा है, दूर करने के लिये रामबाण है । मैं लोक-सभा को यह आश्वासन देता हूं कि इस अवधि में जितना कुछ भी करना सम्भव है वह किया जायेगा ।

अब मैं इस सभा के सामने रखी गयी कुछ विशिष्ट शिकायतों पर आता हूं । उनमें से एक सरकारी कर्मचारियों के कुछ वर्गों के सम्बन्ध में; विशेष रूप से, क्लर्कों, टाइपिस्टों, अथवा उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी जिनको निम्न पदाली के कर्मचारी कहा जाता है, और साथ ही हाई-स्कूलों और माध्यमिक स्कूलों के स्नातक अध्यापकों, और प्राइमरी अध्यापकों के सम्बन्ध में थी यह कहा गया था कि उनका वेतन क्रम अत्यन्त ही कम और अपर्याप्त है ।

†**श्री मात्तन** : इन में कालिज भी शामिल हैं ।

†**श्री दातार** : मैं इस सभा को यह बता दूं कि त्रावनकोर-कोचीन के लोकप्रिय मन्त्रि मंडल को इस बात का पता था । इसलिये त्रावनकोर-कोचीन सरकार द्वारा एक वेतन आयोग नियुक्त किया गया था, जिसने विभिन्न सिफारिशें की थीं और जहां तक स्नातक अध्यापकों और प्राइमरी अध्यापकों तथा निम्नतर श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है । इनको कार्यान्वित भी किया जा चुका है ।

एक बात, जिस का ध्यान रखा जाना चाहिये, यह है कि वर्त्तमान वेतन क्रम, जिनको इन सिफारिशों के स्वीकार किये जाने के बाद लागू किया गया है, मद्रास और मैसूर के, जो पड़ोसी राज्य हैं, समान पदों के वेतन क्रम की तुलना में काफी अनुकूल बैठते हैं । इस प्रकार आप देखेंगे कि जो कुछ भी करना आवश्यक था, वह किया गया है और अब वेतन क्रमों की अपर्याप्तता के सम्बन्ध में ही कोई शिकाययत नहीं की जानी चाहिये ।

निम्नतम मजूरी के सम्बन्ध में जो दूसरा प्रश्न उठाया गया था, अब मैं उस पर आता हूं । यह कहा गया था कि निम्नतम मजूरी निर्धारित नहीं की गयी थी अथवा जहां तक त्रावनकोर-कोचीन राज्य का सम्बन्ध था निम्नतम मजूरी अधिनियम को लागू नहीं किया गया था । मैं यहां यह संकेत

†मूल अंग्रजी में

करना चाहता हूं कि ऐसे अनेक उद्योग हैं जिनमें निम्नतम मजूरियां पहले ही निर्धारित की जा चुकी हैं। मैं लोक-सभा को वह सूची ही पढ़ कर सुनाये देता हूं। यह हैं चावल और आटा मिल, बीड़ी बनाना, बागान, तेल मिलें, नगरपालिका के अन्तर्गत सेवायुक्ति, ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत सेवायुक्ति, सड़क निर्माण अथवा निर्माण कार्य, पत्थर तोड़ना अथवा पत्थर कूटना, सार्वजनिक मोटर परिवहन, चमड़ा कमाना और चर्म निर्माण, काजू नारियल की जटा और अन्य। मैं यह और भी बता दूं कि जहां तक कृषि श्रमिकों का सम्बन्ध है, सरकार ने पहले ही कृषि श्रमिकों की निम्नतम मजूरी के प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति बना दी है। समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है और मुझे विश्वास है कि जो भी कार्य आवश्यक होगा, किया जायेगा।

†**श्री पुन्नूस** : हमारी शिकायत यह नहीं थी कि कुछ उद्योगों में निम्नतम मजूरी निर्धारित नहीं की गयी है, वरन् यह थी कि अधिकांश में निम्नतम मजूरी दी नहीं गयी है और सरकार ने उनको लागू नहीं कराया है।

†**श्री दातार** : यदि न्यूनतम मजूरी अधिनियम को लागू किया गया हो तो यह तो परस्पर विरोधी बात हो जायेगी।

†**श्री वी० पी० नायर** : सारा संघर्ष तो इसी बात के लिये है।

†**श्री दातार** : कुछ भी हो, मैं यह बता दूं कि जहां तक इन उद्योगों का सम्बन्ध है, न्यूनतम मजूरी निर्धारित की जा चुकी है।

†**श्री वेलायुधन** : प्रश्न यह है कि क्या वह दी भी गयी है ?

†**श्री दातार** : अब मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं क्योंकि जल्दी ही वित्त मंत्री को बोलना है।

प्रविधिक शिक्षा का उल्लेख किया गया था। मैं लोक-सभा को बताता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रविधिक शिक्षा के लिये २८९·८४ लाख रुपयों का कुल आवंटन किया गया है, जिसमें से ४०·०९ लाख रुपयों की व्यवस्था इसी वर्ष में की गई है। कार्यक्रम यह है कि स्कूलों में शिल्प की शिक्षा दी जाये, माध्यमिक स्कूलों में प्रविधिक पाठ्यक्रम आरम्भ किये जायें और एक केन्द्रीय प्रविधिक प्रतिष्ठान तथा जूनियर प्रविधिक स्कूल खोले जायें।

मैं बेरोज़गारी के प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं उसे वित्त मंत्री के लिये छोड़ता हूं। जहां तक नारियल-जटा उद्योग का सम्बन्ध है, यह कहा गया था कि उसकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। मैं लोक-सभा को बता दूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में उसके कार्यक्रम को भौतिक लक्ष्य के सम्बन्ध में पूर्णरूप से कार्यान्वित किया गया था और उसके वित्तीय लक्ष्य से सम्बन्धित ९९·६ प्रतिशत कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गया था; और १६० प्राथमिक नारियल-जटा सहकारी समितियां और २५ भूसा संस्थायें, २ केन्द्रीय नारियल-जटा क्रय-विक्रय संस्थायें स्थापित की गई हैं, जिनकी अंश पूंजी ६·३५ लाख रुपये है, और जिनमें ३०,८८० सदस्य सम्मिलित हैं। इन सहकारी समितियों में नारियल-जटा उद्योग में कार्य करने वाले कुल परिवारों में से ३८ प्रतिशत परिवार शामिल कर लिए गये हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय ६४ लाख रुपये रखा गया था, जिसमें से ५५ लाख रुपये ऋणों के लिये और ९ लाख रुपये अनुदानों के लिये हैं।

मीन-क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया था। मैं बताना चाहता हूं कि त्रावनकोर-कोचीन में स्थापित हुई सभी सरकारें मीन-क्षेत्रों को विकसित करने के बारे में सदा ही सतर्क रही हैं, क्योंकि वह वहां की जनता की जीविका का एक मुख्य स्रोत है और इसीलिये यह एक ऐसा सर्वाधिक महत्व

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

का विषय है कि जिसमें अनिवार्य रूप से रुचि लेनी ही पड़ती है। इसीलिये, मैं निवेदन करता हूं कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, दोनों ही में, मीन-क्षेत्रों का विकास एक मुख्य कार्यवाही है। मीन-क्षेत्रों के विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल व्यवस्था ५२·९ लाख रुपये की है, जिसमें से ६·८५ लाख रुपयों की राशि चालू वर्ष में ही खर्च की जायेगी। इनमें वह राशि सम्मिलित नहीं है जो भारत-नार्वे परियोजनाओं के लिये रखी गई है, चालू वर्ष में एक मोटे तौर पर इस पर अनुमित व्यय ४·१९ लाख रुपये होने का अनुमान है। नार्वे द्वारा इससे बहुत अधिक व्यय किया जायेगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि मीन-क्षेत्रों के विकास के लिये एक काफी उदार व्यवस्था की गई है।

यह भी कहा गया था कि जहां तक मछुओं के लिये पीने के पानी की सुविधायें जुटाने का सम्बन्ध है कुछ भी नहीं किया गया है। मैं लोक-सभा को बता दूं कि जहां तक मछलीमार समुदायों का सम्बन्ध है उनके लिये पीने के अच्छे पानी की और स्वच्छता तथा लोक स्वास्थ्य की पर्याप्त आवश्यकतायें जुटाने की व्यवस्था की गई है। नवीन योजनाओं में से भारत-नोर्वेजियन योजना एक नई योजना है जिसे आरम्भ किया गया है, और स्वास्थ्य विभाग ने तटीय क्षेत्रों में पीने के अच्छे पानी की व्यवस्था करने का एक बड़ा कार्यक्रम भी बनाया है। हम मछलीमारी का कार्य करने वाले देहातों को पर्याप्त सहायता देंगे।

अब, मैं पुलिस प्रशासन के विषय को लेता हूं। इस पर माननीय सदस्यों ने काफी दोषारोपण किया है, जो मेरे विचार से, अस्पष्ट ही नहीं है बल्कि जिसकी अपेक्षा भी नहीं थी। पुलिस प्रशासन के मामले में, गृह-मंत्रालय का एक प्रतिवेदन है। उस प्रतिवेदन में इस बात का ब्योरा दिया गया है कि किस प्रकार से विधि तथा व्यवस्था को भंग करने के संगठित प्रयास किये गये थे। फिर यह तो स्वाभाविक ही है कि ऐसी हड़तालों और अन्य ऐसे प्रदर्शनों के समय, जो कि एक गम्भीर प्रकार के थे और जो कुछ ऐसे सिद्धान्तों को भंग करते थे जिनकी हमें सदा ही रक्षा करनी है, कुछ कार्यवाही तो करनी ही पड़ी थी। स्वाभाविक रूप से सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा था। साथ ही कुछ माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया था और इसके लिये उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों और विशेषणों का प्रयोग किया था, जो मेरे विचार से बिल्कुल ही अप्रमाणित थे और शिष्टता से परे थे। बहुधा भाई-भतीजेवाद का और अंशतः पक्षपात आदि का उल्लेख किया जाता है और हमें विशिष्ट शब्दों तथा विशेषणों से सम्बोधित किया जाता है। विरोधी दल के सदस्यों ने यह एक तरीका बना लिया है। मैं निवेदन करता हूं कि जब भी सरकार के सामने कोई स्पष्ट उदाहरण पेश किया जायेगा, हम हमेशा ही उस पर कार्यवाही करने को तत्पर रहेंगे और उचित मामलों में, हम देखेंगे कि विधि की रक्षा की जाये और अपराधी को उचित दण्ड मिले। पर मुझे खेद है कि इन परिवर्तनों के मामले में इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया गया है। विरोधी दल के एक सदस्य ने तो यहां तक कहा कि कत्ल हुए थे; दूसरे ने कहा कि बलात्कार और अन्य बातें की गई थीं। मैं चाहता था कि माननीय सदस्य ऐसे दोषारोपणों के समय कुछ स्वविवेक और आत्म-सम्मान से काम लेते, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि यह आरोप बिलकुल ही अप्रमाणिक हैं। जब भी ऐसे कुछ मामले हो जाते हैं, तो उनकी यथोचित जांच-पड़ताल की जाती है।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, मैं बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के सम्बन्ध में हमने एक अधिकारी को, जो आठ या दस वर्ष तक दिल्ली की विशेष पुलिस संस्थान का प्रभारी था, वहां भेज दिया है। वह दिल्ली पुलिस संस्थान का इन्स्पैक्टर जनरल पुलिस (पुलिस महानिरीक्षक) था। यह संस्थान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित भ्रष्टाचार के अपराधों की छानबीन करने का कार्य करती है। जहां तक उसके कार्य का सम्बन्ध है, उसने दिल्ली पुलिस संस्थान के प्रधान के रूप में बहुत ही प्रशंसनीय ढंग से कार्य किया था। हमने उस अधिकारी को त्रावनकोर-कोचीन भेजा है क्योंकि हम यही चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को हर स्तर पर मिटाया जाये।

जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, समूचे प्रशासन की शुद्धि के लिये उसे मिटाना ही पड़ेगा। सरकार इस सम्बन्ध में पूर्णरूप से चिन्ताशील है। यही कारण है कि एक इतने ऊंचे अधिकारी को त्रावनकोर भेजा गया था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जितना भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है वह अगले कुछ वर्षों में जड़ से मिटा दिया जायेगा। मैंने यह कभी भी नहीं कहा है कि भ्रष्टाचार है ही नहीं। भ्रष्टाचार अधिकतर निम्न स्तरों पर है, और कहीं-कहीं उच्च स्तरों पर भी है, लेकिन हम अपराधियों को दण्ड देने का एक यथा-सम्भव निर्भीक और जोरदार प्रयास कर रहे हैं। हम या तो विधि सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त प्रमाण करके अभियोजन द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही करके उनको उचित दण्ड दिलाते हैं, या न्यायालय को संतुष्ट करने के लिये पर्याप्त प्रमाण न होने पर हम सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के अन्तर्गत उनके विरुद्ध अनुशासनीय कार्यवाही करते हैं। गृह-मंत्रालय का प्रतिवेदन लोक-सभा के समक्ष पेश कर दिया गया है, और उसमें यह बताया गया है कि सरकार ने कैसे उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जिनके विरुद्ध आरोप लगाये गये थे, उनके पदों का ध्यान न करते हुए कार्यवाही की है और उनके मामलों की पूरी छान-बीन कराई है, और किस प्रकार उचित मामलों में उसने सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की है। जहां भी सम्भव हुआ है, उन पर अभियोग चला कर फौजदारी अदालत में लाया गया है।

†**श्री ए० के गोपालन :** भूतपूर्व कांग्रेसी मंत्रियों तथा अन्य ने कुछ मंत्रियों के विरुद्ध लगभग २२ आरोप लगाये थे। क्या सरकार उनकी जांच करेगी ?

†**श्री दातार :** मुझे उन आरोपों का पता नहीं है।

†**श्री ए० एम० थामस :** सभी ने उन आरोपों को तथ्यहीन बताया है।

†**श्री दातार :** उदाहरण के लिये, यदि वे आरोप निराधार हैं, तो जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने बताया, उनका मामला वहीं समाप्त हो जाता है। और उदाहरण के लिये यदि कोई प्रत्यक्ष आरोप लगाये गये हैं, तो निश्चय ही सरकार का यह कर्त्तव्य है कि उनकी जांच करे।

†**श्री ए० एम० थामस :** वे भ्रष्टाचार के आरोप हैं ही नहीं।

†**श्री दातार :** मुझे प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र ने एक अन्य माननीय मित्र की बात का सीधा उत्तर दे दिया है।

†**श्री ए० के० गोपालन :** मैं माननीय मंत्री का उत्तर चाहता हूं। मेरा अनुरोध है कि भूतपूर्व मंत्री जैसे व्यक्ति द्वारा लगाये गये आरोपों की गम्भीरता से जांच कराई जाये और तब फिर उनसे इन्कार किया जाये, या उनको स्वीकार किया जाये।

†**श्री दातार :** जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, जो भी मेरे माननीय मित्र ने कहा है, उसे भी ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसा कि यहां एक ओर से तो अप्रतिबन्धित रूप में कुछ आरोप लगाये गये हैं, और साथ ही दूसरी ओर से एक संयत लेकिन दृढ़ रूप में उन सब से इन्कार किया गया है।

ऐसी परिस्थितियों में, मैं इस बात पर विचार करूंगा कि क्या इस विषय की जांच करने की कोई आवश्यकता है भी या नहीं। इस समय मैं केवल यही कह सकता हूं।

अब, केवल एक ही बात रह गई है जिसके विषय में मुझे कुछ कहना है। कहा गया है कि कई वर्षों तक अस्थाई सरकारी कर्मचारियों को अस्थायी ही रखा गया है। इस सम्बन्ध में यह आदेश दिये जा चुके हैं कि तीन वर्ष या इससे अधिक सेवा कर चुकने वाले उन कर्मचारियों को, यदि उन्होंने संतोषपूर्ण ढंग से कार्य किया है, तो जहां तक हो सके स्थायी बना दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

एक और भी बात कही गई थी। मैं उसके लिये एक मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा। यह कहा गया था कि त्रावनकोर-कोचीन से अनेक व्यक्तियों को लाकर भोपाल में बसाया गया था। एक माननीय सदस्य ने एक बार फिर असंयत भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि इन व्यक्तियों की आवास दशा ठीक नहीं थी और वे बड़ी बुरी दशा में रह रहे थे। जहां तक इसका सम्बन्ध है, मुझे इस प्रश्न पर भोपाल के मुख्य मंत्री के साथ चर्चा करने का अवसर मिला था। कुछ सप्ताह पहले मैं वहां गया था। उन्होंने मुझे बताया था कि जहां तक इन व्यक्तियों का सम्बन्ध है, ऐसे कुल २२९ व्यक्ति वहां से लाये गये थे, लेकिन उनमें से कुछ--लगभग ४०--भोपाल की गर्मियां सहन नहीं कर सके और वे वापिस लौट गये। शेष अब भी वहीं हैं। एक विशाल कार्यक्रम है, जिसके अनुसार इन सभी व्यक्तियों को लगभग १,५०० एकड़ भूमि के एक बहुत विशाल भूखंड पर बसाया जायेगा। मैं लोक-सभा को सूचित करना चाहता हूं कि स्वयं भोपाल के श्रमिकों और त्रावनकोर-कोचीन से लाये गये सभी श्रमिकों को ६,८०० एकड़ भूमि के एक क्षेत्र पर उचित रूप से बसाया जायेगा। यह क्षेत्र कुछ तो सिंचित है और कुछ असिंचित। इसलिये उनके साथ कोई विभेद नहीं किया गया है। वास्तव में भोपाल के मुख्य मंत्री ने मुझ से अनुरोध किया था कि मैं त्रावनकोर-कोचीन के माननीय संसद् सदस्यों को उनकी इस इच्छा से अवगत करा दूं कि वे स्वयं वहां जाकर उनकी दशा देख लें। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि वहां की दशा बहुत खराब नहीं है।

†**श्री ए० एम० थामस** : मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे एक बार वहां हो आयें।

†**श्री दातार** : ठीक है। जब भी सम्भव होगा, मैं जाऊंगा। इस बीच यदि किसी माननीय सदस्य को शिकायतों के कोई स्पष्ट उदाहरण मिलें तो वे कृपया उनको मेरे पास पहुंचा दें और मैं उसकी समुचित जांच कराऊंगा।

मैंने यहां कही गईं कुछ बातों के सम्बन्ध में निवेदन कर दिया है, और आप देखेंगे कि अधिकांश आलोचनायें या तो अतिरंजित हैं या असंयत हैं।

†**श्री नेसामनी** (नागरकोइल) : इस लोक-सभा में ही यह कहा गया है कि त्रावनकोर-कोचीन में राष्ट्रपति का शासन लाने के लिये कांग्रेस सरकार उत्तरदायी है, और यहीं इस बात का खण्डन भी किया गया है। लेकिन किसी ने भी प्रजा समाजवादी दल की सरकार का उल्लेख नहीं किया। प्रत्येक ने यही कहा कि कांग्रेस ही सदा से सत्तारूढ़ रही है। हमारे यहां प्रजा समाजवादी दल की सरकार ने भी हर तरह का अत्याचार किया था, और उस समय हमारे प्रतिनिधानों की ओर केन्द्रीय सरकार ने किंचित भी ध्यान नहीं दिया था। कांग्रेस सरकार के पतन के समय त्रावनकोर-कोचीन विधान मण्डल का प्रत्येक सदस्य मंत्री या अध्यक्ष बनने का प्रयास कर रहा था। प्रत्येक दिन कुछ सदस्य एक ओर जाते थे और कुछ दूसरी ओर। किसी में भी स्थायित्व नहीं था। ऐसे अनिश्चयता के समय, राष्ट्रपति ने एक प्रशासक नियुक्त करके उचित ही किया है। इससे वहां की परिस्थिति में सुधार होगा और जनता को भी एक सबक मिल जायेगा।

कहा गया है कि त्रावनकोर-कोचीन में पुलिस के अत्याचार हुए हैं। यह सही है। हमने बहुत कुछ सहा है। मैंने केन्द्रीय सरकार को यह बताया था कि जब तक वर्तमान इन्स्पैक्टर जनरल (महानिरीक्षक) को हटाया नहीं जाता है, तब तक त्रावनकोर-कोचीन में कोई स्थायी सरकार नहीं बन सकती है। लेकिन, केन्द्रीय सरकार ने उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। केन्द्रीय सरकार ने अपना एक गुप्तचर त्रावनकोर-कोचीन भेजा था, लेकिन महानिरीक्षक ने उसकी खूब आवभगत करके उसका मुंह बन्द कर दिया था। गुप्तचर वहां के स्थानीय लोगों से मिला भी नहीं। इसी लोक-सभा में

†मूल अंग्रेजी में

श्री मात्तन ने बताया है कि उसने वहां की राजनीति में भी हस्तक्षेप किया, पर केन्द्रीय सरकार ने उस ओर से आंखें मूंद लीं। इससे महानिरीक्षक को और भी शह मिली है और वह तरह-तरह के अत्याचार करता है। मेरे संगठन द्वारा उसके विरुद्ध एक याचिका पेश किये जाते ही, उसे राष्ट्रपति पदक से विभूषित कर दिया गया इतना ही नहीं, उसके सम्मान में एक बड़ा भोज करने के लिये जनता से रुपया भी इकट्ठा किया जाने वाला था। केन्द्रीय सरकार ने उस समय तो उसे रद्द कर दिया था लेकिन मैंने सुना है कि अब उस पर अमल किया जा रहा है।

उस इन्स्पैक्टर जनरल (महानिरीक्षक) को वहां से हटाये बिना, उस राज्य में कोई भी राजनीतिक दल पनप नहीं सकता। वह एक दल को दूसरे से भिड़ा देता है। इसलिये, आवश्यक है कि उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायें। अब उसे हटाया जा रहा है, यह बहुत ही शुभ बात है।

अब, मैं आय-व्ययक के सम्बन्ध में कहूंगा। इन आय-व्ययकों से जनता के दिमाग में सभी प्रकार की उम्मीदें बंध जाती हैं कि लोक-निर्माण कार्य के सम्बन्ध में बहुत कुछ किया जायेगा और घाटे की अर्थ-व्यवस्था वाला आय-व्ययक सदा ही बचत वाला आय-व्ययक सिद्ध होगा, क्योंकि मुख्य-मुख्य मदों पर सदा ही निर्धारित राशि से कुछ कम ही व्यय होता है।

आय-व्ययक में कमी उपयोगिता के सम्बन्ध में ही होगी। अतः मुझे इस आय-व्ययक पर कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि चाहे कोई भी सरकार इस आय-व्ययक पर कार्यवाही करती यह घाटे वाला नहीं बल्कि बचत वाला ही सिद्ध होता।

परन्तु इस समय मेरा उद्देश्य आय-व्ययक के कुछ पहलुओं की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में एक नेय्यार योजना सम्मिलित की गई थी और यह आशा थी कि इसके बांध और दोनों किनारों से निकलने वाली नहरें एक साथ बनानी आरम्भ की जायेंगी, परन्तु योजना आयोग और स्थानीय सरकार को कई अभ्यावेदन भेजने पर भी बायें किनारे वाली नहर का निर्माण आरम्भ नहीं किया गया है। इसके लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १३७ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। बायें किनारे की नहर मुख्यतः त्रावनकोर-कोचीन के उन चार तालुकों की आवश्यकता को पूरा करती है जो मद्रास राज्य में मिलाये जाने वाले हैं। इस कार्य को पूरा करने की ओर सरकार को उचित ध्यान देना चाहिये और इस योजना में कोई कमी नहीं की जानी चाहिये जैसा कि कई बार किया जाता है, उदाहरणतः हमने चित्तार पट्टनम काल नामक एक सिंचाई परियोजना के द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये अनुरोध किया था, पहली प्रस्थापना ६३ लाख रुपये खर्च करके एक नहर बनाने के बारे में थी। बाद में केन्द्र ने इसमें से ३० लाख रुपया घटा दिया और कहा कि योजना १९५९-६० में कार्यान्वित की जायेगी। मेरे विचार से इसे योजना के पहले वर्षों में ही पूरा कर दिया जाना चाहिये।

दक्षिणी तालुकों में दो योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। एक कन्याकुमारी और उसके मार्ग में पड़ने वाले ग्रामों के लिये पीने के पानी के संभरण के लिये है। इसकी व्यवस्था १९५५-५६ के आय-व्ययक में दी गई थी और अभी इसका काम अधूरा ही है परन्तु १९५६-५७ में इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसकी ओर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

जल संभरण योजना को नागरकोइल नगर तक ले जाने का विचार था परन्तु नागरकोइल नगरपालिका के कई बार कहने पर भी सरकार ने इसके लिये कोई ऋण अथवा अनुदान नहीं दिया है।

विलाथुराई लिफ्ट सिंचाई योजना के लिये १९५५-५६ में तीन लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी परन्तु १९५६-५७ में इसके लिये व्यवस्था नहीं की गई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि १९५५-५६

[श्री नेसामनी]

के लिये दी गई राशि व्यपगत हो गई है या नहीं। इस योजना में किसी प्रकार की कमी नहीं की जानी चाहिये और केन्द्रीय सरकार को इन दोनों योजनाओं पर विचार करना चाहिये।

सड़कों को पक्का बनाने के लिये जो राशि दी गई है उसमें से इन चार तालुकों को भी उनका उपयुक्त अंश मिलना चाहिये।

भारत-नार्वे करार के अन्तर्गत नीन्दकारा में मीन-क्षेत्र सम्बन्धी एक योजना आरम्भ की जानी थी। इसके विकास के लिये कन्याकुमारी बहुत उपयुक्त स्थान है जहां हर प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं।

आय-व्ययक में लोक निर्माण, स्वास्थ्य योजनाओं और शिक्षा प्रचार के लिये जो आवंटन किया जा रहा है उसमें चार दक्षिणी तालुकों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। उनके लिये भी उपयुक्त धन राशि की व्यवस्था की जानी चाहिये।

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)**: अन्तिम वक्ता के भाषण से पता चलता है कि कुछ परिस्थितियों में किसी राज्य के आय-व्ययक के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करने में कितनी कठिनाई का सामना करना होता है। उन्होंने कई स्थानीय समस्याओं और राज्य के अपने भू-भाग की, जोकि अन्य राज्य म मिलाया जा रहा है विभिन्न परियोजनाओं के प्रभाव का उल्लेख किया। मैं तो केवल परामर्शक का ध्यान उनके कथन की ओर आकर्षित करने का विश्वास दिला सकता हूं। मैं यह इसलिये कहता हूं क्योंकि मुझे निश्चित रूप से यह ज्ञात नहीं है कि जिन परियोजनाओं की ओर उन्होंने निर्देश किया क्या वे राज्य की योजना का अंग हैं या नहीं। यदि वे राज्य की योजना का अंग हैं तो मैं कहूंगा कि उन परियोजनाओं को अवश्य सम्मिलित किया जाये अथवा यथा स्थिति आरम्भ किया जाये। मुझे खेद है कि उन्होंने जिस योजना विशेष के सम्मिलित न किये जाने के बारे में कहा है मुझे उस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं देना है। उन्होंने यह भी कहा कि १९५५-५६ में इसकी व्यवस्था की गई थी परन्तु १९५६-५७ के आय-व्ययक में इसे नहीं रखा गया है।

मैं अब इस राज्य की स्थिति के बारे में कुछ साधारण बातें कहूंगा। मुझे स्वयं इस राज्य को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैंने इसके कुछ एक सुन्दर स्थान देखे हैं। फिर भी मेरी भावना में ग्लानि और खेद का प्रधान था। मुझे प्रथम वक्ता श्री पुन्नूस से मिलने और उनके साथ इस राज्य से सम्बन्धित कुछ समस्याओं पर चर्चा करने के अवसर प्राप्त हुए हैं। लौटने पर मेरी यह भावना थी कि इस राज्य में जनशक्ति और अन्य संसाधनों के होते हुए भी इसकी समस्या विशेष रूप से जटिल है। यह किस प्रकार से विचित्र है यह बताना मेरे लिये अनधिकृत चेष्टा करना होगा। मैं तो यह कहूंगा कि यह कोई अद्वितीय समस्या नहीं है। मेरे विचार से यह राज्य देश में उत्तरी और पश्चिमी भागों की तुलना में उस सापेक्ष निर्धनता का चरम उदाहरण प्रस्तुत करता है जो इस देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में विद्यमान हैं। परन्तु इस प्रकार की तुलना से हम गलत परिणामों पर पहुंच सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेता हूं। इसकी जनसंख्या त्रावनकोर-कोचीन से छः गुना है। इसके पूर्वी भागों की आबादी बहुत घनी है चाहे वह त्रावनकोर-कोचीन की तुलना में अधिक न हो। कई बातों से यह पता चलता है कि इससे प्रभावित जनता की योजनाओं अथवा वार्षिक आय-व्ययकों की, जो योजना का ही प्रतिबिम्ब है, क्या हालत होती है। मैं अनुभव करता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति राजस्व और व्यय लगभग १० रुपये से १२ रुपये तक है जबकि त्रावनकोर-कोचीन में यह १५ रुपये से १७ रुपये तक है। कुछ राज्य इनक बीच म भी हो सकते हैं और ऐसे राज्य भी होंगे जिनका राजस्व और व्यय २० से २५ रुपय के बीच हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरे आंकड़ों के न होने के कारण किसी राज्य की ठीक-ठीक राष्ट्रीय आय या यह कहिये कि राष्ट्रीय आय में किसी विशेष राज्य के अभ्यंश को जानना बहुत कठिन है । सांख्यकी की कुछ अधिक अच्छी व्यवस्था हो जाने पर सम्भव है कि हम इसे निश्चित रूप से बता सकें । तब तक इस प्रकार की सामान्य-प्रस्थापनाओं को, कि कोई राज्य विशेष किसी अन्य राज्य की तुलना में राष्ट्रीय उत्पादन में बहुत अधिक अंशदान दे रहा है, सुलझाना मेरे लिये बहुत कठिन है । साधारण दृष्टि से देखते हुए इस स्थिति का यह अर्थ है कि सामूहिक रूप से वह राज्य विशेष अन्य राज्यों की अपेक्षा जो इतना अंशदान नहीं देते हैं, अधिक धनवान है । सम्भव है कि उत्पादन उच्च वर्गों में बटा हुआ हो । इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि आय में अन्तर होने के कारण कुछ लोगों को, जो सौभाग्य से अच्छी अवस्था में हैं, उस उत्पादन विशेष का अधिक भाग प्राप्त होता हो । परन्तु इस समय केवल इनका अनुमान ही लगाया जा सकता है । मेरा निवेदन है कि हमें इस प्रकार के अनिश्चित आंकड़ों पर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिये ।

उसके पश्चात् त्रावनकोर-कोचीन राज्य की डॉलर अर्जित करने के सामर्थ्य की ओर निर्देश किया गया । इसके बारे में भी ठीक-ठीक सांख्यकी उपलब्ध नहीं है । हमारे पास केवल पत्तनों से निर्यात की गई वस्तुओं के आंकड़े हैं । इसका यह अर्थ नहीं कि यह सभी वस्तुयें उसी क्षेत्र विशेष से आई थीं ।

†**श्री ए० एम० थामस :** कोचीन पत्तन से निर्यात की गई वस्तुएं किसी अन्य राज्य की नहीं हो सकतीं ।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** मेरा विचार था कि मैसूर की कॉफ़ी भी कोचीन से भेजी जाती है ।

†**श्री ए० एम० थामस :** मद्रास से ।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** कुर्ग ? इन आंकड़ों की जांच करनी होगी । मैं अन्य राज्यों के बारे में इसी प्रकार का वक्तव्य नहीं दे सकता । मैं यह नहीं कह सकता कि बम्बई पत्तन से जो कुछ निर्यात किया जाता है वह बम्बई राज्य से ही प्राप्त किया जाता है । त्रावनकोर-कोचीन की स्थिति बम्बई या कलकत्ता की तुलना में कैसी है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

†**श्री वी० पी० नायर :** मेरे पास कोचीन से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं अर्थात् काली मिर्च, सोंठ, नारियल जटा, नीबू, घास, तेल, रबड़ और चाय के बारे में एक विवरण है जिससे पता चलता है कि यह वस्तुयें त्रावनकोर-कोचीन से कितनी परिमात्रा में निर्यात की जाती हैं और कितना डॉलर अर्जित किया जाता है । त्रावनकोर-कोचीन में विदेशी विनिमय का प्रति व्यक्ति अंशदान अधिकतम है ।

कलकत्ता और बम्बई के बारे में माननीय मंत्री के विचार से मैं सहमत हूं । यहां यह वस्तुयें त्रावनकोर-कोचीन या मालाबार ज़िले में ही पैदा होती हैं ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**श्री सी० डी० देशमुख :** मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं । इस चर्चा से कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता है । १२६ करोड़ रुपये के मूल्य की निर्मित वस्तुयें कलकत्ता से भेजी जाती हैं । हम जानते हैं कि वे मुख्यत: पश्चिम बंगाल और कुछ हद तक आसाम, बिहार और उड़ीसा से भेजी जाती हैं ।

†**श्री ए० एम० थामस :** संविधान के अनुच्छेद २७३ के अनुसार आप पश्चिम बंगाल, आसाम और उड़ीसा को निर्यात शुल्क का कुछ अंश देते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सी० डी० देशमुख :** हम राजस्व के वितरण पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। यह काम वित्त आयोग का है मैं वित्त आयोग नहीं हूं। माननीय सदस्य वित्त आयोग को अभ्यावेदन भेज सकते हैं। हम त्रावनकोर-कोचीन राज्य के राजस्व के स्रोतों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम तो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि यदि यह ठीक है कि डॉलर अर्जित करने अथवा विदेशी में विनिमय के अर्जन में उसका प्रति व्यक्ति अंशदान सबसे अधिक है तो फिर ऐसे राज्य के बारे में क्या किया जाये। यह याद रखा जाना चाहिये कि यह वस्तुयें बिना मूल्य नहीं बेची जाती हैं। अर्थात् इन वस्तुओं का मूल्य रुपयों के रूप में इस राज्य को प्राप्त हो जाता है। अतः यदि इसका विदेश विनिमय अंशदान अधिकतम है, तो कदाचित इसकी आय भी अधिकतम है। अतः यह राज्य बहुत धनवान प्रतीत होता है ऐसा परिणाम निकालना गलत होगा, इसलिये मैं यह कहना चाहता था कि इस प्रकार के अनिश्चित आंकड़े न लिये जायें। ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि किसी विशेष डॉलर आवंटन में त्रावनकोर-कोचीन को किसी बात से इनकार किया गया है जिसकी कि उसने मांग की है। ऐसी स्थिति में यह कहने का अवसर आ सकता था कि क्योंकि त्रावनकोर-कोचीन काफी डॉलर अर्जित करता है इसलिये उसे अपने लिये वस्तुयें खरीदने के लिये डॉलर देने का कोई प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये। परन्तु यह मामला पेश नहीं किया गया है। अतः मैं यह निवेदन करता हूं कि जब कोई व्यक्ति किसी राज्य की योजना पर विचार करता है तो उस समय उसे सामान्य आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिये, और उसे यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि त्रावनकोर-कोचीन में जनसंख्या की सघनता भारत के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिकतम है और योजना बनाते समय इसका ध्यान रखना चाहिये।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में इस राज्य म शिक्षा का प्रचार सबसे अधिक हुआ है, अतः राज्य क शिक्षित लोगों की बेरोज़गारी की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये। यह सब बातें ठीक हैं और योजना बनाते समय इनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। अब मैं प्रथम और द्वितीय योजनाओं के आकार के बारे में कुछ आंकड़े दूंगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस राज्य को ३० करोड़ रुपये से कुछ अधिक राशि दी गई थी अर्थात् यदि केन्द्र द्वारा प्रशासित कुछ योजनाओं के खर्च को सम्मिलित करते हुए राज्यों के लिये आवंटित कुल १,४०० करोड़ रुपये की कुल राशि में से यह राशि दी गई है। इसे अब ठीक कर लिया गया है और केन्द्र द्वारा प्रशासित इन योजनाओं के कतिपय भागों को राज्यों की योजनाओं में सम्मिलित कर लिया गया है, अतः प्रथम योजना की तुलना द्वितीय योजना से करना इतना सरल नहीं है। फिर भी यदि आप राज्यों की योजना को लगभग १४०० करोड़ रुपया समझें तो इसमें से १/३६ या १/४० भाग त्रावनकोर-कोचीन को मिलना चाहिये था। अतः अनुपात के अनुसार इसे ३० करोड़ रुपया मिलना चाहिये था। परन्तु योजना अवधि में जो कुल व्यय-किया गया वह २५ करोड़ रुपया है। अतः यह राज्य प्रथम पंचवर्षीय योजना में किये गये आवंटन का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा सका है और मेरी समझ में नहीं आता कि उसे शिकायतें क्या हो सकती हैं। उसे उन विभिन्न सरकारों से शिकायतें हो सकती हैं जिन पर राज्य सम्बन्धी कार्यों का प्रभार था, परन्तु केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध उसे कोई शिकायत नहीं हो सकती। दूसरे, यह याद रखना चाहिये कि योजना को जनसंख्या का अनुपाती समझना कुछ हद तक भ्रामक है। १०,००० वर्ग मील क्षेत्र में वर्तमान जनसंख्या उस जनसंख्या से दुगनी है जितनी कि होनी चाहिये थी।

†**श्री वी० पी० नायर :** उस से भी अधिक।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** आपके राज्य में प्रति व्यक्ति जितना क्षेत्र है, उसे ध्यान में रखते हुए आपको कम मिलना चाहिये। आपके राज्य में जनसंख्या अत्यधिक है और आप प्रत्येक व्यक्ति के लिये

†मूल अंग्रेजी में

अंश ले रहे हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में आपको मिला था। अतः जितना समझते हैं आप उससे अधिक भाग्यशाली हैं।

†**श्री वी० पी० नायर :** योजना लोगों के लिये है, क्षेत्र के लिये नहीं।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** योजना चाहे क्षेत्र के लिये हो या लोगों के लिये। उन लोगों को जिन्हें योजना के अन्तर्गत अनुपातत: दुगने से भी अधिक मिलता है, अपने को पीड़ित नहीं भाग्यशाली समझना चाहिये।

यदि इसी तरह का १०,००० वर्ग मील का कोई और क्षेत्र हो .....

†**श्री सी० आर० अय्युण्णि :** आपको उस क्षेत्र से जो राजस्व मिलता है उसके बारे में क्या विचार है?

†**श्री सी० डी० देशमुख :** राजस्व से कोई अंशदान नहीं मिलता है। मैं नहीं समझ सका कि राजस्व से माननीय सदस्य का अभिप्राय: क्या है। योजना से हमारा मुख्य अभिप्राय: इसके विनियोजन वाले भाग से है, जिसके लिये पूंजी उधार ली जाती है और ऋण आदि दिये जाते हैं। जहां तक राजस्व का सम्बन्ध है, मैं पहले ही सिद्ध कर चुका हूं कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य भारत के किसी भी औसत राज्य से पीछे नहीं है। यह बात भी प्रति व्यक्ति है। दूसरे शब्दों में यद्यपि आपके राज्य की जनसंख्या आवश्यकता से दुगनी है। तथापि शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य चीज़ों के लिये आपको प्रति व्यक्ति उतना ही मिल रहा है, जितना किसी अन्य क्षेत्र को मिलता है, अत: यद्यपि आपकी जनसंख्या दुगनी हैं, आपकी सभी आवश्यकतायें पूरी की जाती हैं, और वास्तव में आपने स्वयं माना है कि जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, आप भारत के अन्य राज्यों से तीन पीढ़ियां आगे हैं।

यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज त्रावनकोर-कोचीन की इतनी चर्चा हो रही है। एक दृष्टि-कोण से यह चर्चा त्रावनकोर-कोचीन की योजना के सम्बन्ध में है। योजना पर चर्चा के लिये पांच दिन दिये गये हैं किन्तु परिस्थितियों ने ऐसा रूप धारण किया है कि त्रावनकोर-कोचीन की, जिसकी जनसंख्या शेष भारत की जनसंख्या का १/३६ है, योजना पर विस्तृत चर्चा के लिये पांच या छ: घंटे मिल गये हैं। इस मामले में अन्य राज्यों के सदस्यों ने बहुत सौजन्यता और सहानुभूति दिखाई है और उनमें से किसी एक ने भी यह नहीं कहा "परन्तु, श्रीमान् हमारी समस्यायें आपकी समस्या से भी अधिक गम्भीर हैं"। मैं एक राज्य को दूसरे राज्य के मुकाबले में खड़ा नहीं करना चाहता, किन्तु मेरा यह कहना न्यायोचित होगा कि यदि उत्तर-प्रदेश या बिहार के लोग भी विरोधी दल के सदस्यों की तरह आत्म-निरीक्षण करें, तो मुझे विश्वास है कि वे भी अपनी योजनाओं की अपर्याप्तता के बारे में उतनी ही मान्य बातें बता सकेंगे। मैं यह इसलिये कहता हूं कि मैं स्वयं पश्चिम भारत का निवासी हूं, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कि दूसरी योजना में योजना आयोग ने त्रावनकोर-कोचीन के साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया है।

अन्य सभी राज्यों की तरह त्रावनकोर-कोचीन राज्य ने भी अपने प्रस्ताव बहुत पहले प्रस्तुत किये थ जो उस समय योजना के ढांचे में सम्मिलित नहीं किये जा सकते थे। राज्य की दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये उसने कुल १३२ करोड़ रुपये की राशि के प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे। इन प्रस्तावों पर सितम्बर, १९५५ में राज्य सरकार और योजना आयोग और केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के मध्य इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी और राज्य सरकार को बताया गया था कि योजना के नये प्रारूप में अस्थायी अधिकतम सीमा ७५·६ करोड़ रुपये तक निश्चित की जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सी० डी० देशमुख]

राज्यों की योजनाओं के लिये अधिकतम सीमाएं निश्चित करने के लिये, योजना आयोग ने चर्चा करते समय सामान्यतया इन तीन मापदंडों का अनुसरण किया था :

(१) पहली पंचवर्षीय योजना का परिमाण और इसके अतिरिक्त ९० प्रतिशत--हमारा विचार था कि इतना हम दें सकेंगे;

(२) २,२५० करोड़ रुपये की राशि का वितरण, जिसे जनसंख्या के आधार पर राज्य की योजनाओं का अस्थायी परिमाण माना गया था; और

(३) वे वित्तीय संसाधन जिनका अंशदान राज्य सरकार स्वयं दे सकती हो। इन तीन बातों के आधार पर त्रावनकोर-कोचीन राज्य की दूसरी पंचवर्षीय योजना की अधिकतम सीमा ५५·५ करोड़ रुपये ज्ञात हुई थी, किन्तु त्रावनकोर-कोचीन की विशेष समस्या अर्थात् बेकारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राज्य की दूसरी पंचवर्षीय योजना की अधिकतम सीमा ७५·६३ करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी। मैं समझता हूं कि जब बाद में योजना पर चर्चा होगी, तो इससे बहुत कठिनाई पैदा होगी। इस राशि में से ६ करोड़ ग्राम और छोटे उद्योगों के लिये रखे गये थे, और ३ करोड़ रुपये टेक्नीकल और व्यवसायिक शिक्षा के लिये। इस शिक्षा में वे उपाय भी सम्मिलित थे जिनसे माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को टेक्नीकल और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य और केन्द्रीय योजनाओं की इस अस्थायी अधिकतम सीमा में पांच प्रतिशत कार्यक्षमता कटौती करने के बाद, राज्य की दूसरी पंचवर्षीय योजना का परिमाण ७१·९५ करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो कि जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति ७२ रुपये है। योजना पर चर्चा होने के समय आप प्रत्येक राज्य के लिये अनुपात की गणना कर सकते हैं। संभवतः आप देखेंगे कि बम्बई की योजना निरपेक्ष रूप से और अनुपाततः सब से बड़ी है। मेरे विचार में उस राज्य की, जिसकी जनसंख्या ३९ से ४० करोड़ तक है, योजना २८८ करोड़ रुपये की है। जो कि प्रति व्यक्ति ७० रुपये आती है। जहां तक योजना का सम्बन्ध है, मैं कह सकता हूं कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य को सब से अधिक उन्नत और समृद्धिशाली राज्यों के स्तर पर लाया गया है। इसलिये मैं समझता हूं कि वास्तव में शिकायत का कोई कारण नहीं है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हमें यह जानने के लिये अवसर नहीं लेना चाहिये कि विभिन्न लक्ष्यों, विशेष कर नई निकाली गई अतिरिक्त नौकरियों सम्बन्धी लक्ष्य के बारे में, स्थिति क्या है।

इस विषय में भी माननीय सदस्यों ने कुछ आंकड़े दिये हैं। वे पूछते हैं कि कुल ८० लाख नौकरियों में से १·४५ लाख नौकरियां त्रावनकोर-कोचीन में कैसे निकाली जायेंगी ? क्योंकि यहां की जनसंख्या १/३६ होते हुए, यहां अढ़ाई लाख नौकरियां होनी चाहिये। इस बात से प्रकट होता है कि अनिश्चित रूप से आंकड़े ले लेना कितना भ्रामक होता है। योजनाओं में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल ८० लाख नौकरियों के निकलने की संभावना है। यह हिसाब इस तरीके से लगाया गया है कि ज्ञात प्रत्यक्ष नियोजन में अनुमानित अप्रत्यक्ष नियोजन मिला दिया गया है। इनमें वे २० लाख और नौकरियां सम्मिलित नहीं हैं जो ग्रामों में कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के फलस्वरूप उत्पन्न होंगी।

इसलिये जब तक यह मालूम न हो कि केन्द्रीय व्यय और केन्द्रीय योजना व्यय से कितनी नौकरियां निकाली जा सकती हैं और जब तक राज्य के गैर-सरकारी क्षेत्र के विकास के फलस्वरूप निकलने वाली नौकरियों का हिसाब न लगाया जाये--और ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं--तब तक तुलना के लिये कोई आधार नहीं मिल सकता है। मेरी अपनी धारणा यह है कि भारत के अन्य भागों की तुलना में त्रावनकोर-कोचीन की दशा बुरी नहीं रहेगी। किन्तु मैं चाहता हूं कि यदि संभव हो तो इस स्थिति में और

अधिक सुधार किया जाये । यदि यह बात मान ली जाती है कि देश के कुछ भागों की अपनी विशेष समस्यायें हैं--और इन भागों में, मैं त्रावनकोर-कोचीन, पूर्व बंगाल, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार के कुछ भागों को, जहां जनसंख्या अत्यधिक घनी है; सम्मिलित करता हूं--तो इन क्षेत्रों पर भारत के शेष क्षेत्रों की अपेक्षा तुलनात्मक अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि योजना असम्य है, सभी प्राधिकारियों को यह प्रयत्न करना चाहिये कि प्रत्येक राज्य में दूसरी योजना के परिणाम आशा से बढ़ कर हों ।

अब मैं इस प्रश्न को लेता हूं कि रोजगार किस तरह बढ़ाये जा सकते हैं । इस विषय में कुछ माननीय सदस्यों के विचार परस्पर विरोधी हैं । उनकी शिकायत है कि भारी उद्योग उनके क्षेत्र में नहीं स्थापित किये गये । यह स्पष्ट है कि उद्योग जितना भारी होता है, प्रत्येक नियोजित व्यक्ति के लिये अधिक धन लगाना पड़ता है, और किसी निश्चित व्यय से कम नौकरियां निकाली जा सकती हैं । इसलिये मुझे इस बात में संदेह है कि यदि बेकारी की समस्या का हल निकालना है, तो इस अवस्था पर राज्य में बहुत से भारी उद्योगों को स्थापित करना कहां तक स्वयं राज्य के हित में होगा । यह इस बात से अलग है कि भारी उद्योगों को स्थापना या निजी उपक्रमों द्वारा भारी उद्योगों की स्थापना गणित के किन्हीं नियमों पर निर्भर नहीं होती है । इनकी स्थापना संसाधनों की स्थिति और अन्य उपलब्ध सुविधाओं, जैसे कि मंडियों का निकट होना, परिवहन व्यय कोयला जैसे सहायक कच्चे माल की उपलब्धता पर अधिक निर्भर है । इन सभी बातों को ध्यान में रख कर निर्णय किये जाते हैं । मैं सामान्य रूप से यह कहना चाहता हूं कि जब समस्त योजना सदन के सामने आयेगी, तो हमारे लिये यह दिखाना संभव हो सकेगा कि हम ने प्रत्येक राज्य के दावों, प्रत्येक क्षेत्र की मांगों और हर श्रेणी के व्यय की मांग को ध्यान में रखा है । यद्यपि कोई योजना परिपूर्ण नहीं हो सकती है और उस पर आलोचना करने की गुंजाइश होती है, फिर भी मैं आशा करता हूं कि सदन यह अनुभव करेगा कि चाहे यह योजना के व्यय को विभिन्न राज्यों में बांटने का मामला हो, चाहे यह विभिन्न प्राथमिकताओं के अनुसार वितरण करने का मामला हो या राज्यों और केन्द्र के बीच विभिन्न प्राथमिकताओं तथा नियतनों के वितरण करने का मामला हो, हमने भरसक प्रयत्न किया है ।

उदाहरणतया रेलवे के प्रश्न को लीजिये । आज समाचारपत्रों ने उन विभिन्न रेलवे लाइनों का जिनको हम बनाने का विचार कर रहे हैं, ब्योरा दिया है । मेरे विचार में इनकी कुल लम्बाई लगभग ८७० मील थी । उस समाचार में मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे आदि का ब्योरा दिया गया है । माननीय सदस्य देखेंगे कि इस व्यय के फलस्वरूप जो कम से कम प्राप्ति अपेक्षित थी वह प्राप्त की जा सकेगी । ऐसा क्यों है ? इस का कारण यह नहीं है कि मेरे सहयोगी रेलवे मंत्री अधिक प्रगति का विरोध करते थे--वास्तव में यदि उनका बस चलता तो उनकी योजना में इससे ५० प्रतिशत अधिक की व्यवस्था होती--परन्तु हम जानते हैं कि अधिक धन राशियां उन्हें क्यों नहीं दी जा सकती थीं ।

इस लिए इस प्रश्न पर ध्यान न देते हुए कि किन क्षेत्रों में रेलवे लाइनों की बहुत आवश्यकता है या किन क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति या प्रति वर्ग मील रेलवे लाइनों की लम्बाई अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम है, मैं यह कह सकता हूं कि जहां तक कि इस पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, हम पर चारों ओर बन्धन लगे हुए हैं और हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है और हम केवल छोटे-मोटे समायोजन ही कर सकते हैं । यह मेरी पहली बात है ।

मेरी दूसरी बात का त्रावनकोर-कोचीन की स्थिति से अधिक सम्बन्ध है । वहां से वापस आने के बाद मेरी यह राय थी कि त्रावनकोर-कोचीन के भविष्य के लिये कुटीर उद्योग--मेरा यह विचार है कि इनसे लाभप्रद काम नहीं मिल सकता--इतने आवश्यक नहीं हैं जितने कि छोटे पैमाने के उद्योग हैं अर्थात् वे उद्योग हैं जो थोड़ी-सी बिजली की शक्ति से चलाये जा सकते हैं ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

मेरे विचार से यह राज्य बिजली का ग्रिड लगाने के लिये बहुत उपयुक्त है और इस काम में काफ़ी प्रगति हुई है, संभवत: काम अधिक हो सकता था, किन्तु मेरे विचार में उसकी सभी बिजली सम्बन्धी योजनायें पूरी की जा चुकी हैं। छोटी सिंचाई योजनाओं पर पांच करोड़ रुपये कम व्यय हुए हैं, किन्तु जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, मेरे विचार से वह बिजली घरों का जाल बिछाने में काफ़ी प्रगति कर रहा है। जब यह पहाड़ों से आने लगेगी, तो राज्य में छोटे पैमाने के उद्योगों को बहुत प्रोत्साहन दिया जा सकता है। अगले पांच या दस वर्षों की अवधि को ध्यान में रखते हुए, ऐसा करने से ही राज्य का भला होगा। राज्य के लोगों को अन्य स्थानों पर बसाने से नहीं।

यदि आप भोपाल के आंकड़ों को देखें—झौंपड़ियों की स्थिति और श्रमिकों की दशा इत्यादि के बारे में या इस बात पर कि मज़दूरी ४० रुपये या ५० रुपये प्रति दिन होनी चाहिये मतभेद हो सकता है—तो मेरे विचार में श्रमिकों की कुल संख्या लगभग २०० है अथवा परिवारों की ५०० है।

एक करोड़ की जनसंख्या में ५०० परिवार क्या हैं? और वहां २०० परिवारों के लिये झौंपडियां बनाई गई हैं।

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : यह संख्या २४८ है!

†**श्री सी० डी० देशमुख** : लाखों बेकार व्यक्तियों की तुलना में २४८ झौंपड़ियों की संख्या क्या है? अत: यदि मैं कहता हूं कि इन लोगों को—जो कि बहुत योग्य और विधि को मानने वाले हैं और जिनके लिये काम करना मैं अधिक पसन्द करूंगा—उनको अपने क्षेत्रों में बसाना शेष भारत की जनता के लिये लाभप्रद होगा, तथापि मैं फिर यह कहता हूं कि ऐसा करने से राज्य की समस्या हल नहीं होने को है। इसका हल स्वयं राज्य में ही निकालना है।

इसे एक प्रकार का स्विटजरलैंड बनाना होगा जहां छोटे पैमाने के उद्योगों के द्वारा लोगों को बिजली के प्रयोग के नये शिल्प सिखाये जा सकें। यद्यपि वहां के लोगों ने काम प्रारम्भ किया है, तथापि मंडियों में सफलता न मिलने के कारण उनका कार्य क्षेत्र बढ़ नहीं सका है।

नेयांतिकार प्रविधिक स्कूल में मैंने यह देखा कि शिक्षा के लिये आवंटित राशि में से कुछ भाग प्रविधिक शिक्षा और लोगों को पम्प निर्माण की शिक्षा देने की ओर लगाया गया था। यह बात एक-दो वर्षों तक तो ठीक से चली किन्तु अब वह यह देखते हैं कि पम्प बेचे नहीं जा सकते हैं। राज्य में पानी की अपेक्षा पम्प अधिक हैं। इसलिये यहां जो प्रश्न है वह ब्योरेवार और सही संगठन का है। यदि यह कहा जाता है कि किसी भी बात का भविष्य छोटे पैमाने के उद्योगों में निहित है तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं है क्योंकि छोटे पैमाने के उद्योगों का संगठन एक कठिन बात है और इस बात को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिये कि छोटे पैमाने के किसी उद्योग का अर्थ है लगभग पांच लाख रुपये की पूंजी और उत्पादन और विपणन इन दोनों पहलुओं के लिये अत्यन्त सक्षम संगठन आवश्यक होता है। मेरा ख्याल है कि यदि कोई लक्ष्य ऐसा है जिसे सार्वजनिक कार्यकर्ता, अधिकारी और सभी व्यक्ति, जिनमें केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय भी सम्मिलित हैं, अपने समक्ष रख सकते हैं तो वह लक्ष्य है ऐसा उपबन्ध करना होगा जिससे कि राज्य में छोटे पैमाने के उद्यागों को प्रोत्साहन दिया जा सके और उनका विकास किया जा सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा करने में उन्हें जिस हद तक सफलता मिलेगी उस सीमा तक उन्होंने राज्य के कठिन प्रश्नों के हल करने के लिये महत्तम योग दिया होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारी विद्युत् संयंत्र की स्थापना के लिये स्थान के चुनाव का निर्देश किया गया था। मेरे माननीय सहयोगी उत्पादन मंत्री ने कोई उत्तर दिया या नहीं यह मुझे ज्ञात नहीं है। किन्तु किसी विशिष्ट स्थान का चुनाव प्रधानत: जलवायु सम्बन्धी बातों के कारण किया जाना था। प्रविधिक तौर पर हमें यह बताया गया था कि तापमान को---औसत तापमान को---एक विशिष्ट स्तर पर स्थिर रखा जाना आवश्यक है। त्रावनकोर-कोचीन, इलाहाबाद के निकट नैनी, हैदराबाद में एक स्थान और एक या दो स्थान, जिनमें सिन्दरी भी सम्मिलित है इसके लिये प्रतिस्पर्द्धी थे। यह स्थान किन्हीं विशिष्ट दृष्टिकोणों से अच्छे हैं। उदाहरण के लिये एक स्थान में जल उपलब्ध था। एक अन्य स्थान पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध था इत्यादि। किन्तु निर्णायक बात थी समूचे वर्ष का औसत तापमान। उस सम्बन्ध में हमने यह देखा कि भोपाल अन्य स्थानों से कहीं अधिक उपयुक्त था। इसके लिये आपको सूखी जलवायु और काफी कम तापमान चाहिये। हमें इस आशय का परामर्श दिया गया कि अन्य स्थानों पर यह आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होती थीं। माननीय सदस्य अपने सिर हिला रहे हैं और संभव है वह इससे सहमत हों या न हों। मैं केवल यही स्पष्ट कर सकता हूं कि यह निर्णय क्यों किया गया। मैं केवल यही बताने के प्रयास कर रहा हूं कि अन्य स्थानों के गुण दोषों पर भी पूर्ण विचार किया गया था। वास्तव में मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि त्रावनकोर-कोचीन उन पुराने, स्वतन्त्र राज्यों में से एक है जिसने राज्य सहकार्य की नीति के द्वारा औद्योगिक विकास को एक उच्च स्तर पर पहुंचने में बढ़ावा दिया था। उसने राज्य के जल-विद्युत् संसाधनों का विकास करके अल्वाये स्थित अलुमीनियम को शुद्ध करने के कारखाने जैसे बड़े उद्योगों की स्थापना के लिये प्रेरणा दी। अब यह भी सच है कि कोयला, लोहा जैसे आधारभूत संसाधनों के अभाव में उसकी तुलना पश्चिम बंगाल, बम्बई और बिहार जैसे उद्योग विकसित राज्यों से नहीं की जा सकती, किन्तु औद्योगिक विकास के मामले में वह भारतीय संघ के कई अन्य राज्यों से निश्चय ही आगे है। किन्तु जैसा कि मैंने कहा कि जनसंख्या के आधिक्य के कारण औद्योगिक विकास की प्रगति आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है और न इसे सममात्रिक माना ही जा सकता है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो उपबन्ध किये गये हैं वह माननीय सदस्यों को ज्ञात हैं। आशा की जाती है कि इन योजनाओं की क्रियान्विति या तो सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं के रूप में या केन्द्रीय सरकार से ऋण प्राप्त करके की जायेगी : अल्वाये में एक डी० डी० टी० फैक्टरी की स्थापना और 'फर्टिलाइज़र्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड' का विस्तार। मैंने कोयले का निर्देश किया जो वहां नहीं पाया जाता है। श्री वी० पी० नायर ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में लिग्नाइट (भूरा कोयला) प्रचुर मात्रा में है। मैं यह नहीं जानता कि उनका तात्पर्य वरकला निक्षेपों से है अथवा वैकोम निक्षेपों से है।

†**श्री वी० पी० नायर** : वरकला।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : त्रावनकोर-कोचीन के लिगनाइट निक्षेपों की जांच राज्य के भूतत्वीय विभाग द्वारा कई वर्षों पूर्व की गई थी। निक्षेप की मात्रा २७५० लाख टन आंकी गई थी। साथ ही उसने यह भी देखा कि श्रम के परिमाण में लाभ कम था। कोई खुदाई नहीं की गई है। उक्त अनुमान को परिमाण और गुण दोनों के बारे में सिद्ध किया जाना है। जो नमूने प्राप्त किये गये हैं उनमें कोई विशेष समानता नहीं है और उनमें ४० प्रतिशत तक राख पाई गई है। भारत के भूतत्वीय विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में कुन्डारा और क्विलोन के दक्षिण में चिकनी मिट्टी के निक्षेपों का एक अनुपूरक परीक्षण किया है। अधिक विस्तृत कार्य करना होगा और संभव है कि कुछ कम गहरे छिद्र, उक्त निक्षेपों की मुटाई को जानने के लिये, करने पड़ें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सी० डी० देशमुख]

कुछ वर्षों पूर्व इस आशय का समाचार मिला था कि दक्षिण त्रावनकोर में कुछ बहुमूल्य रत्न पाये जाते हैं । भूतत्वीय सर्वेक्षण ने यह प्रमाणित कर दिया कि वहां पाये जाने वाले अर्द्ध-बहुमूल्य रत्नों का वाणिज्यिक महत्व अधिक नहीं था ।

†**श्री वी० पी० नायर** : हमारे देखते-देखते कई लोग लखपति बन गये हैं ।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मेरा ख्याल है कि आकार की दृष्टि से यह बहुत अधिक नहीं है । कम लोगों के पास जो धन होता है वह सदैव अधिक ही प्रतीत होता है ।

†**श्री मात्तन** : क्या हाल ही में लिगनाइट के सम्बन्ध में भूतत्वीय विभाग द्वारा कोई जांच की गई थी ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : यह परिणाम हाल ही में की गई एक जांच का है ।

राज्य में भूतल पर पाये जाने वाले जल संसाधनों के सम्बन्ध में कुछ प्रारम्भिक कार्य किया गया है। इस सम्बन्ध में सिलसिलेवार कार्य तभी किया जा सकता है जबकि उस कार्य को करने के लिये भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के पास पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हों । साधारणतः आशा की जाती है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में न केवल इस राज्य का, वरन कई ऐसे भागों के––जहां के भूतत्वीय नक्शे अभी तक नहीं तैयार किये गये हैं––भूतत्वीय नक्शे बनाने का कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

इसलिये योजना और संसाधनों के बारे में साधारण स्थिति यह है । इसलिये माननीय सदस्यों को मैं परामर्श दूंगा कि जो योजना हाथ में है उनको पूर्ण करने पर ही वह अपने ध्यान केन्द्रित करें और मेरा ख्याल है कि इससे राज्य के प्रमुख प्रश्नों को हल करने के लिये कम से कम एक आधार मिल जायेगा ।

जहां तक इस आय व्ययक का सम्बन्ध है .....

†**श्री सी० आर० अय्युण्णि** : इसके पोतांगण का क्या होगा ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : वह संभाव्य स्थानों में से एक है, जिसके गुणावगुणों पर हमें विचार करना होगा । हमने दूसरा पोतांगण अभी प्रारम्भ नहीं किया है । सामान्यतः इन बातों का निर्देश एक प्रविधिक समिति को किया जाता है । मुझे यह कहने का कोई अधिकार नहीं है––मैं सम्बन्धित मंत्रालय का मंत्री नहीं हूं––और वास्तव में मैं यह बताने में असमर्थ हूं कि अमुक स्थान चुना जायेगा। किन्तु माननीय सदस्यों के इस आशय के दावे में, कि इस प्रयोजन के लिये कोचीन से अधिक अच्छा स्थान नहीं हो सकता है, कुछ सार है तो मुझे इसमें संदेह नहीं है कि उस विशिष्ट बन्दरगाह के गुण उन प्रविधिक लोगों का ध्यान जिन्हें इस बात की जांच करने के लिये कहा जायेगा, अपनी ओर अवश्य आकर्षित करेंगे । किन्तु इस निर्णय से सम्बद्ध सभी तत्व मुझे ज्ञात नहीं हैं । इसलिये मैं जो कुछ कह सकता हूं वह यह है कि दूसरे पोतांगण के बारे में इस पत्तन के और इस कारण राज्य के दावे पर विचार किया जायेगा ।

जहां तक इस आय-व्ययक का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं कह रहा था, कि इस आशय के अत्यन्त क्रांतिकारी सुझाव दिये गये हैं कि हमें इस सब को हटा कर कुछ विश्वस्त अधिकारियों को नये आय-व्ययक का ढांचा बनाने और श्रीगणेश करने के लिये भेजना चाहिये । मेरी राय में यह सुझाव अतिरंजित हैं और उसके दो कारण हैं । एक तो जैसा कि मैं कह चुका हूं कि जहां तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है त्रावनकोर-कोचीन की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है । दूसरा कारण यह है कि राष्ट्रपति का शासन एक तरह से अवेक्षक शासन होता है । जो बातें विशिष्ट दलों अथवा समूहों के माननीय सदस्यों को अच्छी नहीं लगतीं उन्हें एक दम हटाया नहीं जा सकता है । हमें अपना कार्य जारी रखना है, कम से

† मूल अंग्रेजी में

कम हमें यह संतोष है कि हम अब एक ऐसा आय-व्ययक प्रस्तुत कर रहे हैं कि जिसका उद्देश्य एक योजना की प्रथम अवस्था का प्रतिनिधित्व करना है और जिसे सम्मोदित करने का अवसर स्वयं उन्हें अगले दस दिनों में प्राप्त होगा ।

उक्त राज्य को ऋण देने के बारे में हमारी अनिच्छा के सम्बन्ध में श्री वी० पी० नायर ने कुछ आंकड़े दिये हैं । निश्चय ही वह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सम्बन्ध योजना के कुल आकार से है। जहां तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, मैं इस बात में विश्वास नहीं करता हूं कि कोई ऐसा राज्य भी है जो यह शिकायत कर सकता है कि उसकी योजनाओं की क्रियान्विति वित्त के अभाव के कारण अवरुद्ध हो गई थी । किन्तु बात इसी से साफ हो जाती है कि प्रशासनिक कारणों के फलस्वरूप ३० करोड़ रुपये की योजना में से, जहां तक इस वर्ष के आय-व्ययक का सम्बन्ध है, केवल २५ करोड़ रुपये की राशि की योजना पूरी की जायेगी । मैंने यह अवश्य कहा था कि संभव है कि हम उपबन्धित समस्त व्यय का दायित्व ग्रहण न कर सकें । इसका कारण यह है और जिन माननीय सदस्यों ने मुख्य आय-व्ययक को पारित करने में भाग लिया है उन्हें भी यह ज्ञात होना चाहिये । यह उन्हें स्पष्ट कर दिया गया था कि कुछ ऐसे कारणों से, जोकि स्वयं जनहित में हैं, हमें घाटे की कुल अर्थ-व्यवस्था को सीमित करना पड़ा और वह जानते हैं कि यह राशि लगभग ३६० करोड़ रुपये है । अब इस सीमा का भार प्रत्येक पर, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के मंत्रालयों पर, बहुत अधिक पड़ा। योजना के प्रथम वर्ष में यह ज्ञात हो गया था कि हम एक-षष्टमांश हिस्से से अधिक नहीं कर सकेंगे। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि योजना को पूर्ण नहीं किया जायेगा ।

संभव है कि तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ष में हम एक-षष्टमांश से कुछ अधिक धन राशि व्यय कर सकेंगे। आपको स्मरण होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी । मेरा ख्याल है कि प्रथम वर्ष में कुल व्यय लगभग २५० करोड़ रुपये था और अन्तिम वर्ष में कुल व्यय ६५० करोड़ रुपये था । इसलिये प्रथम क्रम में योजना आयोग ने राज्य सरकारों को इस आशय की एक सूचना परिचालित की थी कि वह एक षष्टमांश से अधिक के लिये उपबन्ध न करें। इसलिये यदि कोई राज्य एक पंचमांश राशि का उपबन्ध करता है तो वह यह खतरा उठाता है कि उसकी कुछ योजनाओं की क्रियान्विति नहीं हो सकती है अथवा सभी योजनाओं की क्रियान्विति आंशिक रूप से हो सकती है । यह बड़े आश्चर्य की बात है कि केन्द्रीय विधान मंडल के सदस्य यह कहते हैं कि योजना के लिये वित्त का प्रबन्ध करने के लिये केन्द्र प्रतिज्ञाबद्ध है । निश्चय ही यह बातों को बढ़ा-चढ़ा कर कहना है जबकि वह यह कहते हैं· · · · ·

†**श्री ए० एम० थामस :** हमने आंकड़ों में कोई संशोधन नहीं किया है और उनको हम वैसे ही पारित कर रहे हैं जैसे कि वह थे ।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** मौजूदा आंकड़े केवल यह उपबन्ध करते हैं कि यदि निधि उपलब्ध हुई तो हम उस हद तक व्यय कर सकेंग । मैं यह कह सकता हूं आज हम अप्रैल या मई में हैं । मैं केवल प्राक्कलनों के आधार पर कार्य कर सकता हूं और राज्य सरकारों को ऋणों व अनुदानों के कुछ आंकड़ों पर विचार कर सकता हूं । मेरा यह अनुभव है कि प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं व्यय कम होता है । ऐसी स्थिति में, केन्द्रीय सरकार के लिये एक राज्य से दूसरे राज्य को कुछ राशि स्थानान्तरित करना संभव होता है । त्रावनकोर-कोचीन राज्य की जनसंख्या कुल जनसंख्या की १/३६ है और अनुपाततः उसकी योजना छोटी है । मैं यह कह सकता हूं कि वह कुल योजना का १/३०वां भाग है । इसलिये केवल कुछ करोड़ रुपयों का ही प्रश्न है । यदि वर्ष के अन्त में यह पाया जाता है कि कुछ बचत हुई है, तो उस बचत

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सी० डी० देशमुख]
का कुछ भाग, विशेष कठिनाइयों को देखते हुए, राज्य को देना हमारे लिये संभव हो सकता है और हम राज्य से योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये कह सकते हैं। इससे अधिक स्पष्ट आश्वासन मैं दे नहीं सकता हूं। मैं जब यह कहता हूं कि बचत होने की स्थिति में त्रावनकोर-कोचीन जैसे राज्य की आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी तो मैं कोरा आश्वासन नहीं दे रहा हूं। मैंने उस राज्य का दौरा किया है और मैं उसकी समस्याओं को समझता हूं और अपेक्षित राशियां कम हैं। यदि ३० या ४० करोड़ रुपये की बात होती तो मैं यह कहने की अदूरदर्शिता भी न करता। मुझे विश्वास है कि सदाशय के साथ व्यय करने वाले मंत्रालयों अथवा राज्य सरकारों के फलस्वरूप कुछ बचत रहेगी और वर्तमान प्रसंग में केन्द्रीय वित्त मंत्री के लिये ४ या ५ करोड़ रुपये की बात कोई कठिन प्रश्न नहीं है। इसलिये यह आश्वासन दे कर मैं त्रावनकोर-कोचीन राज्य के सभी दलों के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह थोड़ा धैर्य रखें और हमारे सदाशय में विश्वास करें।

अनुदानों की मांगें

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मांगों पर चर्चा होगी, मांग संख्या १२, १५, २४, २६, २७ और २० और १ से लेकर ३०५ तक के सभी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये माने जायेंगे।

†**श्री वी० पी० नायर :** अनुदानों की संख्या के बजाय यदि हमें मंत्रालयों के नाम बताये जायें तो हमारे लिये समझने में आसानी होगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री पुन्नूस की एक टिप्पणी है कि इन मांगों पर चर्चा करने की अनुमति दी जाये। मां इस प्रकार हैं: १२ सामान्य प्रसाशन, १५ पुलिस, २४ उद्योग, २६ असनिक कार्य ....

†**श्री ए० एम० थामस :** श्रीमान्, क्या मांग संख्या ४३ भी इसके साथ ी आयेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** १७—शिक्षा और २०—कृषि, शेष सभी के सम्बन्ध में मुखबन्ध किया जायेगा। माननीय सदस्यों को ध्यान रहे कि आज हमारी कार्यवाही साढ़े छै बजे समाप्त होनी है।

†**श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** श्रीमान्, मांग संख्या २५—श्रम भी सम्मिलित की जाये।

†**श्री मात्तन :** मांग संख्या २३ का क्या होगा, श्रीमान् ?

†**अध्यक्ष महोदय :** सामान्य चर्चा होगी और एक घंटे का समय दिया जायेगा।

†**श्री पुन्नूस** : क्या मैं जान सकता हूं कि हम किस प्रकार चर्चा करेंगे ? क्या हम सभी पर बोल सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हां। मुझे श्री गोपालन्, श्री वी० पी० नायर, श्री पुन्नूस, श्री श्रीकान्तन नायर और श्री वेलायुधन के नाम दिये गये हैं। मैं इन माननीय सदस्यों को बुलाऊंगा।

†**श्री ए० एम० थामस** : मैं भी बोलना चाहता हूं।

†**श्री वेलायुधन** : चाहना किसी कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से भिन्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम साढ़े छः बजे कार्यवाही समाप्त करेंगे। हम प्रत्येक माननीय सदस्य को दस मिनट का समय दे सकते हैं। मैं मांगों को सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रजी में

निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
१	कृषि आय-कर एवं बिक्री कर ...	७,०६,६००
२	भू-राजस्व	३२,६१,२००
३	उत्पादक-शुल्क ...	१३,०८,१००
४	स्टाम्प	२,०८,२००
५	वन ...	७०,५५,७००
६	पंजीयन	११,०३,९००
७	मोटर गाड़ी अधिनियम	५,३१,३००
८	सिंचाई	१३,८२,२००
९	राज्यों के प्रमुख, मंत्री, सचिवालय और संबद्ध कार्यालय	२४,७६,६००
१०	राज्य विधान-मंडल	४,२८,५००
११	निर्वाचन	२१,६१,४००
१२	ज़िला प्रशासन और विविध ...	२२,३३,८००
१३	न्याय-प्रशासक	३६,९७,२००
१४	जेलें	७,०२,४००
१५	पुलिस	८४,५१,०००
१६	वैज्ञानिक विभाग	२,७९,०००
१७	शिक्षा	५,३१,९५,८००
१८	चिकित्सा सम्बन्धी	१,३०,६१,७००
१९	लोक-स्वास्थ्य ...	३९,५९,५००
२०	कृषि	४२,८५,९००
२१	ग्राम्य-विकास	४३,९२,०००

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
२२	पशु-चिकित्सा ...	९,२६,१००
२३	सहकारिता	८,५४,९००
२४	उद्योग	१,४०,२४,७००
२५	श्रम तथा विविध ...	५६,२०,७००
२६	असैनिक निर्माण-कार्य	२,०९,७२,७००
२७	बिजली	६०,७४,१००
२८	पेंशनें	६५,२८,०००
२९	लेखन-सामग्री तथा मुद्रण	२२,११,४००
३०	विविध	२०,६७,३००
३१	सामुदायिक विकास परियोजनायें	८८,६०,५००
३२	परिवहन योजनायें	१,२७,७७,४००
३३	सिंचाई पर पूंजी-व्यय (वाणिज्यिक)	३८,८५,६००
३४	सिंचाई पर पूंजी-व्यय (गैर-वाणिज्यिक) ...	७७,९७,२००
३५	कृषि सम्बन्धी सुधारों पर पूंजी-व्यय	६४,२००
३६	औद्योगिक विकास पर पूंजी-व्यय	७४,९८,८००
३७	असैनिक कार्यों पर पूंजी-व्यय	२,१९,८९,७००
३८	बिजली योजनाओं पर पूंजी-व्यय	२,४९,७२,१००
३९	राजस्व लेखा से बाहर दूसरे कार्यों का पूंजी-लेखा	३९,६०,०००
४०	परिवहन योजनाओं पर पूंजी-व्यय	१७,४८,६००
४१	राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी-व्यय ...	४२,४३,३००
४२	ऋण तथा अग्रिम धन	१,३१,४६,१००

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
१३	श्री ए० के० गोपालन	सुरक्षात्मक कार्यवाही के बारे में दण्डाधिकारियों की नीति ।	१००
१३	श्री ए० के० गोपालन	अस्थाई कर्मचारियों को स्थायी घोषित करने में असफलता ।	१००
१५	श्री ए० के० गोपालन	पुलिस-पदाधिकारियों द्वारा किये गये अपराधों की ठीक जांच करने में विभाग की असफलता ।	१००
१५	श्री ए० के० गोपालन	घोर-अपराधों के पता लगाने में विभाग की अदक्षता ।	१००
१५	श्री ए० के० गोपालन	पुलिस प्रशिक्षण स्कूलों में दिया जाने वाला प्रशिक्षण ।	१००
१५	श्री ए० के० गोपालन	खेलों के लिये व्यवस्था की अपर्याप्तता	१००
१५	श्री ए० के० गोपालन	भारतीय पुलिस सेवा तथा ऐसे स्थानीय पुलिस अधिकारियों, जिनके कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व समान हैं और जो बराबर का काम करते हैं, के वेतनों का अन्तर ।	१००
१५	श्री ए० के० गोपालन	पुलिस कांस्टेबलों की अपर्याप्तता	१००
१५	श्री ए० के० गोपालन	पुलिस अधिकारियों द्वारा सरकारी टेलीफोनों का दुरुपयोग ।	१००
१६	श्री ए० के० गोपालन	कोयला, लिगनाइट तथा खनिजों की खोज की अपर्याप्तता ।	१००
१६	श्री ए० के० गोपालन	खनिज संसाधनों से पूर्ण लाभ उठाने के सम्बन्ध में नीति ।	१००
१६	श्री ए० के० गोपालन	राज्य की खनिज सम्पत्ति के विकास के लिये एक समन्वित तथा एकीकृत योजना का अभाव ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
१६	श्री ए० के० गोपालन	क्विलोन-कूंडारा प्रदेश में ऊष्मरुह मिट्टी के संसाधनों के उपयोग करने के बारे में सरकार की उदासीनता।	१००
१६	श्री ए० के० गोपांलन	नेडूमानगढ़ तथा मूवातपूज़ा तालुक में ग्रेफाईट निकालने के बारे में एक योजना बनाने में सरकार की उदासीनता।	१००
१६	श्री ए० के० गोपालन	वारकलां और निकटवर्ती स्थानों में लिगनाइट निकालने के लिये योजना का अभाव।	१००
१६	श्री ए० के० गोपालन	नेडूमानगढ़ ताल्लुक में क्राइसों-वेरये पत्थर उपयोग करने के लिये गैर-सरकारी मालिकों को सरकार द्वारा आज्ञा देने की नीति।	१००
१६	श्री ए० के० गोपालन	लैमन-ग्रास (अधिया) तेल से लोनोन निकालने की योजना के सम्वर्द्धन के बारे में असफलता।	१००
१६	श्री ए० के० गोपालन	औषधियों के लिये आधुनिक रसायन बनाने के लिये कच्चे औषधों के उपयोग के लिये विकास योजना बनाने में असफलता।	१००
१६	श्री ए० के० गोपालन	चिड़िया घर तथा संग्रहालय के कर्मचारियों की सोचनीय दशा।	१००
१७	श्री ए० के० गोपालन	हीन कर्मचारियों को कार्य तथा वेतन की अच्छी स्थिति के साथ स्थायी सेवा में खपाने की आवश्यकता।	१००
१७	श्री ए० के० गोपालन	गवेषणा कार्य की अपर्याप्त व्यवस्था	१००
१७	श्री ए० के० गोपालन	गैर-सरकारी महाविद्यालयों के कुप्रबन्ध पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण की कमी।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
१७	श्री ए० के० गोपालन	स्नातक अध्यापकों के लिये अच्छे वेतन स्तरों की आवश्यकता और अस्थायी अध्यापकों को स्थायी करने की आवश्यकता ।	१००
१७	श्री ए० के० गोपालन	प्रारंभिक पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन स्तरों को बढ़ाने की आवश्यकता और समस्त अस्थायी अध्यापकों को उनकी लगातार सेवा के आरम्भ होने की तारीख से भूत्तलक्षी आधार पर स्थायी बनाना ।	१००
१७	श्री ए० के० गोपालन	अधिक मत्स्यपालन पाठशालाओं को आरंभ करने की आवश्यकता ।	१००
१७	श्री ए० के० गोपालन	व्यायाम तथा खेलों के संगठनों तथा पाठशालाओं में व्यायाम तथा खेलों के लिए अपर्याप्त उपबन्ध ।	१००
१७	श्री ए० के० गोपालन	पाठ्य-पुस्तकें निर्धारित करने के मामले में नीति ।	१००
१७	श्री ए० के० गोपालन	आकस्मिक कर्मचारी वर्ग को उनकी लगातार सेवा के आरंभ होने की तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से स्थायी घोषित करने की आवश्यकता ।	१००
१८	श्री वी० पी० नायर	चिकित्सा महाविद्यालय में औषधियों की कमी ।	१००
१८	श्री वी० पी० नायर	बड़े शल्य-चिकित्सा कार्यों में सहायता के लिये अर्हित एनासथेटिक विशेषज्ञों की अनुपलब्धता ।	१००
१८	श्री वी० पी० नायर	चिकित्सा महाविद्यालय की व्यवस्था	१००
१८	श्री वी० पी० नायर	चिकित्सा महाविद्यालय औषधालय में रोगियों को दिया जाने वाला भोजन ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
२०	श्री वी० पी० नायर	सहायता-दत्त दरों पर मत्स्य ग्रहण करने वालों को नमक का कम संभरण।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	मत्स्यग्राही गांवों में युवकों के लिये मनोरंजक सुविधाओं की व्यवस्था की कमी और विशेषकर खेल के मैदानों की कमी।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	मत्स्य पकड़ने वालों को अपनी समस्या हल करने के लिये प्राविधिक सहायता देने में असफलता।	१००
२१	श्री वी० पी० नायर	उपयुक्त स्थानों पर मत्स्य-पालन के लिये सलाह देने के निमित्त मत्स्य केन्द्र खोलने में असफलता।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	आकस्मिक, हीन तथा वर्ग ३ के अन्य कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की आवश्यकता।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	मत्स्य-पालन के लिये विकास कार्य के लिये अपर्याप्त व्यवस्था।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	भारत के भीतरी नगरों में विभिन्न प्रकार की अच्छी मछलियों के लिये कुशल विक्रय सेवा संगठित करने के बारे में असफलता।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	राज्य में उपयुक्त स्थानों पर किसानों की अतिरिक्त आय के लिये मत्स्य-पालन के कृत्रिम साधनों को लागू करने में असफलता।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	मत्स्य-पालन विभाग के हीन कर्मचारियों के काम की अवस्था।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	समस्त आकस्मिक तथा हीन कर्मचारियों को भूतलक्षी प्रभाव से स्थायी घोषित करने की आवश्यकता।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
२०	श्री वी० पी० नायर	विजिनजोम में सामुद्रिक सर्वेक्षण केन्द्र के कार्य-संचालन तथा उसकी गुंजाइश को बठाने म असफलता ।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	एरणाकुलम् में संगम मत्स्य-पालन केन्द्र के विकास में असफलता ।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	शार्क-मत्स्य-पालन केन्द्रों की गुंजाइश बढ़ाने में असफलता ।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	राज्य के सामुद्रिक उत्पादों की स्थायी नुमाइश करने में असफलता ।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	सामुद्रिक मत्स्य-पालन के विकास में अपर्याप्त कार्यवाही ।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	अधिक फ्राई स्टेशनों को खोलने में असफलता ।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	नहरों और नदियों में मत्स्य-पालन के विकास में असफलता ।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	सूखी झींगा मछली के लिये भारत में बाज़ार विकास करने में असफलता।	१००
२०	श्री पुन्नूस	मत्स्य-पालन से सम्बन्धित अधिक सहायक उद्योगों को आरंभ करने में असफलता ।	१००
२०	श्री पुन्नूस	मत्स्यपालों को आपत्ति काल में सहायता देने के लिये उन्हें बीमे के किसी तरीके के अन्तर्गत लाने के बारे में प्रभावपूर्ण कार्यवाही करने में असफलता ।	१००
२०	श्री पुन्नूस	मत्स्यपालों को मछली पकड़ने के जाल, गीयर तथा अन्य सामान खरीदने के लिये आसानी से दिये जाने वाले ऋण देने में असफलता ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
२०	श्री पुन्नूस	मछुओं के गांवों में वांछित चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें देने में असफलता ।	१००
२०	श्री पुन्नूस	मछली कम मिलने वाले महीनों में मत्स्यपालों को कम से कम खुराक और गुज़ारे के लिये सहायता देने के बारे में अपर्याप्त कार्यवाही ।	१००
२०	श्री पुन्नूस	सहायता-दत्त मूल्यों पर मत्सय पालों को सूत देने में असफलता ।	१००
२०	श्री पुन्नूस	समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछियारों को खराब ऋतु की पर्याप्त पूर्व-सूचना देने में असफलता ।	१००
२०	श्री पुन्नूस	मछली पकड़ने वालों के समुद्रतटीय गांवों में पीने के अच्छे पानी की व्यवस्था के लिये असफलता ।	१००
२०	श्री पुन्नूस	मछली पकड़ने वाले लोगों के लिये पर्याप्त सफाई तथा अन्य लोक-स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की व्यवस्था में असफलता ।	१००
२०	श्री पुन्नूस	मछली पकड़ने वालों के धार्मिक संस्थाओं के हाथों शोषण को रोकने में असफलता, उदाहरणतया गिरजा-घर जो कि प्रत्येक दिन समुद्र से पकड़ी हुई मछलियों में से अनिवार्य रूप से भाग लेते हैं ।	१००
२०	श्री पुन्नूस	मछली की ठीक तथा समान कीमतें निर्धारित करने में असफलता ।	१००
२०	श्री पुन्नूस	मछली न मिलने वाले समय में मछलियों के पकड़ने वालों के लिये काम की व्यवस्था करने की असफलता ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
२०	श्री पुन्नूस	तूफानों में जान व माल के नुकसान के लिये मछली पकड़ने वालों को मुआवजा देने के लिये अपर्याप्त कार्यवाही ।	१००
२०	श्री पुन्नूस	सामुद्रिक बाइओलोजी, मत्स्य टेक्नोलोजी के लिये पाठशालायें तथा मत्स्य ग्रहण केन्द्र खोलने में असफलता ।	१००
२०	श्री पुन्नूस	राज्य को मत्स्य-ग्रहण के बारे में केन्द्रीय सहायता देने में असफलता ।	१००
२०	श्री पुन्नूस	मछली पकड़ने वालों को सहकारी रूप से संगठित करने में प्रभावपूर्ण कार्यवाही करने में सरकार की असफलता ।	१००
२०	श्री पुन्नूस	मछली पकड़ने वालों को समय पर खबरदार करने के लिये तटीय संचार प्रणाली बनाने में सरकार की असफलता ।	१००
२३	श्री पुन्नूस	१९५५-५६ के लिये सहकारिता विभाग के आय-व्ययक में आवंटित राशि का प्रयोग न करना ।	१००
२३	श्री पुन्नूस	नारियल जटा उद्योग के लिये न्यूनतम वेतन लागू करने में असफलता ।	१००
२४	श्री वी० पी० नायर	बागान श्रम अधिनियम को क्रियान्वित करने में असफलता ।	१००
२४	श्री वी० पी० नायर	बागान श्रमिकों को पर्याप्त आवास सुविधायें देने में असफलता ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
२४	श्री वी० पी० नायर	संसाधनों के साथ शार्क लिवर ऑयल कम्पनी की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में असफलता ।	१००
२४	श्री वी० पी० नायर	हीन कर्मचारियों को स्थायी घोषित करने में असफलता ।	१००
२४	श्री वी० पी० नायर	शार्क लिवर तेल तैयार करने पर अधिक लागत ।	१००
२४	श्री पुन्नूस	नारियल जटा के रस्से बनाने वालों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के उल्लंघन के लिये दण्ड देने में असफलता ।	१००
२४	श्री पुन्नूस	सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन लेने के लिये नारियल जटा उद्योग के श्रमिकों के आन्दोलन का दमन ।	१००
२४	श्री पुन्नूस	नारियल जटा उद्योग के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन देने में असफलता ।	१००
२५	श्री पुन्नूस	कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिये असफलता ।	१००
२५	श्री पुन्नूस	अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये शिक्षा और आवास की अपर्याप्त व्यवस्था ।	१००
२५	श्री पुन्नूस	पूर्ण तथा पार्श्विक रोजगार सम्बन्धी आज तक की साँख्यकी एकत्रित करने में असफलता ।	१००
२५	श्री वी० पी० नायर	आज तक के जन्म और मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित करने में असफलता ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
२५	श्री वी० पी० नायर	बागान श्रमिक अधिनियम को कार्यान्वित करने में असफलता ।	१००
२५	श्री वी० पी० नायर	नारियल जटा उद्योग के लिये सरकार द्वारा उद्घोषित न्यूनतम वेतन को निर्माणकर्त्ताओं से कार्यान्वित कराने की असफलता ।	१००
२५	श्री वी० पी० नायर	विकास योजनाओं की अपर्याप्तता जो बेरोजगारी से विशेषतया सम्बन्धित है ।	१००
३	श्री वेलायुधन	सरकार की मद्य निषेध नीति	१००
५	श्री वेलायुधन	जंगल काटने की नीति	१००
५	श्री ए० के० गोपालन	वन विभाग के आधीन ठेकों की नीति ।	१००
५	श्री ए० के० गोपालन	लोक-कार्य समूहों, लोको कर्मचारियों, यातायात, टेलिफोन फिटरों तथा निगरानी करने वाले कर्मचारियों को अस्थायी आधार पर रखने की नीति ।	१००
५	श्री ए० के० गोपालन	वन लगाने तथा अविवेकपूर्ण वन-काटने की नीति ।	१००
५	श्री ए० के० गोपालन	सद्भावी केन पर काम करने वाले श्रमिकों के प्रयोग के लिये केन के हटाये जाने की नीति ।	१००
५	श्री ए० के० गोपालन	ज्ञात औषधीय महत्व वाले पौधों को एकत्रित करने की उचित योजना का अभाव ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशी (रुपयों में)
५	श्री ए० के० गोपालन	त्रावनकोर-कोचीन के जंगलों में स्वतः उगने वाले औषधीय महत्व के पौधों से रस तथा अलकली की वस्तुओं के निकालने के उद्योग को जारी करने में असफलता ।	१००
९	श्री ए० के० गोपालन	सरकारी बंगलों में आकस्मिक कर्मचारियों को स्थायी बनाने में असफलता ।	१००
९	श्री ए० के० गोपालन	केम-होटेल के आकस्मिक कर्मचारी वृन्द को स्थायी बनाने में असफलता ।	१००
९	श्री ए० के० गोपालन	विधि-विभाग में भर्ती की नीति	१००
९	श्री ए० के० गोपालन	हीन कर्मचारियों का अपर्याप्त वेतन	१००
९	श्री ए० के० गोपालन	उप-शीर्ष आकस्मिकताओं के आधीन हीन कर्मचारियों के कम वेतन ।	१००
९	श्री ए० के० गोपालन	राजस्व बोर्ड के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी घोषित करने में असफलता ।	१००
१२	श्री ए० के० गोपालन	उप-खजानों के कर्मचारियों को अधिक समय काम करने के लिये अपर्याप्त वेतन ।	१००
१२	श्री ए० क० गोपालन	दस्तावेजों की प्रतियां लेने में कठिनाइयां ।	१००
१२	श्री ए० के० गोपालन	दण्डाधिकारियों की भर्ती तथा पद वृद्धि के बारे में नीति ।	१००
१२	श्री ए० के० गोपालन	पुलिस की हिरासत में अपराधियों को पाशविक मारपीट से बचाने के लिये दण्डाधिकारियों की असफलता ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशी (रुपयों में)
१२	श्री ए० के० गोपालन	पुलिस के अत्याचारों को रोकने में दण्डाधिकारियों की असफलता ।	१००
१२	श्री ए० के० गोपालन	अभियोग चल रहे बन्दियों पर ठीक ढंग से ध्यान दिये जाने में असफलता ।	१००
१५	श्री वेलायुधन	पुलिस विभागों का प्रशासन	१००
१७	श्री वेलायुधन	राज्य सरकार की शिक्षा सम्बन्धी नीति ।	१००
१८	श्री वी० पी० नायर	समस्त अस्थायी कर्मचारियों को भूतलक्षी प्रभाव से स्थायी घोषित करने की अत्यन्त आवश्यकता ।	१००
१८	श्री वी० पी० नायर	नर्सों, कम्पाउण्डरों, देखभाल करने वालों तथा वार्डरों के वेतन बढ़ाने की आवश्यकता ।	१००
१८	श्री वी० पी० नायर	रोगियों की खूराक सुधारने की आवश्यकता ।	१००
१८	श्री वी० पी० नायर	देहात के अस्पतालों, आयुर्वेद अस्पतालों तथ फार्मेसियों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता ।	१००
१८	श्री वी० पी० नायर	आयुर्वेद के लिये अनुदान बढ़ाने की आवश्यकता ।	१००
१८	श्री वी० पी० नायर	छात्रों और उनकी मांगों के संबंध में सरकार की नीति ।	१००
१९	श्री वी० पी० नायर	अपुष्टिकर भोजन से होने वाली बीमारियों के पूर्ण अध्ययन के लिये एक समन्वित योजना का अभाव ।	१००
१९	श्री वी० पी० नायर	कंजरवैंसी कर्मचारियों की असंतोषजनक सेवा की शर्तें ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशी (रुपयों में)
१९	श्री वी० पी० नायर	समस्त आकस्मिक तथा कंजरवैंसी कर्मचारियों को भूतलक्षी प्रभाव से स्थायी बनाने की तुरन्त आवश्यकता ।	१००
१९	श्री वी० पी० नायर	लोक-स्वास्थ्य नर्सों, कंजरवैंसी कर्मचारी वर्ग की हैल्थ विजिटरों, तथा सफाई सम्बन्धी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की आवश्यकता ।	१००
१९	श्री वी० पी० नायर	हीन कर्मचारियों के सम्बन्ध में नीति तथा उन्हें शीघ्र ही स्थायी कर्मचारियों में खपाने की आवश्यकता ।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	सामुद्रिक मत्स्य-पालन के विकास के बारे में नीति की अस्वीकृति ।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	मछली पकड़ने वालों की समस्याओं के बारे में नीति की अस्वीकृति ।	१००
२०	श्री पुन्नूस	बैंज तट के विस्तृत संसाधनों का उपयोग करने में सरकार की असफलता ।	१००
२१	श्री वेलायुधन	ग्रामीण विकास की प्रगति	१००
२३	श्री वी० पी० नायर	सहकारी समितियों को अनुदानों के बारे में नीति की अस्वीकृति ।	१००
२३	श्री वी० पी० नायर	निदेश तथा निरीक्षण के बारे में नीति की अस्वीकृति ।	१००
२३	श्री पुन्नूस	हथकरघा कताई करने वाले की सहकारी संस्थायें ठीक काम कर रही हैं अथवा नहीं इसे देखने की असफलता ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
२३	श्री पुन्नूस	योजना के पांच वर्षों के लिये उपबन्धित आवंटित धन के आधे अर्थात् ८ लाख को भी व्यय करने में असफलता ।	१००
२३	श्री पुन्नूस	विभाग अकुशल निदेश, जो सहकारी समितियों के सदस्यों को हानिकर रहे हैं ।	१००
२३	श्री वेलायुधन	सहकारिता पर चर्चा के लिये	१००
२३	श्री पुन्नूस	सहकारी समितियों पर अदक्ष नियंत्रण जिससे बहुत सी समितियों में गबन और खराबियों का पता तक नहीं लगा ।	१००
२३	श्री पुन्नूस	राज्य सरकारी बैंक के थोड़े वेतन वाले कर्मचारियों के वेतन स्तर ।	१००
२३	श्री पुन्नूस	सहकारी संस्थाओं और निरीक्षक संगठनों का खराब कार्य-संचालन ।	१००
२४	श्री पुन्नूस	मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखानों में श्रमिक विरोधी कार्य ।	१००
२४	श्री पुन्नूस	मिट्टी के बर्तनों के उद्योग के विकास और मिट्टी के बर्तनों के कारखानों को बढ़ाने के लिये कुंडारा क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न लाभों के उपयोग में असफलता ।	१००
२४	श्री पुन्नूस	मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग के कर्मचारियों को बोनस देने का प्रश्न ।	१००
२४	श्री पुन्नूस	मिट्टी के बर्तनों के कारखाने में धन को व्यर्थ गंवाना विशेषतया नई भट्टियों के बारे में ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
२४	श्री पुन्नूस	औद्योगिक विकास के लिये उचित केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने में असफलता ।	१००
२४	श्री वेलायुधन	उद्योग विभाग के कार्य के बारे में नीति ।	१००
२४	श्री ए० के० गोपालन	"टैपरज" (ताड़ी निकालने वालों) को अपर्याप्त सहायता ।	१००
२४	श्री पुन्नूस	उचित संगठन तथा निरीक्षण का अभाव जिससे दोषपूर्ण टेक्नीक से स्थानीय साफ की हुई मिट्टी आपात की हुई चीनी मिट्टी से अधिक महंगी पड़ती है ।	१००
२५	श्री वेलायुधन	राज्य सरकार की श्रम नीति	१००
२५	श्री ए० के० गोपालन	कई प्राणभूत उद्योगों में न्यूनतम वेतन निश्चित करने में सरकार की असफलता ।	१००
२५	श्री ए० के० गोपालन	औद्योगिक न्यायाधिकरणों का कार्य संचालन ।	१००
२६	श्री ए० के० गोपालन	त्रिवेंद्रम के वाटर वर्कस तथा कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करने की और आवश्यकता ।	१००
२६	श्री ए० के० गोपालन	सेवा में एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों की अनावश्यक अत्यधिक संख्या ।	१००
२६	श्री ए० के० गोपालन	एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों की अदक्षता जिसके कारण बजट में दिये गये अनुदान व्यपगत हो जाते हैं ।	१००
३१	श्री वेला युधन	सामुदायिक परियोजनाओं का कार्य-संचालन ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
३२	श्री वेलायुधन	परिवहन योजनाओं पर चर्चा के लिये ।	१००
५	श्री वी० पी० नायर	काजू बागान के लिये दोबारा वृक्ष लगाने की गति तेज करने की आवश्यकता ।	१००
५	श्री वी० पी० नायर	एफ० आई० टी० लिमिटेड को दी गई रियायतों के बारे में नीति ।	१००
५	श्री वी० पी० नायर	गाड़ियों के परिरक्षण के लिये नीति	१००
५	श्री वी० पी० नायर	वन-विभाग में थोड़े वेतन वाले कर्मचारियों के वेतन ।	१००
५	श्री वी० पी० नायर	अपर्याप्त विकास योजनायें	१००
६	श्री वी० पी० नायर	उप-पंजीयकों के दफ्तरों में दस्तावेजों के पंजीयन कराने में विलम्ब ।	१००
६	श्री वी० पी० नायर	हीन कर्मचारियों का अपर्याप्त वेतन ।	१००
७	श्री वी० पी० नायर	मोटर-गाड़ियों के निरीक्षण में भ्रष्टाचार ।	१००
७	श्री वी० पी० नायर	निरीक्षण-चौकियों पर भ्रष्टाचार	१००
७	श्री वी० पी० नायर	यातायात विभाग में भ्रष्टाचार	१००
१२	श्री वी० पी० नायर	हीन कर्मचारियों के कम वेतन	१००
१२	श्री वी० पी० नायर	नई दिल्ली में त्रावनकोर-कोचीन हाउस जिस उपयोग में लिया जाता है ।	१००
१२	श्री वी० पी० नायर	आकस्मिक कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों में खपाने में असफलता ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
१२	श्री वी० पी० नायर	भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा राज्य पदालि में समान कार्य कर रहे अधिकारियों के वेतनों में अन्तर ।	१००
१२	श्री वी० पी० नायर	टाइपिस्टों, चपरासियों, दफ्तरियों, मोचियों, मालियों तथा अन्य कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के कम वेतन स्तर ।	१००
८	श्री वी० पी० नायर	वामनपुरम् नदी को काबू करके नेडूमनजाड तथा चिरयन्कील ताल्लुकों में सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने के लिये सरकार की असफलता ।	१००
९	श्री वी० पी० नायर	जैसा कि प्रैस द्वारा दिया गया है, पदाधिकारियों पर लगाये गये अत्याचार तथा कदाचार के अभियोगों की जांच करने में सरकार की असफलता ।	१००
९	श्री वी० पी० नायर	सरकारी विज्ञापन देने के मामले में पत्रों के विरुद्ध पक्षपात ।	१००
९	श्री ए० के० गोपालन	राज्य-प्रासाद संस्थापन के कम वेतनों वाले कर्मचारियों को पर्याप्त निवृत्ति वेतन देने में सरकार की असफलता ।	१००
९	श्री ए० के० गोपालन	वे सैनिक जो कि राज्यों के बलों से एकीकरण के पश्चात् अथवा पहले सेवा निवृत्ति हुए उन्हें सरकार द्वारा पर्याप्त निवृत्ति वेतन देने में असफलता ।	१००
९	श्री ए० के० गोपालन	त्रावनकोर-कोचीन राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के लिये उपयुक्त उपबन्ध करने में सरकार की असफलता ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
९	श्री वी० पी० नायर	उच्च पदाधिकारियों तथा भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में जांच करने में सरकार की असफलता ।	१००
९	श्री वी० पी० नायर	उच्च पदाधिकारियों तथा भूतपूर्व मंत्रियों की आय में जांच करने में सरकार की असफलता ।	१००
९	श्री ए० के० गोपालन	ऐसी नगरपालिकाओं की ओर ध्यान न देना जिनमें कांग्रेस राजनीतिक दल के रूप में अल्पसंख्या में है ।	१००
९	श्री ए० के० गोपालन	नगरपालिकाओं में पक्षपात जोकि निर्वाचित काउंसिलों में बहु-संख्यक दलों अथवा दल के आधार पर है ।	१००
९	श्री ए० के० गोपालन	एक पंचायत और दूसरी पंचायत में दलों के आधार पर पक्षपात ।	१००
९	श्री ए० के० गोपालन	जिन नगरपालिकाओं तथा निगमों में कांग्रेस अल्पसंख्या में है उनके कार्य में सरकार का हस्तक्षेप ।	१००
९	श्री ए० के० गोपालन	राज्य की नगरपालिका परिषदों को पूर्ण स्वायत्तता देने में सरकार की असफलता ।	१००
९	श्री ए० के० गोपालन	पंचायतों को पूर्ण स्वायत्तता देने में सरकार की असफलता ।	१००
१७	श्री वी० पी० नायर	महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये होस्टल सुविधाओं का अभाव विशेषतया गैर-सरकारी कालेजों में ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
१८	श्री वी० पी० नायर	अस्पतालों के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाये जाने की आवश्यकता जैसे कि यार्डर, देखभाल करने वाले, नर्सें, कम्पाउंडर, मेहतर, प्राविधिक प्रयोगशाला सहायक और डाक्टर भी ।	१००
१८	श्री वी० पी० नायर	नये चिकित्सालय तथा औषधालय खोलने के बारे में सरकार की नीति और उस सम्बन्ध में लगाई गई शर्तें ।	१००
१८	श्री वी० पी० नायर	शल्य चिकित्सा में सहायता देने के लिये राज्य के प्रत्येक बड़े अस्पताल में उपयुक्त अर्हता प्राप्त एनास्थेटिस्ट (सम्मोहक) का अभाव ।	१००
१८	श्री वी० पी० नायर	रोगियों को अस्पताल में दाखिल होने में कठिनाइयां ।	१००
१८	श्री वी० पी० नायर	मेडिकल कालिज (चिकित्सा महाविद्यालय) अस्पताल में कर्मचारियों तथा सामान की कमी ।	१००
१८	श्री वी० पी० नायर	अस्पतालों तथा औषधालयों में "एन्टी वेनेन सीरम" के पर्याप्त स्टाक रखने में असफलता ।	१००
१९	श्री वी० पी० नायर	सार्वजनिक जगहों में अपर्याप्त संडास ।	१००
१९	श्री वी० पी० नायर	बाजारों में अपर्याप्त सफाई के प्रबन्ध ।	१००
१९	श्री वी० पी० नायर	महत्वपूर्ण बाजारों में टट्टियों और मूत्रालयों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
१९	श्री वी० पी० नायर	एकान्त स्थित अस्पतालों में छूत के रोगों के लिये अपर्याप्त बिस्तरों की व्यवस्था ।	१००
१९	श्री वी० पी० नायर	लोक-स्वास्थ्य तथा हाइजीन के बारे में अपर्याप्त प्रचार ।	१००
१९	श्री वी० पी० नायर	लोक-स्वास्थ्य कर्मचारियों को उपयुक्त दस्ताने तथा अच्छी वर्दियां देने की आवश्यकता ।	१००
१९	श्री वी० पी० नायर	तटवर्ती क्षेत्रों में विशेषतया खारे पानी वाले नीचे लेबल के क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करने में सरकार की असफलता ।	१००
१९	श्री वी० पी० नायर	हीन कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने की आवश्यकता और ऐसे समस्त कर्मचारियों को स्थायी बनाने की आवश्यकता ।	१००
१९	श्री वी० पी० नायर	कंजरवैंसी कर्मचारियों की शोचनीय दशा ।	१००
१९	श्री वी० पी० नायर	चेचक, अंतड़ियों का बुखार और अन्य घातक महामारियों को रोकने के लिये पर्याप्त कार्यवाही करने में सरकार की असफलता ।	१००
१९	श्री वी० पी० नायर	विलिंगडन आइलैंड में अस्थायी कर्मचारियों की दशा ।	१००
१९	श्री वी० पी० नायर	टीके लगाने वालों, हैल्थ विजिटरों और सफाई सम्बन्धी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाये जाने की आवश्यकता ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
१९	श्री वी० पी० नायर	लोक-स्वास्थ्य विभाग तथा नगर-पालिकाओं में मेहतरों तथा झाड़ू लगाने वालों को राज्य के व्यय पर रबर के दस्ताने तथा टाँग के ऊपर तक के जूते दिये जाने की आवश्यकता ।	१००
१९	श्री वी० पी० नायर	कंजरवैंसी कर्मचारियों को उपयुक्त आवास सुविधायें देने की आवश्यकता ।	१००
१९	श्री वी० पी० नायर	सुदूर क्षेत्रों में प्रसूतिका तथा बाल-कल्याण सेवा के विस्तार की आव-श्यकता ।	१००
१९	श्री वी० पी० नायर	लोक-स्वास्थ्य विभाग में दाइयों के वेतन तथा प्रशिक्षणार्थी दाइयों की छात्रवृत्तियों को बढ़ाने की आवश्यकता ।	१००
१९	श्री वी० पी० नायर	स्थायी लोक-स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग रखने में असफलता ।	१००
१९	श्री वी० पी० नायर	वाटर वर्कस तथा ड्रेनेज कर्मचारियों के वेतन और भत्ते बढ़ाने की आवश्यकता ।	१००
१९	श्री वी० पी० नायर	मिली-जुली खाद के समान उपयुक्त खाद बनाने के लिये कूड़े कचरे आदि का उपयोग करने में असफलता ।	१००
१९	श्री वी० पी० नायर	प्लेग-विरोधी, हैजा-विरोधी तथा चेचक-विरोधी कार्यों के लिये अपर्याप्त व्यवस्था ।	१००
१९	श्री वी० पी० नायर	बैक्टीरियोलोजिकल प्रयोगशाला के प्रसार तथा बैक्टिरियोलोजी में पर्याप्त गवेषणा की व्यवस्था करने के लिये सरकार की असफलता ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
१९	श्री ए० के० गोपालन	त्रिवेन्द्रम, चिरयन्कील और क्विलोन ताल्लुकों में तटवर्ती ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था करने में सरकार की असफलता।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	सुपारी और केले के पौधों की बीमारियों को रोकने के लिये उपयुक्त सलाह देने में सरकार की असफलता।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	पौधों के रोगों को रोकने के लिये स्केनस तैयार करने में सरकार की असफलता।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	गन्ने तथा धान आदि के लिये अधिक उपयोगी छलनियां तैयार करने के लिये पर्याप्त गवेषणा करने में सरकार की असफलता।	१००
२१	श्री वी० पी० नायर	पंचायतों के कर्मचारियों के वेतनों में उनके समान सरकारी कर्मचारियों के वेतन से बराबर करने की अविलम्बनीयता।	१००
२१	श्री ए० के० गोपालन	पंचायतों के दिन प्रति दिन के कार्य में सरकार का हस्तक्षेप और पंचायतों की स्वायत्तता में कमी।	१००
२४	श्री ए० के० गोपालन	काजाह्-कूटम में पाये गये बड़ी मात्रा में मोनाजाइट को निकालने के बारे में सरकार की असफलता।	१००
२५	श्री वी० पी० नायर	नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के वेतन म उनके समान सरकारी कर्मचारियों से बराबर करने की आवश्यकता।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
२५	श्री ए० के० गोपालन	सार्वजनिक कार्य वर्कशापों में तथा सार्वजनिक कार्य विभाग में अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाने में सरकार की असफलता ।	१००
२५	श्री ए० के० गोपालन	नगरपालिकाओं के दिन प्रति दिन के प्रशासन में सरकार का हस्तक्षेप और नगरपालिका परिषदों के निर्णयों का सरकार द्वारा अनादर ।	१००
२५	श्री ए० के० गोपालन	नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के काम की दशा ।	१००
२५	श्री ए० के० गोपालन	नगरपालिका आयुक्तों की शक्तियां तथा नगरपालिकाओं की परिषदों के निर्णयों के विरुद्ध ऐसी शक्तियों का प्रयोग ।	१००
३१	श्री वी० पी० नायर	राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों और सामुदायिक परियोजनाओं में नेदुमंगड़ तथा चिरयिंकिल ताल्लुकों में किसी भी योजना को सम्मिलित करने में सरकार की असफलता ।	१००
३२	श्री वी० पी० नायर	डीजल द्वारा चलने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सरकारी खर्च पर विटामिन तथा दूध का संभरण कर उनकी रक्षा के मामले में सरकार की असफलता ।	१००
३२	श्री वी० पी० नायर	५ टन से भारी गाड़ियों के चलाये जाने के कारण ड्राइवरों और कंडक्टरों क कार्य की सीमा म वृद्धि ।	१००
३२	श्री वी० पी० नायर	रात भर ठहरने के लिये चालक-वर्ग के लिये प्रबन्धों का अभाव ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
३२	श्री वी० पी० नायर	जैसे रेलवे में होता है, परिवहन कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों को पास देने में असफलता ।	१००
३२	श्री वी० पी० नायर	मेकेनिकल कर्मचारियों की बुरी कार्य-करने की दशा ।	१००
३२	श्री वी० पी० नायर	परिवहन कर्मचारियों के लिये आवास सुविधाओं की कमी ।	१००
३२	श्री वी० पी० नायर	राज्य परिवहन कर्मचारियों की मांगें पूरी करने में असफलता ।	१००
३२	श्री वी० पी० नायर	उन कर्मचारियों को पर्याप्त मुआवजा देने में असफलता जिन पर १९५५ में परिवहन हड़ताल के समय पुलिस ने अत्याचार किया था ।	१००
३२	श्री वी० पी० नायर	१९५५ की परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में लिये गये मामलों को बिना शर्त के वापस लेने में असफलता ।	१००
३२	श्री वी० पी० नायर	परिवहन विभाग में कंडक्टरों, ड्राइवरों तथा फिटरों को सेवा की अच्छी शर्तें देने की आवश्यकता ।	१००
३२	श्री वी० पी० नायर	पोर्टरों को स्थायी सेवा में खपाने में असफलता ।	१००
३२	श्री वी० पी० नायर	उच्चाधिकारियों पर निधियों को व्यर्थ नष्ट करना ।	१००
३२	श्री वी० पी० नायर	परिवहन कर्मचारियों को दिये जाने वाला अपर्याप्त बोनस ।	१००
३२	श्री वी० पी० नायर	परिवहन विभाग के उच्चाधिकारियों की अदक्षता ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
३	श्री एन० श्रीकांतन नायर	मद्य निषेध नीति को कार्यान्वित करने में भ्रष्टाचार ।	१००
३	श्री एन० श्रीकांतन नायर	मद्य निषेध नीति की असफलता	१००
९	श्री वी० पी० नायर	स्टोर-क्रम-नीति	१००
९	श्री वी० पी० नायर	कृषि-पदार्थों और वाणिज्यिक फसलों के लिये भावों को गिरने से बचाने की नीति का अनुसरण करने में सरकार की असफलता ।	१००
९	श्री वी० पी० नायर	दैनिक "जनयुगम्" को सरकारी विज्ञापन देने में भेदभाव ।	१००
१३	श्री एन० श्रीकान्तन नायर	व्यवहार तथा दण्ड न्याय व्यवस्था में विलम्ब ।	१००
१३	श्री एन० श्रीकांतन नायर	दण्ड-न्यायालयों, दण्डाधिकारियों तथा पुलिस में सम्बन्ध ।	१००
१४	श्री एन० श्रीकान्तन नायर	दंडित व्यक्तियों को दिये जाने वाला निकम्मा भोजन तथा सुविधायें और सुधार समिति की सिफारिशों को पूर्णरूप से कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	१००
१५	श्री एन० श्रीकांतन नायर	पुलिस की हिरासत में लोगों से दुर्व्यवहार ।	१००
१५	श्री एन० श्रीकांतन नायर	पुलिस द्वारा पिटीशन-जांच	१००
१५	श्री एन० श्रीकांतन नायर	व्यापार-विवादों में पुलिस का हस्तक्षेप ।	१००
१५	श्री एन० श्रीकांतन नायर	पुलिस के सिपाहियों के कम वेतन तथा आवास और सवारी की सुविधाओं की कमी जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
१६	श्री एन० श्रीकांतन नायर	चिड़ियाघर तथा संग्रहालय के आकस्मिक कर्मचारियों की वेतन तथा सुविधाओं की मांगें ।	१००
१७	श्री एन० श्रीकांतन नायर	आरम्भिक अध्यापकों तथा स्नातक अध्यापकों के वेतनों में वृद्धि की आवश्यकता ।	१००
१८	श्री एन० श्रीकांतन नायर	समस्त अस्पतालों तथा औषधालयों में औषधियों की कमी ।	१००
१८	श्री एन० श्रीकांतन नायर	मेडिकल कालिज (चिकित्सा महाविद्यालय) अस्पताल में असंतोषजनक प्रबन्ध ।	१००
१८	श्री एन० श्रीकांतन नायर	अस्पताल आकस्मिक कर्मचारिवृन्द के कम वेतन तथा भत्ते ।	१००
२०	श्री एन० श्रीकांतन नायर	पुंज विशेष दफ्तर में अदक्षता और सामान्य ढील ।	१००
२०	श्री एन० श्रीकांतन नायर	मछली के परिरक्षण के लिये अपर्याप्त सुविधायें तथा उसको भीतरी क्षेत्रों में ले जाने की सुविधायें ।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की आवश्यकता ।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय आरम्भ करने में सरकार की असफलता ।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	पर्याप्त पशु-चिकित्सा सेवा की व्यवस्था में असफलता ।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	लैमन ग्रास की खेती करने वालों को आवश्यक सहायता का अभाव ।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	कृषि-बाइलोजी के क्रमिक अध्ययन की ओर ध्यान न देना ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
२०	श्री वी० पी० नायर	काजू की उपज बढ़ाने के सुधार की अपर्याप्त व्यवस्था ।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	ताड़ी में मयसारिक अंश को बीयर के समान कम प्रतिशत पर करने के लिये गवेषणा कार्य में विभाग की असफलता ।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	कृषि-शिक्षा देने के मामले में सरकार के अपर्याप्त प्रयत्न ।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	भूमि संरक्षण की ओर ध्यान न देना	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	माइकोलोजी तथा पौधा पैथोलोजी में विशेषतया त्रावनकोर-कोचीन राज्य से सम्बन्धित दृष्टि में गवेषणा की ओर ध्यान न दना ।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	पशुधन के खरीदने की अपर्याप्त व्यवस्था ।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	कलम लगाने तथा पौध लगाने के कार्य में सुधार की आवश्यकता ।	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	अजापालन, मुर्गी पालन तथा बत्तख पालन के लिये अपर्याप्त व्यवस्था ।	१००
२१	श्री ए० के० गोपालन	पंचायतों के कम वेतनों वाले कर्मचारियों की शोचनीय दशा ।	१००
२२	श्री वी० पी० नायर	हीन कर्मचारियों तथा सांडों की देख-भाल करने वालों के वेतन बढ़ाये जाने की तुरन्त आवश्यकता ।	१००
२२	श्री वी० पी० नायर	नस्ल सुधारने के कार्यों के लिये अपर्याप्त व्यवस्था ।	१००
२२	श्री वी० पी० नायर	पशुओं तथा मुर्गियों की नस्लें सुधारने के लिये अपर्याप्त अभिजनन केन्द्र ।	१००
२२	श्री वी० पी० नायर	राज्य में अपर्याप्त पशु-चिकित्सा सेवा	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
२२	श्री वी० पी० नायर	संस्थापन कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने की आवश्यकता और समस्त कर्मचारियों को भूतलक्षी प्रभाव से उनकी लगातार सेवा आरम्भ होने की तारीख से स्थायी घोषित करने की तुरन्त आवश्यकता ।	१००
२३	श्री वी० पी० नायर	योग्य सहकारी समितियों को सहायता देने में सरकार की असफलता ।	१००
२३	श्री वी० पी० नायर	कुछ सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार और सरकार की अपराधियों को दण्ड देने में असफलता ।	१००
२३	श्री एन० श्रीकांतन नायर	सहकारी बिभाग से सरकार का विमाता समान व्यवहार ।	१००
२४	श्री ए० के० गोपालन	राज्य के नारियल-जटा उद्योग को समुचित रूप से पुनर्गठन करने में सरकार की असफलता ।	१००
२४	श्री ए० के० गोपालन	नारियल जटा उद्योग में गड़बड़ हो जाने के कारण नौकरियों से निकाले गये श्रमिकों की दशा सुधारने में सरकार की असफलता ।	१००
२४	श्री ए० के० गोपालन	नारियल जटा उद्योग के छोटे उत्पादकों को पर्याप्त सहायता देने में सरकार की असफलता ।	१००
२४	श्री ए० के० गोपालन	नारियल-जटा श्रमिकों तथा छोटे पैमान के निर्माताओं के शोषण को रोकने के लिये सरकार की असफलता ।	१००
२४	श्री ए० के० गोपालन	नारियल-जटा निर्माण में संभव व्यर्थ जाने वाली वस्तुओं में उचित गवेषणा करने में सरकार की असफलता ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
२४	श्री ए० के० गोपालन	नारियल-जटा उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की दशा में तथा आश्रित सहायक उद्योगों पर निर्भर श्रमिकों की दशा में क्रमिक एवं पूर्ण सर्वेक्षण कराने में सरकार की असफलता ।	१००
२४	श्री एन० श्रीकांतन नायर	चावरा में खनिज रेत के खनन के वैज्ञानिक तरीके अपनाने की आवश्यकता ।	१००
२४	श्री एन० श्रीकांतन नायर	चावरा में तटवर्ती सुरक्षा की वैज्ञानिक कार्यवाही अपनाने की आवश्यकता ।	१००
२४	श्री एन० श्रीकांतन नायर	मत्स्यपालन, आवास और खनन के लिये व्यापक योजना की आवश्यकता ।	१००
२४	श्री एन० श्रीकांतन नायर	दिल्ली नुमाईश में मिट्टी के बर्तन सम्मिलित करने में उद्योग विभाग की असफलता ।	१००
२४	श्री एन० श्रीकांतन नायर	कुटीर उद्योगों के विकास के लिये प्रभावहीन कार्यवाही ।	१००
२४	श्री एन० श्रीकांतन नायर	नारियल-जटा उद्योग में कच्चे और सड़ाये गये रेशों की कीमत पर नियंत्रण की आवश्यकता ।	१००
२४	श्री एन० श्रीकांतन नायर	बाबा क्राकरीज़ को थोक ठेका देना जिससे मिट्टी के बर्तनों की फैक्टरी कुंडारा को बहुत हानि हुई है ।	१००
२४	श्री एन० श्रीकान्तन नायर	त्रावनकोर मिनरल कन्सर्नज़ चावरा में भ्रष्टाचार ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
२४	श्री एन० श्रीकांतन नायर	खनिज निर्णयन मामले की पैरवी के लिए अत्यधिक शुल्क पर एक बाह्य वकील का लगाना ।	१००
२४	श्री एन० श्रीकांतन नायर	रोन्टेल प्लांट के कार्य में हुई हानि	१००
२४	श्री एन० श्रीकांतन नायर	गैर-सरकारी संस्थाओं को लेगेनाइट के निर्यात की आज्ञा देना जिसके परिणामस्वरूप नौवहन की दृष्टि से १,००,००० रुपये की हानि हुई है ।	१००
२४	श्री वी० पी० नायर	रबड़ के कारखाने के प्रसार में असफलता और छंटनी किये गये कर्मचारियों को खपाने में असफलता ।	१००
२४	श्री वी० पी० नायर	कुंभकारी कारखाना कंडारा के प्रबन्ध का अत्याचार ।	१००
२४	श्री वी० पी० नायर	कुंभकारी कारखाने के श्रमिकों की वैध मांगों पर ध्यान न देना ।	१००
२४	श्री वी० पी० नायर	प्लाईवुड कारखाने में विज्ञापन देने की नीति ।	१००
२५	श्री ए० के० गोपालन	बागान श्रमिकों को निम्नतम शिक्षा की सुविधायें देने में सरकार की असफलता ।	१००
२५	श्री ए० के० गोपालन	बागान उद्योग के श्रमिकों के बच्चों के लिये शिक्षा तथा मनोरंजन की सुविधायें प्रबन्धकों द्वारा दिलाने में सरकार की असफलता ।	१००
२५	श्री ए० के० गोपालन	बागान उद्योग के श्रमिकों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधायें देने में सरकार की असफलता ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
२५	श्री ए० के० गोपालन	बागान उद्योग में महिला श्रमिकों के लिये विशेषतया प्रसव-काल के विषय में चिकित्सा सहायता देने में सरकार की असफलता ।	१००
२५	श्री एन० श्रीकांतन नायर	नारियल-जटा उद्योग में न्यूनतम मजूरी लागू करने में असफलता ।	१००
२५	श्री एन० श्रीकांतन नायर	बागान श्रम अधिनियम को पूर्णतया लागू करने में असफलता ।	१००
२५	श्री एन० श्रीकांतन नायर	बागान के लिये विशेष न्यायाधिकरण की नियुक्ति, कार्यत्याग तथा अप्रवर्तन ।	१००
२५	श्री एन० श्रीकांतन नायर	औद्योगिक विवाद सुलझाने में श्रम-विभाग की अदक्षता ।	१००
२५	श्री एन० श्रीकांतन नायर	कल्याण तथा संसाधन कर्मचारियों और पदाधिकारियों को थोड़ा वेतन तथा भत्ते जिसके परिणाम-स्वरूप भ्रष्टाचार फैलता है ।	१००
२५	श्री एन० श्रीकांतन नायर	प्रतिकर अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिये एक पूर्ण समय काम करने वाले आयुक्त की आवश्यकता तथा दुकान अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिये पूरे समय काम करन वाली अपीलीय प्राधिकारी की आवश्यकता ।	१००
२६	श्री ए० के० गोपालन	नगरपालिका परिषदों के प्रस्तावों का अनादर ।	१००
२६	श्री ए० के० गोपालन	नगरपालिका आयुक्तों को निर्वाचित नगरपालिका सभापतियों के पूर्ण नियंत्रण में रखने की आवश्यकता ।	१००
२६	श्री ए० के० गोपालन	ठेके देने की नीति	१००

†**अध्यक्ष महोदय** : ये समस्त कटौती प्रस्ताव सभा के सामने चर्चा के लिये हैं।

†**श्री ए० के० गोपालन** : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या २७२, २७३, २७४ और २७५ पर बोलना चाहता हूं जो नारियल-जटा उद्योग से सम्बन्धित हैं।

जहां तक नारियल-जटा उद्योग का सम्बन्ध है, सरकार ने तीन चीजें की हैं। एक तो नारियल-जटा बोर्ड की स्थापना, दूसरे निम्नतम मजूरी निर्धारित करना और तीसरे कुछ नारियल-जटा उद्योग सहकारी समितियों का संगठन करना। इन चोजों को करने के बावजूद भी मजदूरों का कुछ भी लाभ नहीं हुआ। न्यूनतम मजूरी निर्धारित हो जाने पर और भी झगड़ उठ खड़े हुए और कुछ कारखानों में तो वह अभी तक लागू नहीं की गई है। केवल इसी उद्योग में नहीं अपितु कुछ चाय बागानों में भी यही दशा है। अतः सरकार को यह देखना चाहिये कि जहां कहीं निम्नतम मजूरी निर्धारित की जा चुकी है वहां इसका पालन भी किया जाता है अथवा नहीं।

नारियल-जटा उद्योग ही एक मात्र कुटीर उद्योग है। अतः बोर्ड को उसके लिये बाजार और सहकारी समितियों की स्थापना करने में सहायता करनी चाहिये वास्तव में लाभ इस उद्योग के मजदूरों को न हो कर मध्यस्थों को हुआ है।

वित्त मंत्री ने त्रावणकोर-कोचीन राज्य की समस्या का उल्लेख किया है। नये उद्योग की स्थापना करने से पूर्व सरकार को इसके मजदूरों के हितों की ओर ध्यान देना चाहिये और नारियल-जटा उद्योग के लिये अधिक विस्तृत बाजार की व्यवस्था करनी चाहिये।

जहां तक अन्य राज्यों का सम्बन्ध है, उनमें भूमि सुधार विधान बन चुका है और कुछ भूमि सुधार भी हो चुके हैं। किन्तु त्रावणकोर-कोचीन राज्य में कोई भी विधान नहीं बना है। विधान सभा में लगभग ४ या ५ विधान निलम्बित हैं। अतः भूमि सुधार के बारे में त्रावणकोर-कोचीन राज्य को भारत के अन्य राज्यों के समान बनाना है। विधान सभा को भंग करने वाले विधान पर यहां चर्चा की जा सकती है जिससे उसका स्थान अन्य राज्यों के समान हो सके।

†**श्री पुन्नूस** : मैं माननीय मंत्री के समक्ष एक दो उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ पहलू रखना चाहता हूं। उन्होंने नारियल-जटा उद्योग के बारे में जो सन्तोष प्रकट किया है उसका आधार दृढ़ नहीं है। यह सच है कि निर्यात में वृद्धि हुई है, किन्तु वह केवल कच्चे माल की ही, जबकि औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में प्रति वर्ष कमी ही होती जा रही है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि नारियल की जटाओं का इतना निर्यात क्यों बढ़ाया जा रहा है? फ्रांस में नारियल की जटा का आयात करने के लिये सब प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं जबकि उसके बने सामान पर शुल्क लगा दिया गया है। अतः माननीय मंत्री को बोर्ड पर ही निर्भर न रह कर इस सम्बन्ध में स्वयं जांच करनी चाहिये। इस उद्योग में लगे लोगों की छंटनी किये बिना सरकार को इसका पुनर्संगठन करना होगा।

दूसरी बात मुझे रबड़ के बारे में यह कहनी है कि यह उद्योग भारत सरकार के अधीन है और त्रावणकोर-कोचीन तथा केरल में सारे देश की लगभग ९६ प्रतिशत रबड़ पैदा होती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से रबड़ की मांग अधिक बढ़ जाने से इसकी कमी पड़ेगी। सुदूर पूर्वी देशों में रबड़ के औद्योगीकरण से हमारे देश को अधिक लाभ हो सकता है। इस कारण रबड़ बोर्ड के सदस्यों ने सरकार से निवेदन किया है कि यदि वह १,००० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अग्रिम राशि दें तो देश में रबड़ का उत्पादन दस गुना कर सकते हैं। इससे देश में १,००,००० एकड़ में नई रबड़ पैदा होगी और

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पुन्नूस]

देश की आवश्यकता पूरी हो जायेगी। एक एकड़ पर १/२ व्यक्तियों को काम में लगाया जा सकता है। अतः वित्त मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिये।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : इसमें कुल कितनी राशि लगेगी ?

†**श्री पुन्नूस** : हो सकता है कि मुझ से गलती हो जाये, अतः माननीय मंत्री ही इसका पता लगायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रति एकड़ कितनी लागत लगेगी ?

†**श्री पुन्नूस** : रबड़ बोर्ड ने ७५० रुपये प्रति एकड़ की सिफारिश की है किन्तु मैं चाहता हूं कि यह राशि १,००० रुपये प्रति एकड़ होनी चाहिये। यह देश के हित की दृष्टि से बड़ा अच्छा होगा।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : इस हिसाब से प्रति वर्ष लगभग ५० लाख रुपया व्यय करना होगा।

†**श्री पुन्नूस** : प्रारम्भ के एक-दो वर्षों में ७,००० एकड़ के लिये राशि देनी होगी। सातवें वर्ष से और उससे आगे कृषक आपको धन वापस देना शुरू कर देंगे। भूमि भी उपलब्ध है किन्तु विशेषज्ञ उसके लिये तैयार नहीं हैं। वित्त मंत्री के हिसाब से यह कोई अधिक राशि नहीं है।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं केवल यह चाहता हूं कि इसका परिणाम उचित हो।

†**श्री पुन्नूस** : अब मुझे यह कहना है कि यह राज्य केन्द्रीय सरकार के अधीन आ गया है। मैं अनेक उदाहरणों से यह बता सकता हूं कि पुलिस का दमन अभी भी वैसा ही है।

इन में पहला स्थान वरकाला है, जहां लिगनाइट पाया जाता है। यहां दस आदमियों को सड़क पर मारा गया और उन्हें गिरफ्तार कर के जेल में फिर पीटा गया। यह बड़ी गम्भीर चीज है कि इस प्रकार पुलिस सड़क पर पीटे। इसी प्रकार पण्डलाम में एक गरीब किसान को पुलिस कांस्टेबुलों ने बड़ी निर्दयता से पीटा। तिरुवेल्ला में कुछ लोगों को एक स्थानीय पुलिस इन्स्पेक्टर के आदेश से गिरफ्तार कर के पीटा गया। नेय्याटंटाकारा में एक किसान को बीच सड़क पर पीटा गया। पेरुमला में १०० मजदूरों की छंटनी करने के परिणामस्वरूप जब शान्तिपूर्ण सत्याग्रह किया गया तो फिर पुलिस ने हस्तक्षेप करके मजदूरों को पीटा। मुन्डाकय्यम में भी एक झगड़ा हुआ था जिसका कारण अतिरिक्त समय कार्य करने का भत्ता न दना था। मजदूरों को पहले की भांति ही गिरफ्तार किया गया और पुलिस गाड़ी में तथा सड़क पर पीटा गया। इतना ही नहीं कृषि मजदूरों और स्त्रियों तक को पुलिस से मार खानी पड़ती है। इसमें किसी का सुधार आज तक नहीं हुआ।

इसमें कोई दलबन्दी की भावना का प्रश्न नहीं है। अतः दलबन्दी की भावना को छोड़ कर न्याय किया जाना चाहिये जो हम सब के लिये लाभदायक सिद्ध होगा।

†**श्री वी० पी० नायर** : मुझे हर्ष है कि माननीय वित्त मंत्री ने यह वादा किया है कि राशि उपलब्ध होते ही वह हमें धन देंगे। इससे भी अधिक सराहना मैं गृह-कार्य मंत्री के साहस की करता हूं जिन्होंने कहा कि त्रावणकोर-कोचीन राज्य के मछुओं के लिये उचित व्यवस्था कर दी गयी है। मैं उन्हें बता दूं कि वहां की हालत अब भी बहुत खराब है। त्रावणकोर-कोचीन राज्य छोटा होते हुए भी मछली उद्योग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। त्रावणकोर-कोचीन राज्य ने अपने एक प्रकाशन में बताया है कि इस राज्य में इंगलैंड और जर्मनी की तुलना में बारह गुने लोग मत्स्य-उद्योग में लगे हुये हैं। वहां मछलियों की वार्षिक पैदावार ९०,००० टन है। यह मात्रा भारत की कुल मछलियों

†मूल अंग्रेजी में

की तीन-चौथाई है। मैंने जब इन मजदूरों की दशा सुधारने के लिये कहा तो माननीय मंत्री ने बताया कि वह सब किया जा चुका है।

त्रावणकोर-कोचीन के जिन गांवों में मछलियां पकड़ी जाती हैं, वहां शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। मछुओं का शोषण मध्यस्थों द्वारा एक-चौथाई या छठा भाग शुल्क के रूप में लेकर किया जा रहा है। सफाई और स्वास्थ्य का कोई भी प्रबन्ध वहां नहीं है। अस्पताल बनवाने की ओर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता।

चीन की सहकारी समितियों की सफलता को देख कर मैंने कृषि मंत्री डा० पी० एस० देशमुख से कहा था कि हमारे यहां के कुछ लोगों को इस विषय में शिक्षा देने के लिये वहां भेजा जाना चाहिये। सरकार को यहां भी उसी प्रकार की समितियां बनाने के बारे में विचार करना चाहिये।

मछुओं के लिये बीमा सम्बन्धी सुविधा की ओर भी सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। उन्हें अपने बच्चों को शिक्षा देने तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिये सरकार से धन मिलना चाहिये।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लिगनाइट की खाने हैं जिनकी ओर माननीय मंत्री को ध्यान देना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि वहां ईंधन की कमी है किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिगनाइट के बारे में प्रयोग करने की योजना अवश्य सम्मिलित की जानी चाहिये। वहां जो लिगनाइट निकलता है उसके बारे में राज्य सरकार ने लिखा है कि उसका विश्लेषण करने पर पता लगा कि वह अन्य लिगनाइट और यहां तक कि कोयले की तुलना में काफी अच्छा होता है। वरकाला के बारे में माननीय मंत्री का अनुमान गलत है। सर्वप्रथम १९२० में डा० चाको ने जांच करके बताया था कि वहां २७ करोड़ ६ लाख टन लिगनाइट है। उसके बाद की रिपोर्टों और जांचों से पता लगा कि यह अनुमान भी कम ही रहा, वहां लगभग ५०० वर्ग मील में लिगनाइट है। इसके अलावा राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में लिगनाइट पाये जाने के बारे में समाचार मिला है।

सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसे महत्वपूर्ण खनिज की खुदाई ठीक प्रकार से नहीं की जा रही है। राज्य पुस्तिका में कहा गया है कि बहुत पहले से इन जगहों से ग्रेफाइट निकाला जा रहा है जो विभिन्न प्रकार के कामों में आता है।

क्या सरकार इस स्थिति में नहीं है कि ग्रेफाइट को अधिक मात्रा में निकलवा सके ? मेरे विचार से तो इस ओर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

क्रिसो बेरिल पत्थर का सर्वेक्षण प्रधान मंत्री के निर्देशानुसार किया गया। जिन लोगों ने इस कार्य को अपने हाथों में लिया उनकी हैसियत थोड़े ही दिनों में बहुत अच्छी बन गई है।

अब मैं सरकारी विभागों में चीजों की जो बर्बादी होती है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैंने गृह-कार्य मंत्री को इस बारे में पत्र लिखा है हिन्दू नामक समाचार पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि एक पुरानी साईकिल की नीलामी के एक बार विज्ञापन के लिये सरकार को ५६ रुपये व्यय करने पड़े। इतना ही नहीं यही विज्ञापन अनेक पत्रों में विज्ञापित करवाया गया जिसके फल-स्वरूप सरकार को २०० या ३०० रुपये व्यय करने पड़े। इस प्रकार की बर्बादी सरकारी विभागों में नहीं होनी चाहिये। यही नहीं इसी प्रकार के अन्य भी अनेक उदाहरण देखने में आये हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि सरकार छोटी-छोटी-सी चीजों के विज्ञापन में इतना धन क्यों बर्बाद करती है। मैं सचिवालय में कार्य कर चुका हूं, इस कारण मैं वहां की दशा जानता हूं। अतः मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि सरकार को यह अपव्यय रोकना चाहिये। यह बड़ी गम्भीर बात है।

[श्री वी० पी० नायर]

एक महत्वपूर्ण बात मुझे यह कहनी है कि वित्त मंत्री ने कहा कि केन्द्र ने राज्य की अवहेलना नहीं की है। किन्तु यदि सरकार केन्द्रीय निधि में से ४·८ करोड़ रुपया टाटा को तथा इसी प्रकार की अन्य बड़ी-बड़ी कम्पनियों को काफी राशि में अग्रिम धन दे सकती है .....

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस समय इन बातों के ब्यौरे में जाने की जरूरत है ?

†**श्री वी० पी० नायर**: मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सारे भारत की १/३६ जनसंख्या त्रावणकोर-कोचीन राज्य में है और उसे केन्द्रीय निधि का केवल १/२५ भाग ऋण और अग्रिम राशि के रूप में मिलता है, तो क्या यह उपेक्षा का द्योतक नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को त्रावणकोर-कोचीन के लिये अधिक राशि की मांग करने का अधिकार प्राप्त है, किन्तु अन्य बातों में उन्हें नहीं पड़ना चाहिये।

†**श्री वी० पी० नायर** : मेरा कटौती प्रस्ताव इस बारे में है कि त्रावणकोर-कोचीन सरकार केन्द्रीय सरकार को प्रति व्यक्ति नियतन की आवश्यकता अनुभव कराने में असफल रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह सरकार अब नहीं रही। इस बारे में कटौती प्रस्ताव रखने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री वी० पी० नायर** : सरकार तो है, मंत्रालय अवश्य बदल गया है। मंत्री और मंत्रालय आते जाते रहते हैं किन्तु सरकार बराबर चलती रहती है। यदि सरकार कलकत्ता टेलीफोन के स्वतः चालन के लिये ३·५ करोड़ रुपया अग्रिम राशि के रूप में दे सकती है—यद्यपि मुझे इसमें प्रसन्नता है···

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने जो निर्देश दिये वे सही हो सकते हैं किन्तु कलकत्ता टेलीफोन वाली बात सही नहीं है। वह त्रावणकोर-कोचीन के आयव्ययक को सबसे अधिक प्राथमिकता देने की बात कहते हैं। कहना चाहते हैं किन्तु वह अब टाटा का निर्देश कर रहे हैं।

†**श्री वी० पी० नायर** : मैं केवल यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार हमारी समस्याओं को समझकर उन्हें भी हल करने का प्रयत्न करे।

अन्त में मुझे केवल यह कहना है कि भारत सरकार का रुख त्रावणकोर-कोचीन के प्रति सहायता और उदारतापूर्ण नहीं है।

†**श्री एन० श्रीकांतन नायर** : गृह-कार्य उपमंत्री हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि हमने पुलिस के सम्बन्ध में सख्त बातें की हैं। मेरे माननीय मित्र ने अपने स्वयं के अनुभवों का उल्लेख किया।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस सम्बन्ध में नियम ३४० है। नियम में कहा गया है कि यदि ऐसे मामलों की सूचना पहले दे दी जाय तो माननीय मंत्री उनका उत्तर ज्यादा अच्छी तरह दे सकते हैं।

†**श्री ए० के० गोपालन** : हमने कुछ मास पूर्व सभी अत्याचारों का ब्यौरा एक स्मरणपत्र के रूप में गृह-कार्य मंत्री को दिया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब संगत है परन्तु इसका उत्तर तुरंत नहीं दिया जा सकता।

†**श्री एन० श्रीकांतन नायर** : मैंने १/२ मास पूर्व अवैध निरोध, प्रहार, और अन्य अपराधों के सम्बन्ध में शिकायत भेजी थी। मुझे उसका कोई उत्तर नहीं मिला। किसी व्यक्ति के याचिका पत्र भेजने पर पुलिस की जिसके सम्बन्ध में शिकायत हो उसे पकड़ कर मारती पीटती है और ४–५ दिन

†मूल अंग्रेजी में

जेल में रखती है। ऐसी याचिका जांच को समाप्त कर दीजिये और पुलिस के सम्बन्ध में ५० प्रतिशत शिकायतें समाप्त हो जायेंगी।

व्यापारिक विवादों में पुलिस द्वारा हस्तक्षेप की बात कही गई है जो किसी सभ्य देश में नहीं मिलती। हमारे ही दुर्भाग्यपूर्ण राज्य में नृशंसतापूर्ण शासन किया जाता है। पुलिस को औद्योगिक विवादों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

घूस और भ्रष्टाचार का मुख्य कारण यह है कि उनका वेतन कम है। पुलिस इंस्पेक्टर को एक बड़ा पदाधिकारी समझा जाता है परन्तु उसे आरम्भ में ७० रुपये वेतन और ३० या ४० रुपये का भत्ता दिया जाता है। पुलिस के सिपाही को प्रतिमास ५६ रुपये मिलते हैं। स्वाभावतः उन्हें घूस लेनी पड़ती है। इससे उनमें हीनता का भाव पैदा होता है और उसे दबाने के लिये वह अपनी उच्चता दिखाना चाहते हैं जिसके लिये वे लोगों को पीटते हैं। उनके वेतन में निश्चित वृद्धि होनी चाहिये। सिपाहियों के लिये निवास-स्थान की व्यवस्था होनी चाहिये। उनके बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये। ऐसी सुविधाओं पर भी यदि वे भ्रष्टाचार करें तो उन्हें पदच्युत कर दिया जाये।

उद्योगों के सम्बन्ध में प्रायः प्रत्येक ने कहा है कि सिवाय त्रावणकोर-कोचीन मिनरल्स के सभी उद्योगों में घाटा हो रहा है और कार्य की लागत में वृद्धि हो गई है। यह सब भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के कारण है। महा-प्रबन्धक के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मैंने निश्चित आरोप लिखकर राज्य के मुख्य मंत्री को दिये थे जो उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी पदाधिकारी को दे दिये थे। परन्तु उस पदाधिकारी ने आज तक कुछ नहीं किया। उसने उन शिकायतों को छुपा दिया है।

भूतपूर्व वित्त मंत्री ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि हमारे राज्य में रेलों की स्थिति असंतोष-जनक है। भारत की प्रतिलाख जनसंख्या के लिये ८.४ मील रेल की तुलना में हमारी रेलें किलोन-एरनाकुलम रेल के खुलने पर प्रतिलाख जनसंख्या २.८ मील होगी। हमने त्रिवेन्द्रम केप, टिनेवेली केप क्याम कुलम आदि अनेक लाइनों को सम्मिलित करने के लिये कहा है। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने सूचना दी है कि इन लाइनों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इन सब लाइनों को द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में आरम्भ करना चाहिये क्योंकि इससे लाखों लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा।

श्रम विभाग पर बाहर से प्रभाव डाला गया है कि वे भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस का पक्ष लें। कार्मिक संघ बाहर के प्रभाव अधीन कार्य कर रहे हैं। यह श्रमिकों का अपराध नहीं है वरन् सरकार का पक्षपात है।

श्रम विभाग के कर्मचारियों को वहां बहुत कम वेतन मिलता है। एक समझौता पदाधिकारी या कल्याण कार्यकर्ता को मजदूर जितना वेतन मिलता है। उससे क्या पूंजीपति और मजदूर का समझौता कराने की आशा की जा सकती है। पूंजीपति उसे सुगमता से १० या १५ रुपये दे सकता है जबकि मजदूर नहीं दे सकता। श्रम विभाग के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होनी चाहिये ताकि वह विभाग ठीक प्रकार से कार्य कर सके।

†**श्री ए० एम० थामस** : अक्टूबर–नवम्बर में बनने वाले केरल राज्य में सेनाओं के संविलय की समस्या पैदा होगी। गृह मंत्रालय को संविलय से पूर्व ही मालाबार के साथ सब विचाराधीन मामलों को निबटा देना चाहिये।

आकस्मिकता कर्मचारियों का भी प्रश्न है जिनकी ओर सामान्य चर्चा में संकेत किया गया था। ४००० व्यक्ति हैं जो वर्षों से काम करते रहे हैं। मेरा गृह मंत्रालय से निवेदन है कि उन्हें इस मामले

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ए० एम० थामस]

पर शीघ्र लोक सेवा आयोग से परामर्श करना चाहिये। इन लोगों को जिन्होंने कई वर्ष काम किया है स्थायी बना देना चाहिये।

यह सभी ने स्वीकार किया है कि छोटे पैमाने के उद्योग आरम्भ करने से त्रावणकोर-कोचीन राज्य में बेरोजगारी की समस्या बहुत कुछ हल हो जायेगी। प्रथम पंच वर्षीय योजना में हमारे लिये कुटीर उद्योग के हेतु नियत की गई राशि ११२ लाख रुपये है। यदि हम १९५६–५७ के लिये निर्धारित की गई राशि का भी व्यय करें तो हम केवल ५० लाख रुपये व्यय करेंगे। सरकार को इस प्रश्न की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

यद्यपि छोटे पैमाने के उद्योग बोर्ड और कुटीर उद्योग बोर्ड की अनेक योजनायें हैं, तब भी उस राज्य में इन योजनाओं में लगाई गई पूंजी बहुत कम है। इन योजनाओं की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये सारे विभाग का पुर्नसंगठन करना चाहिये नहीं तो कोई आशा नहीं की जा सकती।

मुझे हर्ष है कि वित्त मंत्री ने बताया था कि छोटे पैमाने के उद्योग चलाने के लिये विद्युत् की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में त्रावणकोर-कोचीन राज्य की स्थिति अच्छी है यदि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बताई गई योजनाओं को १९६०–६१ में पूरा कर लिया जाये तो विद्युत् का प्रति व्यक्ति उपभोग १०० किलोवाट हो जायेगा। इसके प्रयोग से हमें बेरोजगारी की समस्या को हल करना चाहिये।

शिक्षा मंत्रालय ने इस समय एक योजना लागू की है जिसके अनुसार यदि अप्रशिक्षित अध्यापकों को ४० रुपये प्रति मास दिये जायें तो इस पर व्यय होने वाली अतिरिक्त राशि का ५० प्रतिशत भाग केन्द्र द्वारा दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि प्रशिक्षित अध्यापकों को ५० रुपये प्रतिमास वेतन दिया जाये तो इसके अतिरिक्त व्यय का ५० प्रतिशत भी केन्द्र देगा। इसी के आधार पर मेरे राज्य की सरकार ने राज्य के अध्यापकों के वेतन में वृद्धि कर दी है। इसलिये यदि ऐसे में शिक्षा मंत्रालय ने अपने बचन का पालन न किया तो यह अत्यन्त ही भेदभावपूर्ण व्यवहार होगा क्योंकि इसका सम्बन्ध लाखों रुपयों से है।

राज्य में भूमि के कटाव के कारण, और काफी दबाव डाले जाने के बाद तथा योजना मंत्री के राज्य में आने के बाद, भूमि के कटाव को रोकने के लिये कुछ कार्य किये जा सके थे और उनमें से कुछ कार्य अब भी चलाये जा रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह भी बता दूं कि वर्षा लगभग १ मास के भीतर आरम्भ हो जायेगी। गृह-कार्य मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे परामर्शदाता को निदेश दे दें कि भूमि के कटाव को रोकने के कार्यों को प्राथमिकता दी जाये जिस से इन कार्यों को वर्षा से पूर्व पूरा किया जा सके।

अब मैं मत्स्य-पालन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। आप देखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये १५ लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं। इसमें से पहले चार वर्षों में केवल ४३ हजार रुपये व्यय किये गये और अगले वर्ष के लिये दो लाख इकतीस हजार दो सौ रुपये आवंटित तो किये गये हैं परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि इनको व्यय किया भी जायेगा कि नहीं। इस प्रकार १५ लाख रुपयों में से केवल ३ लाख रुपये ही व्यय किये जा सकेंगे।

मेरा निवेदन है कि मैंने जिन तथ्यों का उल्लेख किया है उन पर वित्त मंत्री और गृह-कार्य मंत्री पूरा ध्यान देंगे।

†**श्री वेलायुधन** : मुझे केवल औद्योगिक विकास और सहकारी समितियों के सम्बन्ध में ही कुछ बातें कहनी हैं। वित्त मंत्री ने यह कहा था कि छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास द्वारा ही

†भूल अंग्रेजी में

हमारे राज्य की बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है। परन्तु इस समस्या को हल करने के लिये इस वर्ष जो आवंटन किया गया है वह बहुत ही थोड़ा और सर्वथा नहीं के बराबर है।

वाणिज्य मंत्रालय से १९५४ में मुझे ज्ञात हुआ था कि भारत सरकार क्विलोन जिले में एक औद्योगिक उपक्रम आरम्भ करना चाहती है। यह अत्यन्त खेद की बात है कि त्रावणकोर-कोचीन सरकार द्वारा ११ वर्ष में भी इस के लिये भूमि अर्जित नहीं की गयी। यदि इस योजना को सम्पूर्ण त्रावनकोर-कोचीन राज्य में लागू किया गया तो वहां के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी।

हमारे यहां कुछ टेकनिशियन हैं जो आलवे और त्रिवेन्द्रम की पोलीटेक्नीकल संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। परन्तु राज्य में उन्हें काम नहीं मिलता। एक ओर तो हम कहते हैं कि हमारे यहां प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है, दूसरी ओर उन्हें कार्य नहीं दिया जाता। औद्योगिक विकास के लिये इन व्यक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिये। त्रावणकोर-कोचीन के ८० प्रतिशत कुटीर उद्योग हरिजनों के हाथ में हैं। यदि इनको कुटीर उद्योगों के आधार पर संगठित किया जाये तो न केवल शिक्षितों की वरन् अपढ़ बेकार लोगों की बेकारी भी दूर की जा सकेगी। राज्य के एक बहुत बड़े भाग के जंगल काटे जा चुके हैं और इनकी भूमि मुख्यत: उनको दी गई है जिनके पास ५००० से १०,००० एकड़ तक भूमि है जिसके कारण साम्प्रदायिक झगड़ों को प्रोत्साहन मिला है। इस नीति के कारण मंत्रिमंडल की बहुत बदनामी हुई है।

केन्द्रीय सरकार को राज्य की सामाजिक मनोवैज्ञानिक और आर्थिक समस्याओं के अध्ययन का अवसर मिला है।

श्री थामस कह रहे थे कि शिक्षा कार्य गैर-सरकारी लोगों के हाथ में हैं जो अनुदान प्राप्त करने के स्कूल आरम्भ करते हैं और ३० से ५० या ७५ प्रतिशत देकर सारी राशि के लिये हस्ताक्षर ले लेते हैं। स्कूलों के राष्ट्रीयकरण की योजना थी परन्तु प्रतिक्रियावादी शक्तियों के कारण मंत्रालय सफल नहीं हुआ। वर्षों से चले आते साम्प्रदायिक संघर्ष को समाप्त कर देना चाहिये।

स्वतन्त्रता से पूर्व हरिजनों के लिये ३ प्रतिशत भूमि होती थी परन्तु उसके पश्चात् यद्यपि हरिजनों को भूमि आवंटित की जाती थी किन्तु यह उनके नाम में नहीं थी क्योंकि कोई १० एकड़ भूमि ले लेता और उस पर हरिजनों को रहने को कहता। वे उस राशि की रसीद ले लेते और स्वयं कृषक बने रहते। वहां भूमि की मांग अभी भी है और सरकार को लोगों की सुरक्षा करनी चाहिय।

मैं साम्प्रदायिक होस्टलों के विरुद्ध हूं। लोगों को सार्वजनिक होस्टलों में रखना चाहिये परन्तु उन्हें काफी धनराशि देनी चाहिये ताकि वे अपने भोजन का प्रबन्ध कर सकें। इस आय-व्ययक में १९,००,००० रुपये की मंजूरी दी गई है इसमें ६२ प्रतिशत केन्द्रीय सरकार की ओर से है। सरकार को और धन राशि देनी चाहिये। स्वतन्त्रता से पूर्व हमारे लोगों के लिये अधिक अच्छी सुविधायें थीं। तब त्रावणकोर-कोचीन राज्य से अधिक संख्या में हरिजन स्नातक निकलते थे। आज हमारा दमन हो रहा है जबकि अधिकाधिक हरिजन शिक्षा प्राप्त करने के लिये अग्रसर हो रहे हैं।

मैंने परामर्शदाता के समक्ष सैकड़ों पत्र रखे थे जिनमें अस्पृश्यता की समस्या थी कि गांवों में किस प्रकार अत्याचार हो रहे थे। उन्होंने इसे साधारण बात समझा। जब तक यह समस्या हल नहीं की जाती मैं समझता हूं कि हम समाज की समाजवादी व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकते।

†**श्री अच्युतन** : कोचीन के क्षेत्र के सम्बन्ध में पहले कर सम्बन्धी कोई मूल विधियां नहीं थीं। गत वर्ष एक विधि पारित की गई थी। उसका अभिप्राय था कम से कम ५० प्रतिशत मूल कर से

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अच्युतन]

अपवर्जित किया जाये। इतना अधिक मूल कर लगाने के प्रश्न पर विचार करके सम्बन्धित प्राधिकारियों को उचित अनुदेश देने चाहियें।

वहां कई भूमि सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन हैं। पता नहीं राष्ट्रपति उनको अधिनियमित करेंगे अथवा नहीं। यदि उन्हें अधिनियमित न करना हो तो कोई प्रख्ययन जारी करना चाहिये जिससे काश्तकारों की बेदखली न हो सके।

मुझे आज पत्र मिला है कि वहां के स्थानीय लोगों ने नारियल की जटा सम्बन्धी सहकारी समितियां नियुक्त की हैं ताकि एक कारखाना चलाया जाये। मालीपुरम् नमक के गोदाम का भवन खाली है। वहां के सभासद ने लिखा है कि लोगों की प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई। पूंजी लगाने और कारखाना चलाने के लिये व्यक्ति तैयार हैं किन्तु सरकार उन इमारतों को नहीं दे रही है जोकि खाली पड़ी हैं। सरकार को चाहिये कि वह इन इमारतों को दे। यह क्षेत्र काफी घना बसा हुआ है।

कुछ लोगों का विचार है कि परिवार आयोजन में सफलता नहीं मिलेगी। मेरे विचार इसके विपरीत हैं। त्रावणकोर-कोचीन में परिवार आयोजन के केन्द्रों की संख्या बहुत कम है ; मेरे विचार से इन केंद्रों की संख्या इतनी बढ़ा देनी चाहिये कि प्रत्येक ताल्लुक में एक केन्द्र हो और जो व्यक्ति परिवार आयोजन की शिक्षा लेनी चाहते हैं उन्हें परामर्श देना चाहिये। त्रावणकोर-कोचीन में यह गम्भीर समस्या है। प्रत्येक अस्पताल में, परिवार आयोजन के मामले में उन व्यक्तियों को परामर्श देने के लिये, जो वहां आपरेशन तथा अन्य दूसरी बातों के बारे में राय लेने आते हैं, डाक्टर होने चाहियें। समस्त राज्य में इसका प्रचार करना चाहिये ताकि काफी मात्रा में इसका प्रभाव हो।

मुकंदपुरम् और त्रिचूर के लिये अखरोट की फसल रुपया बर्साने वाली फसल है। अभी हाल में अखरोटों में एक बीमारी फैल गई है। उनम कीड़ा लग गया है जो उसकी जड़ और पत्ते खा जाता है और फलस्वरूप पेड़ सूख जाता है। अखरोट उगाने वाली सभी भूमि अब बेकार होती जा रही है। इसके बारे में मैंने केन्द्रीय अखरोट बोर्ड तथा कृषि मंत्रालय को भी लिखा किन्तु कोई सार युक्त उत्तर नहीं मिला। बीमारी का कारण जानने और भविष्य में बीमारी के बढ़ने को रोकने के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

परूर और व्यपन क्षेत्र पानी संभरण के बारे में बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है और वह तटीय क्षेत्र भी है जहां गर्मियों में पीने का पानी मिलना बिल्कुल असंभव है। जब तक कि पेरियार नदी से आलवे से पाइप नहीं आता तब तक इस कार्य में कोई सहायता नहीं मिल सकती। काफी मूल्य देकर आजकल लोगों को पानी मिलता है। हो सकता है कि पाइप लाइन डालने का कार्य पूरा न हो सके अतः नावों आदि के द्वारा अधिक पानी लाने की व्यवस्था की जाय ताकि लोगों को कम से कम यह संतोष तो हो कि उन्हें पीने के लिये पानी खरीदना नहीं पड़ता।

†**श्री दातार** : चर्चा के दौरान में यह कहा गया है कि पुलिस पदाधिकारियों के वेतनक्रम बहुत निम्न हैं। सभा को इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुलिस अधिकारियों के वेतनक्रमों का संशोधन कर दिया गया है और सब-इंसपैक्टर, हैड कान्सटेबल और कान्सटेबल को अधिक वेतन दिया गया है। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि ये वेतनक्रम मद्रास राज्य के उसी पदों के अधिकारियों के वेतनक्रम की अपेक्षा बहुत अच्छे हैं। संशोधित वेतनक्रम १-४-१९५५ से लागू हुये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

नारियल-जटा उद्योग के बारे में यह कहा गया था कि वहां न्यूनतम वेतन निश्चित नहीं किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि न्यूनतम वेतन निश्चित कर दिये गये हैं।

†**श्री पुन्नूस** : यह गलत वक्तव्य है। मैंने तो यह कहा था न्यूनतम वेतन देना शुरू नहीं हुआ है।

†**श्री दातार** : वह भी मैं बताता हूं। न्यूनतम वेतन निश्चित कर दिया गया है और संशोधित दर १-२-१९५६ से लागू हो गई है। संशोधित दर लागू की जा रही है और न्यूनतम वेतन को लागू करने के लिये अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त कर दिये गये हैं।

मीन क्षेत्रों के लिये केन्द्रीय सरकार का विचार द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कोचीन में गहन समुद्र मत्स्यग्रहण केन्द्र की स्थापना करने का है।

सभा को यह सूचना देने में भी मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि त्रावणकोर-कोचीन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की स्थिति अच्छी है और त्रावणकोर-कोचीन सरकार इनके लिये भारत की अन्य राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक कार्य कर रही है। आप देखेंगे कि कालिज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हालांकि शिक्षा मंत्रालय विशेष छात्रवृत्तियां देता है, किन्तु त्रावणकोर-कोचीन में कालिज में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थियों को ४० रुपये अथवा ४५ रुपये प्रति मास की छात्रवृत्ति दी जाती है। विभिन्न कक्षाओं में ६०, ५०, ७० रुपये आदि की दर से एक मुश्त अनुदान भी दिया जाता है। विधि, डाक्टरी, इंजीनियरिंग पढ़ने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः १५०, २५० और १५० रुपये का विशेष अनुदान दिया जा रहा है।

इन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या जो १९५०-५१ में २८२ थी, बढ़कर १९५४-५५ में ६८४ हो गई है। इनके अतिरिक्त त्रावणकोर-कोचीन सरकार दूसरे मामलों के लिये भी अनुदान दे रही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के वकीलों को प्रोत्साहनार्थ सरकार सनद के लिये ५०० रुपये का एक मुश्त अनुदान दे रही है।

मिडिल स्कूलों के छात्रावास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ७० लाख रुपये रखे गये हैं। इन स्कूलों में भी विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ़ रही है। त्रावणकोर-कोचीन के प्राथमिक स्कूलों में हरिजन विद्यार्थियों की संख्या १,०६,००० है। माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या १६,२०० है। इसी प्रकार प्रौढ़ शिक्षा को फैलाने के लिये भी प्रयत्न किये जा रहे हैं और हरिजनों के आवास व्यवस्था के लिये बस्तियां बनाने की भी योजनायें हैं। ५०० रुपये की औसतन लागत के आधार पर इस समय ५ हजार मकान बनाने का प्रस्ताव है। आप देखेंगे कि इस पर काफी ध्यान दिया गया है।

†**श्री वेलायुधन** : मकान बनाने के लिये जो धन गत वर्ष स्वीकृत किया गया था वह व्यपगत हो गया है ?

†**श्री दातार** : वह व्यपगत नहीं होता। वह जारी रहेगा।

†**श्री मैथ्यू** : कालिज अध्यापकों, लेक्चरार, और प्राध्यापकों आदि के वेतनक्रम के बारे में क्या हुआ ?

†**श्री दातार** : इस प्रश्न का मैं उत्तर दे चुका हूं कि इन सब के वेतनक्रमों का संशोधन किया जा रहा है। मैं यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि कालिज के लेक्चरार और प्राध्यापकों के वेतन-क्रम भी संशोधित किये जा रहे हैं। इसके बारे में जांच करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पुन्नूस** : त्रावणकोर-कोचीन विश्वविद्यालय के लेक्चरारों ने मांग की है कि उनके वेतनक्रम भारत के अन्य विश्वविद्यालय के लेक्चरार के वेतनक्रमों के समान हों। क्या माननीय मंत्री इसके बारे में ध्यान देंगे ?

†**श्री दातार** : इसके बारे में शिक्षा मंत्रालय और संभवतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचार किया जाना है। जहां तक कि समान वेतनक्रम की बात है मेरा विचार है कि शिक्षा मंत्रालय विश्वविद्यालय के अध्यापकों के बारे में कुछ कर रहा है।

अंत में मैं पुलिस की कथित ज्यादतियों के बारे में विचार प्रकट करूंगा। आपने ठीक ही कहा है कि महज इस आधार पर कि पुलिस की ज्यादतियां हुई थीं जो कटौती प्रस्ताव दिये गये हैं, उनके लिये हमें पर्याप्त पूर्व-सूचना चाहिये। पुलिस की ज्यादतियों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिये कि किन व्यक्तियों ने किस प्रकार के कार्य किये तथा किन-किन स्थानों पर हुये। केवल यह कहना कि पुलिस की ज्यादतियां हुई हैं और उनके द्वारा अत्याचार किये गये हैं, काफी नहीं है। जहां तक कि इन छः अथवा सात मामलों का सम्बन्ध है उनमें से कुछ बहुत पुराने हैं, और कुछ वास्तव में न्यायालय में हैं। एक मामले में व्यक्तिगत शिकायत की गई है और मामले पर विचार हो रहा है।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि जहां तक इन शिकायतों का मामला है, यदि उनके बारे में कोई जांच नहीं की गई है तो परामर्शदाता से मैं कहूंगा कि यदि उनके बारे में अभी तक कोई जांच नहीं हुई है तो वह उनकी जांच करायें। इस प्रकार की शिकायतों पर बड़ी सावधानी से विचार करना है।

मालिकों और कर्मचारियों के बीच झगड़ों के बारे में जिस नीति का अनुसरण किया गया है उसके बारे में सभा को मैं बताना चाहता हूं कि मामला किस प्रकार उठा, भावनायें किस प्रकार उभारी गई हैं और अंत में पुलिस ने किस प्रकार कार्यवाही की, और पुलिस को दोष दिया गया। झगड़ों के मामले में पुलिस ने सदैव ही तटस्थता की भावना अपनाने का प्रयत्न किया है. . . .साथ ही जब कभी इस प्रकार के झगड़े होते हैं तो शांति और व्यवस्था बनाने की दृष्टि से पुलिस को चौकन्ना रहना पड़ता है, और मालिकों तथा कर्मचारियों को विधिक संरक्षण देती है तथा शांति और व्यवस्था बनाने के लिये जब कभी आवश्यकता होती है केवल तभी ऐसे पग उठाती है। सदैव यह देखा गया है कि श्रमिकों का एक वर्ग जो बात को बढ़ाने-चढ़ाने में रुचि रखता है, पुलिस के विरुद्ध बर्बरतापूर्ण आरोप लाता है और पुलिस द्वारा की जाने वाली विधिक कार्यवाही में रुकावट डालने के लिये आन्दोलन की योजना बनाता है।

इस प्रकार के बढ़ा-चढ़ाकर कह जाने वाले आरोपों का राज्य में तथा राज्य के बाहर इस भावना में प्रचार किया जाता है कि पुलिस श्रमिकों के झगड़े में हस्तक्षेप कर रही है। वास्तव में बात कुछ दूसरी ही है। कुछ मामलों में, और विशेषतः एक वर्ग विशेष के अधीन रहने वाले श्रमिक, अचानक ही अवैध कार्यवाहियां करने लगते हैं और पुलिस हस्तक्षेप का प्रचार करने लगते हैं।

†**श्री पुन्नूस** : इस प्रकार के वक्तव्य से माननीय मंत्री उन शरारती लोगों को पुराने आधार पर चलने के लिये ही प्रोत्साहन दे रहे हैं। उन्हें चाहिये कि वे ऐसा वक्तव्य न दें।

†**श्री ए० के० गोपालन** : तथ्यों के बिना जाने माननीय मंत्री ऐसी बातें कह रहे हैं जो ठीक नहीं हैं। माननीय मंत्री को चाहिये कि वे यह कहें कि वे जांच करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : पुलिस की ज्यादतियों के बारे में कटौती प्रस्ताव हैं। उन्होंने बताया है कि कुछ मामले अदालत में हैं। कुछ मामले पुराने हैं जिनकी जांच हो चुकी है। उन्होंने आश्वासन दिया

†मूल अंग्रेजी में

है कि यदि कुछ मामले ऐसे हैं जिनकी जांच नहीं हुई है अथवा वे अदालत में नहीं हैं और यदि उन मामलों की सूचना माननीय मंत्री को दे दी जाती है तो वे प्रशासक को उनकी जांच करने तथा उचित कार्यवाही करने के लिये कहेंगे ।

सरकार यह कह सकती है कि प्रशासन का भी यह दायित्व है कि वह देखे कि गुंडागर्दी न हो और इसलिये पुलिस का कर्तव्य है कि वह शांति और व्यवस्था बनाये रखे । वह तो केवल यही बता रहे हैं जो कि हुआ है । यह ठीक है कि कुछ मामलों को छोड़ कर बाकी कुछ नहीं है । फिर भी उन मामलों की जांच करने के लिये वे तैयार हैं । प्रशासन में पूर्णता का दावा कोई नहीं कर सकता । यह कहना कि सब कुछ खराब है, भूल है ।

†**श्री दातार** : विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के वर्तमान संशोधित वेतनक्रम के बारे में अब मैं देखता हूं कि वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतनक्रम में १–४–१९५५ से संशोधन कर दिया गया है और प्रथम श्रेणी के प्राध्यापक का वेतनक्रम ५०० से ८०० रुपये तथा द्वितीय श्रेणी के प्राध्यापक का वेतनक्रम ४५० से ६०० रुपये है । लेक्चरार का वेतनक्रम १५० से ४०० रुपये है ।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : आर्थिक व्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र के बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिये हैं और कुछ बातों के बारे में जिन्हें वे कमियां कहते हैं, ध्यान आकर्षित किया है । अतः यह मेरा कर्तव्य होगा कि इन सुझावों, जैसे भूमि सम्बन्धी सुधार, अथवा यह देखने के लिये कि मुझे कटाव विरोधी कार्य बड़ी तत्परता के साथ किये जाते हैं, की ओर परामर्शदाता का ध्यान आकर्षित करूं, और यह मालूम करूं कि मीन क्षेत्र तथा कुटीर उद्योग और अन्य कार्यों के लिये धन की जो व्यवस्था की गई थी उसमें से कम खर्च क्यों किया गया है । तथा जो विभाग ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं उन्हें सुचारू रूप से कार्य कराने के लिये जागृत किया जाय । ऐसा करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि परामर्शदाता जो कि अपने दायित्वों के प्रति सजग हैं प्रत्येक वस्तु को ठीक करने के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे ।

और भी विभिन्न मामले जैसे रबड़ आदि के हैं । इसके दो विभिन्न पहलू हैं । पहली बात तो रबड़ का कारखाना चालू करने का है । कुछ व्यक्तियों को सुझाव दिया गया था कि वे ऐसा करने की सम्भावनाओं के बारे में जांच करें । उन्होंने यह कार्य नहीं किया । तब दूसरे व्यक्तियों से कहा जाय और मैं समझता हूं कि वे इस मामले पर विचार कर रहे हैं ।

मेरा विचार है कि रबड़ के बागानों के बारे में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय रबड़ के बाग लगाने वालों को आर्थिक सहायता के लिये अर्थात् फिर से बाग लगाने तथा नये बाग लगाने और इसके लिये आवश्यक वित्त के बारे में दो योजनाओं पर विचार कर रहा है । उनका विचार इन योजनाओं पर रबड़ बोर्ड के परामर्श से कार्य करना है । जबकि माननीय सदस्य रबड़ कार्यों के भी सदस्य हैं तो मैं समझता हूं कि वे वहां प्रस्ताव रखेंगे जो साधारण रूप से स्वीकृत होंगे ।

उसमें जो वित्त लगा हुआ है और उसके बारे में मुझे कुछ ध्यान है और मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि यदि ये योजनायें प्रशासन और प्रविधिक दृष्टि से व्यवहार्य हुईं तो मेरा विचार है कि आवश्यक वित्त की व्यवस्था करना कठिन नहीं होगा ।

जहां तक कि राज्य के संसाधनों का सम्बन्ध है कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि संसाधन वहां हैं । अन्तर केवल इतना है कि जब माननीय सदस्य एक प्राधिकार का उल्लेख कर रहे हैं तो मैं दूसर प्रधिकार की बात कह रहा हूं । उन्होंने राज्य की पुस्तिका और राज्य का विवरण पढ़ा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सी० डी० देशमुख]

है। मैंने प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय से जो कुछ प्राप्त हुआ है उसका उल्लेख किया है। परन्तु माननीय सदस्य ने जो कहा है मैं उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करूंगा जब उनको पता चलेगा कि उनकी जानकारी ठीक नहीं है, तब मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेंगे कि उन्होंने गलती की है। आखिर कार, यह आरोप लगाने से किसी को कोई भी लाभ नहीं होता कि माननीय सदस्य के निर्वाचन-क्षेत्र में मिलने वाले लिगनाइट में २८ प्रतिशत ऐश की बजाय ४० प्रतिशत ऐश है।

†**श्री वी० पी० नायर :** इसका विश्लेषण नहीं किया गया था।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** हो सकता है। परन्तु मैंने सामान्य वक्तव्य दिया है कि अगली पंचवर्षीय योजना अवधि में इस प्रदेश का व्यवस्थित भूतत्वीय परिमाप का इरादा किया गया है, और मैं आशा करता हूं कि उस नकशे से पता चलेगा कि माननीय सदस्य न केवल लिगनाइट के बारे में, बल्कि हीरे, जवाहरात के बारे में भी ठीक हैं। यदि वहां हीरे, जवाहरात हैं, तो उनको निकालने के लिये प्रयत्न करने की ओर विमुख होने से किसी को क्या लाभ है? बल्कि इससे देश की कुल धन सम्पत्ति बढ़ती है, विशेष-कर विदेशी मुद्रा। इसलिये इस बारे में मतभेद नहीं हो सकता। तथ्यों के बारे में मतभेद हो सकता है, और सरकार के टेकनीकल विभागों का कार्य होगा कि वे प्रयत्न करें और उपलब्ध सूचना का समन्वय करें।

फिर, केवल दो छोटी बातें और हैं। एक ऋण के बारे में है। माननीय सदस्य असंगत तुलनाओं में पड़ गये थे। समूची योजना समन्वयित योजना है और सरकार को विभिन्न कार्यों के लिये ऋण देने होंगे। त्रावणकोर-कोचीन राज्यों को अपनी राज्य योजनाओं को चलाने के लिये लोहा और इस्पात कारखाने के लिये ७ करोड़ रुपये के ऋण के स्थान पर ४॥ करोड़ रुपये का ऋण किस प्रकार उत्तम या बुरा होगा। यह निर्णय करने के लिये हमें क्या उपाय करने होंगे? ऐसी विधि का निर्णय प्रत्येक मामले के गुण-अवगुण के आधार पर किया जाता है। इसलिये इस बात की तुलना करने का कोई साधन नहीं है कि हम टाटा को या इन्डियन आयरंज या त्रावणकोर-कोचीन राज्य को कितना देते हैं। जहां तक ऋण के सामान्य परिणाम का सम्बन्ध है वे पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में आते हैं।

मैंने यह भी आश्वासन दिया है कि यदि धन उपलब्ध हो गया और हमने यह अनुभव किया कि त्रावनकोर-कोचीन परामर्शदाता के मार्गदर्शन में उस धन का अधिक बड़े पैमाने पर उपयोग कर सकता है, जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी, तब, बाद में, वर्ष में, इस काम के लिये धन देने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं होगी।

†**श्री ए० एम० थामस :** शिक्षा अनुदान की क्या स्थिति है?

†**श्री सी० डी० देशमुख :** मैंने माननीय सदस्य की बात को मन में रख लिया है। मैं इसकी जांच करूंगा, कि इस उत्तर-सम्मेलन के सम्बन्ध में क्या किया जाये, परन्तु इस विशिष्ट बात के बारे में पूर्व-औपचारिक निर्णय का प्रश्न अध्यापकों क वेतन के बारे में पैदा होता है। यदि मुझे कोई बात ठीक जंची और कोई बुरी घटना न हुई, तो मैं समझता हूं कि इस विशिष्ट बात को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

अन्त में, मैं सद्भावनापूर्ण बात कर समाप्त करूंगा। मैं समझता हूं कि हम सबके दिल में त्रावन-कोर-कोचीन राज्य के लिये सहानुभूति है, इसलिये माननीय सदस्य के पद्यांश के उत्तर में मैं एक

†मूल अंग्रेजी में

और पद्यांश कहूंगा । वह यह है :

"त्रावनकोर-कोचीन में मैंने तुम्हें इतना अधिक प्यार न किया होता—यदि मैंने भारत को अधिक प्यार न किया होता ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखे गये, और अस्वीकृत हुये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के चौथे स्तम्भ में दी गई राशियों से अनधिक राशियां, राष्ट्रपति को, दूसरे स्तम्भ में दी गई निम्न मांगों के सम्बन्ध में, त्रावनकोर-कोचीन राज्य की संचित निधि में से, उन मांगों को पूरा करने के लिये दी जायें जिनका भुगतान ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में दिया जायेगा :

मांग संख्या १२, १५, १७, २०, २३, २४, २५, २६"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(जो मांगें सभा द्वारा स्वीकृत हुईं वे नीचे दी जाती हैं—सम्पादक)

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
१२	जिला, प्रशासन और विधि	२२,३३,८००
१५	पुलिस	८४,५१,०००
२०	कृषि	४२,८५,९००
१७	शिक्षा	५,३१,९५,८००
२३	सहकारिता	८,५४,९००
२४	उद्योग	१,४०,२४,७००
२५	श्रम तथा विविध	५६,२०,७००
२६	असैनिक निर्माण-कार्य	२,०९,७२,७००

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं अन्य मांगों को सदन के मतदान के लिये रखूंगा । प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के चौथे स्तम्भ में दी गई राशियों से अनधिक राशियां, राष्ट्रपति को, दूसरे स्तम्भ में दी गई निम्न मांगों के सम्बन्ध में, त्रावनकोर-कोचीन राज्य की संचित निधि में से, उन भारों को पूरा करने के लिये दी जायें जिनका भुगतान ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किया जायगा :

मांग संख्या १ से ११, १३ और १४, १६, १८ और १९, २१ और २२ और २७ से ४२ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†मूल अंग्रेजी में

(जो मांगें सभा द्वारा स्वीकृत हुईं, वे नीचे दी जाती हैं--सम्पादक)

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
१	कृषि आयकर एवं बिक्री-कर	७,०६,६००
२	भू-राजस्व	३२,६१,२००
३	उत्पादन-शुल्क	१३,०८,१००
४	स्टाम्प	२,०८,२००
५	वन	७०,५५,७००
६	पंजीयन	११,०३,९००
७	मोटर गाड़ी अधिनियम	५,३१,३००
८	सिंचाई	१३,८२,२००
९	राज्यों के प्रमुख, मंत्री, सचिवालय, और सम्बद्ध कार्यालय	२४,७६,६००
१०	राज्य विधान-मण्डल	४,२८,५००
११	निर्वाचन	२१,६१,४००
१३	न्याय प्रशासन	३६,९७,२००
१४	जेलें	७,०२,४००
१६	वैज्ञानिक विभाग	२,७९,०००
१८	चिकित्सा-सम्बन्धी	१,३०,६१,७००
१९	लोक स्वास्थ्य	३९,५९,५००
२१	ग्राम-विकास	४३,९२,०००
२२	पशु-चिकित्सा	९,२६,१००
२७	बिजली	६०,७४,१००
२८	पेंशनें	६५,२८,०००
२९	लेखन-सामग्री तथा छपाई	२२,११,४००

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
३०	विविध	२०,६७,३००
३१	सामुदायिक विकास परियोजनायें	८८,६०,५००
३२	परिवहन योजनायें	१,२७,७७,४००
३३	सिंचाई पर पूंजी व्यय वाणिज्यिक	३८,८५,६००
३४	सिंचाई पर पूंजी व्यय (गैर-वाणिज्यिक)	७७,९७,२००
३५	कृषि सम्बन्धी सुधारों पर पूंजी व्यय	६४,२००
३६	औद्योगिक विकास पर पूंजी व्यय	७४,९८,८००
३७	असैनिक कार्यों पर पूंजी व्यय	२,१९,८९,७००
३८	बिजली योजनाओं पर पूंजी व्यय	२,४९,७२,१००
३९	राजस्व लेखा के बाहर दूसरे कार्यों का पूंजी-लेखा	३९,६०,०००
४०	परिवहन योजनाओं पर पूंजी व्यय	१७,४८,६००
४१	राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी व्यय	४२,४३,३००
४२	ऋण तथा अग्रिम धन	१,३१,४६,१००

त्रावनकोर-कोचीन विनियोग विधेयक*

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५६–५७ की सेवा के लिये त्रावनकोर-कोचीन राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियां निकालने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५६–५७ की सेवा के लिये त्रावणकोर-कोचीन राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियां निकालने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमत्ति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

*भारत के सूचना-पत्र, असाधारण, भाग २, अनभाग २, दिनांक १४-५-५६ में प्रकाशित; देखिए पृष्ठ.....

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एम० सी० शाह** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं और प्रस्ताव** करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९५६-५७ की सेवा के लिये त्रावणकोर-कोचीन राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियां निकालने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५६–५७ की सेवा के लिये त्रावणकोर-कोचीन राज्य की संचित निधि से कुछ राशियां निकालने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २, ३ अनुसूची, खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री एम० सी० शाह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, १५ मई, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

---

†मूल अंग्रेजी में

**राष्ट्रपति की सिफारश से पुर:स्थापित और प्रस्तुत ।

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, १४ मई, १९५६]

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ३४५३–५४

निम्न कालावधियों में निवारक निरोध अधिनियम, १९५० के कार्यसंचालन के बारे में सांख्यकीय जानकारी—

(१) ३० सितम्बर, १९५४ से ३० सितम्बर, १९५५ तक ; और

(२) ३० सितम्बर, १९५५ से ३१ दिसम्बर, १९५५ तक सभा-पटल पर रखी गयीं ।

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ३४५४

सचिव ने बताया कि राष्ट्रपति ने १० मई, १९५६ को त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक पर, जो संसद् की सभाओं द्वारा पारित किया गया था, अनुमति दे दी है ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ३४५४

चौथा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

संयुक्त समितियों के प्रतिवेदनों के उपस्थापन के लिए समय का बढ़ाया जाना ३४५४–५६

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) द्वारा रखे गये प्रस्तावों पर लोक-सभा ने यह बात स्वीकार की कि (१) राज्य पुनर्गठन विधेयक, तथा (२) संविधान (नवां संशोधन) विधेयक पर संयुक्त समितियों के प्रतिवेदनों के उपस्थापन के लिये निश्चित समय आगामी सत्र के पहले दिन तक बढ़ा दिया जाय ।

त्रावनकोर-कोचीन आय-व्ययक ३४५७–३५००

त्रावनकोर-कोचीन आय-व्ययक, १९५६–५७ पर सामान्य चर्चा आरम्भ हुई तथा समाप्त हुई। उसके सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों की पूरी राशियां स्वीकृत हुईं ।

विधेयक पुर:स्थापित तथा पारित ३५४७–४८

त्रावनकोर-कोचीन विनियोग विधेयक पुर:स्थापित किया गया तथा पारित हुआ ।

मंगलवार, १५ मई, १९५६ के लिये कार्यावलि—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर विचार

M136LSD—190—6-1-58—GIPF